दशम माला, खण्ड 11; अंक 37

गुरुवार, 23 अप्रैल, 1992
3 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय	पृष्ठ
समिति के लिए निर्वाचन	191
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
नियम 377 के अधीन मामले	191—195
(एक) डंकल नीति के परिप्रेक्ष्य में पी० वी० सी0 की वस्तुओं के स्वदेशी निर्माताओं के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा० (श्रीमती) पद्मा	191—192
(दो) महाराष्ट्र के जालना जिले में जालना वाणिज्यिक केन्द्र के समीप रेल फाटक पर एक उपरि-पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री अंकुशराव टोपे	192
(तीन) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली वृत्तिका/छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	192
(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के पुणे-कोल्हापुर खंड को चार मार्गों वाले एक्सप्रेस मार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	193
(पांच) देश में परम्परागत शैक्षणिक संस्थानों के समन्वयन तथा प्रबंधन के लिए केन्द्रीय एजेंसी का गठन करने हेतु विधान बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	193
(छः) उत्तर प्रदेश में कानपुर में रक्षा सेवाओं के लिए भर्ती केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	194
(सात) मानसी-सहरसा-फारबिसगंज और सहरसा-मधेपुरा-कटिहार रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने की आवश्यकता	
श्री सूर्यनारायण यादव	194

(आठ) कर्नाटक में कावेरी जल विवाद के कारण हुए दंगों से प्रभावित उद्योग पतियों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन 193

(नौ) आंध्र प्रदेश में मेडक जिले के पत्तनचेरू तथा बोलारम क्षेत्रों को "अत्यन्त प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र" घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री दत्तात्रेय बंडारू 195

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93 ... ... 196—221

विदेश मंत्रालय

डा० सुधीर राय ... ... 196—197

श्री शरद दिघे ... ... 197—199

श्री भू० विजयकुमार राजू ... ... 200—203

डा० लाल बहादुर रावल ... ... 203—207

श्री पीयूष तीरकी ... ... 207—209

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... ... 209—216

श्री पी० वी० नरसिंह राव ... ... 217—221

नागालैंड राज्य के संबंध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प ... ... 222—260

श्री वसुदेव आचार्य ... ... 222—226

श्री इम्चालम्बा ... ... 226—228

श्री चित्त बसु ... ... 228—231

श्री विजय कुमार यादव ... ... 231—233

श्री सोमनाथीश्वर राव वाड्डे 233

श्री एस० बी० चव्हाण ... ... 234—241

लोक सभा

बुधवार, 23 अप्रैल, 1992/3 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने प्रधान मंत्री जी पर आरोप लगाया था। अब इन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, यह समाचार आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है। आप इन्हें कहिए कि कल जो कुछ इन्होंने कहा है इसके लिए ये माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : कल जो आरोप लगाया गया था, वह गलत था, और इस मुद्दे को अब खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए कल जो कुछ इन्होंने कहा है, उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह देश के प्रधान मंत्री के चरित्र हनन की बात है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : इन्होंने इस सदन को और देश को गुमराह किया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : इन्हें अब बिना किसी शर्त के प्रधान मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप हाउस एडजर्न कर दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : विपक्ष द्वारा कल जो आरोप लगाया गया था; वह असत्य न्यूज रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया था और समूचे विपक्ष ने देश के प्रधान मंत्री के

चरित्र हनन की कोशिश की थी। उन्हें शीघ्र ही प्रधान मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : सबसे पहली बात तो यह है कि प्रश्न काल को स्थगित किये बिना, ये लोग इस तरह के मुद्दे उठा ही नहीं सकते। क्या इन्होंने इस मामले को उठाने के लिए प्रश्न काल को स्थगित किये जाने का कोई प्रस्ताव दिया है ?···(व्यवधान)···पहले इन्हें प्रश्न काल के स्थगन का प्रस्ताव रखना चाहिए और तब मामले को उठाना चाहिए। ये इस तरह से इस मामले को नहीं उठा सकते। (व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : इस देश के प्रधान मंत्री जी का चरित्र हनन किया गया है। महोदय, अब हम यह चाहते हैं कि ये लोग बिना शर्त माफी मांगें। श्री जार्ज फर्नान्डीज कहां हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि कांग्रेस के सदस्य अपनी बात सदन के सामने रखें।··· (व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने क्वेश्चन आवर सस्पैंड करने का नोटिस दिया है ? क्या आपके पास कोई नोटिस है, जिसमें मांग की गई है कि प्रश्न काल को स्थगित कर दिया जाए ? यदि नहीं तो आप इनको कहिए कि प्रश्न काल के बाद मामले को उठाएं। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी भावनाओं को समझा जा सकता है। अब यह प्रश्न काल का समय है। आइये, पहले इसे पूरा कर लेते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए।···(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोगों ने क्वेश्चन आवर सस्पैंड करने के लिए नियम 388 के अन्तर्गत नोटिस दिया था।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : यदि ये लोग प्रश्न काल को स्थगित करना चाहते हैं तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या इन्होंने स्विट्जरलैंड से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। (व्यवधान)

श्री पीयूष तोरकी (अलीपुरद्वारस) : आज ये एक समाचारपत्र की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। क्या ये कल की रिपोर्ट को प्रमाणित करने के लिए भी तैयार हैं। प्रधान मंत्री जी को सभा में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : यह तो अध्यक्ष पीठ का अपमान है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप लोग अनावश्यक रूप से मामले को उलझा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप लोग अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : क्वेश्चन आवर को सस्पैंड किया जाए और इस पर डिसकशन हो।··· (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, हम··· (व्यवधान)··· रामविलास जी चिल्लाने से नहीं होता है। कल आप कह रहे थे कि हमको जाना पड़ेगा, आज आप जाइए।

[अनुवाद]

--अब आप सभा से क्यों नहीं जाते, आपको यह तो कहना आता है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपको भी इस्तीफा देना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : प्रधान मंत्री जी को आने दीजिए··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, कृपया बैठ जाइए। कृपया व्यवधान न डालें। सबसे पहली बात जो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, वह यही है कि जब मैं बोल रहा होता हूं तो बीच में व्यवधान न डालें। जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती आप कृपया अपनी सीटों से न उठा करें। अन्यथा काफी समय तक ऐसा ही चलता रहेगा।

ठीक है कल आपने कुछ कहा था। आज इस ओर बैठे सदस्यों में रोष है···

श्री रामविलास पासवान : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये आप व्यवधान डाल रहे हैं। पासवान जी, आप कृपया अपना स्थान

ग्रहण कीजिए। कल मैंने प्रश्न काल स्थगित नहीं किया था। आज भी प्रश्न काल को स्थगित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। लेकिन यदि सदस्य बोलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें पर्याप्त समय दूंगा। लेकिन इस समय नहीं।

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा) : कल आपने इस बारे में अपना विनिर्णय दिया था। लेकिन इसके बाद भी, वे इसी तरह से बोलते रहे।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि आप लोगों को मेरी बात के बीच में व्यवधान नहीं पैदा करना चाहिए। मुझे सूचना मिली है कि कल जो चर्चा हुई थी उस पर आज प्रश्न काल के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री जी अपना उत्तर देंगे। यह भी निर्णय लिया गया था, प्रत्येक दल से केवल एक सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी। मैं एक अथवा दो सदस्यों को ही अपने विचार रखने की अनुमति दे सकता हूं। इसलिए, आइये पहले प्रश्न काल की कार्यवाही पूरी कर लेते हैं और कृपया आप लोग परस्पर सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, आपकी इच्छा के विपरीत सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि··· (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, प्रश्न काल को अभी स्थगित कर देना चाहिए और प्रधान मंत्री जी को अभी यहां आकर इस पर अपना उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, सरकार प्रश्न काल के स्थगन के लिए ही नहीं है। हमारी ओर के सदस्यों में आज रोष व्याप्त है, क्योंकि कल विपक्षी सदस्यों ने एक समाचार को लेकर काफी शोर-शराबा किया था और आज स्विट्जरलैंड सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने उस रिपोर्ट का यह कह कर खण्डन किया है कि विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, वे निरर्थक हैं। विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः असत्य और दुर्भावनाग्रस्त है।···(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हमने जो आरोप लगाया है, उस पर हम कायम हैं। हम केवल उस पर कायम ही नहीं हैं, बल्कि हम यह भी चाहते हैं कि प्रश्न काल शीघ्र ही स्थगित कर दिया जाए और प्रधान मंत्री जी को इसी वक्त सभा में आकर अपना उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, इस बात को इतना लम्बा न खींचिए। कृपया शान्ति रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, आप तो अपनी बात कह चुके हैं। अब जाखड़ जी को बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरी सारे सम्माननीय सदस्यों से विनती

है कि हम यहां आकर कुछ सार्थक काम करें। अध्यक्ष महोदय, आपकी जगह जब मैं 10 साल रहा था, उस समय भी बहुत मौके ऐसे आए जब इस प्रकार से न्यूज पेपर्स रिपोर्टस पर कुछ न कुछ बात आ जाती थी, ऐसे मौकों पर हमको एक बात करनी चाहिए और हम करते रहे हैं और वह यह कि पहले पता कर लें कि वाकयी ठोस बात है या नहीं। (व्यवधान)

मैं इसका निष्कर्ष निकालने की ही बात कर रहा हूं, आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

आपको सुनना चाहिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपके खिलाफ हो, मैं तो सब के हित की बात कर रहा हूं···(व्यवधान)···

मैं, यही कहने जा रहा हूं, आप सुनेंगे तो मेरी बात का निष्कर्ष निकालेंगे। मैं कहता हूं कि चाहे हम हों या आप हों, किसी भी बात पर इस तरीके से बात आ जाती है तो उस पर हम खड़े होकर कहना शुरू कर देते है बिना असर्टेन करके और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि जब मैं आपकी जगह पर था, तब मैं भी यह कहता था कि पहले मुझे पता कर लेने दीजिए कि इसमें क्या ठोसपन है। इससे हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। (व्यवधान) उस पर विवाद भी हो सकता है, विचार-विमर्श भी हो सकता है, डिसकशन भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन सार्थक तरीके से करेंगे तो सबके लिए और देश के लिए लाभदायक होगा। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा कल किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, आप कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, आपको तो अनुमति दी जा चुकी है। आचार्य जी, आपको भी अनुमति दी जा चुकी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया इस बात को मान कर चलें कि इस समय प्रश्न-काल चल रहा है। इसके लिए आपने 20 दिन पूर्व सूचना दी है; 10 दिन का समय तो सरकार को और 20 दिन का समय सचिवालय को। इस पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं। अपेक्षित सूचना एकत्र की गई है। आप सभी इस सूचना को पाने के लिए रुचिकर हैं। और इस सभा ने केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी है। आप पंचवर्षीय योजना, जनसंख्या की समस्या, पर्यावरणीय समस्या, रोजगार की समस्या पर चर्चा कर सकते है अथवा आप सभी मंत्रालयों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। एक बात पर छ: घण्टे अथवा दस घन्टे तक चर्चा करते रहना जरूरत से ज्यादा समझा जाना चाहिए और हमें किसी अन्य बात को लेना चाहिए। मान लीजिए आप हर रोज केवल एक ही बात को लेते रहे, तो इससे न तो आपका और न ही देश का भला हो सकेगा।

और भी कई बातें है। हमें उन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। कल आप दो-ढाई घण्टे तक बोलते रहे परन्तु किसी ने भी बाधा नहीं डाली। आज, ये लोग भी रोष में हैं और उनका रोष में होना स्वाभाविक है। ये लोग भी बोलना चाहते हैं। मैं इन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। पन्द्रह मिनट में यह समाप्त हो जाएगा और आप प्रश्न पूछ सकेंगे। आप इसे चलने दीजिए और प्रश्न-काल के पश्चात् आप अपनी बात कह सकेंगे।

———

1.1.16 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बंगलादेश से आये आप्रवासी

*716. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम'† :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में बंगलादेश से अवैध रूप से आये लगभग कितने आप्रवासी रह रहे हैं;

(ख) इन्हें अभी तक बंगलादेश वापस न भेजने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने आप्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है; और

(घ) शेष आप्रवासियों को शीघ्र वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

चूंकि बंगलादेश से अवैध आप्रवसी चोरी-छिपे भारत में प्रवेश करते हैं और स्थानीय जनता के साथ आसानी से घुलमिल जाते हैं, इसलिए उनकी ठीक-ठीक संख्या का पता लगाना सम्भव नहीं पाया गया है। तथापि, ऐसा अनुमान है कि लगभग एक लाख से अधिक ऐसे बंगलादेशी आप्रवासी दिल्ली में रह रहे हैं ।

जातीय समानता और स्थानीय लोगों में आपसी सहयोग और जानकारी के अभाव के कारण अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों की पहचान करने का काम बहुत जटिल तथा विशाल है ।

बंगलादेश के अवैध आप्रवासियों की समस्या की गंभीरता सम्बन्धी मामला बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है। सरकार ने स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा की है तथा सीमा पर अवैध घुसपैठ की रोक-थाम करने के उपायों को सुदृढ़ बनाने, प्रभावित राज्यों में घुसपैठ रोकने की योजना को मजबूत करने, बंगलादेशी नागरिकों को वीजा जारी करने संबंधी वीजा प्रक्रिया तथा विनियमों को कड़ा बनाने, पक्की शिनाख्त करने के लिए कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों पर आधारित विधि सृजित करने तथा अवैध आप्रवासियों को स्वदेश लौटाने जैसे, उपाय किए हैं। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी, अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने के अनुदेश जारी किए गए हैं ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार, 291 अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों को स्वदेश वापस भेजा है :

वर्ष	वापस भेजे गए व्यक्तियों की संख्या
1989	—
1990	1
1991	118
1992 (12-4-1992 तक)	172

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जो माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है वह ठीक नहीं है। दिल्ली के अन्दर पांच लाख बंगलादेशी हैं, एक लाख नहीं हैं। इसके साथ ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली से बंगलादेश भेजे गए अप्रवासी वापस दिल्ली में आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है ? क्या सरकार के पास कोई साधन नहीं है, जिससे उन्हें दिल्ली में पुनः न घुसने दिया जाए ? क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं कि बंगलादेश कितने भेजे ? जो यहाँ संख्या दी है वह नगण्य है। उसमें से कितने दिल्ली पुनः वापस चले आए।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी यह उत्तर दिया है कि एक लाख से भी अधिक बंगलादेशी शरणार्थी दिल्ली में आए बताए गए हैं। लेकिन जिन लोगों को वापिस भेजा जाना है, उनके बारे में मैं इस समय कोई विशिष्ट उत्तर आपको नहीं दे सकता। उनमें से कुछ लोग तो हमने वापिस भेजे हैं, लेकिन सीमापार कर देश में आने वाले लोगों की संख्या अधिक होने की वजह से हम उन सभी को वापिस लौटा पाने में अभी इतने अधिक सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस समय हम बंगलादेश सरकार के साथ सभी कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बंगलादेश वापिस भेजे जा सकें। इसलिए हमारे प्रयास जारी हैं। इसके साथ-साथ सीमावर्ती इलाकों के सम्बन्ध में विगत कुछ वर्षों के अनुभव के दृष्टिगत हमने अब बहुत ही पक्के उपाय किए हैं, जिससे कि अब और अधिक लोग भारत में न घुस सकें। हमने देश में प्रवेश करने वाले लोगों की बाढ़ को नियन्त्रित कर लिया है। इसके लिए अब सीमा पर निगरानी चौकियां स्थापित की गई हैं। सीमा सुरक्षा बल भी तैनात है। और अन्य भी कई उपाय वहाँ पर किये जा रहे हैं। यदि सदस्य चाहें तो मुझे इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने में कोई एतराज नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि दिल्ली के अन्दर अपराध होते रहते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक बंगलादेशी दिल्ली के अन्दर अपराधकीय कार्यवाहियों के अन्दर लिप्त हैं। क्या सरकार के पास जानकारी है कि पीछे एक साल में कितने अपराधों के अन्दर बंगलादेशी इन्वाल्व हुए ? इसके साथ ही क्या सरकार ने कोई डैड-लाइन तय की है कि वन्स फार आल सैटलमेंट हो जाए कि एक भी बंगलादेशी हिन्दुस्तान में नहीं रहेगा ? क्या ऐसी कोई डैड-लाइन है आपके पास ? क्या ये आते-जाते रहेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, अवैध बंगलादेशी प्रवासियों द्वारा दिल्ली में जो जुर्म किए जा रहे हैं उनके बारे में; जैसा कि हर कोई जानता है एक बंगलादेशी प्रवासी और एक बंगाली में; जो कि पहले से ही यहां रहता है, भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उनका बाहरी स्वरूप एक जैसा ही है। इसलिए जब तक कि लोग हमारा साथ नहीं देते और हमें यह नहीं बताते कि वास्तव में बंगलादेशी प्रवासी कौन है; उनमें अन्तर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वैसे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बस आए अवैध प्रवासियों का पता लगाने की दो बार कोशिश की है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें इस बारे में कोई अधिक पता नहीं चल पाया, क्योंकि उनकी असलियत का पता लगाने में कठिनाई आड़े आती है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। अब हमने दिल्ली पुलिस के उपायुक्त के सहयोग से एक कार्य-योजना तैयार की है।

दिल्ली में कितने लोग हैं, इसका पता लगाने के लिए, विशेष जनगणना करने हेतु एक कार्य-योजना तैयार की गई है। उन 12 बस्तियों का पता लगाया गया है जिनमें अवैध रूप से आए बंगला-देशी रहते हैं। अतः इस दिशा में प्रयास करना होगा। उन 12 बस्तियों में रहने वाले बंगलादेशियों का पता लगाने में लगभग तीन-चार महीने का समय लगने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, आजकल कुछ लोग उन 12 बस्तियों से निकलकर, अन्य क्षेत्रों में फैलते जा रहे हैं। उसके लिए उनका पता लगाने के लिए हमें कुछ और समय की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इस पद्धति द्वारा उनका पता लगाने में और दो महीने लगेंगे। हम इसके लिए ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या आपने कोई निर्दिष्ट समय सीमा तय की है।

श्री एम० एम० जैकब : निर्दिष्ट सीमा तय करना असम्भव है। इसी वजह से मैंने कहा था कि यह एक जटिल समस्या है। लेकिन सबसे पहले, उनका पता लगाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। इस पद्धति द्वारा दिल्ली में उनका पता लगाने के लिए हमारे पास तीन-चार महीनों का समय है, और उन अन्य क्षेत्रों से उनका पता लगाने के लिए, जहां वे बस गये हैं, हमारे पास दो महीने का समय है।

श्री मनोरंजन भक्त : आप जानते हैं कि 1947 के विभाजन के बाद, असंख्य प्रवासी देश के इस भाग में आये थे और वे देश में विशेषकर दिल्ली में चारों ओर फैल गए। माननीय मंत्री ने विशेषरूप से एक लाख से अधिक, अवैध रूप से भारत आये; बंगलादेशियों का उल्लेख किया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने देश के विभाजन के बाद भारत आए और दिल्ली के विभिन्न भागों में बस गए लोगों तथा अवैध रूप से 1970 के बाद इस देश में आए लोगों को वह अलग-अलग कैसे कर पाए हैं; क्योंकि यदि मैं ठीक से समझता हूं तो 1970 के बाद ही आने वालों को ही अवैध प्रवासी कहा गया है।

इससे पहले जो भी यहां आए; उन्हें अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं दी गई है? क्या वे ऐसे प्रवासी परिवारों का पता लगाने से पहले देश के विभाजन के कारण यहां आए, के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा? क्या आप उनको भारतीय नागरिकता देने पर विचार करेंगे?

श्री एम० एम० जैकब : मैं निश्चित रूप से पहले इसी बात का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा था कि बंगलादेशी और बंगाली में अन्तर करना एक जटिल समस्या है। कोई ऐसा तरीका—जैसे

भाषा का उच्चारण हो सकता है जिससे हम उनका पता लगा सकते हैं। मेरे बंगाली मित्र अच्छी तरह से जानते होंगे कि बंगलादेशी और बंगाली के उच्चारण में थोड़ा-सा अन्तर होता है। ये पता लगाने के लिए कि वे प्रवासी हैं अथवा नहीं। हमने बंगाली अथवा एक वास्तविक बंगलादेशी की सेवाएं ली। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान के रूप में कही गई बातों का उत्तर मत दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसको सुनना आपके हित में है।

श्री एम० एम० जैकब : श्री मनोरंजन भक्त ने एक प्रश्न पूछा था कि : क्या आप उन लोगों को नागरिकता दे रहे हैं जो विभाजन से पहले आए थे।

श्री मनोरंजन भक्त : जो 1970 से पहले आए थे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान के रूप में कही गई बातों का उत्तर न दें। मुख्य पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री एम० एम० जैकब : श्रीमान जी, धन्यवाद! भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता जारी करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्धारित है। उन दिशा-निर्देशों का पालन इस मामले में भी किया जाता है। इस मामले में कोई अन्य नीति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, एक सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा की समस्या भी है। इस बारे में सरकार स्वयं हैल्पलैस हो कर रही है। अगर कोई विदेशी 15 दिन से ज्यादा ठहरता है तो आप उसको बाहर भेजने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हैं। वे देश के अनेक कोने में रह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह श्योर करेगी कि जो भी बंगलादेशी देश के अन्दर है, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए कार्यवाही करेगी।…(व्यवधान)…क्या दिल्ली के भारतीय नागरिकों को…(व्यवधान)…अगर वे इंडियन नेशनल्स नहीं है तो उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे आ गया। दिल्ली में भारतीय नागरिकों के लिए मल्टी-परपज आइडेन्टीटी कार्ड बनाने की योजना क्या सरकार के पास है।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : माननीय सदस्य श्री खुराना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि क्या उन व्यक्तियों को बहिष्कृत करना अथवा निकाल देना सम्भव है, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। पहली सरकार के सत्ता में आते ही ऐसा किया गया और जब तत्कालीन प्रधान मंत्री पदासीन हुए, वह स्वयं एक या दो झुग्गी बस्तियों में गए और वहां जाकर कहा कि हर एक को राशन कार्ड दिया जाना चाहिए। अतः राशन कार्ड जारी कर दिए गए। जब मतदाता सूची तैयार करने का समय आता है तो लोग अपने राशन कार्ड लेकर आते हैं और कहते हैं कि उनके पास राशन कार्ड हैं और वे देश के वास्तविक नागरिक हैं, उनको ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि वे नागरिक हैं

सम्भव नहीं। यह भी एक कठिन समस्या है।

मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमें गम्भीरता से ये प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं। वे आपको जानकारी दे रहे हैं। और आप उसको सुनिए।

श्री एम० एम० जैकब : सभी राजनैतिक दल ऐसा चाहते हैं और सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि दिल्ली में रहने वालों की अधिक संख्या दिखा कर मतदाता सूची को बड़ा दिखाया जाए। यह एक जटिल समस्या है। मैं ये भी सुझाव दूंगा कि सरकार, दल के नेताओं की बैठक आयोजन करने के लिए तैयार है। हम साथ बैठकर यह चर्चा कर सकते हैं कि हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं। अन्यथा, यह असम्भव है। इसके लिए हमारे देश की सम्पूर्ण जनता के सहयोग की अपेक्षा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप उस प्रश्न का उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत : भारत में बंगलादेशियों के अप्रवासन की समस्या सचमुच निन्दास्पद है। इससे भी ज्यादा निन्दास्पद यह सच्चाई है कि लाखों लोग बंगलादेश से भारत में आ रहे हैं और पिछले अन्तिम तीन वर्षों में हम केवल एक सौ बहत्तर लोगों को ही वापस भेज सके हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके पास कोई गम्भीर कार्य-योजना है और यदि नहीं है तो क्या सरकार हर एक भारतीय नागरिक को पहचान पत्र जारी करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है क्योंकि यह समस्या गम्भीर होती जा रही है और अब बंगलादेश से असंख्य लोग भारत में आ रहे हैं। इस पर आने वाले व्यय की ओर ध्यान न देकर क्या सरकार भारतीय नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने पर विचार करने के लिए तैयार है?

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है, आपको उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री एम० एम० जैकब : सभी नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने पर आने वाले व्यय को देखते हुए सरकार का विचार यह है कि हमारे लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही हमने यह देखा है कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि में बहुत ही अधिक संख्या में घुसपैठिये यहां प्रवेश कर रहे हैं। हमने पहचान पत्र जारी करने के लिए पहले ही धनराशि की मंजूरी दे दी है और कुछ पहचान पत्र जारी भी किए जा चुके हैं। यह योजना बहुत ही उचित प्रतीत होती है परन्तु जब हम पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लेते हैं तो बहुत-सी समस्याएं उठ खड़ी होंगी।

जहां तक बंगलादेश से आने वाले लोगों की संख्या का सम्बन्ध है सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य एजेंसियों ने काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान की और उनको वापस भेजा। मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कोई कार्य-योजना है।

श्री एम० एम० जैकब : हमने कार्य-योजना तैयार की है और मैंने शुरू में ही इस बात का

जिक्र किया था कि इस कार्य-योजना के दो चरण हैं। हमारे पास सही लोगों का पता लगाने के लिए कमप्यूटरीकृत कार्यक्रम भी है।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में शेरशाहवादी नामक एक समुदाय है। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जो बंगाली और हिन्दी का मिश्रण है। वे लोग कटिहार, पुर्णिया, किशनगंज, मुर्शीराबाद, मालदा और अन्य जिलों में रहते हैं।

जब मैं कटिहार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था मुझे ऐसे अनेक गांव देखने के लिए मिले जहां इन लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं और सदियों से, बहुत ही जमाने से वहां रह रहे हैं। दुर्भाग्यवश, उनको बंगलादेशी मान कर उन्हें वहां से हटाने और उनको हां जमीन से बेदखल कर देने के लिए उनके विरुद्ध हाल ही में एक आन्दोलन शुरू किया गया है। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में एक नियमित आन्दोलन आरम्भ किया गया है।

वे लोग अधिकतर निर्धन, मजदूर, कृषक और अनपढ़ लोग हैं। उनमें से अधिकांश लोग अनपढ़ हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बिहार के इन जिलों में शेरशाहवादी लोगों को पिछड़ा हुआ माना जाये।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही उचित तरीके से पूछा गया है। कृपया उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : महोदय, वे यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें पिछड़े वर्ग के रूप में माना जाए; चुनाव के समय सभी दलों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें पिछड़ा वर्ग माना जायेगा··· (व्यवधान) मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और उन्हें उनके "रहवरा घरों" से उजाड़ने को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : यह प्रश्न केवल दिल्ली के लिए था···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसका जवाब देने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यह सत्य है। हमें भी यह सूचना मिली है कि कुछ ऐसे बांग्लादेशी नागरिक भी हैं जो बिहार के कुछ भागों में आकर रहने लगे हैं। इस सम्बन्ध में हमें अभी तक कोई भी शिकायत कहीं से भी हमारी जानकारी में नहीं प्राप्त हुई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक उत्थान

*717. श्री रोशन लाल :

श्री केशरी लाल :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान

हेतु वर्ष 1992-93 के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं;

(ख) उनके सामाजिक उत्थान के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन योजनाओं को और प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : (क) से (ग) विवरण-1 और विवरण-2 सभा पटल पर रख दिए गए हैं।

विवरण-1

भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1992-93 में कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

(क) चल रही योजनाएं

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (केन्द्र प्रायोजित)
2. विदेश में अध्ययन के लिये छात्रों को सरकारी छात्रवृत्तियां (गैर-योजना-केन्द्रीय)
3. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रायोजित)
4. पुस्तक बैंक (केन्द्र प्रायोजित)
5. लड़कियों के लिये छात्रावास (केन्द्र प्रायोजित)
6. लड़कों के लिये छात्रावास (केन्द्र प्रायोजित)
7. कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं (परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण) (केन्द्र प्रायोजित)
8. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (केन्द्रीय)
9. नागरिक अधिकार, संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रवर्त्तन के लिये तंत्र को सुदृढ़ बनाना (केन्द्र प्रायोजित)
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास (केन्द्रीय)
11. (क) अनुसूचित जाति विकास निगम (केन्द्र प्रायोजित)
    (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (केन्द्रीय)
12. अनुसंधान और प्रशिक्षण (केन्द्रीय)
13. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ को सहायता अनुदान (केन्द्रीय)
14. ट्राइफेड के लिये मूल्य समर्थन (केन्द्रीय)

15. आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालय की स्थापना (केन्द्र प्रायोजित)

16. ट्राइफेड में निवेश (केन्द्रीय)

17. आदिवासी क्षेत्रों में तेल बीजों और वृक्ष मूल के तेलों का विकास (केन्द्रीय)

18. विशेष संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय)

19. आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय)

(ख) नई योजनाएं (सभी केन्द्रीय योजनाएं)

1. बहुत ही निम्न साक्षरता स्तर की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम

2. आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिये निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर

3. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

4. लघु वन उत्पाद के लिये राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान

विवरण-2

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। अनुलग्नक 1990-91 और 1991-92 में इन योजनाओं के लिए वास्तविक व्यय के विवरण दिये गये हैं। इससे यह स्पष्ट होगा कि 1990-91 के मुकाबले 1991-92 में इन योजनाओं के व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2. भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्वाधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगमों के माध्यम से ऋण वितरण करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए वितरित की गई राशियां निम्न प्रकार हैं :

क्र०सं०	वर्ष	वितरित की गई राशि (रु० करोड़ों में)
1.	1989-90	0.35
2.	1990-91	6.14
3.	1991-92	40.52

3. 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(क) और (ख) के अन्तर्गत, आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों का सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने

हेतु मानीटरिंग की जाती है। सातवीं योजना के आरम्भ से सहायता प्रदत्त परिवारों की संख्या के संबंध में उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

अवधि	लक्ष्य (लाख परिवार)	उपलब्धि	लक्ष्य की उपलब्धि की प्रतिशतता
अनुसूचित जातियां :			
सातवीं योजना	104.27	119.95	115.05
1990-91	22.31	22.40	100.40
1991-92	26.5	15.55 (फरवरी, 92 तक)	अन्तिम आंकड़े प्रतीक्षित हैं
अनुसूचित जनजातियां :			
सातवीं योजना	41.56	52.89	127.27
1990-91	8.24	8.93	108.00
1991-92	8.00	6.80 (जनवरी, 92 तक)	अन्तिम आंकड़े प्रतीक्षित हैं

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के लिए कई अन्य मंत्रालय भी योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देने के लिए राज्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री जी ने 4 और 5 अक्तूबर, 1991 को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कल्याण मंत्री जी ने 21 मार्च, 1992 को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की। सचिव (कल्याण) ने राज्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण के प्रभारी सचिवों की अलग से बैठकें आयोजित की थीं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन तथा निर्मुक्त राशि के उपयोग में प्रभारी पारस्परिक क्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार बातचीत की जाती रहती है।

अनुलग्नक

1990-91 और 1991-92 के लिए संशोधित अनुमान (योजना) और व्यय

क्र० सं०	योजना का नाम	संशोधित अनुमान 1990-91	वास्तविक व्यय 1990-91	संशोधित अनुमान 1991-92	वास्तविक व्यय 1991-92	1990-91 की तुलना में 1991-92 में व्यय में वृद्धि (प्रतिशतता में)
1	2	3	4	5	6	7
अनुसूचित जाति विकास						
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	21.35	18.77	35.00	35.00	86.47
2.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	3.00	0.23	3.00	4.00	16[illegible].13
3.	सफाई-कर्मचारियों की मुक्ति	23.00	28.12	50.00	50.50	79.59
4.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	1.15	0.74	1.75	1.37	85.14
5.	लड़कों के लिए होस्टल	5.33	5.33	5.33	10.02	87.99
6.	लड़कियों के लिए होस्टल	8.00	5.91	8.00	7.49	26.73
7.	पुस्तक बैंक	1.00	0·41	5.00	.56	36.59

1	2	3	4	5	6	7
8.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के लिये तंत्र	5.00	5.07	3.50	6.09	8.75
9.	अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना	0.00	0.00	1.00	0.00	—
10.	अनु० जातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	2.75	1.83	2.75	2.46	34.43
11.	अनु० जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	215.00	216.80	22.50	228.96	5.61
12.	अनुसूचित जातीय विकास निगम	17.00	32.61	20.00	28.19	13.55
13.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति वित्त विकास निगम (शेयर पूंजी अंशदान)[1]	0.00	0.00	5.00	5.00	—
14.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.80	0.41	0.80	0.10	67.74

1990-91 में व्यय, शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए था।

1991-92 में सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रावधान है।

आदिवासी विकास :

1	2	3	4	5	6	7
15.	लड़कियों के लिए होस्टल	4.00	3.09	4.00	3.10	0.32

1	2	3	4	5	6	7
16.	आदिवासी उपयोजना	224.70	225.33	250.00	249.83	10.87
17.	लड़कों के लिए होस्टल	2.67	2.72	2.67	2.98	9.56
18.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00
19.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अन्तर्गत योजना	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
20.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	1.92	1.68	1.89	2.07	23.21
21.	ट्राइफेड को सहायक-अनुदान	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
22.	आदिवासी क्षेत्रों में तिलहन बीजों और तेल वृक्षों तथा वनमूल का विकास	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00
23.	ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
24.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	2.00	2.00	2.00	2.56	28.00
25.	ट्राइफेड में निवेश	8.00	8.00	8.00	7.00	12.50

श्री रोशन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान हेतु वर्ष 1992-93 के लिए क्या योजनाएं बनायी हैं; (ख) उनके सामाजिक उत्थान में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और (ग) इन योजनाओं को और प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं। सम्बन्धित मन्त्री महोदय का जवाब है कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सवाल और जवाब को मत पढ़िए। अपना पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री रोशन लाल : महोदय, सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में डा० बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसंधान केन्द्र को 50 लाख रुपये की मंजूरी दिये जाने की योजना को किस प्रकार से रद्द कर दिया गया है। इसकी नींव तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री चन्द्र शेखर जी द्वारा रखी गयी थी। लेकिन मुझे यह बताया गया है कि इस उद्देश्य के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी दिये जाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। यह टिप्पण तैयार किया गया है कि यह योजना अर्थ पूर्ण सिद्ध नहीं होगी और इस प्रकार के केन्द्र की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है अथवा नहीं; और क्या 50 लाख रुपये की इस राशि जिसे रद्द कर दिया गया है, एक ऐसी निजि कम्पनी को दे दी गई है जिसे 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

ऐसा कुछ मत पूछिए कि मैं टोकता रहूं, रोकता रहूं।

श्री रोशन लाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंजूर की गयी धन राशि रद्द कर दी गई है अथवा नहीं और क्या इसके बदले में एक निजी कम्पनी को प्राधिकृत किया गया है, जिसे 5 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्री (श्री सीता राम केसरी) : इन्होंने जो कहा, समझ में नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप फिर से पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे समझ में आ जाता तो मैं उनको समझा देता। आप जरा इस माइक के पास आकर बोलिए।···नए मेम्बर्स को मौका देना चाहिए।

श्री रोशन लाल : पिछले साल चन्द्रशेखर जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के नाम से बायो रिसर्च सेन्टर की फाउंडेशन स्टोन से की गई थी। उसमें 50 लाख रुपये *सेंक्शन किया गया था। लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि 60 लाख रुपये वहां से स्क्रैप* कर दिया गया है, यह एक नोट भेजा गया है। क्या यह बात सही है ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यद्यपि इस प्रश्न से इसका संबंध नहीं है, मगर मैं उत्तर दूंगा। यह ठीक बात है कि बायो मेडिकल रिसर्च के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी ने नींव डाली थी मगर इस बीच मैं नहीं जानता कि क्यों रुका, क्यों नहीं रुका, क्या उसमें कठिनाइयां थीं; मगर अभी 11 तारीख को बाबा साहब डा० अम्बेडकर जी की आल इंडिया कमेटी में यह प्रश्न उठा

था और प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया है कि इस सिलसिले में हम वहां के वाइस चांसलर से बात करके एक निर्णय लेंगे।

श्री रोशन लाल : मन्त्री महोदय, यह चीज गलत है। वाइस चांसलर को यह बाय पास किया गया है और जो सेक्रेटरी कंसर्न्ड है उन्होंने एक नोट गलत लगाया है। नोट यह गलत लगाया है कि यह जब सेंक्शन हुआ था, इसमें कुछ पोलिटिकल पर्पज है कि इस स्कीम को सक्सेसफुल नहीं किया जाए बल्कि इसको डाइवर्ट किया जाए। आप यहां बैठे हैं। इसके जो यहां आफिसर्स कंसर्न्ड में सेक्रेटरी है उनकी फाइल मंगाकर देखिए। उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा है कि यह स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगा। उस पर 50 लाख को काटकर 5 करोड़ रुपया एक प्राइवेट कंसर्न को दिया गया है। इसकी आपको नालेज है या नहीं है ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, इस प्रश्न से यह पूरक प्रश्न भी संबंधित नहीं है, फिर भी जवाब दूंगा। 17 दिसंबर, 1991 को डा०अम्बेडकर स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक थी। उसमें यह प्रश्न उठा कि बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च के मुताबिक भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने नींव डाली है इसलिए यह होना चाहिए। मैंने उसी समय आश्वासन दिया कि मैं प्रधान मंत्री से बात करूंगा और मुझे विश्वास है कि इसको मंत्री पूरा कराएंगे। पुनः 10 मार्च को स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक हुई। यह प्रश्न फिर उठा। मैंने फिर कहा और प्रधान मंत्री के सामने रखा और अभी 11 तारीख को जो बैठक हुई उसमें प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया। उसके बाद इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है।

श्री केशरी लाल : अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक उत्थान के लिए 1992-93 के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, हो सकता है कि यह भारत के हरिजनों से मसला जुड़ा हुआ है, मंत्री जी की कम समझ में आए। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को कितना-कितना धन कब-कब दिया गया है। जो धन योजनाओं में खर्च हुआ है उसमें अधिकारियों कर्मचारियों का भी खर्च जुड़ा हुआ है; कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

श्री सीताराम केसरी : इसकी तालिका को आपने मांगी है उसकी एक सूची मैं आपको भेज दूंगा।

श्री केशरी लाल : अध्यक्ष जी, ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे नहीं उठता है। फिर भी वे आपको जवाब देने के लिए सहमत हो गए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपने जो जानकारी मांगी थी, वह आपको मिल गई है। मन्त्री जी आपको लिखित रूप में दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी : माननीय सदस्य ने बहुत गहरी बात कही है। मैं आपके द्वारा निवेदन

करना चाहता हूं कि उन्हें किसी स्वयं-सेवी संगठन के अन्दर यदि कोई गड़बड़ी की आभास है तो वे मुझे लिखकर दें, मैं फौरन एक्शन लूंगा।

श्री केशरी लाल : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन संगठनों को कितना रुपया आवंटित किया गया और वह रुपया खर्च हुआ या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया गया तो आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपका उत्तर मिल गया है, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री संदीपान भगवान थोरात : महोदय, सामाजिक उत्थान में आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिय लोग शैक्षिक और आर्थिक विकास से वंचित हैं। मैंने माननीय प्रधान मन्त्री तथा समाज कल्याण मन्त्री महोदय को अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जिला विकास परिषदों की स्थापना से सम्बन्धित एक ज्ञापन दिया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिय लोगों की शैक्षिक तथा आर्थिक दशा में सुधार करने हेतु जिला परिषद की तरह इस प्रकार के जिला विकास परिषदों की स्थापना के संबंध में वे विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, इनका प्रश्न बड़ा रचनात्मक है और यह विचारणीय है और मैं विचार करूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अनुसूचित जातियों के सामाजिक उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए कुल 19 योजनायें बतायीं, इस प्रश्न में जो चल रहा है, जिनमें से 4 योजनाओं का आपने जिक्र किया कि वे नई चालू की गई हैं। जो 19 योजनायें चल रही हैं, उनमें 11वें नम्बर पर जो योजना बताई गई है, वह है—अनुसूचित जाति विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम। पिछले दिसम्बर में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित पार्लियामेंटरी कमेटी ने अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के प्रतिनिधियों को अपने यहां तलब किया था। उन्होंने कमेटी के समक्ष बताया कि 1500 करोड़ रुपये उनके पास अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, निधि के रूप में है। जब कमेटी ने उनसे पूछा कि आप यह रुपया कैसे दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं तो इसका उत्तर वे संतोषजनक नहीं दे पाये। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास के लिए इस प्रकार के जितने फाइनेंस निगम हैं, क्या उन निगमों का आपने कभी मूल्यांकन किया है, आपके विभाग ने मूल्यांकन किया है और क्या ऐसी सभी कमेटियां सही रूप में लोगों को पैसा दे रही हैं, बेरोजगारों को अथवा नहीं दे रही हैं। इसके साथ, अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों के उत्थान के लिए, उन्हें काम देने के लिए, आपके मन्त्रालय की ओर से अभी क्या कार्यवाही चल रही है ? जिन चार योजनाओं का आपने जिक्र किया, क्या उन चार योजनाओं में, ऐसी कोई योजना है जो उनके उत्थान के लिए हो, बेरोजगारों को काम देने के लिए हो।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, यह एक प्रश्न नहीं, प्रश्नावलियां हैं। मगर जहां तक उन्होंने

कहा उत्थान की बात, मैं आपके सामने यह बताने के लिए तैयार हूं कि वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में क्या हुआ या होने वाला है। यदि आप कहें तो दो-चार चीजें मैं पढ़कर सुना दूं। आपका प्रश्न है, इसलिए मुझे पूरा उत्तर देने दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप संक्षिप्त में बता दीजिए।

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, पहली बात यह है कि जो मेरी उपलब्धि है उसको अगर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में टेबल पर रख दूं, तो कोई पढ़ेगा नहीं, अगर मेरी अकर्मण्यता है, तो आपके सामने से इस प्रश्न को पढ़ने से वह मेरे सामने आएगी तो मुझे कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा और मैं सुधार करूंगा। इसलिए कम से कम मुझे दो-चार आइटम्स आपके सामने रखने का मौका तो दीजिए।

देखिए, जहां तक शिक्षा और सुधार का प्रश्न है, पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप 1990-91 में 21 करोड़ 35 लाख रुपये कि एलोकेशन थी और 18 करोड़ 77 लाख का एक्सपेन्डीचर हुआ। 1991-92 में 35 करोड़ रुपये का एलोकेशन हुआ और 35 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। इस प्रकार 86.47 परसेंट का इन्क्रीज हुआ।

अब यह तो आपके देखने की चीज है, अगर इसमें गड़बड़ी है, तो आप बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। आप जन प्रतिनिधि लोग हैं। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसको इस प्रकार से हंसी का प्रकरण बनाकर छोड़ा गया है यह ठीक नहीं है। यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास का मामला है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय इसका उत्तर पूर्ण रूप से दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी, आप इसका उत्तर लिखितरूप में भिजवा दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरों को भी पूछने दीजिए। ऐसा नहीं है। बैठ जाइए।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए 40.52 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन धनराशि का केवल 60 प्रतिशत ही मार्च, 1992 तक खर्च किया गया है। उदाहरण के लिए उड़ीसा में आवंटित धनराशि का 60 प्रतिशत से भी कम अभी तक खर्च किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले की छान-बीन करेंगे और सभा को यह आश्वासन देंगे कि सभी राज्यों को आवंटित सम्पूर्ण धनराशि उचित रूप से खर्च की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, आवंटन जो वहां धन का हुआ है, यदि उससे कम खर्च हुआ

है या किसी तरह की गड़बड़ी है तो आप मुझे बताइए। मैं निश्चित रूप से छानबीन करूंगा।

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनायें चलाई गई हैं, उनमें एक योजना ट्रायबल सबप्लान की और दूसरी आवासीय विद्यालय की है जिनके माध्यम से इनका उत्थान होगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ट्रायबल सबप्लान में जो पैसे दिये जाते हैं, तो वह पैसा उस काम में खर्च हो गया है या नहीं, इस बात की मानिटरिंग भारत सरकार का कल्याण विभाग करता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं क्योंकि मैं बिहार विधान सभा में 12 वर्ष तक रहा हूं। भारत सरकार से 50 करोड़ रुपया प्रति साल,······

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह प्रश्न सिर्फ 1992-93 के प्लान का है।

श्री सूरज मंडल : मैं 1992-93 के बारे में ही पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सूरज मंडल : इस साल भी 50 करोड़ रुपया दिया है। वह रुपया जो ट्राइबल सब-प्लान में देते हैं, वह उसमें खर्च न करके पन्द्रह सालों से बिहार सरकार ने डाइवर्शन में खर्च किया है।······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 1992-93 का प्लान तो अभी चालू है।

श्री सूरज मंडल : बिहार में ट्राइबल सब-प्लान चालू है। मैं जानना चाहता हूं कि आवासीय विद्यालय, जो मिडिल और हाई स्कूल में करते हैं, क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राईमरी से आवासीय विद्यालय खोलने का विचार सरकार रखती है ? उस आवासीय विद्यालय में उनकी मातृ-भाषा में, जो पूरे देश में ट्राइबलों के लिए मातृभाषा है, शिक्षा देने का काम करते हैं या नहीं ?······(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइये। अन्यथा मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सूरज मंडल : पंडित रघुनाथ ने ट्राइबल्स को एक भाषा में पढ़ाई देने के लिए···(व्यवधान) सरकार आवासीय विद्यालय प्राईमरी से चलाने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री सीताराम केसरी : माननीय, माननीय सदस्य ने अपनी जो 10-15 साल की अनुभूति की बात कही, हम चाहेंगे कि ट्राईबल सब-प्लान के अन्तर्गत यहां से बिहार सरकार को आवंटन गया, इन्होंने कई सालों की बात कही है, अगर उसका प्रयोग और यूटीलिटी नहीं हुई है तो वे हमारे पास पूरा विवरण भेजें।···(व्यवधान) मैं इन्टरेस्टेड हूं, मैं आपको सीधे रूप में बताता हूं, मेरे स्टेट की बात है और ट्राईबल की बात है। बिहार सरकार को जो आवंटन ट्राईबल सब-प्लान के लिए हुआ, अगर उसकी यूटीलिटी नहीं हुई, किसी भी सरकार के अन्तर्गत, हमें उसकी तालिका दें, मैं उस पर निश्चित रूप से कुछ विचार करूंगा।

श्री रतिलाल वर्मा : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के उत्थान के

लिए, मंत्री जी ने बताया, करोड़ों रुपये का खर्च हो रहा है, लेकिन भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे का सही उपयोग होता है। आज जो करोड़ों रुपये की बात हो रही है और कहा जाता है कि हरिजन और अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए दिया जाता है, वास्तव में अनुसूचित जाति और जनजाति का जो उत्थान होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि जो रुपया दिया जाता है उसका सही उपयोग हो रहा है ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, मैं अपने स्वर्गीय नेता द्वारा कही हुई बातों को मानते हुए कहना चाहता हूं कि एक ही बात को उदाहरण बनाकर वर्तमान कर्मचारियों के प्रति अविश्वास करना मैं ठीक नहीं समझता। इसलिए जो भी अनुदान यहां से जाता है, इस विश्वास के साथ कि कर्मचारी-गण और उनके प्रतिनिधि, जो हमारे लोक सभा और असेम्बली में हैं, उनकी निगरानी में देखें कि जो धन आदिवासियों की सेवा के लिए आवंटित होता है उसकी यूटीलिटी होती है या नहीं। यह आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि दोनों तरफ के लोगों को इसको गम्भीरता से लेना चाहिये। पहली बात तो यह है कि वैलफेयर मिनिस्ट्री का दायरा बहुत ही लिमिटिड है लेकिन हम आपसे इसके बारे में जरूर इजाजत चाहेंगे, चूंकी वेलफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर बहस सदन में नहीं हो पाती है। बजट इसका सबसे कम है। 20 परसेंट बजट में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन वैलफेयर मिनिस्ट्री के बजट में 7 परसेंट ही वृद्धि हुई है। जब आम बजट पर 20 परसेंट वृद्धि करेंगे और वैलफेयर मिनिस्ट्री के बजट में केवल 7 परसेंट वृद्धि करेंगे तो प्रभावी ढंग से कोई काम नहीं होगा। यह कोई मामूली मामला नहीं है। प्रधान मंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं। हमने अपने समय में यह निर्णय लिया था कि साढ़े 22 फीसदी बजट का एलोकेशन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड-ट्राइब्स के लिए किया जायेगा—(व्यवधान)—आप शान्त रहिये। प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। यह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का मामला है। प्रधान मंत्री जी के मुंह से निकला एक शब्द भी बहुत गम्भीरता से लिया जाता है। बजट में कमी की गई है। जो हमने कहा कि 22.5 परसेंट बजट में उसका हिस्सा रखा जाये और इसको वी॰ पी॰ सिंह, चेयरमैन आफ प्लानिंग कमीशन भी मान गये थे। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इसके बारे में कुछ बतायें। दूसरी बात मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में आपने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लड़कियों के होस्टल के मामले में राशि में कटौती की है ? जितनी राशि पहले इसके लिये आवंटित थी उसे कम किया गया है। ये दो चीजें मैं एक तो प्रधान मंत्री जी से और दूसरा मंत्री जी से जानना चाहूंगा ?

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, राम विलास जी ने यह प्रश्न पहले भी उठाया था और उस पर मैंने कहा था कि मैं छानबीन करके बताऊंगा। छानबीन करने के बाद मुझे यह पता चला कि आवंटन प्रादेशिक सरकारों की मांग को मद्देनजर रखते हुए ही आवंटित किया गया है। अब प्रादेशिक सरकार ज्यादा मांग करेंगे तो निश्चित रूप से—(व्यवधान)—

श्री राम विलास पासवान : सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में कम किया गया है, पिछले साल के बजट से।

श्री सीताराम केसरी : कम नहीं किया गया है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को कहिये कि जिम्मेदारी के साथ

करें। ऐसा न हो कि कल को हमें प्रिवलेज लाना पड़े। यह बताइये कि पिछले साल के बजट से कम किया गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसे मिनिस्टर साहब भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की मांग पर वह बजट दिया गया है और उसे कम नहीं किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वर्ष 1992-93 से सम्बन्धित है।

श्री राम विलास पासवान : क्या यह प्रश्न 1992-93 से सम्बन्धित है।

श्री सीताराम केसरी : आपकी बात मानते हुए मैंने यह कहा है कि प्रादेशिक सरकारों ने अपनी जो डिमांड रखी है, उसके अनुसार केन्द्र सरकार ने अपना आवंटन किया है —(व्यवधान)— आप मेरी बात सुन लीजिये। आप फीगर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि 8 करोड़ का 5 करोड़ 49 लाख व्यय हुआ तो वह प्रादेशिक सरकार की डिमांड पर हुआ।

श्री राम विलास पासवान : इसका मतलब यह हुआ है —(व्यवधान)—

श्री सीताराम केसरी : आप बात सुन लीजिये। आप यह चाहते हैं कि हम यह कहें कि केन्द्र सरकार ने कम किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रादेशिक सरकार की डिमांड के अनुसार यह आवंटन कम हुआ है और वह आगे पूरा हो जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या जनरल बजट के मुकाबले वैलफेयर बजट में कम किया गया है या नहीं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनियांग : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस वर्ष मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, इसके सुझाव के पीछे औचित्य है, मगर सरकार के आर्थिक संकट को देखते हुए इस पर सोचा जायेगा।

श्री हरावन राय : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जन-जाति के जीवन के सुधार के लिए एक ही रास्ता है और वह यह है कि सब के लिए काम का बन्दोबस्त करना और दूसरी तरफ जमीन बांटना। मैं जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी सरकारी नीतियां हैं। जिनसे काम का बन्दोबस्त किया जाए और जमीन दी जाए ? दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय उद्योग में नौकरी का रिजर्वेशन है; उसको पूरा नहीं किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं, इसको पूरा करने की सरकार की नीति क्या है ?

श्री सीताराम केसरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकारी जमीन बांटने की बात है, तो भार-

पांच अक्टूबर को मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस में यह फैसला हुआ था कि जो सरकारी जमीन फालतू है, जो जमीन पट्टे के तौर पर उन्हें नहीं दी गई है, वह दिलाई जाए। फालतू जमीन, सरकारी जमीन हरिजनों और आदिवासियों में बांटी जाए।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बहुत ही ···(व्यवधान)··· अध्यक्ष जी, एक विस्तृत ज्ञापन ग्यारह फरवरी को प्रधान मंत्री जी को इस विषय पर दिया गया है, हमारे सांसदों के दस्तखत हैं नीचे और उसकी प्रतिलिपि मंत्री महोदय को दी गई है। प्रधान मंत्री जी ने बुलाकर हमसे चर्चा की और कहा कि वे अपने नीचे कैबिनेट सैक्रेटेरिएट में एक बहुत ही स्ट्रांग मोनिटरिंग सैल बनायेंगे, तो सभी योजनाओं पर ध्यान देगा, चाहे राज्यों में हो या केन्द्र में हो। मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करते हुए प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा सैल बन चुका है ? यदि नहीं, तो कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, हमने वह सुझाव स्वीकार कर लिया है और हम कदम उठा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फसल बीमा संबंधी दावे

[अनुवाद]

*718. श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गुजरात के किसानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान देय, क्षतिपूर्ति दावे पूरी तरह तय कर दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और आज तक क्षति-पूर्ति दावों की कितनी धनराशि देय है; और

(ग) दावों को शीघ्र तय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) (1) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में गुजरात के किसानों को देय क्षति-पूर्ति के दावों का पूरा निपटान अभी नहीं हुआ है। बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में देय कुल दावे इस प्रकार हैं : —

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	मौसम	देय दावे	चुकता दावे	अभी चुकता किए जाने वाले दावे
1989-90	खरीफ	6.87	6.87	—
	रबी	0.11	0.11	—
1990-91	खरीफ	87.33	—	87.33
	रबी	1.54	—	1.54
1991-92	खरीफ	157.14	—	157.14
		252.99	6.98	246.01

(2) खरीफ, 1990 मौसम के लिए 87.33 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान न होने के बारे में स्थिति यह है कि भारतीय साधारण बीमा निगम ने ऋण देने में कुछेक असंगतियों की सूचना दी थी। अधिकांश ऋण अमरेली, जामनगर, जूनागढ़ तथा राजकोट जिलों में मूंगफली के लिए दिए गए थे जो बृहत फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रतीत होते थे क्योंकि बहुत से ऋण फसलों के नष्ट हो जाने के बाद दिए गए थे। तदनुसार, इन दावों की वास्तविकता की छानबीन करने के लिए जुलाई, 1991 में सरकार ने एक समिति का गठन किया। सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट और कथित विसंगतियों की जांच करने के लिए नियुक्त दो सलाहकारों अर्थात् कृषि वित्त निगम एवं बोल्टास इंटरनेशनल लि०, बम्बई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :—

(क) गुजरात में बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 31 जुलाई, 1990 तक वितरित सभी मूंगफली ऋणों के बारे में क्षतिपूर्ति दावों के निपटान पर विचार किया जाएगा क्योंकि वे मूंगफली की फसलों की खेती के लिए प्रयुक्त हुए होंगे। लेकिन, सलाहकारों द्वारा ऋण के वितरण और वास्तविक उपयोग के बारे में जो पर्याप्त शंकाएं व्यक्त की गई हैं उन्हें देखते हुए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सभी जिलों में 31 जुलाई, 1990 तक वितरित सभी मूंगफली ऋणों की उनके उचित प्रयोग के बारे में रिकार्ड के आधार पर जांच की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति गठित की जाएगी जिसमें राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, साधारण बीमा निगम के प्रतिनिधि और कृषि वित्त निगम तथा बोल्टास इंटरनेशनल लि० का क्रमश: एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा। उसके बाद राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है।

(ख) 31 जुलाई, 1990 के बाद वितरित नये मूंगफली ऋणों के बारे में किसी क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि ऋण की पहली किस्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऋण देने की प्रथम अन्तिम तारीख से पहले प्राप्त

की गई है और तब ऋण का आगामी वितरण 1 अगस्त, 1990 से 31 अगस्त, 1990 के बीच हुआ हो तो उस मामले में भी भुगतान पर विचार किया जाएगा।

(ग) सभी जिलों के लिए अन्य बीमाकृत फसलों के दावे निपटाए जा चुके हैं। इन दावों के निपटान के बारे में आगामी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद की जाएगी।

(3) जहां तक रबी, 1990-91 के लिए 1.64 करोड़ रुपये के दावों का सम्बन्ध है साधारण बीमा निगम ने गुजरात के जामनगर जिले के एक तालुका में ऋण देने में कुछ विसंगतियां बताई हैं जिनकी आगे जांच की जा रही है।

( ) उक्त निगम ने हाल ही में सरकार को खरीफ, 1991 के लिए 157.14 करोड़ रुपये के दावों की सूचना दी है जो मार्च, 1992 में प्राप्त हुए थे। इन दावों की छान-बीन की जा रही है।

विस्तार निदेशालय

*719. श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

डा० पी० वल्लभ पेरूमान :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार निदेशालय के पुनर्गठन हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा निदेशालय के ढांचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) अब तक कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कितनी कार्यान्वित कर दी गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विस्तार निदेशालय के काम-काज और कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए कृषि मंत्रालय ने जुलाई, 1988 में एक समिति गठित की थी।

(ख) उच्च समिति ने मोटे तौर पर सिफारिश की कि सुयोग्य कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए इस निदेशालय को बेहतर तकनीकी तथा बौद्धिक आदानों से सुसज्जित किया जाए तथा प्रतिष्ठा का उचित स्तर, आधुनिक उपकरण आदि मुहैया किए जाएं।

(ग) समिति की सिफारिशों की जांच इस मंत्रालय द्वारा गठित एक अन्तर विभागीय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की गई जिन पर इस मंत्रालय में उचित कार्रवाई की जा रही है।

दुग्ध चूर्ण का आयात

[हिन्दी]

*720. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री बलराज पासी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध चूर्ण का अभी भी आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में दूध की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) वर्ष 1989-90 के बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या सरकार के खाते में दुग्ध पाउडर का कोई आयात नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ग) दूध की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण गोपशु नस्लों का उनके अपने क्षेत्रों में ही चयनात्मक प्रजनन के जरिए आनुवंशिक सुधार तथा अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में उनका उन्नयन;

(2) अज्ञात नस्ल के गोपशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन;

(3) चयनात्मक प्रजनन द्वारा भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों का आनुवंशिक सुधार तथा अज्ञात नस्ल की भैंसों का उन्नयन;

(4) आहार और चारा संसाधनों का विकास;

(5) उत्पादन कार्यक्रम की सहायतार्थ प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन; और

(6) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

उपर्युक्त कदमों के अलावा, कम उपलब्धता के मौसम में दूध की उपलब्धता में सुधार करने के लिए दूध से दुग्ध उत्पाद बनाने पर आम तौर पर चयनात्मक रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।

फल और सब्जी का उत्पादन

[अनुवाद]

*721. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति एकड़ फल और सब्जी उत्पादन कितना है;

(ख) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य हेतु आवंटित धनराशि सहित फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) मोटे अनुमान के अनुसार फलों और सब्जियों का प्रति एकड़ राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) फलों और सब्जियों के उत्पादन सहित बागवानी की आठवीं योजना में एक अभिवृद्धि क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है उनमें अच्छी क्वालिटी के बीज/रोपण सामग्री का अधिक उत्पादन; उन्नत कृषि वैज्ञानिक एवं संवर्धन विधियों का प्रचार तथा फलों/सब्जियों की फसलों के लिए कटाई के पश्चात् अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना शामिल है। बहरहाल, इस प्रयोजन के लिए अभी कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रति एकड़ पैदावार (मी० टन में) फल	सब्जियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2.50	4.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.89	0.91
3.	असम	4.84	7.34
4.	बिहार	4.60	3.23
5.	गोवा, दमन और दीव के साथ	9.52	3.30
6.	गुजरात	8.72	6.64
7.	हरियाणा	2.22	6.18

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1.18	5.73
9.	जम्मू और कश्मीर	0.46	0.27
10.	कर्नाटक	6.16	5.99
11.	केरल	1.83	0.41
12.	मध्य प्रदेश	6.26	2.59
13.	महाराष्ट्र	2.61	2.16
14.	मणिपुर	1.91	1.34
15.	मेघालय	3.48	4.50
16.	मिजोरम	3.31	2.89
17.	नागालैंड	0.90	3.79
18.	उड़ीसा	4.03	2.32
19.	पंजाब	3.85	6.93
20.	राजस्थान	4.23	1.21
21.	सिक्किम	1.15	2.79
22.	तमिलनाडु	8.27	9.87
23.	त्रिपुरा	3.16	3.89
24.	उत्तर प्रदेश	2.46	4.99
25.	पश्चिम बंगाल	3.99	5.24
26.	अण्डमान और निकोबार	1.80	1.30
27.	चण्डीगढ़	—	5.52
28.	दादर और नगर हवेली	4.01	3.56
29.	लक्षद्वीप	0.81	0.47
30.	पांडिचेरी	12.80	9.74
31.	दिल्ली	—	11.05
	अखिल भारत औसत ।	3.82	4.19

पृथक उत्तरांचल राज्य

[हिन्दी]

*722. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूरी :

क्या गृह मन्त्री 5 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन के संबंध में ब्यौरा मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां; श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे, जिलावार क्षेत्र और प्रस्तावित राज्य की जनसंख्या; पृथक राज्य गठन के लिए औचित्य, प्रस्तावित राज्य में सम्मिलित किए जाने वाले 8 जिलों में प्रमुख विकसशील क्षेत्रों में वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों के बारे में है।

(घ) इस स्थिति में कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

उत्पादन और भण्डारण प्रौद्योगिकी

*723. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में उत्पादन और भंडारण प्रौद्योगिकी में सुधार करने और किसानों को पर्याप्त विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन-सी केन्द्रीय योजनाएं लागू की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत, उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां हुई और इस पर कितना खर्च हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) उत्पादन और भंडारण को प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिए और राजस्थान के किसानों को पर्याप्त विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय योजनाएं अमल में लाई गई थीं। इन केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। विकसित की गई उत्पादन तकनीकों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों यानी 1989-90 और 1990-91 में खर्च की गई राशि 394.67 लाख रुपये है। इन योजनाओं का 1991-92 के लिए संशोधित अनुमान 310.00 लाख रुपये है।

विवरण-1

राजस्थान में चल रही संशोधित योजनाएं

(लाख रु० में)

		वास्तविक व्यय		संशोधित अनुमान
		1989-90	1990-91	1991-92
1.	केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान; जोधपुर	50.02	32.00	45.00
2.	केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान; अविकानगर	39.50	37.27	116.00
3.	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र-ऊंट; जोरबीर	42.38	35.36	44.00
4.	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र-मरु क्षेत्र बागवानी, बीकानेर	—	—	15.00
5.	अ० भा० स० अ० प्रायोजना. सजेव सूंडी, दुर्गापुरा	10.75	14.00	20.00
6.	अ० भा० स० अ० प्रायोजना-कृन्तक नियंत्रण; जोधपुर	11.08	22.39	20.00
7.	अ० भा० स० अ० प्रायोजना-भेंड़; बीकानेर	43.77	55.64	50.00
	योग :	197.51	197.16	310.00

विवरण-2

विकसित की गई उत्पादन तकनीकें

आनुवंशिक संरचनाओं का फिर से स्वरूप तैयार करने के लिए समग्र प्रयासों के फलस्वरूप खाद्यान्नों, तिलहनों और दलहनी फसलों कि कई अधिक उपज देने वाली किस्में/संकर विकसित किए गए हैं जिनमें अन्तर्निहित रूप से जैव और अजैव बाधाओं के प्रतिरोधिता और सहनशीलता के गुण हैं। कई फसल संयोजन और अधिक आय वाली फसल पद्धतियां जैसे कृषि-वानिकी, वन-वृक्ष विज्ञान आदि विकसित की गई हैं। राजस्थान की भुरभुरी मरु-भूमि व्यवस्था के लिए, जो कि विविधतापूर्ण

होती है, उपयुक्त सुधरी बारानी खेती प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं। विभिन्न वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए पेड़ों, झाड़ियों और घासों का पता लगाया गया है। और साथ ही एक खेजड़ी जीनोटाइप विकसित की गई है जो कि देसी किस्म की अपेक्षा जल्दी बढ़ती है। प्रचलित सिंचाई की पद्धति की तुलना में ड्रिप (टपकाबक) सिंचाई पद्धति जैसी पानी की बचत वाली तकनीक से टमाटर, गोभी और मक्का की उपज 1/½ से 3 गुनी अधिक हो गई। मरु क्षेत्रों में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनार, खजूर और बेर की उपयुक्त किस्में विकसित की गईं।

ऊन और मांस उत्पादन के लिए भेड़ की संकर प्रजनित नस्लें तैयार करने में सफलता मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित उम्दा ऊन वाली भेड़ की प्रजातियों से प्रति वर्ष 2.5 कि० ग्रा० चिकनी ऊन मिली। इसी प्रकार विकसित की गई भेड़ की मगरा नस्ल से मरु क्षेत्रों में कालीन के लिए उम्दा किस्म की ऊन मिली। सूत के साथ अर्ध-मिश्रित रेमी से कपड़ा बनाने की बहुत उपयोगी तकनीक तैयार की गई। अधिक मांस और ऊन देने वाले खरगोशों की नस्लें तैयार की गईं और इनके जर्म प्लाज्मा को व्यावसायिक दोहन के लिए उपलब्ध किया गया।

मसालों की तीन सुधरी किस्में और औषध पौधा अफीम पॉपी की एक किस्म विकसित की गई। खजूर की पौध तैयार करने के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की गई है और उन्हें बागानों में सफलतापूर्वक प्रतिरोपित करने के लिए और उनके मुरझाने से रोकने के लिए एक प्रविधि का पता लगाया गया है।

लीबिया के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव

[अनुवाद]

*724. श्री सुधीर गिरि :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पैन एम०/यू० टी० ए० विमानों की दुर्घटना में शामिल दो कथित लीबियाई षडयंत्रकारियों को सुपुर्द करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लीबिया के विरुद्ध पारित प्रस्तावों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और भारत ने सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में इसमें क्या भूमिका निभाई;

(ग) क्या लीबिया ने इस विषय में भारत के साथ कोई वार्ता की;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या लीबिया ने तीसरे विश्व के देशों द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारत से सहायता मांगी थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्तराष्ट्र

सुरक्षा परिषद ने क्रमशः 21 जनवरी और 30 मार्च को संकल्प सं० 731 और 748 पारित किए थे। क्रम सं० 748 के अनुसार वायु सम्पर्क हथियारों का हस्तान्तरण या उनकी बिक्री तथा लीबियाई राजनयिकों की उपस्थिति पर 15 अप्रैल से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ मिलकर भारत ने इस मामले को बातचीत के द्वारा तय कराने की दिशा में प्रयास किए थे जिससे एक ओर हर तरह के आतंकवाद का दृढ़ विरोध करने का उद्देश्य पूरा हो और दूसरी ओर सद्भाव तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बल मिले।

(ग) और (घ) जी, हां। राजनयिक स्तर पर सम्पर्कों के अतिरिक्त लीबिया के 3 विशिष्ट दूत दिसम्बर, 1991 और अप्रैल, 1992 के बीच भारत आए थे। द्विपक्षीय विषयों के अतिरिक्त इस बातचीत में लीबिया ने विमान को बम से उड़ाने के सम्बद्ध मसले पर अपनी स्थिति बताई थी। हमने अपनी स्थिति बताई जिसमें राजनैतिक समाधान खोजने की दिशा में हमारे प्रयासों की बातें भी शामिल थी।

(ङ) और (च) जी, हां। इन यात्राओं के दौरान लीबिया के विशेष दूतों ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को नये सिरे से सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि यह तीसरे विश्व की चिन्ताओं और उसके अधिकारों की अभिव्यक्ति का एक प्रभावकारी माध्यम बन सके।

खाद्यान्न उत्पादन

[हिन्दी]

*725. श्री नीतीश कुमार :

श्री सुखदेव पासवान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 2000 ई० तक खाद्यान्नों की मांग और उत्पादन का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार ने इस उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) 2000 ई० तक विभिन्न खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं, चावल, दालों और तिलहनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) द्वारा 2000 ई० तक केन्द्र में खाद्यान्नों की आवश्यकता और उपलब्धता 230 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो जनसंख्या वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि आदि पर आधारित है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्य

का हिसाब 210 मिलियन लगाया गया है। गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दाल और तिलहनों जैसी विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र के कार्य-क्रम तथा केन्द्रीय प्रायोजित फसल उत्पादन कार्य-क्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ङ) राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार 2000 ई० तक प्राप्त किए जाने वाले उत्पादकता स्तर निम्नवत् हैं :—

	(मीटरी टन/है०
गेहूं	2.9
चावल	2.5
दलहन	1.4
तिलहन	1.02

राजनयिक संबंध

*726. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके भारत में कोई मिशन/दूतावास नहीं हैं;

(ख) उन देशों के साथ संबंधों को नये आयाम देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या उन देशों में भारतीय मिशन/दूतावास खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इनके देशवार कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) 84 ऐसे देश हैं जिनके भारत मे कोई मिशन/राजदूतावास नहीं हैं (सूची विवरण-1 में संलग्न है।

(ख) इन देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और अन्य संबंधों को सुदृढ़ करने का हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और इसके लिए हमने इन 86 देशों में से 15 देशों में रिहायशी भारतीय मिशन स्थापित किए हैं जिनकी सूची विवरण-2 पर है। इसके अतिरिक्त, 53 देशों में पड़ोसी मिशनों में स्थित भारतीय मिशनों से राजदूतों/हाई कमिश्नरों को सह-प्रत्यायित कर रखा है जिसकी सूची विवरण-3 पर है। हमने 7 देशों में अवैतनिक कोंसल/प्रधान कोंसल भी नियुक्त किए हैं। सूची विवरण-4 पर देखी जा सकती है।

(ग) इन सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की बराबर समीक्षा की जाती है और जब भी राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, मिशनों की स्थापना की जाती है।

(घ) निकट भविष्य में बेलारूस, कजाकिस्तान और उक्रेन में भारतीय मिशन खोले जाएंगे।

विवरण-1

उन देशों के नाम जिनके भारत में राजदूतावास/हाई कमीशन नहीं है।

1. अंगोला
2. एन्टीगुआ और बारबूडा
3. आर्मेनिया
4. अजरबैजान
5. बहामास
6. बहरीन
7. बारबाडोस
8. बेलारूस
9. बेलिज
10. बेनिन
11. बोलीविया
12. बोत्सवाना
13. ब्रूनी दारुस्सलाम
14. बुर्किना फासो
15. बुरुन्डी
16. कैमरून
17. केप वर्डे
18. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
19. चाड
20. कोमोरोस
21. कौंगो
22. कोस्टारिका
23. कोटे द आइवरी (आइवरी कोस्ट)
24. जिबूती
25. डोमीनिकन गणराज्य
26. इक्वाडोर
27. अल साल्वाडोर
28. इक्वाटोरियल गिनी
29. एस्टोनिया
30. माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य
31. फिजी
32. गेम्बिया
33. गोम्बिया
34. ग्रेनाडा
35. ग्वाटेमाला
36. गिनी
37. गिनी बिसाऊ
38. गयाना
39. हायटी
40. होंडुरास
41. आइसलैण्ड
42. जमैका
43. कजाकस्तान
44. लात्विया
45. लेसोथो
46. लाइबीरिया
47. लिक्टेनस्तीन
48. लिथुनिया
49. लक्समबर्ग
50. मेडागास्कर

51. मलावी	69. समोआ
52. मालदीव	70. सान मारिनो
53. माली	71. सेशेल्स
54. माल्टा	72. सियरा लियोन
55. मार्शल द्वीप-समूह	73. सोलोमन द्वीपसमूह
56. मारीतानिया	74. दक्षिण अफ्रीका
5 . मोलदोवा	75. सूरीनाम
58. मोजाम्बिक	76. स्वाजीलैण्ड
59. मियानख्मिअशियान	77. ताजिकिस्तान
60. नामीबिया	78. टोगो
61. साओ तोमे और प्रिन्सिप	79. तुर्कमेनिस्तान
62. नाइजर	80. उक्रेन
63. पापुआ न्यू गिनी	81. उरुग्वे
64. पैराग्वे	82. उजबेकिस्तान
65. रुआन्डा	83. वानुआत
66. सेन्ट क्रिस्टोफर एण्ड नेविस	84. अल्बानिया
67. सेन्ट लूसिया	85. जाम्बिया
68. सेन्ट विंसेन्ट और द ग्रेनाडाइन्स	86. किर्गिजिस्तान

विवरण-2

उन देशों के नाम, जिनका भारत में कोई राजदूतावास/हाई कमीशन नहीं है परन्तु जहां भारत का आवासी मिशन है।

1. अंगोला	9. मालदीव
2. बहरीन	10. माल्टा
3. बोत्सवाना	11. मोजाम्बिक
4. आइवरी कोस्ट	12. नामीबिया
5. गयाना	13. सेशेल्स
6. जमैका	14. सूरीनाम
7. मैडागास्कर	15. उजबेकिस्तान
8. मलावी	

विवरण-3

उन देशों के नाम जहां अपने मिशन प्रमुखों को उनके पड़ोसी देशों में स्थित मिशनों से सह-प्रत्यायित किया गया है।

क्र० सं०	देश का नाम	जिस मिशन से सह-प्रत्यायित किया गया है
1	2	3
1.	अल्बानिया	रोमानिया
1.	एन्टीगुआ और बारबूडा	त्रिनिदाद और टोबागो
3.	अजरबेजान	उजबेकिस्तान
4.	आर्मेनिया	उक्रेन (शीघ्र ही खुलने वाला है)
5.	बहामास	संयुक्त राज्य अमरीका
6.	बारबाडोस	सूरीनाम
7.	बेलिज	मेक्सिको
8.	बोलीविया	पेरू
9.	ब्रूनो दारुस्सलाम	मलेशिया
10.	बुर्किना फासो	घाना
11.	बुरुण्डी	उगाण्डा
12.	कैमरून	नाइजीरिया
13.	केप वेर्दे	सेनेगल
14.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	ज़ाइर
15.	चाड	नाइजीरिया
16.	कोमोरोस	मैडागास्कर
17.	कोंगो	ज़ाइर
18.	कोस्टारिका	पनामा
19.	डोमिनिकन गणराज्य	गयाना
20.	अल सल्वाडोर	मेक्सिको

1	2	3
21.	इक्वाटोरियल गिनी	जाइर
22.	गैबोन	जाइर
23.	गेम्बिया	सेनेगल
24.	जार्जिया	उक्रेन (शीघ्र खुलेगा)
25.	ग्रेनाडा	त्रिनिदाद और टोबैगो
26.	गिनी	आइवरी कोस्ट
27.	गिनी बिसाऊ	सेनेगल
28.	आइसलैण्ड	नार्वे
29.	किर्गिजिस्तान	कजाकस्तान (शीघ्र ही खुलेगा)
30.	लेसोथो	बोत्सवाना
31.	लक्जमबर्ग	बेल्जियम
32.	माली	सेनेगल
33.	मारीतानिया	सेनेगल
34.	मोलदोवा	रोमानिया
35.	बेनिन	नाईजीरिया
36.	नाइजर	आइवरी कोस्ट
37.	रुआण्डा	युगाण्डा
38.	सेन्ट क्रिस्टोफर एण्ड नेविस	त्रिनिदाद एवं टोबागो
39.	सेन्ट लूसिया	गयाना
40.	सेंट विन्सेंट एण्ड ग्रेनाडाइन्स	गयाना
41.	सान मारिनो	इटली
42.	साओ तोम और प्रिन्सिप	अंगोला
43.	स्वाजीलैण्ड	मोज़ाम्बिक
44.	ताजिकिस्तान	कजाकस्तान (शीघ्र खुल रहा है)
45.	टोगो	घाना
46.	तुर्कमेनिस्तान	उज़बेकिस्तान

1	2	3
47.	एस्टोनिया	फिनलैण्ड
48.	पापुआ न्यू गिनी	आस्ट्रेलिया
49.	पश्चिमी समोआ	न्यूजीलैण्ड
50.	सोलोमन द्वीप	आस्ट्रेलिया
51.	वानुआतू	आस्ट्रेलिया
52.	लाविया	स्वीडन
53.	लिथुआनिया	पोलैण्ड

विवरण-4

उन देशों के नाम जहां भारत के अवैतनिक कौंसल/प्रधान कौंसल हैं।

क्र० सं०	देश का नाम	अवैतनिक कौंसल/प्रधान कौंसल
1.	जिबूती	कौंसल
2.	एक्वाडोर	प्रधान कौंसल
3.	ग्वाटेमाला	कौंसल
4.	लाइबेरिया	कौंसल
5.	रवान्डे	प्रधान कौंसल
6.	सियरा लियोन	प्रधान कौंसल
7.	उरूग्वे	प्रधान कौंसल

भारत-पाक सीमा पर विध्वंसकारी गतिविधियां

[अनुवाद]

*727. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-पाक सीमा पर विशेषतः जम्मू-कश्मीर में विध्वंसकारी गतिविधियों में कुछ विदेशी शामिल पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों का इसमें किस प्रकार का और कितना हाथ था;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशियों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने के लिए परमिट/पास जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) देश में आतंकवादियों और विघटनकारी तत्वों को पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन, दिशा निर्देश, प्रशिक्षण और शस्त्र तथा गोला-बारूद दिए जाने के बारे में सरकार को जानकारी है। ऐसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को समय-समय पर गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) सीमा के साथ-साथ के विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धित और संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए विदेशियों को परमिट जारी करने के लिए पहले ही सरकारी आदेश मौजूद हैं।

कीटनाशी औषधियों का प्रयोग

*728. श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी औषधियों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने पर पौधों का प्राकृतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ऐसे मामलों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) कीटनाशक रसायनों का गलत और अंधाधुंध प्रयोग पौधों की प्राकृतिक बढ़वार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इससे पौधों की उपापचय क्रिया में बाधा पड़ती है। फलस्वरूप पौधों में कुछ अस्वाभाविक (पादप-विषाक्तता सम्बन्धी) लक्षण उभरने लगते हैं।

(ग) कुछ मामलों में कीटनाशक रसायनों द्वारा पौधों में पादप-विषाक्तता पाई गई है जिसका कारण अक्सर इन रसायनों का गलत और अंधाधुंध प्रयोग है।

(घ) अत: समेकित नाशीकीट प्रबंध (स० ना० प्र०) के अभिन्न अंग के रूप में कीटनाशी रसायनों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग की सलाह दी जाती है। अपनाने के लिए कहा जाता है।

गुजरात और राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी आप्रवासी

*729. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री लालकृष्ण आडवाणी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और राजस्थान में अलग-अलग ऐसे कितने पाकिस्तानी आप्रवासी रह रहे हैं जिनके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं।

(ख) इनमें से कितने लोग पांच वर्षों से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन राज्यों में रहने वाले कितने व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए गुजरात से 47 और राजस्थान से 26 आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं।

(ख) उनमें से गुजरात में 26 तथा राजस्थान में 24 व्यक्ति पांच वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं।

(ग)	गुजरात	राजस्थान
1989	100	18
1990	47	22
1991	49	5

महाराष्ट्र में सांविधिक विकास बोर्ड

*730. श्री बर्दप्पा मोल्लप्पा सारुस :

श्री पाण्डुरंग पुंडलिक फुंडकर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना से सम्बन्धित मामले पर हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) विकास बोर्डों के गठन संबंधी कानूनों और संवैधानिक पहलुओं की जांच की जा रही है।

कच्छ सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ

[हिन्दी]

*731. श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री सन्त कुमार मण्डल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से पाक प्रशिक्षित आतंकवादी हाल ही में कच्छ सीमा से भारत में प्रवेश करने में सफल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय क्षेत्र में आतंकवादियों को प्रवेश कराने के पाक के मन्सूबे को निष्फल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस सीमा से भारत में प्रवेश करते समय मारे गए और पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या क्या है; और

(ङ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) वर्ष 1991 के दौरान तथा मार्च, 1992 तक कच्छ सीमा से भारत में घुसपैठ करते समय तैंतालीस घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गुजरात सीमा पर सतर्कता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को बढ़ाना, गश्त तेज करना, नाकाबन्दी को बढ़ाना, आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करना, आदि शामिल है।

तेल सम्बन्धी योजनायें/परियोजनाएं

*732. श्री राम टहल चौधरी :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास बिहार और उड़ीसा की तेल संबंधी विचाराधीन योजनाओं/परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) उन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) हल्दिया से से बरौनी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन से अप्रैल, 1992 के प्रथम सप्ताह में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास बिहार और उड़ीसा की कोई अन्य तेल क्षेत्र की परियोजना अनिर्णित नहीं पड़ी है।

कच्चातिवु द्वीप

[अनुवाद]

*733. श्रीमती बासवराजेश्वरी :

श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चातिवू द्वीप में भारतीय मछुआरों की आवश्यकताओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका के साथ भारतीय मत्स्य पोतों पर हमले की घटनाओं का मामला उठाया था;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) क्या श्रीलंका के साथ हुए समुद्री सीमा संबंधी समझौतों के संबंध में भारत के रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में भारतीय मछुआरों के मौजूदा परंपरागत अधिकारों को किस तरह से अमल में लाया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी हां। मछली पकड़ने वाली जो भारतीय नौकाएं भूल से भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा के पार चली जाती हैं, उन पर हमले की वारदातों को सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है जिससे कि उनके साथ उचित तथा मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार किया जाए। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि श्रीलंका नौसेना को इस बात की कड़ी हिदायत दे दी गई है कि भारतीय मत्स्य नौकाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई न की जाए और जो नौकाएं मार्ग से भटक जाती हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पार भारत की ओर पहुंचा दिया जाए।

(ङ) जी, नहीं।

महिला अर्द्धसैनिक बटालियनें

*734. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्णतया महिला अर्द्धसैनिक बटालियन बनाने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बटालियनों के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) हालांकि अर्द्धसैनिक बलों में पूर्णतया महिला बटालियनें बनाने का कोई विचार नहीं है, तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को एक महिला बटालियन बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें अधिकांशतः महिलाएं होंगी।

बन्द तेल-कूप

*735. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे रुग्ण तेल-कूपों की संख्या क्या है जो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रुग्ण रहे;

(ख) रुग्ण कूपों के कारण कच्चे तेल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने रुग्ण-कूप फिर से चालू किये गये हैं और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० के अनुसार दिनांक 1-4-1990, 1-3-1991 और 1-3-1992 की स्थिति के अनुसार बेकार/बीमार तेल कुओं की संख्या क्रमशः 490,523 तथा 447 थी।

तेल क्षेत्र की यह एक सामान्य बात है कि कुछ उत्पादक कुएं निष्क्रिय/बीमार हो जाते हैं और कुछ निष्क्रिय/बीमार कुओं से वर्क-ओवर कार्यों के द्वारा उत्पादन होने लगता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्क-ओवर/मरम्मत के बाद 2098 तेल के कुएं प्रचालन योग्य हो गए। 1989-90 और 1990-91 के दौरान उस पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 1991-92 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशी भारतीय

[हिन्दी]

*7605. श्री भगवान शंकर रावत:

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में भारतीय (विदेशी नागरिकता और भारतीय नागरिकता दोनों) रह रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन देशों में रह रहे भारतीत मूल के लोगों के विरुद्ध भेदभाव बरतने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। फिजी में तो वहां की सरकार द्वारा लागू किए गए मौजूदा संविधान ने भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ जातीय भेदभाव को संस्थागत रूप दे दिया है जबकि दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव के अन्तर्गत भारतीय समुदाय को भी उन्हीं सब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले अन्य अश्वेतों को।

(घ) भारत सरकार यह मानती है कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों के हित कल्याण का सुनिश्चय

करने के लिए यह जरूरी है कि वहां पहले लोकतंत्र और जातीय समरसता की स्थिति बहाल की जाए। इसीलिए सरकार ने अपनी इन चिन्ताओं को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में तथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यू०के०, अमरीका और मारीशस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर पूर्ण सक्रियता के साथ उठाया है। जहां तक दक्षिण अफ्रीका का सवाल है सरकार ने जातिवाद विरोधी संघर्ष को सदैव समर्थन दिया है।

विवरण

1-10-89 को विश्व में प्रवासी भारतीयों/भारतीय राष्ट्रिकों की अनुमानित संख्या

क्र० सं०	देश का नाम	प्रवासी भारतीयों की कुल संख्या	विदेशी राष्ट्रिक	भारतीय नागरिक
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	35,080	35,000	80
2.	अल्जीरिया	300	शून्य	300
3.	अंगोला	19	18	1
4.	अंगुइला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	एन्टीगुआ और बारबूडा	लागू नहीं	शून्य	24
6.	अर्जेन्टीना	300	170	130
7.	आस्ट्रेलिया	54,800	28,740	26,060
8.	आस्ट्रिया	3300	442	2858
9.	बहामास	685	शून्य	685
10.	बहरीन	87,129	50	87,079
11.	बंगलादेश	196	11	185
12.	बारबाडोस	20,300	20,255	45
13.	बेल्जियम	2900	186	2714
14.	बेलीज	250	200	50
15.	बेनिन	250	शून्य	250
16.	भूटान	70,000	शून्य	70,000
17.	बोलिविया	200	शून्य	200

1	2	3	4	5
18.	बोत्सवाना	1600	शून्य	1500
19.	ब्राजील	1320	लागू नहीं	लागू नहीं
20.	ब्रूनी	5,500	4000	1,500
21.	बुल्गारिया	127	शून्य	127
22.	बुर्किना फासो	5	शून्य	5
23.	बर्मा	4,28,428	4,20,483	7955
24.	बुरुन्डी	250	175	75
25.	केमरोन	250	शून्य	250
26.	कनाडा	2,61,430	1,27,120	1,34,310
27.	साइमन आइसलैंड	20	लागू नहीं	17
28.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	8	लागू नहीं	8
29.	चाड	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चिली	180	शून्य	180
31.	चीन	45	3	42
32.	कोलम्बिया	57	4	53
33.	कोमरोस	360	180	180
34.	कोंगो	15	शून्य	15
35.	कोस्टारिका	9	शून्य	9
36.	क्यूबा	2	शून्य	2
37.	साइप्रस	213	7	206
38.	चेकोस्लोवाकिया	94	शून्य	94
39.	डेनमार्क	1600	900	700
40.	डोमीनिका	लागू नहीं	लागू नहीं	12
41.	जिबूती	330	40	290
42.	इक्वाडोर	7	शून्य	7
43.	मिस्र	615	15	600
44.	अल सल्वाडोर	5	शून्य	5

1	2	3	4	5
45.	इक्वाटोरियल गिनी	10	शून्य	10
46.	इथोपिया	2900	450	2450
47.	फिजी	3,40,121	3,39,641	480
48.	फिनलैंड	340	205	144
49.	फ्रांस	42,000	37,500	4,500
50.	गैबोन	10	शून्य	10
51.	गाम्बिया	60	6	54
52.	गुआटेमाला	16	8	8
53.	जर्मनी (एफ० आर० जी०)	43,800	9,000	34,800
54.	जर्मनी (जी० डी० आर०)	120	शून्य	120
55.	घाना	1211	40	1171
56.	यूनान	2500	शून्य	2500
57.	ग्रेनेडा	4000	3979	21
58.	गिनी	8	शून्य	8
59.	गयाना	3,90,000	3,89,054	146
60.	हांगकांग	21,700	5041	16,659
61.	हंगरी	43	शून्य	43
62.	आइसलैंड	6	शून्य	6
63.	इंडोनेशिया	30,000	20,000	10,000
64.	ईरान	8,000	4,300	3,700
65.	इराक	10,000	शून्य	10,000
66.	आयरलैंड	500	150	350
67.	इटली	3,567	67	3,500
68.	आइवरी कोस्ट	155	11	144
69.	जमाइका	40,000	39,000	1,000

1	2	3	4	5
70.	जापान	2,600	शून्य	2600
71.	जोर्डन	3500	शून्य	3500
72.	कम्पूचिया	25	शून्य	25
73.	कीनिया	70,000	62,500	7,500
74.	कोरिया (गणराज्य)	409	46	363
75.	कुवैत	1,64,600	3,005	1,61,595
76.	लाओस पी डी आर	66	शून्य	66
77.	लेबनान	12005	6	12[illegible]00
78.	लेसोथो	200	शून्य	200
79.	लाइबेरिया	5510	130	5380
80.	लीबिया	20000	शून्य	20000
81.	लक्समबर्ग	70	शून्य	70
82.	मालागासी गणराज्य	24000	16500	7600
83.	मलावी	4000	3700	300
84.	मलेशिया	14,80,000	13,05,000	1,75,000
85.	मालदीव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
86.	माल्टा	208	168	40
87.	माली	10	10	10
88.	मारीशस	7,07,500	7,07,271	229
89.	मैक्सिको	119	22	[97
90.	मंगोलिया	1	शून्य	1
91.	मोन्तसेरात	लागू नहीं	लागू नहीं	14
92.	मोरक्को	410	10	400
93.	मोजाम्बिक	20860	19850	1000
94.	रूनो	136	शून्य	135
95.	नेपाल	लागू नहीं	लागू नहीं	150000

1	2	3	4	5
96.	नीदरलैंड	5000	1000	4000
97.	नीदरलैंड्स एन्टीलिस	356	शून्य	356
98.	न्यूजीलैंड	13279	12614	664
99.	निकारागुआ	5	शून्य	5
100.	नाइजर	18	शून्य	18
101.	नाइजीरिया	23000	शून्य	23000
102.	नार्वे	4194	1076	3118
103.	ओमान	1,80,000	40	1,79,960
104.	पाकिस्तान	लागू नहीं	लागू नहीं	622
105.	पनामा	2591	931	1660
106.	पैराग्वे	16	शून्य	16
107.	पापुआ न्यूगिनी	276	शून्य	276
108.	पेरू	120	शून्य	120
109.	फिलीपीन्स	9000	1500	7500
110.	पोलैंड	113	शून्य	113
111.	पुर्तगाल	27;500	26;700	800
112.	कतार	45;300	300	45;000
113.	रियूनियन द्वीप समूह	1,72,000	1,71,847	153
114.	रोमानिया	8	शून्य	8
115.	रवान्डा	300	200	100
116.	सऊदी अरब	4,00,000	शून्य	4,00,000
117.	सेनेगल	97	45	52
118.	सेशेल्स	6000	5880	120
119.	सिएरा लियोन	600	शून्य	600
120.	सिंगापुर	1,20,000	1,17,400	2,600

1	2	3	4	5
121.	सोमालिया	55	शून्य	55
122.	दक्षिण अफ्रीका	10,00,000	9,94,000	6,000
123.	स्पेन	9800	4000	6800
124.	श्रीलंका	15,43,659	14,12,107	1,31,482
125.	सेन्ट किट्स नेविस	लागू नहीं	लागू नहीं	7
126.	सेंट विंसेंट एण्ड द ग्रेनाडाइन्स	लागू नहीं	लागू नहीं	36
127.	सेंट लूसिया	लागू नहीं	लागू नहीं	63
128.	सूडान	1920	140	1780
129.	सूरीनाम	1,50,000	1,49,930	70
130.	स्वाजीलैंड	120	40	80
131.	स्वीडन	9441	7901	1540
132.	स्विटजरलैंड	3813	498	2515
133.	सिरियाई अरब गणराज्य	60	शून्य	60
134.	तंजानिया	50,000	45,000	5,000
135.	थाईलैंड	65,000	55,000	10,000
136.	टोगो	87	5	82
137.	टोंगा	20	शून्य	20
138.	त्रिनिडाड एण्ड टोबागो	506511	506230	281
139.	ट्यूनिशिया	40	शून्य	40
140.	तुर्की	11	शून्य	11
141.	तुर्क और कैकोस द्वीप समूह	लागू नहीं	लागू नहीं	5
142.	उगान्डा	1500	1000	500
143.	संयुक्त अरब अमीरात	2,00,000	शून्य	2,00,000

1	2	3	4	5
144.	यू० के०	7,60,000	3,80,000	3,80,000
145.	संयुक्त राज्य अमरीका	लागू नहीं	लागू नहीं	750000
146.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	3698	3	3695
147.	उरुग्वे	6	शून्य	6
148.	वानुआतू	2	शून्य	2
149.	वेनेजुएला	116	शून्य	116
150.	वियतनाम	45	25	20
151.	पश्चिमी समोआ	शून्य	शून्य	शून्य
152.	यमन अरब गणराज्य	7000	1000	6000
153.	यमन (पी० डी० आर०)	1,03,230	1,02,480	750
154.	युगोस्लाविया	38	11	27
155.	जाइर	3840	2803	1037
156.	जाम्बिया	15,200	8620	6580
157.	जिम्बाब्वे	15500	14000	1500

दक्षिण एशिया को नये सुरक्षा पैकेज देने के लिए अमरीका का प्रस्ताव

[अनुवाद]

7606. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परमाणु अप्रसार सन्धि के अतिरिक्त दक्षिण एशिया में परमाणु अप्रसार के लिए अमरीका के नये सुरक्षा पैकेज देने सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है जैसा कि 23 फरवरी, 1992 के दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दू' में छपा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) अमरीका ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा के संबंध में बहुत से प्रस्ताव किए हैं। सरकार ने इन प्रस्तावों पर गौर किया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट

7607. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985 और 1990 में देय मानवाधिकार पर अपनी रिपोर्ट भारत स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और यह किस तारीख को प्रस्तुत की गई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) असैनिक एवं राजनैतिक अधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद-40 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित, भारत ने उक्त अभिसमय के क्रियान्वयन सम्बन्धी अपनी पहली और दूसरी सावधिक रिपोर्टें क्रमश: जुलाई, 1983 और जुलाई, 1989 में प्रस्तुत कर दी थीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने 28 से 30 मार्च, 1984 तथा 26-27 मार्च, 1991 की अपनी बैठकों में क्रमश: इन पर विचार किया था। अपनी पहली सावधिक रिपोर्ट में भारत ने सिविल एवं राजनैतिक अधिकार पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अन्तर्गत मान्य अधिकारों को कार्यान्वित करने के उपायों की रूपरेखा, इन अधिकारों के उपभोग की प्रगति और इस अभिसमय के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाले अवरोधों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अपनी दूसरी सावधिक रिपोर्ट में भारत ने पहले प्रस्तुत रिपोर्ट को अद्यतन रूप दिया था तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा पहली रिपोर्ट पर विचार के दौरान उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया था।

किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का दौरा

7608. डा० सी० सिलवेरा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विषयों पर बातचीत की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के सिद्धांतों और दिशाओं पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने दूसरी बातों के साथ-साथ नाभिकीय अस्त्रों से मुक्त और हिंसा से मुक्त विश्व के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की तथा साथ ही साथ शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकार, आधारभूत स्वतंत्रताओं और धर्मनिरपेक्षता के प्रति भी अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए :—

1. सहयोग के सिद्धांतों और दिशाओं से सम्बद्ध घोषणा।

2. राजनयिक एवं कोंसली संबंधों की स्थापना से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

3. आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग संबंधी करार।

4. संस्कृति, कला, शिक्षा विज्ञान, जन-सम्पर्क के माध्यम और खेल के क्षेत्रों में करार ।

5. व्यापार, आर्थिक संबंधों और विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी करार।

उपर्युक्त करारों के अन्तर्गत परिवर्तित कार्यक्रमों पर अमल करने की दिशा में उपाय शुरू कर दिए गए हैं।

दालों और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि

7609. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के दौरान दालों और सब्जियों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और

(ग) सरकार ने दालों और सब्जियों के मूल्य बढ़ने से रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार गत एक वर्ष (6-4-1991 से 4-4-1992 तक) के दौरान दलहनों के थोक मूल्यों में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसी अवधि के दौरान सब्जियों (आलू और प्याज) में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) दलहनों के मूल्यों में वृद्धि का कारण उच्च मांग की तुलना में कम आपूर्ति तथा अर्थव्यवस्था में आम मुद्रास्फीति जैसे कारक हैं। सरकार इस समस्या से अवगत है तथा उसने वर्धित उत्पादन तथा आयात के द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं। दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो योजनाएं अर्थात् केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा केन्द्रीय क्षेत्र की विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) देश में क्रियान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना देश के 134 चुनिन्दा जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रमों के अन्तर्गत अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर की दाल तथा मटर की फसलों को कवर किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप्स स्कीम

7610. श्री अधिकराव होलक्या चावीत :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों से संबंधित नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप्स स्कीम के अन्तर्गत अधिकांश छात्र अपना अध्ययन नियत समय में पूरा नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने छात्र विदेश गए और उनमें से कितने छात्र समझौते की शर्तों के अनुरूप वापस नहीं लौटे ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियों के पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता अपने अध्ययनों को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर समयावधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं।

(ख) शैक्षिक स्तरों में भिन्नता तथा सामंजस्य की समस्या इसके कारण हो सकते हैं।

(ग) अब तक विदेश भेजे गए 443 विद्यार्थियों में से करार की शर्तों के अनुसार 11 विद्यार्थी भारत वापस नहीं लौटे हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति

7611. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जम्मू-कश्मीर में विध्वंसकारी और अलगाववादी गतिविधियां चलाने वाले व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई; और

(ख) न्यायालय द्वारा कितने व्यक्ति दोषी ठहराए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब) : (क) और (ख) 1989, 1990 तथा 1991 में 5208 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से 66 व्यक्तियों को अलगाववादी और विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को शरण देने के कारण गिरफ्तार किया गया। उनमें से किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं पाया गया। ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(I) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति :

1989	1990	1991	जोड़
299	2360	2549	5208

(II) अलगाववादी और विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को शरण देने के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

1989	1990	1991	जोड़
13	33	20	66

मछली उत्पादन

7612. श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार तथा किस्मवार मछली उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य कितना-कितना है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में मछली की किस्मवार खपत की मात्रा तथा मूल्य कितना-कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) समुद्री तथा अन्तर्देशीय मछलियों की महत्वपूर्ण प्रजातियों के विगत 3 वर्षों के मत्स्य उत्पादन का विवरण संलग्न है। विवरण में वर्षवार उत्पादन मूल्य भी दर्शाया गया है।

(ख) उक्त अवधि में देश में मछली की खपत की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1988	29;64;398	3174.41
1989	34;08,623	3948.38
1990	34;93,099	5059.78

विवरण

भारत में मत्स्य उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य

(उत्पादन मीटरी टन में)

क्र० सं०	प्रजाति	1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	समुद्री मछली			
	हारपोडोन निहेरियस (बॉम्बे डक)	1,15,735	1,35,302	1,42,235
	कट फिश	68,245	70,705	69,273
	सायनाइड्स (क्रोकर)	1,64,774	2,03,435	2,21,075
	स्ट्रोमेटोइस (बटर फिश)	34,616	39,100	25,491
	सारडिनेला (इंडियन ऑयल सारडाइन)	2,27,981	2,73,285	2,67,278
	एन्ग्रालिड्स (एन्कोवाइस)	66,246	66,730	97,724
	अन्य क्लूपियाइड्स	60,740	63,115	56,163
	रेस्ट्रालिगेर कनागुर्टा (इंडियन मैकरेल)	66,680	1,55,648	1,25,209

1	2	3	4	5
	इलास्मोब्रेंच (शार्क, रे तथा स्केट आदि)	73,540	66,281	51,230
	डेकापोड्स (पोलैंड झींगे, नानपोनेड झींगे आदि)	1,58,293	2,26,119	2,[illegible]1,795
	सोफेलोपाड्स (स्क्वाड्स तथा कटल फिश)	62,331	76,011	32,307
	अन्य समुद्री मछलियां	7,58,792	8,26,547	8,84,393
	कुल समुद्री मछली उत्पादन	18,57,973	22,02,278	22,20,173
	कुल मूल्य (करोड़ रुपये में)	1690.75	1987.87	2980.99
2.	अन्तर्देशीय मछलियां			
	मुख्य कोपर्स (रोहू, मृगल, कटला, कालबसु)	6,06,059	6,68,714	7,77,923
	सामान्य कार्प्स	1,78,759	1,86,389	1,32,703
	अन्य कार्पस	1,13,080	88,311	4,94,545
	अन्य अन्तर्देशीय मछली	3,68,807	4,37,636	4,78,462
	कुल अन्तर्देशीय मछली उत्पादन	12,66,700	13,81,050	14,83,633
	अन्तर्देशीय मछली उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपये में)	2146.30	2671.78	3075.42
	कुल मछली उत्पादन (समुद्री+अन्तर्देशीय)	31,24,673	35,83,328	37,02,80
	उत्पादन मूल्य का कुल योग (करोड़ रुपये में)	3837.05	4658.85	6000...

संतुलित उर्वरकों का प्रयोग

7613. श्री प्रकाश वो॰ पाटील :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके उर्वरक उद्योग के जरिये आदान नैदानिक केन्द्रों, चल मृदा परीक्षण वैनों की स्थापना और सूक्ष्म-पोषक तत्वों के उपयोग के संबंध में प्रदर्शन आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्य सरकारों की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

"लैब टू लैंड" योजना

7614. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में कितनी "लैब टू लैंड" योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत किस तरह का कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों में ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और ये योजनाएं किस हद तक सफल हुई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंका) : (क) महोदय, प्रयोगशाला से खेत तक प्रायोजना 104 केन्द्रों पर लागू की गई है।

(ख) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के तहत फार्म प्रणाली में सुधार लाने और अपनाए गए किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से अपनाए गए किसानों के बीच कम लागत की सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकियों को प्रचालित किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश में, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर; इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर; केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल; कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर; और भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर के माध्यम से लागू किया गया है : प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है (I) कम साधन वाले अनेक किसानों को नई फार्म प्रौद्योगिकियों एवं अन्य संबंधीय उद्यमों को अपनाने के लिए प्रेरित करना; (II) अनेक कृषि वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में शामिल करना; (III) खेतों से सीधे ही पुर्ननिवेश प्राप्त करना और (IV) प्राप्त पुर्ननिवेश के आधार पर आवश्यकता के अनुसार व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

दिल्ली में नर्स की मृत्यु

7615. श्री पी० सी० थामस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई नर्स की मृत्यु संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक ऐसे मामलों में की गई जांच की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ढालू भूमि पर खेती और भूमि प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान

7616. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में ढालू भूमि पर खेती करने और भूमि प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई ग्रीष्मकालीन संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(ग) इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में मछुआरों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता

7617. श्री थाइल जान अन्जलोस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल में मछुआरों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता वितरित करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त सहायता को वितरित करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचीबद्ध मछुआरों की सोसाइटियों का यथोचित ध्यान रखा है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केरल के कुछ सांसदों ने यह उल्लेख करते हुए केन्द्र सरकार को शिकायत की है कि केरल राज्य सहकारी मात्स्यिकी विकास संघ, तिरुअनंतपुरम ने निवेशों के वितरण के लिए सीधे मछुआरों से आवेदन पत्र मंगाने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है जिससे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन होता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्वीकृति की शर्तों में यह उल्लेख है कि परियोजना "मत्स्यफेड" तथा 81 प्राथमिक मछुआरा विकास तथा कल्याण सहकारी समितियों द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। राज्य सरकार से इसकी जांच करके रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। केरल सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

पाकिस्तान और बंगला देश के राजनयिकों की यात्रा

7618. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान और बंगलादेश के उन राजनयिकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 1990, 1991 और 1992 में अब तक भारत की यात्रा की है

(ख) इनमें से प्रत्येक राजनयिक ने किन-किन स्थानों की यात्रा की और प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या ये यात्राएं पारस्परिक आदान-प्रदान के आधार पर की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) पाकिस्तानी और बंगलादेशी राजनयिकों की भारत की यात्राएं इन देशों के साथ अलग-अलग वीजा प्रबंधों, इस प्रकार की यात्राओं के लिए पारस्परिक प्रबंधों तथा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों की शर्तों के सम्बन्ध में हमारी वचनबद्धताओं के अन्तर्गत आती हैं।

नारियल के वृक्ष लगाना

[हिन्दी]

7619. श्री चन्दू भाई देशमुख :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में क्या-क्या कार्य किये गये और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ख) गुजरात में नारियल की खेती के विकास के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) नारियल विकास बोर्ड

द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के तहत गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान 48.51 हैक्टेयर क्षेत्र में नारियल के नए बागान लगाए गए हैं।

(ख) गुजरात में 1992-93 के दौरान 50 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नारियल बागान के तहत लाने का बोर्ड का प्रस्ताव है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को सम्मिलित किया जाना

[अनुवाद]

7620. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को सम्मिलित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सम्मिलित की जाने वाली भाषाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) तत्संबंधी विधेयक कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस अवस्था में किसी विधेयक को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

त्रिपुरा में चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी

7621. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में कितने चकमा शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) इन शरणार्थियों को स्वदेश लौटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके कब तक स्वदेश लौटने की संभावना है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) बंगलादेश के चकमा शरणार्थियों सहित लगभग 53,000 आदिवासी शरणार्थी त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

(ख) से (ङ) त्रिपुरा में चकमा शरणार्थियों के निरंतर वहां रहने पर भारत सरकार की चिन्ता तथा उनके द्वारा स्वतः स्वदेश लौट जाने की इच्छा को बंगलादेश को बता दिया गया है। यद्यपि

बंगलादेश सरकार ने इन शरणार्थियों को वापस लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है, फिर भी शरणार्थियों को बंगलादेश में वापस जाने के लिए उचित माहौल तथा वहां उनका सुरक्षा-पूर्वक रहना अभी तक दिखाई नहीं देता। इन शरणार्थियों को जल्दी वापस भेजने के प्रयास जारी हैं।

बाम्बे हाई में गैस जलाने में कमी करने संबंधी परियोजनाओं के लिए तकनीकी बोली

7622. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बाम्बे हाई पर गैस जलाने में कमी करने संबंधी अपनी परियोजनाओं के लिए तकनीकी बोलियों के प्रस्तावों की तारीख बढ़ाने के संबंध में कोई जांच करने का आदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा चीन से प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करना

7623. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा चीन से एम-11 और एम-9 प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करने के बारे में हाल की रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या को सरकार इन प्रक्षेपास्त्रों की मारक क्षमता के बारे में कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) जी हां।

(ख) बताया जाता है कि चीन के विदेश मन्त्रालय के एक सरकारी प्रवक्ता ने यह बताया है कि चीन ने "कम दूरी तक मार करने वाले बहुत थोड़े से टैक्नीकल प्रक्षेपास्त्र" पाकिस्तान को बेचे हैं। तथापि, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि किस तरह के प्रक्षेपास्त्र बेचे गए हैं। चीन सरकार के साथ अपनी चर्चा के दौरान सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि पाकिस्तान को उसकी रक्षा संबंधी जायज जरूरतों से अधिक अत्याधुनिक शस्त्र और प्रक्षेपास्त्र की आपूर्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है और इस बात पर भी बल दिया गया कि यह दक्षिण एशिया में शान्ति और

स्थिरता बनाए रखने के अनुकूल नहीं है। सरकार ने इसके अलावा इस बात पर भी बल दिया है कि ऐसी कार्यवाहियों से बचा जाए जिनसे भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव न बढ़ता हो।

(ग) और (घ) बताया जाता है कि चीन के विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने यह कहा है कि चीन ने पाकिस्तान को कम दूरी तक मार करने वाले जो प्रक्षेपास्त्र बेचे हैं उनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर के लगभग है।

आतंकवाद का सफाया तथा मानवाधिकारों का संरक्षण

[हिन्दी]

7624. श्री मोहन सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विश्व में आतंकवाद का सफाया करने तथा मानवाधिकारों का संरक्षण करने संबंधी अपनी नीति को बरकरार रखने हेतु भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात के महत्व पर बल दिया है कि आतंकवाद से निपटने के लिए तत्काल कारगर कदम उठाए जाने चाहिएं जो हाल ही में मानवाधिकारों और मूल-भूत स्वतन्त्रताओं के खिलाफ सबसे भयानक और घातक खतरे के रूप में उभरा है। हमने मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके संवर्धन से सम्बद्ध मदों पर विचार-विमर्श में भी सक्रिय योगदान किया। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान सरकार ने विदेशी नेताओं और जाने-माने व्यक्तियों को इस संबंध में भारत की सिद्धान्तगत नीतियों से भी अवगत कराया।

पाकिस्तान टेलीविजन द्वारा साम्प्रदायिक प्रचार

[अनुवाद]

7625. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान टेलीविजन की विदेशी सेवा ने हाल के पंजाब चुनावों के पहले भारतीय क्षेत्र में साम्प्रदायिक प्रचार का प्रसारण दिखाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) पाकिस्तान के एकसर्वाय टेलीविजन ने पंजाब चुनावों पर अपनी रिपोर्ट में अकालियों तथा अन्य राजनैतिक व धार्मिक

संगठनों के साथ-साथ आतंकवादियों का हवाला देते समय "सिख" शब्द के प्रयोग द्वारा कुछ साम्प्रदायिक पहलुओं को उजागर करना चाहा। कुछ अकाली नेताओं की स्वतंत्र सिख राज्य के लिए मांग और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षणाधीन चुनावों के बारे में भी कहा गया। पाकिस्तान टीवी ने भारतीय जनता पार्टी की एकता यात्रा में भाग लेने वालों का विवरण देते हुए "उग्रवादी हिन्दू" शब्दावली का प्रयोग किया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने कई अवसरों पर पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह अपने द्वारा नियंत्रित मीडिया को भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार करने से रोके।

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार नियंत्रित मीडिया द्वारा भारत की घटनाओं के संबंध में जान-बूझकर तथा द्वेष-पूर्ण मिथ्या विवरण के बारे में विदेशी सरकारों को भी अवगत कराया है।

कटीले तारों की बाड़ लगाने में घटिया सामग्री का तथाकथित प्रयोग

[हिन्दी]

7626. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री मृत्युंजय नायक :

श्री लाल बाबू राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाक सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई जांच में दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब) : (क) से (ग) पहले चरण का काम पूरा हो जाने के बाद कुछ स्थानों पर कुछ कामों में छोटी-मोटी कमियां पाई गई थीं। इसके लिए ठेकेदार के बिल में से पर्याप्त कटौती कर ली गई है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है।

भारत को विकास सहायता देने के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस में संकल्प

[अनुवाद]

7627. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचार-पत्र की स्टेट्स मैन में भारत को दी जाने वाली अमेरिकी विकास सहायता की समाप्ति करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों को इस मसले तथा अन्य मसलों पर भारत की स्थिति की नियमित जानकारी देने के लिए आवश्यक उपाय किये हैं।

उत्तर प्रदेश में एल० पी० जी० एजेंसियों को बन्द करना

[हिन्दी]

7628. श्री राजवीर सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में एल० पी० जी० की कितनी एजेंसियां बन्द की गईं;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इनमें से कितनी एजेंसियों को पुन: खोलने की अनुमति दी गई है; और

(ग) किन-किन एजेंसियों के विरुद्ध जांच-कार्य अभी पूरा किया जाना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अप्राधिकृत गैस कनेक्शन देने, एल० पी० जी० उपकरणों का गबन करने, साझेदारों के बीच विवाद, आदि जैसे विभिन्न कारणों से पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में एल० पी० जी० की 6 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें बन्द की गईं। इनमें से 3 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को समाप्त कर दिया गया है, एक की जांच चल रही है, एक को बन्द कर दिया गया है और एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पुनः शुरू करने की अनुमति दे दी गई है।

म्यानमार द्वारा भारत की भूमि पर कब्जा

[अनुवाद]

7629. श्री याइमा सिंह युमनाम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यानमार ने भारतीय भूमि के किसी टुकड़े पर कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने म्यानमार से इस बारे में बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न की रोशनी में प्रश्न नहीं उठता।

भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के विमानों को अधिक उड़ानें भरने की अनुमति देना

7630. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1992 के 'दि बिजनिस स्टैन्डर्ड' (कलकत्ता) में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत द्वारा अमेरिका के निर्धारित संख्या से अधिक विमानों को उड़ने की अनुमति देने की आशा के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की यह नीति है कि ऐसे अनुरोधों पर मौजूदा विनियमों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मानवाधिकार स्थिति पर निगरानी

7631. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मानवाधिकार सम्बन्धी स्थिति और विभिन्न देशों के शस्त्र नियंत्रण कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चालों सम्बन्धी हाल की रिपोर्ट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देश इस बात के पक्षधर हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रादेश का विस्तार किया जाए ताकि उसमें मानवाधिकार और अस्त्र नियंत्रण जैसे मसले शामिल किए जा सकें। हमारा मत यह है कि वास्तव में ये मसले ऐसे मसले हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों और निकायों को कार्रवाई करनी चाहिए न कि सुरक्षा परिषद को, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखना है।

अवैध शस्त्र

7632. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में अवैध शस्त्रों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अवैध शस्त्रों के निर्माण और तस्करी को रोकने सम्बन्धी उपाय अपनाने हेतु कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) समय-समय पर जारी किए गये मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अवैध शस्त्रों के विनिर्माण तथा तस्करी को रोकने सम्बन्धी उपाय अपनाने हेतु राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का सारांश।

(क) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शस्त्र अधिनियम/नियमों तथा अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उपबन्धों का सख्ती तथा विधि-पूर्वक अनुपालन करें।

(ख) इस बात का पता लगाने की दृष्टि से कि क्या निर्माणकर्ता लाइसेंस की क्षमता से अधिक माल निर्मित कर रहा है या फर्म अनधिकृत निर्माण करने में लगी हुई है, कच्चे माल के प्रयोग करने, मशीनरी की प्रतिष्ठापन क्षमता, विद्युत उपभोग और लेखों के विवरण के बारे में अचानक प्रभावी जांच करना।

(ग) पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों से शस्त्र तथा गोला-बारूद के चोरी/गुम होने की जांच करना तथा लापरवाही के उन कारणों के बारे में भी पड़ताल करना जिनके परिणाम-स्वरूप ये चोरियां, तथा क्षति हुई और इसके लिये निवारात्मक उपाय करना।

(घ) कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लाइसेंस तथा व्यापारियों की प्राय: अचानक जांच करने पर जोर देना चाहिए। अचानक की जाने वाली जांचों को नेमी सत्यापन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

(ङ) ऐसे राज्य, जहां अपराध अधिक मात्रा में होते हैं, वहां विशिष्ट जांच इकाइयां गठित करना।

(च) महत्वपूर्ण मामलों अथवा संगठित अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ करने के लिए महत्वपूर्ण मामले या संगठित गिरोहों द्वारा किए गए मामलों या अन्तर राज्य शाखाओं वाले मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना।

(छ) शस्त्रों तथा गोलाबारूद के अवैध निर्माण तथा व्यापार के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए उपयुक्त तंत्र का गठन करना।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना

[हिन्दी]

7633. श्री राजेश कुमार :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग नहीं है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) से (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का आशय आपराधिक न्यायालयों के लिए एक नया तंत्र उपलब्ध कराकर अखिल भारत स्तर पर न्यायिक प्रणाली को कार्यकारी से अलग करना है। इस बात को कि संहिता किस सीमा तक लागू होगी, संविधान के संबद्ध उपबंधों के साथ पठित संहिता की धारा 1 के द्वारा शासित किया जाता है। जिन क्षेत्रों में संहिता लागू नहीं है, उन क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की ब्रिटेन की यात्रा

[अनुवाद]

7634. प्रो॰ प्रेम धूमल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने फरवरी, 1992 के दौरान ब्रिटेन की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मण्डल का गठन किस तरह हुआ था;

(ग) इस यात्रा पर कितना खर्च हुआ; और

(घ) इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और इससे क्या उपलब्धि हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल का गठन नीचे लिखे अनुसार है :—

1. श्री एम० जे० अकबर
2. श्री वजाहत हबीबुल्लाह
3. श्री एम० के० रसगोत्रा
4. श्री एस० के० सिंह
5. प्रो० रविन्द्र कुमार
6. मेजर जनरल अफसर करीम

(ग) 4.5 लाख रुपये।

(घ) इस प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा का उद्देश्य कश्मीर मसले पर भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना था। इस प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा के फलस्वरूप यू०के० में राजनेताओं, मीडिया, शिक्षाविदों और जनमत को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों के बीच व्यापक पैमाने पर इस मसले पर भारतीय दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा गया है।

विकलांगों, विधवाओं और वृद्धों के लिए पेंशन योजना

7635. श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विधवाओं, विकलांगों और वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी धनराशि की पेंशन दी जा रही है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) केन्द्र स्तर पर विधवाओं, विकलांगों तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन की कोई योजना नहीं है।

तथापि, राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन अपनी निजी योजनाओं के अन्तर्गत इन श्रेणियों के लिए पेंशन प्रदान कर रहे हैं।

(ख) उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पेंशन की वर्तमान दरें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों के लिए पेंशन दर

(प्रति माह रुपये)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृद्धों/विधवाओं के लिए पेंशन दर	विकलांगों के लिए पेंशन दर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	30

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	60
3.	असम	60	30
4	बिहार	30	100 से 200 विकलांगता के स्वरूप पर निर्भर है।
5.	गोवा	60	
6.	गुजरात	60	60
7.	हरियाणा	100	75
8.	हिमाचल प्रदेश	60	60
9.	जम्मू और कश्मीर	60	100
10.	कर्नाटक	50	80
11.	केरल	55	75
12.	मध्य प्रदेश	100	60
13.	महाराष्ट्र	100	100
14.	मणिपुर	60	60
15.	मेघालय	60	60
16.	मिजोरम	60	60
17.	नागालैंड	100	60 दृष्टिहीन तथा अशक्त के लिए।
18.	उड़ीसा	40	40 दृष्टिहीन तथा अस्थि विकलांगों के लिए।
19.	पंजाब	50	50
20.	राजस्थान	100	60 प्रत्येक विकलांग को और 100/- रु० पति-पत्नी को यदि दोनों विकलांग हैं।
21.	सिक्किम	60	60
22.	तमिलनाडु	[illegible]	50
23.	त्रिपुरा	75	75
24.	उत्तर प्रदेश	100	100

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	60	60
केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	60	
2.	चंडीगढ़	60	100
3.	दादर और नगर हवेली	60	60
4.	दमन और दीव	60	100
5.	दिल्ली	100	100
6.	लक्षद्वीप	100	100
7.	पांडिचेरी	60	60

कुवैत में नौकरानियों के साथ दुर्व्यवहार

7636. श्री पीयूष तीरकी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1992 के टेलीग्राफ (कलकत्ता) में घरेलू नौकरानियों के साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत छः महीने के दौरान कुवैत स्थित भारतीय दूतावास को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले छह महीनों में कुवैत स्थित भारत के राजदूतावास को ऐसी 189 शिकायतें मिली हैं। राजदूतावास ने घरेलू भारतीय नौकरानियों के हितों की रक्षा करने के लिए इस मामले को कुवैत के विदेश मंत्रालय तथा कुवैत के गृह मंत्रालय के साथ उठाया है।

अंडों का निर्यात

7637. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितने अंडों का उत्पादन होता है;

(ख) देश में खपत और निर्यात के लिए कितने-कितने अंडों की आवश्यकता होती है;

(ग) किन-किन देशों को अंडों का निर्यात किया जाता है;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने मूल्य के अंडों का निर्यात किया गया; और

(ङ) और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अंडों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका): (क) अनन्तिम प्राक्कलन के अनुसार 1990-91 के दौरान अंडों का कुल उत्पादन 21.1 बिलियन था।

(ख) अंडे की खपत तथा निर्यात मूल्य, मांग तथा उपलब्धता आदि जैसे कई कारकों से प्रभावित होते हैं। अतः इस सम्बन्ध में मात्रात्मक सूचना देना संभव नहीं है।

(ग) संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मालदीव और बंगलादेश।

(घ)

वर्ष	मात्रा (संख्या)	मूल्य (रुपये में)
1991-92	14.33	296.4
(अप्रैल, 91 से दिसम्बर, 91)	मिलियन	लाख

उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ङ) अंडों के निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) कुक्कुट के लिए कुछ अनिवार्य आहार घटकों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

(2) अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।

(3) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निरीक्षण एजेंसियों द्वारा लगाये गये प्रभार में कमी।

(4) कुक्कुट उत्पादों का सुदूर-पूर्व के देशों में निर्यात किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए व्यापार प्रवर्द्धन शिष्ट मंडल भेजने का प्रस्ताव है।

बिहार का पथ-कर विधेयक

[हिन्दी]

7638. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार की ओर से मंजूरी हेतु पथ कर विधेयक प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जेकब): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय

7639. कुमारी उमा भारती:

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायालय के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद सामान्यतः गैर-सरकारी पार्टियों के बीच उनके अन्तर-राष्ट्रीय व्यापारिक लेन-देनों के दौरान उठते हैं अथवा ऐसे विवाद गैर-सरकारी पार्टियों और सरकारों के बीच उठते हैं। उन विवादों के निपटारे के लिए स्वीकृत तरीके ये हैं—इन विवादों को या तो उस देश के न्यायालयों के जरिये निपटाया जाता है जिसमें ऐसे लेने-देने होते हैं अथवा इन विवादों का निपटारा पंचाट द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना संबंधित पार्टियों द्वारा आपसी सहमति से की जाती है।

इसको देखते हुए किसी अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना करने की जरूरत प्रतीत नहीं होती।

महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय

[अनुवाद]

7640 श्री रामचंद्र घंगारे:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालयों ने कितनी सहायता मांगी और प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितनी राशि जारी की गई है; और

(ख) उन विश्वविद्यालयों ने उक्त अवधि के दौरान अनुसंधान संबंधी क्या मुख्य उपलब्धियां प्राप्त कीं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालयों से सूचना मंगाई जा रही है।

विवरण

प्रायोजना का नाम	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	वर्ष 1991-92 के दौरान मांगी गई सहायता की राशि (रु० लाख में)	1991-92 के दौरान जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4
कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विकास	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी,	52.51	30.00
	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	24.23	08.85*
	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	24.00	शून्य
	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली	40.00	81.00
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (नार्प)	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	140.41	29.81
	महात्मा फुले कृषि कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	96.604	35.61
	पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	95.51	68.29
	कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली	19.87	18.49

*पहले अस्वीकृत मदों के लिए थीं।

गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपि

7641. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखित गुरु ग्रंथ साहब और उनकी तलवार जिन्हें स्काटलैंड, लंदन में एक भवन में रखा हुआ है, वापस लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार गुरु ग्रंथ साहिब तथा गुरु गोविन्द सिंह के अन्य ग्रंथों की पाण्डुलिपियां हासिल करने की बहुत इच्छुक है। सरकार को उनके अते-पते के बारे में अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो वह उस पर विचार करने को तैयार है ताकि उन्हें हासिल किया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य और कृषि संगठन का क्षेत्रीय सम्मेलन

7642. प्रो० राम कापसे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य कृषि संगठन का इक्कीसवां प्रादेशिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) सरकार ने इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्य एवं कृषि संगठन के एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्रीय आंचलिक सम्मेलन के 21वें सत्र के दौरान हुए विचार-विमर्श, बैठकें तथा अनुशंसाएं मुख्यत: कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के माध्यम से ग्रामीण रोजगार तथा आय बढ़ाने, भूमि अवक्रमण को रोकने की क्षेत्रीय नीतियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय पोषण सम्मेलन की तैयार संबंधी गतिविधियों से संबंधित हैं। सम्मेलन की विशिष्ट अनुशंसाओं की सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन एवं सदस्य देश आंचलिक सम्मेलन की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय करेंगे।

विवरण

अनुशंसाएं :

(1) पर्यावरण से संबंधित मुद्दों एवं स्वपोषित विकास पर दिए जा रहे सतत बल के सन्दर्भ में सम्मेलन ने सिफारिश की है कि खाद्य एवं कृषि संगठन पर्यावरण तथा सतत विकास से संबंधित मामलों में नीति संबंधी सलाह देने की अपनी भूमिका को प्राथमिकता देना जारी रखे।

(2) सम्मेलन ने सिफारिश की है कि इस क्षेत्र के देश को कोडेक्स ऐलिमेन्टेरियस आयोग के कार्य में, विशेष रूप से खाद्य अवयवों, कीटनाशकों तथा फूड लेबलिंग संबंधी समितियों में सक्रिय रूप से भाग लें।

(3) सम्मेलन में कहा गया कि खाद्य एवं कृषि संगठन के "रापा" स्थित आयोग टी० सी० डी० सी० की प्रक्रिया में सुविधा पहुंचाते हैं। ये आयोग सरकारों को नीति संबंधी सलाह देने में अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतएव सम्मेलन की अनुशंसा है कि क्षेत्रीय आयोगों की गतिविधियों का सार-संक्षेप भावी सम्मेलन सत्रों में प्रस्तुत किया जाए।

(4) यह देखते हुए कि विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय नेटवर्कों का कार्य ए० पी० आर० सी०/92/2 दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया तथा इन नेटवर्कों के कार्यकलापों के एकीकृत प्रस्तुतीकरण की उपयोगिता को दृष्टिगत रख कर सम्मेलन ने अनुशंसा की है कि क्षेत्रीय नेटवर्कों के कार्यकलाप का सारांश तैयार कर भावी सत्रों में प्रस्तुत किया जाए।

(5) सम्मेलन ने सिफारिश की है कि खाद्य एवं कृषि संगठन प्रशान्त द्वीपीय देशों में खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्यकलापों पर एक अनुपूरक रिपोर्ट तैयार करे, ताकि विगत कार्यकलापों के मूल्यांकन भावी कार्यकलापों की आयोजना में मदद मिल सके।

(6) ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में कृषि सहकारी समितियों की भूमिका को दृष्टिगत रखकर सम्मेलन ने सिफारिश की है कि खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अन्य समुचित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां हाल ही में स्थापित कृषि सहकारी नेटवर्क को पूरी-पूरी सहायता करें।

(7) सम्मेलन ने सिफारिश की है कि सदस्य देश लघु उद्योगों को विशिष्ट ऋण देने के लिए प्रक्रियाएं तय करें। समुचित वित्तीय तथा शुल्क-नीति एवं बीज पूंजी द्वारा उनको सहायता पहुंचाई जाए।

(8) सम्मेलन ने सिफारिश की है कि सरकारें, जहां भी आवश्यक हो, समुचित नीतियां निर्धारित करें तथा अनुसंधान विकास तथा विस्तार संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करें। भूमि अवक्रमण को रोकने के साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए कानून सरकार के लिए महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकते हैं।

(9) सम्मेलन ने सिफारिश की है कि खाद्य एवं कृषि संगठन भूमि अवक्रमण को रोकने के लिए समुचित प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग संबंधी राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में सदस्य देशों को सहायता देना जारी रखें।

जैव-उर्वरक एकक

7643. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने जैव-उर्वरक एकक की स्थापना की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनमें से प्रत्येक एकक में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ और जैव-उर्वरक एककों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जैव-उर्वरक विकास तथा प्रयोग की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत स्थापित जैव-उर्वरक उत्पादन एककों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। जैव-उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 20 जैव-उर्वरक उत्पादन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

जैव-उर्वरक विकास तथा प्रयोग की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत जैव-उर्वरक उत्पादन एककों का स्थान, क्षमता, उत्पादन तथा स्तर दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	राज्य	क्षमता (मी० टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत वर्ष	उत्पादन (मीटरी टनों में) 1989-90	1990-91	1991-92	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद।	आन्ध्र प्रदेश	75	1989-90	—	6	—	एकक स्थापित किया जा रहा है।
2.	के० कोठारी के फर्टिलाइजर्स, सिकन्दराबाद	आन्ध्र प्रदेश	99.5	1990-91	—	—	—	एकक स्थापित किया जा रहा है।
3.	गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ, अहमदाबाद	गुजरात	75	1988-89	—	31	—	—
4.	गुजरात राज्य फर्टिलाइजर कम्पनी लि०, बड़ोदरा	गुजरात	375	1989-90 1991-92	88	110	158	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा	75	1989-90	—	8		एकक स्थापित किया जा रहा है।
6.	मध्य प्रदेश कृषि उद्योग निगम, भोपाल	मध्य प्रदेश	270	1991-92	88.5	105	180	—
7.	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, इन्दौर	मध्य प्रदेश	300	1991-92	32.49	74.45	140	—
8.	भारतीय एग्रो इण्डिया फाउण्ड पुणे	महाराष्ट्र	75	1989-90	10	—	10	एकक को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
9.	पंजाब कृषि उद्योग निगम, लुधियाना	पंजाब	75	1899-90	—	—	—	एकक पूरा हो गया है। उत्पादन आरंभ हो गया है।
10.	उड़ीसा कृषि उद्योग निगम, भुवनेश्वर	उड़ीसा	75	1989-90	—	—	—	एकक पूरा हो गया है तथा उत्पादन शीघ्र आरम्भ होने की आशा है।
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर	राजस्थान	90	1988-89	—	90	—	—
12.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी	प० बंगाल	72	1991-92	—	—	—	एकक हाल ही में स्वीकृत हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मद्रास फर्टिलाइजर लि०, मनाली, मद्रास	तमिलनाडु	100	1989-90	—	112.68	—	
14.	बैक्टीरियल कल्चरल उत्पादन एकक (कृषि विभाग) सेलम	तमिलनाडु	200	1990-91	—	—	—	एकक स्थापित किया जा रहा है।
15.	बैक्टीरियल कल्चर उत्पादन एकक (कृषि विभाग) कुडुमियान्मलाई	तमिलनाडु	75	1990-91	—	—	—	एकक स्थापित किया जा रहा है।
16.	मै० टी० स्टेन्स एंड कम्पनी लि०, कोयम्बतूर	तमिलनाडु	75	1991-92	—	—	—	एकक हाल ही में स्वीकृत किया गया है।
17.	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, मद्रास	तमिलनाडु	75	1991-92	—	—	—	एकक हाल ही में स्वीकृत किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में नकली कीटनाशक

7644. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में नकली कीटनाशकों की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) नकली कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए गलत ब्रांड वाले नमूनों की संख्या निम्नानुसार है;

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गलत ब्रांड के नमूने (प्रतिशत)
1989-90	6693	70 (1.0)
1990-91	8484	120 (1.4)
1991-92	8495	187 (2.2)

(ग) गलत ब्रांड के कीटनाशकों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कीटनाशक औषध अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत उन सभी के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है जो गलत ब्रांड के कीटनाशकों का आयात, विनिर्माण, बिक्री करते हैं, स्टाक रखते हैं अथवा बिक्री या वितरण के लिए उनका प्रदर्शन करते हैं।

(2) अधिनियम के उपबंधों का कारगर प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकर्ताओं जैसे कीटनाशक निरीक्षकों, कीटनाशक विश्लेषकों, लाईसेंसिंग अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों को अधिसूचित किया है और नियमित नमूने लेने के लिए राज्य में 1200 से अधिक कीटनाशक निरीक्षक हैं।

(3) राज्य में चार कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जिनकी विश्लेषण क्षमता 8500 नमूने प्रतिवर्ष है।

(4) उच्च क्वालिटी मानकों के अनुरूप कीटनाशकों का चयन करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तर की कीटनाशक चयन समिति का गठन किया है और इस समिति ने सरकारी विभागों, सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के प्रयोग के लिए केवल आई॰ एस॰ आई॰ निशानयुक्त उत्पादों की ही सिफारिश करने का फैसला किया है।

एन॰ एस॰ एफ॰ डी॰ सी॰ में अधिकारी

7646. डा॰ पी॰ वल्लल पेरुमान :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1992 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वित्त और विकास निगम में पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम में श्रेणीवार भरे गये पदों की संख्या निम्न प्रकार है—

श्रेणी	कुल	
क	49	(प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर 13 सहित)
ख	—	
ग	37	
घ (सफाईवाला सहित)	27	
योग	113	

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की संख्या इस प्रकार है।

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	14 (प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर 4 सहित)	9 (प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर 3 सहित)
ख	—	—
ग	11	4
घ (सफाई वाला सहित)	18	—
योग	43	13

(ग) और (घ) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित समूह "घ" के एक पद को छोड़कर

जिसे स्थानीय रोजगार कार्यालय को पहले ही सूचित किया जा चुका है, अनुसूचित/जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पद भर लिए गए हैं।

पोल्ट्री फार्म

7646. श्री बापू हरि चौरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान खोले गए पोल्ट्री फार्म की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितने पोल्ट्री फार्म खोलने का विचार है;

(ग) क्या ऐसे स्थानों पर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सहायता देने का विचार है जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक हो; और

(घ) यदि हां, तो विशेषतः महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों को पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए वरीयता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई मुर्गी फार्म स्थापित नहीं किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई मुर्गी फार्म स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) कृषि मन्त्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत नये मुर्गी फार्म खोलने के लिए सहायता दी जा सकती हो।

अवैध प्रवासी

7647. श्री के० प्रोलिनाथ प्रसाद :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्री राम नाईक :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 भारतीय प्रवासियों को अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश करवाने संबंधी समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रवासियों को इस प्रकार अवैध रूप से विदेश ले जाये जाने से रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) जी हां।

(ख) लन्दन स्थित हमारे हाई कमिश्नर के अनुसार 23-3-92 को यू० के० में अपने को भारतीय राष्ट्रिक बताने वाले 16 व्यक्तियों को स्थानीय आप्रवासन कानून के कथित उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था।

(ग) और (घ) जी नहीं, क्योंकि सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को रोक सकती है जो अवैध रूप से भारत से बाहर जाते हैं। सरकार के पास ऐसा क्षेत्राधिकार नहीं है जिससे भारतीय राष्ट्रिकों की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही को विनियमित किया जा सके।

तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा स्मैक का सेवन

7648. श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल के कैदियों को स्मैक का सेवन करते पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 और 1992 से अब तक कितने कैदियों के पास से स्मैक बरामद हुई थी;

(ग) इस बात की कोई जांच की गई है कि कैदियों के पास स्मैक किस प्रकार पहुंची;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तिहाड़ जेल में वर्ष 1991 में 14 तथा 1992 में 10 विचाराधीन कैदियों के पास स्मैक पाई गई।

(ग) और (घ) इन मामलों में की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि कैदी आमतौर पर न्यायालयों से आते समय अथवा रिश्तेदारों/मित्रों से भेंट करने के बाद छिपाकर स्मैक लाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके रिश्तेदारों/मित्रों के साथ मुलाकात करते समय खाद्य पदार्थों में, जूतों की एड़ियों अथवा शरीर इत्यादि में छिपा कर स्मैक दी जाती है।

(ङ) सांठ-गांठ करने के लिए वार्डर को पहले ही निलम्बित कर दिया गया है तथा एक अन्य को चार्ज-शीट दी जा रही है।

भूमिगत तेल भण्डार

7649. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के भूमिगत भण्डार की व्यावहारिकता की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि कुछ अध्ययन किए गए हैं, परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आदिवासियों का मूल्यांकन अध्ययन

7650. श्री पी० पी० कालियापेरूमल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु की कलवरायन पहाड़ियों में लाभोन्मुख आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत आदिवासी लाभ भोगियों का सघन मूल्यांकन अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने मूल्यांकन रिपोर्ट भेज दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने का विकास

7651. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में गन्ने के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मत्स्य ग्रहण केन्द्र

7652. श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य ग्रहण केन्द्रों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) मुख्य कारण निम्नवत् हैं :—

(क) राज्य सरकारें परियोजनाओं की योजना बनाती हैं तथा उनका कार्यन्वयन तथा प्रबन्ध करती हैं।

(ख) ऐसी बहुत-सी परियोजनाएं हैं; और

(ग) यदि लागत राज्यों और केन्द्र के बीच वहन की जाती है तो केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सीमित निधि का और अधिक मत्स्य अवतरण केन्द्रों के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा इसमें और अधिक लाभानुभोगी मछुआरों को शामिल किया जा सकता है।

अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम

[हिन्दी]

7653. श्री रामविलास पासवान :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाए गए 15 सूत्री कार्यक्रम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

प्राकृतिक गैस

[अनुवाद]

7654. श्री तरित बरन तोपदार :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री काशीराम राणा :

श्री मोहन रावले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाम्बे हाई, असम; त्रिपुरा और गुजरात में पृथक-पृथक रूप से कुल कितनी धनराशि की प्राकृतिक गैस की बरबादी हुई है।

(ख) जलाई जा रही प्राकृतिक गैस का उपयोग करने हेतु मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे ईंधन में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क)

क्षेत्र	जलाई गई गैस/एम०एम०एस०सी०एम०डी० (लगभग)		
	1988-89	1989-90	1990-91
पश्चिमी अपतट	2778	4516	4049
पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र (गुजरात)	358	478	401
असम	712	666	619
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों से लगभग 86 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस विभिन्न उपभोक्ताओं को आबंटित की गई है। इसमें वह गैस शामिल है जो फिलहाल जलायी जा रही है और उसके उपलब्ध होने का अनुमान है यदि संपीड़न, प्रसंस्करण और इस गैस के परिवहन के लिए संरचनाओं का निर्माण कार्य कार्यान्वित हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गैस वहन न्यूनीकरण परियोजना को पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में भी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वहन को रोकने के लिए संपीड़न और परिवहन क्षमता को बढ़ाने की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है।

नये पासपोर्ट कार्यालय

7655. श्री मुमताज अंसारी :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कोई पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय किन स्थानों पर खोले जाएंगे और इन कार्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ग) नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। उनकी संख्या, स्थान तथा समय उपलब्ध अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों तथा जनशक्ति संसाधनों पर निर्भर करेगा।

ग्रीन फंड

7656. श्री रवि शंकर प्रधान :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार रियो डि जेनेरो में पर्यावरण और विकास पर होने वाले विश्व सम्मेलन के संदर्भ में ग्रीन फंड हेतु चीन के प्रस्ताव का समर्थन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रीन फंड तथा भूतपूर्व स्व० प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा सुझाए गए प्लेनेट प्रोटेक्शन फंड में क्या-क्या समानताएं तथा भिन्नताएं हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) "हरित कोष" के लिए प्रस्ताव पर 19 जून, 1991 को बीजिंग में पर्यावरण एवं विकास संबंधी मंत्री स्तरीय घोषणा में 41 विकासशील देशों द्वारा अनुमोदन किया गया था जिसमें भारत भी शामिल है। "हरित कोष" में सिर्फ विकसित देशों से अंशदान मांगा गया है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय समर्थन देना है जिससे ऐसी समस्याओं से निपटा जा सके जो विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समझौतों की परिधि में नहीं आतीं। नक्षत्र संरक्षण कोष का उपयोग प्रमुख रूप से विवेचनात्मक क्षेत्रों में संरक्षण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करने अथवा उसकी खरीद करने में आता है जिसे सभी देशों के लाभ के लिए सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखा जा सकता है। इसमें सभी देशों से अंशदान का प्रावधान है; सिर्फ न्यूनतम विकासित देशों को छोड़कर।

विद्यमान वितरकों के सगे-सम्बन्धियों को पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्रों का आवंटन

7657. श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान वितरकों/डीलरों के सगे-संबंधियों को पेट्रोलियम पदार्थों का वितरक डीलर नियुक्त न करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्तमान नीति को ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर एक ही परिवार से नहीं हैं, वर्तमान नीति यह है कि विद्यमान डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के निकट के संबंधियों को किसी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन न किया जाए/न दिया जाए जैसा कि नीचे वर्णित है :—

(1) पति-पत्नी

(2) पिता/माता

(3) भाई/बहन

(4) पुत्र/पुत्री

(5) दामाद/बहू

(6) सास, ससुर

जहां तक शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों का संबंध है पति-पत्नी, पिता/माता अथवा पुत्र/बहू डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं परन्तु अन्य संबंधी डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए जाने/आबंटन प्राप्त करने के पात्र हैं।

सूखे से निपटने हेतु पृथक प्रकोष्ठ

7658. डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूखे से प्रभावित राज्यों के विकास हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूखे की स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) प्राकृतिक आपदा प्रबंध प्रथमतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। योजना आयोग ने राज्यों को आपदा प्रबंध कार्यक्रमों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने की सलाह दी है।

(घ) राहत व्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था की वर्तमान योजना के तहत राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा राहत कोष निधि का प्रयोग कर राहत कार्य प्रारम्भ करना होता है। राज्य सरकारें सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन, चारे की आपूर्ति, खाद्यान्न एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न राहत उपाय कर रही हैं।

कृषि संबंधी उपकरणों का गुणवत्ता नियंत्रण

7659. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि संबंधी उपकरणों और मशीनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों/गुणवत्ता नियंत्रण संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थान कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे और संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) :

(1) केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (मध्य प्रदेश);

(2) उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा);

(3) दक्षिण क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गार्लदिन्ने, जिला अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश);

(4) उत्तर पूर्व क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, विश्वनाथ चारिआली, जिला सुनितपुर (असम)।

(ग) और (घ) : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में कृषि मशीनरी के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश को एन० डी० डी० बी० की सहायता

[हिन्दी]

7660. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) का विचार मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में डेरी की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड प्रत्यक्षतः मध्य प्रदेश सरकार को सहायता नहीं प्रदान करता है। तथापि, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत डेयरी संयंत्रों की स्थापना सहित डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिये मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध/संघ और इसके सम्बद्ध दुग्ध संघों को सहायता दी जाती है। राज्य में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 29 जिलों में 7 दुग्ध संघ शामिल हैं।

ऑपरेशन फ्लड-111 कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने उज्जैन, रतलाम, मन्दसोर और धार में डेयरी/प्रशीतन केन्द्रों की स्थापना/विस्तार के लिए 672.19 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया है।

केरल में मोटर चालित नौकाओं द्वारा मछली पकड़ना

[अनुवाद]

7661. श्री ए० चार्ल्स :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मोटर चालित नौकाओं के द्वारा मछली पकड़ने की विधि के विकास के लिए सहायता और तकनीकी सहायता हेतु खाद्य और कृषि संगठन के साथ कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कृषि और खाद्य संगठन ने कितनी वित्तीय सहायता पहले से ही दे रखी है; और

(ग) राज्य में मछली पकड़ने की विधि में तथा इस परियोजना के अन्तर्गत मछुआरों को प्रशिक्षण देने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। खाद्य एवं कृषि संगठन के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत "मत्स्यन नौका विकास" परियोजना के लिए केरल सरकार को मदद देने के लिए भारत तथा खाद्य एवं कृषि संगठन के मध्य एक समझौते पर दिनांक 15-12-1988 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना अक्तूबर, 1990 में समाप्त हुई।

(ख) इस परियोजना के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन से परिकल्पित योगदान 1, 39, 000 अमरीकी डालर था।

(ग) मत्स्यन नौका के 4 प्रोटो टाईप नामतः इंड-26, इंड-20, इंड-27 तथा इंड-28 विकसित किए गए हैं और इनके परीक्षण भी किए गए हैं। इंड-26 8.5 मीटर की प्लाइवुड की नौका है जिसके बाहर 7 अश्वशक्ति की मोटर लगाई गई है इंड-20 9 अश्वशक्ति के डीजल इंजनयुक्त 8.5 मीटर एफ० आर० पी० वाली तट अवतरण नौका है। इंड-27 9 अश्व शक्ति के डीजल इंजन युक्त 9.5 मीटर की प्लाइवुड नौका है। इंड-28, 9 अश्वशक्ति के डीजल इंजनयुक्त 9.0 मीटर की प्लाइवुड नौका है। अब तक हुए अध्ययनों से मालूम हुआ है कि इंड-26 तथा इंड-28 ने मछुआरों में अधिक लोकप्रियता हासिल की है।

इन नौकाओं के परीक्षण के दौरान ही इन पर अनेक मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया और इसके पश्चात 1991-92 से प्लाइवुड नौकाओं को लोकप्रिय बनाने की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना लागू की जाएगी।

फसल बीमा योजना

7662. श्री अन्ना जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में किसानों ने 198 -9 के दौरान साधारण बीमा निगम को कितने प्रीमियम का भुगतान किया; और

(ख) निगम ने उस वर्ष के दौरान किसानों के कितने दावों का निपटारा किया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र में किसानों द्वारा बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय साधारण बीमा निगम को चुकता की गई प्रीमियम की कुल धनराशि 317.58 लाख रुपये थी।

(ख) इस अवधि में देय कुल दावे 84.35 लाख रुपये के थे जिनका भुगतान साधारण बीमा निगम द्वारा किया जा चुका है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट

7663. श्री राम नाईक :

श्री गोविन्दराव निकाम :

प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत पर अनेक आरोप लगाए हैं जैसा कि 25 मार्च, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया" (मुम्बई) में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1 मार्च, 1992 में एमनेस्टी इंटरनेशनल (ए०आई०) द्वारा "टार्चर, रेप एण्ड डेथ्स इन कस्टेडी इन इंडिया" शीर्षक से जारी की गई अपनी रिपोर्ट में बताई गई ज्यादतियों तथा भारत के 19 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में मानव अधिकार का उल्लंघन करने के कई विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं; जो कि मुख्यत: स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित ब्यौरों तथा भारतीय मानव अधिकार संगठनों तथा अन्य संबंधित निकायों की रिपोर्टों पर आधारित है। आरोपों के ब्यौरे वास्तविक विवरण प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं।

2. चूंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हमारे इस सुझाव को कुछ सप्ताह के लिए रिपोर्ट का प्रकाशन स्थगित कर दिया जाए ताकि विशिष्ट आरोपों के लिए राज्य सरकारों से मांगी गई टिप्पणियां प्राप्त हो सकें, स्वीकार नहीं किया था, सीमा के मामलों तथा मानवाधिकार मामले, जिनको पाठकों द्वारा पूरी तरह समझा जाना था, से संबंधित मामलों पर हमारी टिप्पणियां भेज दी गई थीं।

3. अन्य कई संगठनों, जिनके द्वारा भारत की सर्वोच्च प्रजातंत्र, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र न्याय-प्रणाली तथा प्रमुख सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अत्याधिक संवेदनशील तथा सतर्क लोकमत का गुणगान किया है, की कड़ी तुलना में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मानव अधिकारों से संबंधित मामलों को अधिक तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने पर बल दिया है।

कृषि के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

7664. श्री मुकेश सिंह गुरुजा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने किन-किन देशों के साथ कृषि क्षेत्र हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) प्रत्येक देश के साथ हस्ताक्षर किए गए ऐसे ज्ञापन के विशिष्ट क्षेत्रों का ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

राय चौक मत्स्य पत्तन

7665. श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राय चौक मत्स्य पत्तन के निर्माण का विचार त्याग दिया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मत्स्य पत्तन पर निर्माण-कार्य पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह बन्दरगाह 1982 में चालू किया गया था ।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी

7666. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कृषकों के लिए कई राज्यों में विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) 1991-92 के दौरान इन परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न ।

विवरण

महिला कृषकों के लिए विशेष परियोजनाएं विदेशी सहायता से चलाई जा रही हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात राज्य में परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं पर सहायता-अनुदान के रूप में है और शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति योग्य है। अन्य ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	विवरण	कर्नाटक	तमिलनाडु	उड़ीसा	गुजरात
1.	परियोजना का शीर्षक	महिला युवा प्रशिक्षण व विस्तार परियोजना	कृषि में तमिलनाडु की महिलाएं	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण एवं विस्तार	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण
2.	दाता एजेंसी	डेनमार्क सरकार	डेनमार्क सरकार	डेनमार्क सरकार	नीदरलैंड की सरकार
3.	अवधि :	चरण-1—24-9-82 से 30-8-89 चरण-2—1-7-89 से 30-6-95	1-7-86 से 30-4-93	2-12-87 से 30-9-92	30-5-89 से 30-5-94
4.	कवरेज	चरण-1—11 जिले चरण-2—समूचा राज्य	6 जिले	चार जिले	छह जिले
5.	लागत	चरण-1—4.70 करोड़ रुपये चरण-2—12.24 करोड़ रुपये	4.12 करोड़ रुपये	2.13 करोड़ रुपये	2.56 करोड़ रुपये
6.	1991-92 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता	330.00 लाख रुपये	20.00 लाख रुपये	20.00 लाख रुपये	84.58 लाख रुपये

जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किये गये जासूस

[हिन्दी]

7667. श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई० एस० आई०) के कुछ जासूसों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करने वाले कुछ भारतीयों को भी गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) 1991 के दौरान जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के विशिष्ट आरोपों में 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से कोई भी पाकिस्तानी राष्ट्रिक नहीं है। उनमें से एक को न्यायालय के निदेशों पर जमानत पर छोड़ा गया है।

राज्य में ऐसी घटनाओं तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए आसूचना प्रणाली और सतर्कता को तेज कर दिया गया है।

बागवानी का विकास

[अनुवाद]

7668. श्री प्रबल दत्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी के विकास के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विदेशी धनराशि भी उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बागवानी विकास के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता (कृषि ऋण के रूप में) उपलब्ध कराई जाती है। 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार पौध रोपण/बागवानी के लिए इन संस्थाओं द्वारा वितरित की गई धनराशि 692.92 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) बागवानी विकास हेतु परस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय, विश्व बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों तथा अन्य देशों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फिलहाल विदेशी सहायता से निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की गई हैं/क्रियान्वयनाधीन हैं :—

(1) 60.84 करोड़ रुपये की यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता के शेयर से हाल ही में एक यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता प्राप्त केरल बागवानी विकास कार्यक्रम मंजूर किया गया है।

(2) हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों में समशीतोष्ण फलों की फसलों के विकास से सम्बद्ध भारत-इटालियन परियोजना चरण-2 इटली सरकार की सहायता का अंश 6295.92 मिलियन इटालियन लीरा है।

(3) फल एवं सब्जी विपणन के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-3 स्कीम के तहत बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और संसाधन समिति लि०, बेंगलूर को विश्व बैंक सहायता दी जा रही है।

(4) विश्व बैंक ने 283,293 अमेरिकी डालर (परामर्श शुल्क) की कुल सहायता से फल तथा सब्जी विपणन परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित व्यवहार्यता अध्ययन का वित्तपोषण किया है तथा साथ में 8.25 लाख रुपये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष व्यय के रूप में वहन किए जाएंगे।

वनस्पति पेस्ट्स और वेक्टर

7669. डा० रवि मल्लू :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन वनस्पति पेस्ट्स और वेक्टर का पता लगा लिया है जिनमें कीटनाशक दवाओं के प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में 27 पीड़क कीटों तथा रोग वाहक कीटों में विभिन्न पीड़कनाशी और कीटनाशी रसायनों में प्रतिरोधी क्षमता पैदा हो गई है। इनमें से 14 मामले जन-स्वास्थ्य महत्व के पीड़क तथा रोग वाहकों से संबंधित हैं तथा 13 पीड़क कीट कृषि से संबंधित हैं।

(ग) सरकार समेकित कीट प्रबन्ध अनुसूचियों पर आधारित पर्यावरण संबंधी सुरक्षा कीट नियन्त्रण नीतियों का समर्थन कर रही है। इसमें गैर-रासायनिक प्रणालियां जैसे फसलों की प्रतिरोधी किस्में, उपयुक्त सस्य क्रियाएं, जैविक नियन्त्रण तथा कीटों के नियन्त्रण के लिए सिर्फ उन्हीं और उतनी मात्रा में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग जो आवश्यक हों, आदि शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

7670. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में चावल, गेहूं और बाजरा के लिए एक पृथक अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों को कब तक खोलने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अव्यवस्था प्रवण क्षेत्र

[अनुवाद]

7671. श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कौन-कौन से क्षेत्र अव्यवस्था प्रवण क्षेत्र हैं; और

(ख) इन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) दिल्ली में पूर्णत: अव्यवस्था प्रोन्मत कोई क्षेत्र नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में; गहन गश्त लगाना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात करना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर जल्दी-जल्दी छापे मारना, निगरानी बढ़ाना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक हथियारों के प्रयोग के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, जांच-पड़ताल करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाना, तथा संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करना शामिल है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगों का पुनर्वास

7672. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से 1971 के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से कितने व्यक्ति विशेषतः हिन्दू भारत आये;

(ख) क्या इन व्यक्तियों ने पुनर्वास सुविधा प्रदान करने की मांग की है;

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1-1-64 से 25-3-71 तक की अवधि के दौरान लगभग 11.14 लाख व्यक्तियों ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प्रवास किया। उन्हें नये प्रवासी कहा जाता है।

(ख) से (घ) नये प्रवासियों में से केवल उन्हीं प्रवासियों को जो पश्चिम बंगाल के बाहर चले आए थे और पश्चिम बंगाल के बाहर विभिन्न राज्यों में स्थापित शिविरों में रहे थे, को पुनर्वास सहायता के लिए पात्र घोषित किया गया था। पात्र नये प्रवासियों को पश्चिम बंगाल राज्य के अलावा अन्य कई राज्यों में विभिन्न कृषि और लघु व्यवसाय/व्यापार योजनाओं में पुनर्वासित किया गया था। पात्र नये प्रवासियों के परिवारों को पहले ही पुनर्वासित किया जा चुका है। केवल पी० एल० होम्स में ठहरे हुए कुछ परिवारों को बसाना शेष है। इन परिवारों को उनके सबसे बड़े बच्चे की आयु 18 वर्ष की होते ही पुनर्वास सहायता दी जाएगी।

कश्मीर घाटी में पत्रकारों को सुरक्षा

7673. श्री साईमन मराण्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आतंकवादी संगठनों ने हाल ही में कश्मीर घाटी में कुछ पत्रकारों को धमकी दी है जैसा कि दिनांक 4 अप्रैल, 1992 के "जनसत्ता" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) वर्नाकुलर मीडिया द्वारा 31-3-92 को जारी किए गए एक विवरण में एक आतंकवादी गुट ने इंडियन एक्सप्रेस के घाटी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है तथा इसके संवाददाता श्री आर्ज जोसफ को 48 घंटे के अन्दर घाटी छोड़ देने की धमकी दी है। श्रीनगर में बी०बी०सी० संवाददाता के परिसर में एक हथगोला भी फेंका गया। इससे पहले 18 फरवरी, 1992 को उसके निवास पर एक बम विस्फोट हुआ।

राज्य सरकार ने मीडिया कार्मिकों को सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की है।

राष्ट्रीय कृषि निवेश निधि

7674. श्री बी० शोभनाद्रीश्वरराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि निवेश निधि स्थापित करने का है ताकि कृषि और इससे सम्बद्ध कार्यों में निवेश पर किसानों द्वारा भुगतान योग्य ब्याज के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते

7675. श्री आर्कं फर्नान्डीज :

श्री सी० श्रीनिवासन :

श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 के 'दि इकोनामिक टाइम्स' में ब्रिटेन के साथ पाकिस्तान के नए रक्षा समझौतों के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार उन सभी घटनाओं पर निगरानी रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो और उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करती है।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

7676. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के लिए राज सहायता के आवंटन में वृद्धि को देखते हुए उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि संशोधित मूल्यों का छोटे और सीमान्त किसानों पर और प्रभाव न पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उर्वरकों के मूल्यों में संशोधन करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है।

उस समिति की सिफारिशें मिलने तक उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि करने का फिलहाल कोई

प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सूचना और जनशिक्षा कक्ष

7677. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को शिक्षा देने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए कोई "सूचना और जन शिक्षा कक्ष" कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यवार इस कक्ष की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त बागवानी परियोजना

7678. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त बागवानी परियोजना को अभी स्वीकृति दी जानी शेष है;

(ख) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश को, जो तीन परियोजना स्थलों में से एक है, इस परियोजना से हटाने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के पुनरुद्धार के लिए सरकार का क्या उपचारी उपाय करने का विचार है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में बागवानी के विकास एवं सम्वर्द्धन के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र बागवानी विकास परियोजना, जो विश्व बैंक के विचाराधीन थी, को बाद में हिमाचल प्रदेश में कल ग्रेड तथा "ए" ग्रेड सेबों के मूल्य समर्थन के मुद्दे पर विश्व बैंक द्वारा अपने सहायता कार्यक्रम से हटा दिया गया।

केन्द्र सरकार ने हिमाचल सरकार से उनकी मूल्य नीति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, किन्तु उनसे अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद विश्व बैंक से जम्मू-कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश हेतु उक्त परियोजना पर विचार करने का अनुरोध भी किया गया, परन्तु उन्होंने केवल इन राज्यों के लिए परियोजना पर पुनर्विचार करने पर अपनी असमर्थता जाहिर की है।

(घ) उपर्युक्त के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी से सम्बन्धित सम्मेलन

7679. श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किसी देश में हिन्दी से सम्बन्धित कोई सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हां, तो यह सम्मेलन कब हुआ और इसमें भारत से किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) भाग लेने वाले इन व्यतियों पर सरकार अथवा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) इस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) तथा (ख) ट्रिनिडाड तथ टोबागों की हिन्दी निधि तथा हिन्दी फाउन्डेशन ने 16 से 20 अप्रैल, 1992 तक पोर्ट आफ स्पेन में हिन्दी पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित भारतीय प्रतिनिधियों को नामित किया था:—

1. श्री शंकर दयाल सिंह, संसद सदस्य

2. श्री बी० पी० सिन्हा, सूरीनाम में भारत के भूतपूर्व राजदूत

3. श्री यशपाल जैन, सचिव सस्ता साहित्य मण्डल।

4. डा० राजेन्द्र अवस्थी, सम्पादक, कादम्बिनी

5. डा० माजदा असद, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

(ग) और (घ) इन प्रतिनिधियों की पोर्ट आफ स्पेन तथा पारामारीबो (सूरीनाम) की यात्रा पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 4.50 लाख रुपये खर्च किए।

इस सम्मेलन से इस क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन मिला है।

कृषि विश्वविद्यालय

7680. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और इस हेतु बनायी गयी समयगत योजना का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात में गन्ने की खेती का क्षेत्र

7681. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितने भूमि क्षेत्र पर गन्ने की खेती की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान गुजरात को गन्ने के अनुसंधान और विकास के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1988-89 से 1990-91 तक के दौरान गुजरात में गन्ने की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र निम्नानुसार है:—

वर्ष	क्षेत्र (हजार है०)
1988-89	93.7
1989-90	106.6
1990-91	118.3

(ख) और (ग) जी, हां, राज्य को गन्ने की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गन्ने के अनुसंधान के लिए तथा गन्ना अनुकूलतम अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत संघीय खाद्य विभाग द्वारा बीज उत्पादन के लिए सहायता दी गई है। राज्य को दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:—

योजना	(लाख रुपये में)		
	वर्ष		
	1988-89	1989-90	1990-91
(क) गन्ने की फसल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	2.059	1.787	2.8835
(ख) गन्ना अनुकूलतम अनुसंधान परियोजना	—	4.0758	10.0387

संयुक्त राष्ट्रसंघ

7682. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में हुए राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में विश्व में आए हाल के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पुनर्गठित करने में कोई पहल की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। भारत सरकार ने विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र का कार्य चालन अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक होना चाहिए तथा साथ ही सुरक्षा परिषद में व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के देशों को सहायता

7683. श्रीमती वासवाराजेश्वरी :

श्री सुधीर गिरि :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार मानवीय और तकनीकी सहायता के लिए हाल ही में रूस आयोग को दिए गए अंशदान की तरह नवगठित स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रों को किसी प्रकार की सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) आपस में बातचीत करने के बाद सरकार पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों को मानवीय और तकनीकी सहायता देने पर विचार करने को तत्पर रहेगी। इनमें से कुछ राज्य यथा अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान; उजबेकिस्तान; तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है।

रासायनिक हथियारों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

7684. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक हथियारों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय

सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों ने अपने पास रासायनिक हथियार होने की बात स्वीकार की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन में रासायनिक हथियारों पर गठित एक तदर्थ समिति रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, संचयन, धारिता, अन्तरण और उनके प्रयोग के निषेध से सम्बद्ध एक अभिसमय पर बातचीत करती रही है।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका और रूस परिसंघ ने यह स्वीकार किया है कि उनके पास रासायनिक हथियार हैं।

भारत का परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना

7685. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से जोड़ने संबंधी समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी; हां। सरकार ने इस काल्पनिक खबर को देखा है।

(ख) भारत अप्रसार के प्रति वचनबद्ध तो है ही लेकिन भारत नाभिकीय अप्रसार संधि का विरोध करता रहा है क्योंकि इसके प्रावधान भेदभाव मूलक हैं।

चीन की जेलों में बन्द भारतीय

[हिन्दी]

7686. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारियों सहित कोई भारतीय नागरिक चीन की जेलों में बन्द है;

(ख) यदि हां, तो उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी शीघ्र रिहाई के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय चीन के कारागारों में कोई भारतीय नजरबन्द नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बृहत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

[अनुवाद]

7687. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा ब्राजील का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बृहद क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की मांग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) किन-किन क्षेत्रों में दोनों देश आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारत और ब्राजील उन देशों में से हैं जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों, विशेषकर से सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसे देखते हुए इन निकायों को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधिक बनाया जा सके।

(ग) जी; हां।

(घ) इस समझौता ज्ञापन में दोनों सरकारों के बीच उच्च स्तर पर नियमित परामर्श की व्यवस्था है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और दोनों देशों के बीच के समग्र संबंधों की समीक्षा की जा सके।

(ङ) आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों को उन क्षेत्रों के रूप में तय किया गया है जिनमें सहयोग बढ़ाया जा सकता है।

विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह

7688. डा० सी० सिलवेरा :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में विकलांगों के लिए कोई राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां; तो उम्मीदवारों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विकलांगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विकलांग व्यक्तियों की रोजमर्रा के जीवन में सहायता के लिए अत्याधुनिक यंत्रों और उपकरणों के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा विकलांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन 15 मार्च, 1992 को नई दिल्ली में किया गया था। स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों सहित विशिष्ट संस्थानों, व्यक्तियों, नियोक्ताओं, स्थापन अधिकारियों, विकलांग कर्मचारियों को भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरस्कार दिए गए थे। इस कार्यक्रम में दृष्टि और वाणी तथा श्रवण विकलांगता के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी आविष्कार भी प्रस्तुत किए थे।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समूह (ग) और (घ) के सिविल पदों में सिविल रिक्तियों 3% शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षित की गई हैं—दृष्टि, श्रवण तथा अस्थि विकलांगों में प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत। भारत सरकार ने 1987, 1988 तथा 1990 के दौरान विशेष भर्ती अभियान चलाए हैं।

व्यावसायिक रोजगार में विकलांग व्यक्तियों का अनुस्थापन रोजगार कार्यालयों, विशेष रोजगार कार्यालयों तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष सैलों और श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों एवं खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है।

विवरण-2

"विकलांगों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए मिशन मोड में प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परियोजना" शीर्षक से कल्याण मंत्रालय के पास एक योजना है जिसके अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को उनके दिन-प्रतिदिन के रहन-सहन में सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों यथा यंत्रों का विकास किया जा रहा है।

अनेक युक्तियों का विकास पूरा हो चुका है और संबंधित प्रौद्योगिकियां अब उपयोग के लिए तैयार हैं। ये युक्तियां हैं—इण्टरपोइण्टिंग ब्रेल राइटिंग प्रेस, फोटो-वोल्टेइक चार्जर, प्लास्टिक बच्चों के लिए फीडिंग यंत्र, लो विजन यंत्र, स्पीच-सिन्थसाइजर, कृषि यंत्रों के लिए सुरक्षा उपकरण; आरम्भिक दृष्टि वालों के लिए मैनीफिकेशन सुविधाओं के साथ क्लोज सर्किट टी० वी०, घुटने के नीचे प्रोस्थेसिस मोडुला तथा फंक्शनल (मैकेनिकल) हाथ इन प्रौद्योगिकियों को अब उपयुक्त उत्पादन एजेंसियों को हस्तांतरित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

समेकित बाहर शेड विकास परियोजनाएं

7689. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से किन-किन राज्यों में समेकित वाटर शेड विकास योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या कुछ राज्यों में ये योजनाएं संशोधित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1991-92 के दौरान इन राज्यों को कितना आवंटन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विश्व बैंक की सहायता से चार पनधारा विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में सितम्बर, 1983 से हिमालय पनधारा प्रबंध परियोजनाएं।

(2) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के वर्षापोषित क्षेत्रों में जून, 1984 से पनधारा विकास की पायलट परियोजना।

(3) गुजरात, उड़ीसा तथा राजस्थान में फरवरी, 1991 से एकीकृत पनधारा विकास परियोजना (मैदानी); तथा

(4) हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर और पंजाब में मई, 1991 से एकीकृत पनधारा विकास परियोजना (पर्वतीय)।

(ख) और (ग) वर्षापोषित क्षेत्रों में 1984 से प्रारम्भ की गई पनधारा विकास की पायलट परियोजना तथा सितम्बर, 1983 से प्रारम्भ की गई हिमालय पनधारा प्रबंध परियोजना 1987-88 को मध्यावधि समीक्षा के परिणामस्वरूप संशोधित की गई। कम लागत वाली, सरल तथा प्रतिकृति योग्य वनस्पति संरक्षण उपायों, जिन्हें लोग स्वयं निर्मित कर सकें, पर अधिक जोर दिया गया है। परियोजना प्रबंध के लिए अभियान दल एप्रोच को स्वीकार किया गया है।

(घ) ऋण उपयोग योजना के अनुसार 1991-92 के लिए अलग-अलग परियोजनाओं के लिए राज्यवार वित्तीय आवश्यकताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं

	राज्य	ऋण उपयोग योजना के आधार पर 1991-92 के दौरान वित्तीय आवश्यकताएं		
		चालू पनधारा	अतिरिक्त पनधारा (लाख रु० में)	कुल
1	2	3	4	5
1.	हिमालय पनधारा प्रबन्ध परियोजना			
	उत्तर प्रदेश	—	—	1422.00 (राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान)

1	2	3	4	5
2.	वर्षापोषित क्षेत्रों में पनधारा प्रबन्ध को पायलट परियोजना			
	आंध्र प्रदेश	137.00	377.04	514.04
	महाराष्ट्र	101.70	323.04	425.34
	मध्य प्रदेश	222.07	361.31	583.38
	कर्नाटक	131.93	697.51	829.44
3.	एकीकृत पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)			
	गुजरात	—	—	433.00
	राजस्थान	—	—	578.00
	उड़ीसा	—	—	433.00
4.	एकीकृत पनधारा विकास परियोजना (पर्वतीय)			
	हिमाचल प्रदेश	—	—	231.00
	हरियाणा	—	—	347.00
	जम्मू और कश्मीर	—	—	433.00
	पंजाब	—	—	433.00

प्राकृतिक गैस का आवंटन और इसका मूल्य निर्धारण

7690. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री राजेश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और बिहार में प्राकृतिक गैस का आवंटन करने और इसका मूल्य निर्धारण करने के संबंध में गुजरात वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा इसकी समन्वय समिति से सरकार को 31 जुलाई, 1991 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) प्राकृतिक गैस की संशोधित कीमतों को अन्तिम रूप देते समय अभिवेदन पर विचार किया गया है और जब भी गैस

का नया आवंटन उपलब्ध होगा, इसे ध्यान में रखा जाएगा। उक्त ज्ञापन बिहार से संबंधित नहीं है।

पेट्रोल/डीजल/खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस की एजेंसियों का आवंटन

[हिन्दी]

7691. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए राज्यवार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से राज्यवार कितने आवेदन पत्रों पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गई है; और

(ग) लम्बित आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार इस प्रकार की सूचना नहीं रखती है।

पासपोर्ट एजेंट/एजेंसियाँ

[अनुवाद]

7692. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के लिये किन्हीं एजेंटों/एजेंसियों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंटों/एजेंसियों के लिए निर्धारित शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इन एजेंटों/एजेंसियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु उपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, हां।

(ख) मान्यता देने से सम्बन्धित मानदण्डों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

एजेंसी के पास वाणिज्यिक इलाके में कम से कम 250 वर्ग फुट का कार्यालय स्थान होना चाहिए; यात्रा व्यापार में (क) और (ख) श्रेणी के नगरों में 2,00,000/रु० का तथा अन्य नगरों में 1,00,000/रु० का चुकता पूंजी पर सम्पत्ति निवेश हो; कम से कम तीन नियमित कर्मचारी और कार्यालय परिसर में एक टेलीफोन हो; हवाई टिकटों से अर्जित आय हो; मान्यता से पूर्व अनधिकृत पासपोर्ट कार्य में संलग्न नहीं हो; एक वर्ष से यात्रा व्यापार में हो; आदि।

(ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) कोई शिकायत मिलने पर सम्बन्धित ट्रेवल एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और यदि आवश्यक हुआ तो उसके साथ कामकाज आस्थगित कर दिया जाता है अथवा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। पिछले एक वर्ष में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) कदाचार के मामले में मानदण्डों में लाइसेंस मुअत्तिल/रद्द करने की व्यवस्था है। एजेंसियों पर पासपोर्ट अधिनियम के अधीन मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

औद्योगिक गैस कनेक्शन

[हिन्दी]

7693. डा० अमृतलाल कालीदास पटेल :

श्री संदीपन भगवान थोरात :

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औद्योगिक गैस कनेक्शनों के लिए राज्यवार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दिए गए; और

(ग) अभी कितने व्यक्तियों को कनेक्शन दिए जाने हैं और इनको कनेक्शन देने में देरी के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय वाटर शेड विकास कार्यक्रम

[अनुवाद]

7694. श्री श्रीकांत जेना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटर शेड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने वाटर शेड बनाए गए हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत किसानों को क्या लाभ मिले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना सिंचित क्षेत्रों के लिए नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

7696. श्री पी० पी० कालियापेरूमल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान तमिलनाडु की कलवारायन हिल्स में अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लाभभोगियों की योजनावार संख्या कितनी है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में स्टोव फटने से महिलाओं की मृत्यु

7697. श्री पी० सी० चाको :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें स्टोव फटने से महिलाओं की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली थी; और

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो अन्ततः हत्या के मामले पाए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1989, 1990, 1991 तथा 1992 (31-3-1992 तक) के दौरान दिल्ली में स्टोव फटने के कारण महिलाओं की मृत्यु के दर्ज मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या
1989	78
1990	102
1991	91
1992 (31-3-92 तक)	17

(ख) हत्या होने का अभी तक कोई भी मामला नहीं पाया गया है।

उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास

7698. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने लघु और सीमान्त किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) संगत जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मत्स्य ग्रहण केन्द्र

7699. श्री राम कृष्ण कोताला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कितने मत्स्य ग्रहण केन्द्र हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में तट रेखा की लम्बाई कुल कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का 1992-93 में आंध्र प्रदेश में कुछ और केन्द्रों का पता लगाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश तथा केरल के लिए क्रमश: 2 और 21 मछली उतारने वाले केन्द्र स्वीकृत किए गए थे।

(ख) आंध्र प्रदेश तथा केरल में समुद्र तट की लम्बाई क्रमश: 974 कि० मी० और 570 कि० मी० है।

(ग) मछली उतारने वाले केन्द्रों की स्वीकृति राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

सूखा प्रतिरोधी बीजों की किस्में

7700. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों के सूखा प्रतिरोधी बीजों की किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) किसानों ने किन-किन बीजों की किस्मों को व्यापक रूप से स्वीकार किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जिन क्षेत्रों में इन्हें अपनाया जा सकता है उनका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान विकसित विभिन्न खाद्यान्नों की सूखा सह्य किस्मों/संकरों की सूची

क्र० सं०	फसल	किस्में/संकर	औसत पैदावार (क्वि०/हैक्ट०)	क्षेत्र जहां उगाया जा सकता है।
1	2	3	4	5
I.	चावल			
1.		कल्याणी-II	25	पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी
2.		हीरा	35	भारत की सूखे की स्थिति
3.		वनप्रभा	30	में व्यापक रूप से उगाने
4.		सत्तारी	30	के लिए उपयुक्त।
5.		नीला	40	
6.		बाला	40	
7.		तारा	45	
8.		आनन्द	50	
9.		आदित्य	40	
10.		तुलसी	40	
II.	गेहूं			
1.		के-0027	30-40	बिहार
2.		सुजाता	30-40	गुजरात
3.		मुक्ता	"	गुजरात
4.		मेघदूत	"	गुजरात

1	2	3	4	5
5.		सुंदन	„	हरियाणा
6.		पी० बी० डब्ल्यू०-175	„	हरियाणा
7.		बी० एस०-421	„	हिमाचल प्रदेश
8.		सी० पी० ए० एन०-1796	„	हिमाचल प्रदेश
9.		पी० बी० डब्ल्यू०-65	„	उत्तर प्रदेश
10.		पी० बी० डब्ल्यू०-175	„	उत्तर प्रदेश
11.		डब्ल्यू० एस०-416	„	पंजाब और राजस्थान
12.		डब्ल्यू० एस०-2265	„	पंजाब और राजस्थान
13.		नर्बदा	„	मध्य प्रदेश
14.		एन० आई०-5439	„	महाराष्ट्र और आं० प्रदेश
15.		नर्बदा-112	„	पंजाब और राजस्थान
III.	मक्का			
1.		डेक्कन-108	100-110	रबी मक्का क्षेत्र
2.		त्रिशुलता	100-110	रबी मक्का क्षेत्र
3.		माधुरी	16-17	दक्षिणी भारत के लिए मीठे दाने वाली किस्म।
IV.	ज्वार (सोर्घम)			
1.		सी० एस० वी०-13	33-35	महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के खरीफ क्षेत्रों के लिए।
2.		स्वाति	22-25	सभी रबी क्षेत्रों के लिए।
3.		एम० आई० जे०-2	23-26	सभी रबी क्षेत्रों के लिए।
V.	दलहनी फसलें			
1.	अरहर	आई०सी०पी०एच०-8	20-25	मध्यवर्ती क्षेत्र
2.	अरहर	आई०सी०पी०एल० एच०-151	18-20	मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
3.	चना	पी०बी०जी०-1	15-16	उत्तरी-पश्चिमी समतल क्षेत्र
4.	चना	एच०-82-2	20-22	उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र
5.	मसूर	सपना	15-17	उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र
6.	उड़द	बसंत बहार (पी०डी०यू०-1)	12-14	उत्तरी-पश्चिमी, समतल क्षेत्र, उत्तरी-पूर्वी समतल क्षेत्र और मध्य क्षेत्र
7.	मूंग	पी०डी०एम०-54	10-12	दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र
8.	मोठ	मोठ-880	3-4	राजस्थान के शुष्क क्षेत्र
9.	राजमा	मालवीय राजमा-137	20-25	उत्तर-पूर्वी समतल क्षेत्र
10.	राजमा	मालवीय राजमा-15	18-20	उत्तर-पूर्वी समतल क्षेत्र
11.	कुलथी	आरू कुलथी-1	6-7	पश्चिमी राजस्थान और इसके समीपवर्ती जिले और महाराष्ट्र
VI.	बाजरा			
1.		आई०सी०एम०वी०-155	18-24	पूरे भारत में
2.		एकनाथ-301	35-40	हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दूसरे बाजरा उगाने वाले क्षेत्र।
3.		एम०एल०बी०एच०-104	28-35	महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के हिस्से और गुजरात।
4.		एच०एच०बी०-67	22-26	राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के हिस्से का
5.		बी०बी० बी०बी० एच-4	20-25	महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात के हिस्से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।

1	2	3	4	5
6.		आर०सी०बी०आई० सी०-9	18-22	पूरे भारत में।
7.		आर०एच०आर०बी० एच०-8609	20-25	महाराष्ट्र।
VII.	मोटे अनाज			
1.	कुटकी	ओ०यू०ए०टी०-2	18-20	भारत के समतल मैदान
2.	कुटकी	बी०एल० रागी-149	20-25	तमिलनाडु को छोड़कर कुटकी उगाने वाले सभी क्षेत्र; बारानी खेती के लिए आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र भी उपयुक्त।
3.	कोदो	जी०पी०यू०के०-3	16-18	कोदो उगाने वाले सभी क्षेत्र।

वैज्ञानिक दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए मानदेय

7701. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए मानदेय की दर सभी सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों के समान है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) ने तकनीकी सामग्री, जिसमें मैनुअल; कोष आदि शामिल है, के अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए मानदेय की दर 20 रु० प्रति एक हजार शब्द निर्धारित की है। परन्तु केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा ऐसी सामग्री के अनुवाद के लिए मानदेय की दर 40 रु० प्रति एक हजार शब्द बढ़ा दी गई है। भारत सरकार के क्षेत्र कार्यालयों में तकनीकी सामग्री के अनुवाद के लिए यह दर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है। अपनी सामग्री के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने भी अनुवाद के लिए मानदेय की भिन्न दरें निर्धारित की है।

समन्वित बागवानी विकास कार्यक्रम

7702. श्री बाइल जान अंजलोज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने केरल और तमिलनाडु में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया है;

(ख) यह कार्यक्रम कब से शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विश्व बैंक ने केरल तथा तमिलनाडु में कोई समेकित बागवानी विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थान का चयन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

बोडो समस्या पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

7703. श्री केशरी लाल :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बोडो समस्या के राजनैतिक समाधान के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) बोडो क्षेत्रों तथा ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में अन्य मैदानी आदिवासियों की पहचान करने तथा उनको दी जा सकने वाली स्वायत्तता प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को सुझाने के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के अप्रवासियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति

[अनुवाद]

7704. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के अप्रवासियों द्वारा बंगलादेश में छोड़ी गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या अप्रवासियों को उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए पूरा मुआवजा अभी दिया जाना बाकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में बंगलादेश सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो बंगलादेश की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) बंगलादेश की संसद में 21 अप्रैल, 1981 को बंगलादेश के भूमि प्रशासन और सुधार मन्त्री ने एक प्रश्न के जवाब में यह बताया कि बंगलादेश में 841,192.44 एकड़ भूमि और 21,926 मकान वेस्टेड सम्पत्ति के रूप में सूचीबद्ध हैं।

(ख) से (घ) जी हां, सरकार ने बंगलादेश की सरकार के साथ मामला उठाया है जिसने यह कहा है कि इस मसले को हल करने में कुछ समय लगेगा, पहले बंगलादेश और पाकिस्तान के बीच परिसम्पत्तियों के बंटवारे के मसले का निपटारा करना होगा।

शुष्क भूमि पर खेती

7705. श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पिछले वर्ष के दौरान शुष्क भूमि कृषि परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) शुष्क क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले वर्ष 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में दो शुष्क भूमि कृषि परियोजनाएं, नामत: (1) वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलागम विकास परियोजना और (2) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जलागम विकास के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त आरंभिक परियोजना क्रियान्वित की गई थी।

(ख) राष्ट्रीय जलागम विकास परियोजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा 266 जलागमों की पहचान की गई है तथा भारत सरकार द्वारा विभिन्न कृषि मौसमी क्षेत्रों हेतु नौ मॉडल जलागम योजनाओं को तकनीकी रूप से मंजूरी दी गई है। तकनीकी अनुमोदन के आधार पर राज्य सरकार राज्य जलागम मंजूरी समिति द्वारा मंजूर किए जाने वाली अन्य योजनाएं बना रही है। इस कार्यक्रम के लिए 1991-92 के दौरान 25.90 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत प्रारम्भ में अकोला जिले में एक परियोजना शुरू की गई तथा मध्यावधिक समीक्षा के बाद 72 गांवों में 40820 हैक्टियर क्षेत्र को शामिल करते हुए सात अतिरिक्त जलागम जोड़ गए।

(ग) शुष्क भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों-शुष्क भूमि कृषि प्रणाली प्रयोग है जिसमें स्वस्थाने नमी परिरक्षण, अनुमोदित फसली प्रणाली का प्रवर्तन, कृषि वानिकी, शुष्क भूमि बागवानी, घरेलू उत्पादन प्रणाली तथा पशुधन प्रबंध आदि शामिल है।

पाकिस्तान द्वारा रसायनिक हथियारों का निर्माण

7706. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका की केन्द्रीय खुफिया एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों तथा "बलिस्तिक मिसाइलों" के अतिरिक्त रसायनिक हथियार भी बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान की इस धमकी के जवाब में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजनयिक स्तर पर अन्य देशों के साथ इस प्रश्न पर चर्चा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की वार्ता के पिछले दौर में इस बात पर सहमति हुई थी कि रासायनिक अस्त्रों के संबंध में एक संयुक्त घोषणा जारी करने पर विचार किया जाएगा। यह फैसला भी किया गया था कि नाभिकीय अस्त्रों के विकास, उत्पादन और प्रतिस्थापन तथा प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय करार के बारे में विचार-विनिमय करने के लिए दोनों पक्षों के विशेषज्ञों की भी एक बैठक बुलाई जाएगी। इन प्रश्नों पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता के अगले दौर में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध की उत्पादन लागत

7707. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध के उत्पादन में दिल्ली दुग्ध योजना की प्रशासनिक लागत और अतिरिक्त लागत मदर डेरी से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा एक लीटर दूध के उत्पादन पर वास्तविक लागत कितनी-कितनी है; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) प्रति लीटर दूध की उत्पादन लागत इस प्रकार है :—

दूध का प्रकार	दिल्ली दुग्ध योजना	मदर डेयरी
डबल टोन्ड दूध	6.22 रु०	5.78 रु०
टोन्ड दूध	7.13 रु०	बिक्री नहीं की जाती

(ग) मदर डेयरी डबल टोंड दूध का वितरण बड़ी मात्रा में बेचने की पद्धति के माध्यम से कर रही है जबकि दिल्ली दुग्ध योजना अपने 1,365 बूथों के जरिए एक लीटर तथा आधा लीटर की थैली में दूध की बिक्री कर रही है। इससे दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा वहन की जा रही उपरि लागत में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादन में उच्चतर लागत आती है। दिल्ली दुग्ध योजना विभिन्न उपयोगी/उपभोज्य वस्तुओं की प्रभावकारिता तथा इष्टतम उपयोग को बढ़ाकर उत्पादन लागत कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना।

(2) पॉलिथिन फिल्म की खपत में बचत करना।

(3) डिजल आयल, स्नेहक (लुब्रिकेंट्स) बिजली, पानी आदि की खपत में किफायत करना।

(4) दुग्ध वितरण कार्य को तर्कसंगत बनाना, और

(5) नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पुराने तथा दीर्घकाल से चल रहे संयंत्रों तथा मशीनरी का प्रतिस्थापन।

कृषि परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

7708. श्री महासमुद्रम योन्ना रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कृषि परियोजनाओं का चयन करने हेतु एक पृथक एकक की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान किन-किन परियोजनाओं का चयन किया गया है और इन्हें विदेशी सहायता दिलाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) कृषि मन्त्रालय में परियोजना निर्माण तथा प्रबोधन प्रकोष्ठ (सेल) के नाम से एक अलग एकक बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य विश्व बैंक से सहायता के लिए परियोजनाओं की सिनाख्त—करने तथा परियोजना तैयार करने में कृषि तथा सहकारिता विभाग में विषय से सम्बद्ध प्रभागों तथा राज्य सरकारों की मदद करना है। प्रकोष्ठ विश्व बैंक की सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की प्रगति को मानिटर करता है तथा परियोजनाओं से सम्बन्धित मुद्दों को देखता है।

तथापि, कृषि के क्षेत्र में एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्पित कोई परियोजना नहीं है।

(ख) गत वर्ष के दौरान विश्व बैंक के समक्ष निम्नलिखित परियोजनाएं रखी गईं और उन पर समझौता किया गया :—

(1) समेकित जलधारा (मैदानी)

(2) समेकित जलधारा (पहाड़ी)

(3) कृषि विकास परियोजना (तमिलनाडु) तथा

(4) श्रिम्प मछली पालन परियोजना।

राजस्थान, कर्नाटक तथा बिहार राज्यों में कुछ अन्य कृषि विकास परियोजनाएं तैयार करने तथा विश्व बैंक द्वारा उनका मूल्यांकन के लिए कार्य चल रहा है।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका में प्रतिनियुक्त व्यक्ति

7709. श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका में प्रतिनियुक्ति पर कितने व्यक्ति हैं;

(ख) यह व्यक्ति किन विभागों से लिए गए हैं तथा इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी विभागीय कार्यवाहियां/जांच चल रही है;

(घ) इन्हें अतिशीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) पालिका राजस्व की चोरी में सहायता के लिए तथा नियमों के उल्लंघन में तथा प्रत्यक्ष आय के साधनों से अधिक धन के स्वामित्व के लिए कितने कर्मचारी पिछले 12 महीनों में दोषी पाये गये ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या क्रमशः 43 तथा 13 है। ये अधिकारी भारत सरकार; राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन से लिए गए हैं।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मामला/जांच-पड़ताल लम्बित नहीं पड़ी है। तथापि, दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दो शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है। एक मामले में निगम ने कानूनी सलाह मांगी है। दूसरे मामले में जांच-पड़ताल का कार्य दिनांक 24-12-1991 को सौंपा गया है।

(ङ) गत 12 महीनों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका अथवा दिल्ली नगर निगम में कहीं भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी व्यक्ति को ऐसी अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त नहीं पाया गया है।

स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया के लिए भूमि

7710. डा० रवि मल्लू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया के लिए राज्य में यंत्रीकृत कृषि फार्म हेतु भूमि प्रदान करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

[हिन्दी]

7711. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का उत्तर प्रदेश में तेल की खोज करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल की खोज के लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस समय शाहजहाँपुर में एक कुएं की ड्रिलिंग कर रहा है। आगे का अन्वेषी कार्यक्रम इस कुएं के परिणामों पर निर्भर करेगा।

बाम्बे हाई से तेल निकालना

7712. श्री राजेश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बाम्बे हाई अपतट पर कितने रिग कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन रिगों के कार्य करने के पश्चात कुल कितने तेल का उत्पादन हुआ है;

(ग) इस तेल निकालने की लागत और लाभ का अनुपात क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई हाई से तेल निकालने पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तेल के उत्पादन से कुल कितनी आमदनी हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 20-4-1992 की स्थिति के अनुसार 19.

(ख) प्रारम्भ (1976) से 31 मार्च, 1992 तक बम्बई अपतट से कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 219 मिलियन टन रहा है।

(ग) बम्बई अपतट से उत्पादित कच्चे तेल की लागत (इसमें रायल्टी उपकर और बिक्रीकर शामिल हैं) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए क्रमश: 1558 रुपये और 1968 रुपये थी। इन दो वर्षों के लिए प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व के संदर्भ में लाभ का अनुपात क्रमश: 26.56 और 15.68 था।

(घ) लगभग 886 करोड़ रुपये।

(ङ) 31 मार्च, 1989, 1990 और 1991 की समाप्ति पर बम्बई अपतट से अर्जित किया जाने वाला लाभ क्रमश: 1582 करोड़ रुपये, 1607 करोड़ रुपये और 1111 करोड़ रुपये था।

"सर क्रीक एरिया"

7717. श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच "सर क्रीक एरिया" के बारे में कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तानी नौसैनिकों द्वारा भारतीय मछुआरों का अपहरण किए जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का तिथि-वार ब्यौरा क्या है और गत छ: महीनों के दौरान प्रत्येक घटना में कितने मछुआरों का अपहरण किया गया;

(ङ) सरकार द्वारा इन अपहृत मछुआरों को वापस लाने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) सर क्रीक क्षेत्र में सीमा की व्याख्या को लेकर कुछ मतभेद हैं। इन मतभेदों को दूर करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है।

(ग) और (घ) जी हां। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और इन घटनाओं में हमारे अधिकारियों द्वारा ऐसे पाकिस्तानी मछुआरों और नावों को पकड़ लेना शामिल है जो हमारी जल-सीमा में आ जाते हैं।

दोनों देशों की प्रथा के अनुसार पकड़े गए मछुआरों और जलयानों को आपसी समझ-बूझ से किसी एक सहमत तारीख को उनके अपने-अपने देशों को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

पिछले 6 माह में पाकिस्तान ने 108 भारतीय मछुआरों और 16 जलयानों को पकड़ा

जिनमें से 67 मछुआरों और 11 जलयानों को अब तक छोड़ा जा चुका है। शेष भारतीय मछुआरों और जलयानों को यथा शीघ्र छुड़वाने और वापस लाने के लिए पाकिस्तान की सरकार के साथ प्रयास जारी हैं।

(क) जब कभी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से विरोध प्रकट किया है और उन्हें ऐसी घटनाओं को पुनः न होने देने का अनुरोध किया है। इसके साथ-साथ, हमारे सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में निरन्तर नजर रखी जा रही है। तटरक्षक जहाज और विमान नियमित रूप से निगरानी करते हैं और राष्ट्रीय तटवर्ती सीमा के नजदीक कार्य करने वाले भारतीय मछुआरों को पूरी तरह से भारतीय जल सीमा के भीतर रहने की सलाह देते हैं।

दक्षिण अफ्रीका जाने वाले भारतीय पासपोर्ट धारक

[अनुवाद]

7714. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने हेतु अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 10 दिसम्बर, 1991 से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए भी वैध हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में कृषि परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

7715. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा कितनी कृषि परियोजनाओं के लिए धनराशि दी गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में इन परियोजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किये और तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

वाणिज्यिक फसलों की नई किस्में

7716. श्री आर्थर फर्नान्डीज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने वाणिज्यिक फसलों की नई किस्में तथा नए कृषि उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया में पिछले एक वर्ष में काफी योगदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रौद्योगिकी किसानों तक नहीं पहुंची है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यह सही नहीं है कि प्रौद्योगिकी किसानों तक पहुंच नहीं पाई है। कुछ आशाजनक किस्मों पर बहुस्थानिक परीक्षण किए जा रहे हैं और नए कृषि औजारों का विस्तार एजेंसियों के माध्यम से किसानों, निर्माताओं और अन्य उपभोक्ताओं के सामने प्रदर्शन किया जाता है।

गुजरात में झींगा मछली का उत्पादन

[हिन्दी]

7717. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में झींगा मछली के उत्पादन की काफी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इस संबंध में कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात से झींगा मछली का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(घ) गुजरात में झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) गुजरात में लगभग 3.76 लाख हैक्टेयर खारा जल भूमि में झींगा मछली पालन के विकास की क्षमता है।

(ख) राज्य में झींगा मछली पालन के विकास के लिए 1991-92 के दौरान 11.26 लाख रुपये की रकम केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई थी।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात से निर्यात की गई झींगा मछली की कुल मात्रा लगभग 7,697 मीटरी टन है।

(घ) गुजरात में झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्धारित कार्य योजना में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

1. झींगा पालकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता पैकेज मुहैया कराने के लिए वलसाड, भरूच तथा सूरत जिलों में खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करना।

2. राज्य सरकार ने व्यक्तियों सहकारी संस्थाओं तथा बड़े उद्यमियों के लिए झींगा मछली पालन हेतु खाराजल भूमि के पट्टे की नई नीति की घोषणा की है।

3. 1992—97 के दौरान 5000 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र को झींगा मछली पालन के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजन के लिए गुजरात राज्य के बजट में 403.98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाना

[अनुवाद]

7718. श्रीमती बासवाराजेश्वरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महासचिव ने इस सम्बन्ध में सरकार को उसकी टिप्पणियों के लिए कोई पत्र भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान ने फरवरी में इस मसले पर एक पत्र संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजा था। पाकिस्तान के इस औपचारिक अनुरोध के जवाब में इस पत्र को परिचालित किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुल बस्तियों में हिंसा

7719. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण अफ्रीका में सुधार उपायों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उस देश के अश्वेत बहुल शहरों में भारी हिंसा और लोगों की हत्या के समाचारों के हाल ही के [illegible] की जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सुधार उपायों के साथ-साथ पिछले दो वर्षों में अश्वेत कस्बों में हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार ने कस्बों में हो रही हिंसा की इन घटनाओं पर दुख व्यक्त किया है और इस हिंसा को समाप्त करने के प्रयास में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्काथा फ्रीडम पार्टी, दक्षिण अफ्रीका की सरकार और अन्य राजनैतिक पार्टियों के बीच 14 सितम्बर, 1991 को हुए शान्ति समझौते का स्वागत किया है। भारत को उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार और सभी अन्य पार्टियां इस शान्ति समझौते को क्रियान्वित करने के लिए त्वरित और प्रभावी-कदम उठाएंगी।

विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

7720. श्री राम नारायण बैरवा :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में मंत्रियों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कुल कितने रक्षकों को तैनात किया गया है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि गैर-मंजूर रक्षकों से दिल्ली पुलिस के कुल कर्मियों की संख्या कम हो गई है; जिसका कानून और व्यवस्था बनाये रखने हेतु बेहतर रूप से उपयोग किया जा सकता था; और

(घ) क्या इन गैर-मंजूर रक्षकों को नियमित करने का विचार है ताकि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सके ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) 1991-92 के दौरान मंत्रियों तथा अन्य संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में 232 स्थानों पर 21 उप-निरीक्षक, 374 हेड कांस्टेबल तथा 1601 कांस्टेबल तैनात किए गए। कुल 5.37 करोड़ रुपये (लगभग) खर्च हुए। वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्रीय पुलिस/अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए गए। संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में दिल्ली पुलिस की आवश्यकता की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

दिल्ली में अवैध उत्प्रवास रैकेट

7721. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में अवैध उत्प्रवास रैकेट का पता लगा है जैसा कि इस संबंध में दिनांक 23 मार्च, 1992 के इन्डियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) 19/20 मार्च, 1992 की रात्री को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर की तथाकथित मिली भगत से दो जालसाज यात्रियों द्वारा एयर फ्रांस फ्लाइट में चढ़ने की एक घटना ध्यान में आई।

(ग) पुलिस स्टेशन आई० जी० आई०, एयर पोर्ट में भा० द० सं० की धारा 419/420/34 तथा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज किए गए और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इंसपेक्टर को निलम्बित किया गया है।

(घ) एयर पोर्ट पर तैनात स्टाफ को आप्रवास कार्य के लिए उचित रूप से समझा दिया गया है। एयर पोर्ट भवन के अन्दर जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी लेने तथा उनकी जांच करने में सख्ती कर दी गई है। आई० जी० आई० एयर पोर्ट पर तैनात सभी ए० सी० पी०/इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को एयर पोर्ट के अन्दर जाने की अनुमति न दें।

पशुपालन का विकास

7722. श्री बाड़ल आम अंबलोव:

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने राज्यों में पशु पालन के विकास के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान पशु पालन विकास के लिए केरल और उत्तर प्रदेश की सरकारों से कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान का प्रस्ताव

7723. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली द्वारा पारित प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा दोनों देशों के बीच विभिन्न विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों को माध्यस्थम अधिकरण को सौंपने के सुझावों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो : (क) जी हां।

(ख) 6 फरवरी, 1992 को पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली द्वारा पारित संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ उनके तथा कथित "आत्म निर्णय के संघर्ष" में उनके साथ एकजुटता, व्यक्त की गई हैं भारत से जम्मू और कश्मीर में "अत्याचार बन्द करने" की मांग की गई है और यह कहा गया है कि कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुसार निपटाया जाए उसके अनुसार शिमला समझौते की भावना के अनुरूप भी होगा।

सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और खेद व्यक्त किया है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली ने ऐसा बयान जारी किया जिसका उद्देश्य जनमत को भड़काना है और जो हमारे अन्दरूनी मामलों में स्पष्ट हस्तक्षेप हैं।

(ग) सरकार ने इस संबंध में रिपोर्टें देखी है।

(घ) सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को द्विपक्षीय और शान्तिपूर्ण तरीके से निपटाया जाना है किसी बाहरी अथवा तीसरे पक्ष को इसमें किसी भी रूप में शामिल किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से कार्यान्वित की गयी कृषि परियोजनाएं

7724. श्री महासमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1991-92 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से किन-किन कृषि परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

भेड़ प्रजनन विकास परियोजना

7725. डा० रवि मल्लू :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भेड़ प्रजनन और भेड़ विकास परियोजनाओं के लिए मांगी गई और दी गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए विदेशों से क्या सहायता प्राप्त हुई?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

तेल की खोज

[हिन्दी]

7726. श्री राजेश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां फिलहाल रिग की मदद से तेल की ड्रिलिंग की जा रही है;

(ख) इस कार्य में लगे अभिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कार्य स्थानीय अभिकरणों अथवा विदेशी अभिकरणों को ठेके पर दिए जाते हैं;

(घ) इस कार्यक्रम में कितनी विदेशी मुद्रा लगी हुई है;

(ङ) क्या ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए हमारे प्रौद्योगिकीविद स्वदेशी मशीनरी को विकसित करने हेतु कुछ प्रयास कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का ड्रिलिंग कार्य गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल-कोंकण और कच्छ-सोराष्ट्र आदि के अपतटीय क्षेत्रों में चल रहा है। इस समय आयल इंडिया लि० असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में ड्रिलिंग कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) ये संगठन ड्रिलिंग कार्य अपने स्वयं के रिगों और भारतीय/विदेशी कम्पनियों से ठेका आधार पर किराये भाड़े पर लिए गए रिगों से करते हैं। रिग की किस्म और ड्रिलिंग की परिस्थितियों के आधार पर प्रचालन प्रभार अलग-अलग है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों ने ड्रिलिंग रिगों और अन्य उपकरणों के निर्माण की देशी क्षमताएं विकसित कर ली हैं और इनका भी भारत में निर्माण हो रहा है।

मछली की बेहतर प्रजातियां

[अनुवाद]

7727. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछली की दुर्लभ बेहतर प्रजातियां प्राप्त करने हेतु जैव-प्रौद्योगिकी का वृहत्तर उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ प्रमुख भारतीय कार्पों अर्थात 'काटले', 'काटला', 'लेबियो', 'रोहिता' 'सिरिनस', 'मृगला' मछलियों में मोनोसैक्स एवं ट्रिप्लाइड समष्टियों को उत्पन्न करने के लिए गायनोजेनेसिस एवं पालीप्लाइडी तकनीकों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। सामान्य मादा कार्प के साथ प्रमुख भारतीय नर कार्प के प्रजनन से स्टेराईल ट्रिप्लाईड सामान्य कार्प पैदा किया गया। सामान्य कार्प × 'लेबियो रोहिता' के ये संकर, देशी जनकों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने वाले और आशाजनक हैं।

सम्पत्ति कर के अन्तर्गत छूट की पुनरीक्षा

7728. श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सम्पत्ति कर के अन्तर्गत छूट की पुनरीक्षा करने और उसे कम करने तथा कालोनियों में अनधिकृत ढांचों और अनधिकृत कब्जा करने वालों पर कर लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अमरीका के परमाणु शस्त्रों का एक लक्ष्य भारत

7729. श्री सनत कुमार मण्डल :

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :

श्री मुकुल वासनिक :

श्री राम विलास पासवान :

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री मुमताज अंसारी :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री पी० एम० सईद :

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका की योजना के बारे में हाल में प्रकाशित रिपोर्टों की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका भारत को परमाणु शस्त्रों का शस्त्रागार बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार को इन खबरों की जानकारी है कि बहुत से देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के सैनिक स्थल सम्भवतः अमरीकी सामरिक नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों का निशाना बन सकते हैं।

(ख) सरकार इस विषय से सम्बद्ध खबरों की समीक्षा कर रही है और भारत की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

दाल बोर्ड

7730. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मसाला बोर्ड की तरह दाल बोर्ड बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाम्बे हाई में तेल उत्पादन समिति की सिफारिशें

7731. श्री आनन्द अहिरवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक बाम्बे हाई में तेल उत्पादन समिति की सिफारिशों की इस बीच जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। इसके निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं, विकास योजनाओं द्वारा अनुशंसित स्तरों की बजाए कच्चे तेल के निकालने के स्तरों में भिन्नता आ गई है और यह कि भिन्नता स्वीकृत उद्योग प्रक्रियाओं के अनुसार औचित्यपूर्ण थी। तथापि, यह रिजर्वॉयर की स्थिति के रख-

रखाव की दृष्टि से सम्भवत: औचित्यपूर्ण नहीं था, यह कि दबाव रख-रखाव योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के संबंध में अधिक दोहन की अवधियों की वजह से गैस तेल के उच्च अनुपात आदि पर प्रभाव पड़ा है, परन्तु यह कहने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि दोहन योग्य भंडारों से उत्पादन में हुई हानि इन कारणों में से किसी कारण से है। तथापि, यह धारणा है कि उपयुक्त कदमों की वजह से बम्बई हाई रिजर्वेयर से प्रत्याशित अन्तिम प्राप्ति होगी बल्कि इसमें सुधार भी होगा।

आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के लिये विधान

7732. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक सेवाओं में हड़तालों और आंदोलनात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसी नये विधान की रूप-रेखा बनाई है जैसा कि 23 मार्च 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किन-किन आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार संसद के चालू सत्र के दौरान यह विधान लाने का है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) अब अप्रभावी, आवश्यक सेवाएं रख-रखाव अधिनियम, 1981 की रूपरेखा के आधार पर एक नया विधायन अधिनियमित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। गृह मंत्री ने 24-3-1992 को विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। ऊपर उल्लिखित बैठक के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और श्रमिक नेताओं द्वारा औद्योगिक उत्पादन में पूर्ण सहयोग के लिए दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विधायन को संसद के चालू सत्र में न लाने का निर्णय किया गया है।

केरल में मत्स्य पालन

7733. श्री थाइल जान अंजलोस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मत्स्य पालन के लिए अनुमानित उपयुक्त क्षेत्र कितना है;

(ख) सरकार ने उक्त राज्य में मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में किन-किन क्षेत्रों को मत्स्य पालन उद्योग के अन्तर्गत लाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केरल में मछली पालन संसाधनों में 3000 हैक्टेयर तालाब और पोखर, 2,43,000 हैक्टेयर खारे पानी का क्षेत्र तथा 2,43,000 हैक्टेयर क्षेत्र दलदल और यहां-वहां फैला जल से भरा क्षेत्र शामिल है जिसे इस राज्य में

मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है।

(ख) केरल राज्य में मछली पालन विकास के लिए वहां 14 मछली पालक विकास एजेंसियां और 6 खारा पानी मछली पालक विकास एजेंसियां स्वीकृत की गई हैं। ये एजेंसियां राज्य में मछली पालन विकास के लिए वित्तीय तकनीकी तथा विस्तार सहायता एक साथ मुहैया करती हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भोले-भाले लोगों को भिक्षावृत्ति में लगाना

7734. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाज विरोधी गिरोह राजधानी में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और भोले-भाले गरीब तथा असहाय लोगों को भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य कर उनका शोषण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई है जिसमें 1-1-1991 से 31-3 1992 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में किसी समाज विरोधी गिरोह द्वारा भोले-भाले तथा गरीब और असहाय लोगों को भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य कर उनका शोषण किया गया हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में भर्ती शिविर

7735. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सीमा सुरक्षा बल और अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए भर्ती शिविर किन-किन स्थानों में आयोजित किए गए थे; और

(ख) इस अवधि के दौरान बल-वार और वर्ष-वार कितने जवान भर्ती किए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने तमिलनाडु में जिन स्थानों पर भर्ती की गई, नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राईफल और भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस ने तमिलनाडु में कोई भर्ती रैली आयोजित नहीं की है।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

बल का नाम	भर्ती किये गये जवानों की संख्या		
	1989	1990	1991
सीमा सुरक्षा बल	638	785	—
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	325	404	2490
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	364	248	274

विवरण

तमिलनाडु के उन स्थानों के नाम जहां पर केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा 1989, 1990 और 1991 के दौरान भर्ती रैलियां आयोजित की गईं

बलों का नाम	वर्ष	भर्ती का स्थान
सीमा सुरक्षा बल	1989	त्रिरुनलवेली; नागारकोईल, वैलोर, कुडालोर, पुडोकोटाई, थंजावूर; कांचीपुरम, त्रिरुचीनापल्ली।
	1990	मदुराई, त्रिरची, कोईमबटूर, सेलम, कुडालोर, कांचीपुरम, त्रिरुनावैली, वीरुवानगर, थंजावूर, वैलोर; नागारकोईल; पुडोकोटाई; पेरीयार; धर्मापुरी; डिंडीगल।
	1991	तमिलनाडु में कोई भर्ती रैली नहीं की गई।
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	1989	अवाडी; त्रिरुची थंजावूर; सेलम, कोईमबटूर; करराईकुडी; पुडोकोटाई; वेलोर, त्रिरुनालवेली, त्रिवारंयाई; ऊटी।
	1990	नागारकोईल; त्रिवानमाई, करराईकुडी; सेलम, वेलोर; अवाडी; ईरोड; कोईमबटूर; नागूर, वाणीयामबडाई।
	1991	अवाडी; सेलम; नागारकोईल; धर्मापुरी, वेलोर; डिंडीगल; थंजावूर; टूटीकोरीन; वीरुधनगर, त्रिवारंयाई; ऊटी; कोईमबटूर; ईरोड, त्रिरुनलवेली; कामराज; पसमपोन; नार्थ-अरकोट; चेनगई, अन्ना; नीलगिरि; साउथ-अरकोट; चेनोलपेठ, कांचीपुरम; कृष्णागिरी।
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1989	मद्रास, पलायमकोकुटाई, पुडोकोटाई; वेलोर; तेनकासी; त्रिरची; कांचीपुरम; त्रिरुनालवेली, कोवीलपट्टी, शंकरन; कोवील; अमबसामुदम।
	1990	नीलगिरी, थंजावूर; नागारकोईल; वैलोर।
	1991	धर्मापुरी; रामनाथापुरम; त्रिरची; पुडुकोटाई; कांचीपुरम।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

7736. श्री मदन लाल खुराना :

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा प्रतिदिन प्रातः और सायं एक लीटर दूध की कुल कितनी-कितनी थैलियों का उत्पादन किया जाता है;

(ख) दिल्ली में इस समय कुल कितने दूध के बूथ हैं;

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना को अपर्याप्त दूध की सप्लाई के संबंध में पिछले तीन महीनों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना (डी०एम०एस०) द्वारा प्रतिदिन तीन पारियों में एक लीटर दूध की औसतन 4.35 लाख थैलियों का उत्पादन किया जाता है।

(ख) 1365

(ग) 123

(घ) यद्यपि क्षमता सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण डी० एम० एस० बूथों पर दूध की आपूर्ति को बढ़ा सकने की स्थिति में नहीं है फिर भी जहां भी संभव है और शिकायतों की जांच करने वाले डी० एम० एस० के फील्ड कर्मचारियों की सिफारिशों के आधार पर न्यायोचित पाया गया है, दूध की आपूर्ति में वृद्धि कर दी गयी है।

कश्मीर पर यूरोपीय संसद का प्रस्ताव

7737. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री साईमन मराण्डी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोपीय संसद में कश्मीर पर पारित प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या तुर्की के भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री की कश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के साथ कोई बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां।

(ख) यूरोपीय संसद ने 12 मार्च, 1992 को कश्मीर के संबंध में एक संकल्प पारित किया था। इस संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। सरकार ने इस संकल्प पर अपनी आपत्ति और अस्वीकार्यता से यूरोपीय संसद को अवगत करा दिया है।

(ग) और (घ) एक इस्लामिक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने जिसमें, तुर्की के वेलफेयर पार्टी के अध्यक्ष एवं तुर्की के पूर्व उप प्रधान मंत्री डा० नरमेटिन अरबेकन भी थे 13 मार्च 1992 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव से मुलाकात की थी। सरकार समझती है कि डा० अरबेकन ने कश्मीर का उल्लेख मात्र किया था। और इस बैठक में कश्मीर के संबंध में कोई विस्तृत विचार-विमर्श नहीं किया था सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर की समस्या शांतिपूर्वक और भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श के जरिए सुलझाई जानी चाहिए तथा इसमें किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने का कोई सवाल नहीं चाहे वह संयुक्त राष्ट्र ही क्यों न हो।

विवरण

12 मार्च, 1992 को यूरोपीय संसद द्वारा कश्मीर पर संकल्प

यूरोपीय संसद

(क) जम्मू और कश्मीर की स्थिति के संबंध में अपने पिछले संकल्प के संदर्भ में।

(ख) भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित श्रीनगर की भड़काऊ और खतरनाक यात्रा जिससे राज्य की पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को खतरा पैदा होगा, के संबंध में गहरी चिन्ता;

(ग) 11 फरवरी को जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट द्वारा आयोजित प्रदर्शन, जिसे आगे भी आयोजित करने की योजना है, में हुई जान-हानि पर गंभीर चिन्ता;

(घ) 30 मार्च को नियंत्रण रेखा पार करने और इसी प्रकार के एक अन्य प्रदर्शन की योजना जिससे और अधिक खून-खराबा और खतरा पैदा हो सकता है, पर अत्यधिक चिन्ता;

(ङ) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस खतरनाक स्थिति की पुनः योजना बनाने पर खेद;

(च) यह जानते हुए कि वर्तमान स्थिति को जारी रखने का अर्थ है मानवाधिकारों का अपमान और आतंकवाद के कार्यों को जारी रखना।

1. जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी और मानवाधिकारों का दमन करने वाली सभी कार्रवाइयों की निन्दा और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कार्यों से यूरोपीय समुदाय के भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है;

2. भारत और पाकिस्तान की सरकारों से इस लम्बे समय से चले आ रहे झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का आह्वान, जो बड़ी संख्या में उन कश्मीरियों की भावनाओं के अनुरूप हो जो आत्म-निर्णय का अधिकार चाहते हैं;

3. भारत और पाकिस्तान की सरकारों से विश्वास पैदा करने के तरीकों, जैसे सीमा और नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य शक्ति के जमाव को कम करने की बातचीत में तेजी लाने का अनुरोध;

4. दोनों देशों में नाभिकीय हथियारों की क्षमता में बढ़ोतरी पर गहरी चिन्ता;

5. जम्मू और कश्मीर की यात्रा के लिए भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को प्राधिकृत करने के लिए आह्वान;

6. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को कश्मीर में हिंसा की स्थिति की पुनः जांच करने के लिए आह्वान करना और स्थिति से निपटने के लिए भारत और पाकिस्तान पर दबाव डालना;

7. यूरोपीय समुदाय के मंत्रि परिषद से अनुरोध करना कि कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान को सभी उपलब्ध साधनों के जरिये राजी करवाए।

8. इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक तैनात करने पर विचार करना;

9. अपने अध्यक्ष को यक संकल्प परिषद, आयोग और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों को प्रेरित करने का निदेश।

तमिलनाडु में तेल के भण्डार

7138. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में हाथ में लिए गए अपतटीय तथा अन्तर्देशीय तेल-खोज परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएं हाथ में लेने का प्रस्ताव है और इस परियोजनार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या पेट्रोलियम के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुएं/उत्पाद भी पाये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इस काम में शामिल गैर-सरकारी तथा विदेशी एजेंसियों का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वेक्षण के अतिरिक्त, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडु क्षेत्र में 16 अपतटीय अन्वेषी कुओं की और 68 तटवर्ती अन्वेषी कुओं की ड्रिलिंग की है। इसके अतिरिक्त समेकित गहन अन्वेषण कार्यक्रम (आई० आई० ई० पी०) के तहत सोवियत सहायता से 13 कुओं की ड्रिलिंग की गई। बोली के तीसरे दौर के अधीन अमेरिका के मैसर्स शेवरान-टेक्सको ने एक पालार अपतटीय ब्लाक में अन्वेषण किया।

(ख) लगभग 542 करोड़ रुपये का कुल खर्च हुआ है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान भूकम्पीय सर्वेक्षणों के अतिरिक्त तटवर्ती क्षेत्र में 26 कुओं की

और अपतटीय क्षेत्र में 5 कुओं की ड्रिलिंग करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 150 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भूकम्पीय आंकड़े लेने के लिए इस समय एक संयुक्त अभियान दल अर्थात "सलेम एक्सप्लोरेशन टेक० लि०" को नियुक्त किया गया है।

इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन तमिलनाडु में 13 ड्रिलिंग रिग कार्यरत हैं। इनमें से 2 रिग "भारत सोवियत प्रोटोकोल" के अधीन और 2 रिग निजी कम्पनी मैसर्स त्रिवेणी पूल इन्टेअरड्रिल, नई दिल्ली से किराये-भाड़े के आधार पर कार्यरत हैं।

एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई

7739. श्री आर्थर फर्नान्डीज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस अथारिटी आफ इंडिया एच० बी० जे० पाइप लाइन के साथ निर्मित तीन नए उर्वरक संयंत्रों को गैस की सप्लाई में देरी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पाइप लाइन द्वारा वर्तमान उर्वरक संयंत्रों को सप्लाई की जा रही गैस की मात्रा में 15 प्रतिशत कटौती करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) चूंकि इन संयंत्रों को अभी पूरा किया जाना है, अतः गैस की आपूर्ति में विलम्ब होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विद्यमान उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति उनके करार के अनुसार होने की आशा है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को चालू करने में विलम्ब

7740. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त शोधन क्षमता जुटाने में विलंब के कारण गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं को चालू करने की लागत बहुत अधिक हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) अतिरिक्त शोधन क्षमता परियोजनाओं को शीघ्र स्थापित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अतिरिक्त शोधन क्षमता के सृजन और गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के बीच कोई संयोजन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यमान रिफाइनरियों का विस्तार करके और नई रिफाइनरियां स्थापित करके अतिरिक्त शोधन क्षमता का सृजन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति और समय से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

बाम्बे हाई क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस

7741. श्री मोहन रावले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-1991 और 1992 में अब तक बाम्बे हाई में तेल और प्राकृतिक गैस का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या बाम्बे हाई क्षेत्र में और अधिक तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1989-90; 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 20.09, 17.87 और 14.96 मि० टन तेल और 9794, 9514 और 7870 मि० घन मीटर गैस का उत्पादन हुआ था।

(ख) और (ग) जी हां। बम्बई हाई में 1-1-91 की स्थिति के अनुसार लगभग 1581 मि० टन तेल और 3[illegible]7 बि० घन मीटर गैस का भू-गर्भीय भंडार होने का अनुमान है।

खालिस्तानी उग्रवादी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के सहायक का पत्र

774[illegible]. श्री रवि राय :

श्री अवध कुमार पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक खालिस्तानी उग्रवादी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के सहायक द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में दिनांक 11 मार्च, 1992 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस मामले को तुरन्त अमरीका की सरकार के साथ उठाया था जिसने यह स्पष्टीकरण दिया था कि "प्रोफार्मा" पत्र से पंजाब मसले पर अमरीका की नीति में किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है।

लक्षद्वीप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के स्टेशन

7743. श्री पी० एम० सईद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अनुसंधान स्टेशनों/उप-स्टेशनों की स्थापना की गयी है; और

(ख) इन स्टेशनों/उप-स्टेशनों द्वारा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में किये गये अनुसंधान कार्य का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) पिछले तीन वर्षों में निम्न अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(I) केन्द्रीय शीतोष्ण बागबानी संस्थान, श्रीनगर।

(II) केन्द्रीय कटाई के बाद इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी संस्थान, लुधियाना।

(III) उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर।

(IV) मरुक्षेत्र बागबानी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र।

(V) खरपतवार विज्ञान पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर।

(VI) भा० कृ० अ० परिषद परिसर, गोवा।

(VII) फसल प्रणाली अनुसंधान पर प्रायोजना निदेशालय, मोदीपुरम।

(VIII) याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश।

(ख) लक्षद्वीप में मिनीक्वाय एक बहुविषयक अनुसंधान केन्द्र है। यह केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन और केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड की अनुसंधान योजनाओं को हाथ में लेता है।

मिनीक्वाय में किया गया कार्य कृषि-बागबानी, पशु पालन और मात्स्यिकी उत्पाद, अधिक मूल्य वाली नकदी और बागानी फसलों के उत्पादन पर अनुसंधान, वृक्ष विज्ञान प्रणालियों के विकास और उगाए गए चारों में आत्मनिर्भरता लाने, पशु स्वास्थ्य और पशु उत्पाद पद्धतियों और संबंधित मात्स्यिकी, जिसमें तटवर्ती जलजन्तु विज्ञान भी शामिल है, से संबंधित है।

खम्भात की खाड़ी में ड्रिलिंग कार्य

7744. श्री हरिन पाठक:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में ड्रिलिंग कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पूर्वानुमानित/अनुमानित तेल/गैस भंडारों का ब्यौरा क्या है और इनसे कब तक उत्पादन होने की संभावना है; और

(घ) गुजरात के अन्य क्षेत्रों में खोज हेतु तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड की क्या योजनायें हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) ड्रिलिंग टेंडर को अन्तिम रूप देने सम्बन्धी कुछ समस्याओं के कारण खम्भात की खाड़ी के लिए ड्रिलिंग कार्यक्रम में कुछ देरी हो गई है ।

(ग) पूर्वानुमानित साधन 110 मिलियन टन के हैं। उत्पादन अन्वेषण के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

(घ) खम्भात बेसिन और कच्छ, सौराष्ट्र क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य तेल एवं प्रा० गैस आयोग द्वारा प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय वाटरशेड कार्यक्रम

7745. श्री पी० सी० थामस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने वाटरशेड बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या भू-भाग को देखते हुए इस संबंध में केरल को कोई विशेष वरीयता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली प्रस्तावित पनधाराओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिए 1400.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी गई है। तथापि भू-स्थिति तथा कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुसार लागत संरचना तथा परियोजना कार्यकलापों की इकाई लागत निर्धारित कर दी जाती है ।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पनधाराओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्रस्तावित पनधाराओं/विकास खंडों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	100
4.	बिहार	300
5.	गोवा	7
6.	गुजरात	169
7.	हरियाणा	5
8.	हिमाचल प्रदेश	68
9.	जम्मू और कश्मीर	31
10.	कर्नाटक	83
11.	केरल	113
12.	मध्य प्रदेश	385
13.	महाराष्ट्र	266
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	8
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	258
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	188

1	2	3
21.	सिक्किम	8
22.	तमिलनाडु	84
23.	त्रिपुरा	17
24;	उत्तर प्रदेश	183
25.	पश्चिम बंगाल	173
26.	दादर नगर हवेली	1
27.	दमन और दीव	2

डी० एम० एस० दूध की कालाबाजारी

[हिन्दी]

7746. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए गए दूध की कालाबाजारी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डी० एम० एस० दूध की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री में कथित कदाचारों के बारे में शिकायतें मिलती रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की मांग बहुत अधिक है जो इस समय दिल्ली में सबसे सस्ता है।

(ग) जब कभी शिकायतें मिलती हैं उनकी जांच करके सुधारक उपाय तत्काल किये जाते हैं।

गुजरात में रसोई गैस एजेंसियां

[अनुवाद]

7747. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1991 के दौरान आवंटित रसोई गैस एजेंसियों की संख्या क्या है; और

(ख) इस राज्य में 1992 के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) एक।

(ख) बाजार सर्वेक्षण, आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पाद की उपलब्धता आदि के आधार पर विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत देश में विभिन्न स्थानों पर एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती हैं।

सहकारी समितियों के लिए सेवा नियम

7748. श्री अन्ना जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों के सेवा नियम तैयार करने हेतु कोई कार्यवाही शुरू कर दी है जैसा कि बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 की धारा 50 (ख) के अन्तर्गत अपेक्षित है;

(ख) क्या सरकार ने नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, एक राष्ट्रीय आवास सोसायटी, को अपने सेवा नियम बनाने हेतु प्राधिकृत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियां, जिनके अलग-अलग उद्देश्य और कार्य हैं, के लिए सेवा नियमावली तैयार करना सरकार के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है। अतः संशोधन के द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 से धारा 50 (ख) हटाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। संगत अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के अनुसार, बहुराज्यीय सहकारी समितियों को अपने कर्मचारियों के लिए स्वयं सेवा नियमावली तैयार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड में कथित अनियमितताएं

7749. श्री अन्ना जोशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड में बड़े पैमाने पर व्याप्त कथित अनियमितताओं की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। ये शिकायतें खरीद में, ठेका देने में, मशीनरी के आयात में अनियमितता तथा ठेकेदारों को देय धनराशि का भुगतान न करने के बारे में थी।

(ग) से (घ) इन शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारिता लि० से संबंधित फाइलें और कागजात मंगवाये गये हैं।

परमाणु अप्रसार संधि से द्विपक्षीय सहायता को जोड़ना

[हिन्दी]

7750. डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री बलराज पासी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत की द्विपक्षीय सहायता को परमाणु अप्रसार सन्धि से जोड़ने सम्बन्धी संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियान की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस के वितरण का कम्प्यूटरीकरण

7751. कुमारी उमा भारती :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार रसोई गैस का कम्प्यूटरीकृत वितरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एल० पी० जी० के वितरण को कम्प्यूटरीकृत करने की कोई योजना फिलहाल सरकार के पास नहीं है। तथापि, संसद सदस्यों की सिफारिश पर उनके कोटा में से एल० पी० जी० के आबंटन के कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

परिशोधन लागत

[अनुवाद]

7752. श्री अमल दत्त :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्वदेशी तथा आयातित कच्चे तेल के परिशोधन की लागत क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) सर्वाधिक कुशल विदेशी तेल शोधक कारखानों की तुलना में हमारे यहां के लिए तेल शोधक कारखानों में कितनी लागत लाती है; और

(ग) इस लागत को कम करने की योजना तथा कार्यक्रम क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) शोधन लागत रिफाइनरी दर रिफाइनरी आकार और उसमें संसाधित कच्चे तेल की किस्म पर आधारित रिफाइनरी दर रिफाइनरी के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) अन्य देशों में रिफाइनरियों की उत्पादन लागत से सम्बन्धित आंकड़े तैयार नहीं किए जाते। तथापि, वर्ष 1989 में एक स्वतन्त्र विदेशी परामर्शदाता द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार हमारी कुछ रिफाइनरियों का प्रचालन व्यय विदेशी रिफाइनरियों की तुलना में अनुकूलतम है जिनका सर्वेक्षण किया था।

(ग) यद्यपि उत्पादन लागत का मुख्य अंग कच्चे माल की लागत है, तथापि उत्पादन इकाइयों के प्रचालन में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि रिफाइनिंग लागत कम की जा सके।

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भारत विरोधी नारे

7753. श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुल :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में सिडनी में आयोजित भारत-पाक क्रिकेट मैच के दौरान लगाए गए भारत विरोधी नारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ लोगों ने भारत-विरोधी नारे लगाए थे। इस मामले को आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ उपयुक्त तरीके से उठाया गया था।

झारखण्ड मसला

7754. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री संबोपान भगवान थोरात :

श्री साईमन मरान्डी :

कु० पुष्पा देवी सिंह :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ झारखण्ड कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में चलाए गए आर्थिक नाकाबन्दी अभियान के कारण हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने झारखण्ड मसले पर बातचीत करने के लिए अप्रैल, 1992 के दौरान कोई बैठक आयोजित की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई हैं;

(घ) उस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिए और अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इसका कब तक समाधान हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आर्थिक नाकेबन्दी के दौरान निम्नलिखित नुकसान हुआ :—

(i) 22-3-1992 को गिरिडीह जिले में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) के एक वाहन, जिसमें विस्फोटक ले जाए जा रहे थे, पर हमला किया गया और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के कुछ एक अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया;

(ii) 24-3-1992 को रांची के नजदीक हातिया में एक मालगाड़ी के इंजन को क्षति पहुंचाई गई और जे० एम० एम० कार्यकर्ताओं द्वारा जमशेदपुर जिले में एक मिनी बस जलाई गई;

(iii) 26-3-1992 को जमशेदपुर में जे० एम० एम० कार्यकर्ताओं द्वारा टेल्को की एक नई कार जलाई गई;

(iv) रांची जिले में लगभग चार से पांच फिश-प्लेटों को क्षतिग्रस्त करने सहित कुछ स्थानों पर रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया;

(v) 28-3-1992 को टिस्को एयरपोर्ट का हैंगर, एक बम विस्फोट में क्षतिग्रस्त हुआ;

(vi) 28-3-1992 को एक अन्य बम विस्फोट में टिस्को एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर के शीशे क्षतिग्रस्त हुए।

(ख) से (घ) केन्द्रीय गृह मंत्री ने 4-4-1992 को बिहार के मुख्य मंत्री और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। उड़ीसा के मुख्य मंत्री बैठक में उपस्थित नहीं हो सके लेकिन उन्होंने अपने विचार गृह मंत्री को बता दिए थे। प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और बिहार में झारखण्ड ग्रुपों के साथ क्रमश: 6-4-1992 और 7-4-1992 को बैठकें की गईं। भारत सरकार ने उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नोट किया है।

मध्य प्रदेश में तंगघाटी क्षेत्र

7755. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल तंगघाटी क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या सरकार की इन क्षेत्रों को विकसित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में आठवीं योजना के दौरान तंग घाटियों में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 6.83 लाख हैक्टेयर।

(ख) मध्य प्रदेश में बीहड़ सुधार को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1987-88 से कार्यरत है। राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार यह स्कीम 1991-92 से बन्द कर दी गई है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने उल्लेख किया है कि क्षेत्र विकास कार्यक्रम आठवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में जारी नहीं रखी जाएगी। राज्य सरकारों से चर्चा के दौरान इसकी सूचना दी गई थी तथा राज्य सरकारें इसे जिला विकास योजनाओं के भाग के रूप में शामिल करने पर सहमत हो गईं।

कीटनाशकों का आयात व उत्पादन

7756. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कीटनाशकों की वार्षिक अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) देश में इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में कीटनाशकों का आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) देश में कृमिनाशकों की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता लगभग 83,000 मी० टन है।

(ख) देश की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1,10,000 मी० टन है। 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्पादन क्रमश: 66,000, 70,000 और 75,000 मी० टन था।

(ग) केन्द्रीय कृषि और सहकारिता विभाग को प्राप्त कराई गई सूचना के अनुसार 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयातित कृमिनाशकों की मात्रा क्रमश: 3,240, 1,389 और 1,094 मी० टन थी।

———

12.00 मध्याह्न

प्रधान मन्त्री द्वारा वक्तव्य

बोफोर्स मामले की जांच

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, पहली अप्रैल, 1992 को ही मैंने सदन में बोफोर्स अनुबन्ध से संबंधित जांच और मामलों के विषय पर वक्तव्य दिया था। इस विषय के सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक बहस के पश्चात मैंने स्पष्ट शब्दों में इस मामले पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। एक ही महीने में हम उसी विषय पर फिर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अवसर की भांति, दुर्भाग्यवश, यह मामला एक बार फिर अखबारी रिपोर्टों के आधार पर उठाया गया है जिसमें कमोबेश उन्हीं बातों को दोहराया गया है जो अखबारों में पहले ही आ चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इस सदन में इस विषय पर जो कुछ पिछली बार कहा था उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता हूं। पिछली बातों को दोहराते हुए, जैसा कि तत्कालीन विदेश मंत्री श्री सोलंकी ने इस सदन को पहले बताया था कि वे पहली फरवरी, 1992 को दावोस में स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री श्री फेलबर से मिले थे। उन्होंने बोफोर्स अनुबन्ध से उत्पन्न मामलों से संबंधित भारत में चलाया कार्यवाहियों के संबंध में एक नोट श्री फेलबर का दिया था। मुझे उस नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और स्विट्जरलैंड सरकार के विदेश मंत्री को उस नोट को देने के लिए श्री सोलंकी को मेरे द्वारा प्राधिकृत करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह इस मामले की सच्चाई है।

क्योंकि, वास्तव में, मैंने न तो उस नोट को देने के बारे में श्री सोलंकी को प्राधिकृत किया था और न ही मुझे उस नोट के बारे में जानकारी थी, इसलिए श्री सोलंकी द्वारा मेरे नाम या प्राधिकार का स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के समक्ष उल्लेख करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। श्री सोलंकी ने इस बात की पुष्टि की है और किसी तरह से मेरे बारे में उल्लेख करने से पुरजोर शब्दों में इन्कार किया है। सदन को घटनाओं के क्रम के बारे में पहले ही जानकारी है क्योंकि वे पिछली बहस के दौरान सदन को जानकारी में लाई गई थीं। मैं एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि श्री सोलंकी द्वारा दिए गए नोट के बारे में न तो मुझे कोई जानकारी थी और न ही मैंने स्विस विदेश

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

मंत्री को दिए जाने के लिए किसी नोट को प्राधिकृत किया था।

अध्यक्ष महोदय, जबकि मैं अपने इस विचार पर कायम हूं कि किसी अखबार में दी गई किसी अप्रमाणिक रिपोर्ट के आधार पर चर्चा इन्कार या खण्डन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए फिर भी मैं माननीय सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उस रिपोर्ट में उठाए गए कुछ मामलों में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विस विदेश मंत्री श्री फेलबर को श्री सोलंकी द्वारा दिये गये नोट के पश्चात कुछ घटनाएं कथित रूप से घटीं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्विस सरकार से किसी नोट के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अखबार की रिपोर्ट में जिस "23 मार्च, 1992 के स्विट्जरलैंड से सी० बी० आई० को एक पत्र" का उल्लेख किया गया है वह वस्तुत: स्विट्जरलैंड से सी० बी० आई० के वकील श्री मार्क बोनेन्ट से एक फैक्स सन्देश की ओर संकेत है जिसमें श्री सोलंकी द्वारा श्री फेलबर को दिये गये ज्ञापन का उल्लेख था। यह पत्र सी० बी० आई० के कार्यालय में 24 मार्च, 1992 की रात को प्राप्त हुआ था और सी० बी० आई० के निदेशक ने इसे 25 मार्च; 1992 को देखा, वकील श्री बोनेन्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि श्री सोलंकी द्वारा दिया गया ज्ञापन प्रधान मंत्री के अनुरोध पर था। इस पत्र में उन्होंने सी०बी० आई० से विभिन्न मुद्दों के बारे में निदेश मांगे थे। सी० बी० आई० ने श्री बोनेन्ट को 26 मार्च, 1992 को तुरन्त ही उत्तर भेज दिया और कथित ज्ञापन के बारे में किसी जानकारी से इन्कार किया। सी० बी० आई० ने जोरदार शब्दों में कहा कि स्विस प्राधिकारी उक्त ज्ञापन को खातिर में लाए बिना अपनी जांच जारी रखें। अत: यह देखा जाएगा कि 23 मार्च, 1992 का पत्र एक वकील से अपने मुवक्किल को भेजा गया पत्र है और मुवक्किल ने तुरन्त और स्पष्ट शब्दों में कथित ज्ञापन का खंडन किया है।

अखबार की रिपोर्ट में एक अप्राधिकृत नोट के दिये जाने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया के अभाव का भी उल्लेख किया गया है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि बहस के दौरान और विशेषरूप से मेरे अपने उत्तर में मैंने जोरदार शब्दों में ऐसे किसी सुझाव का खण्डन किया था कि वह नोट सरकार द्वारा या मेरी जानकारी से भेजा गया था। हमने सदन को सी० बी० आई० द्वारा स्विस प्राधिकारियों को 24 मार्च, 1992 और 26 मार्च 1992 को भेजे गए पत्रों के बारे में सूचना दी थी जिनमें हमने कानूनी सहायता के लिए अपने अनुरोध पर बल दिया था। इसके अलावा, जैसा कि सदन में कहा गया था, बहस के समाप्त होने के कुछ ही घंटों में स्विस सरकार को एक और पत्र भी भेजा गया था जिसमें इस बात का संकेत दिया गया था कि श्री फेलबर को दिया गया नोट प्राधिकृत नहीं था और इसलिए वह सहायता के लिए हमारे बकाया अनुरोध को किसी भी तरह प्रभावित न करें। इस स्थिति के बारे में अगले दिन मैंने राज्य सभा को सूचित किया था। इसलिए सरकार या सी०बी०आई० द्वारा इस स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से अथवा उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया न करने का प्रश्न ही नहीं है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहूंगा कि मेरा सरकार सत्य का पता लगाने के लिए कानून के अनुसार और पूर्ण प्रयास से इस मामले की जांच कराने के लिए कटिबद्ध है। (व्यवधान)

12.05 म० प०

बोफोर्स मामले की जाँच के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री के इस संदेहास्पद मुद्दे से न जुड़े हुए होने की सूचना से हम सबको यहां बड़ी राहत मिली है। (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की भी यही मांग थी, क्योंकि अब जो इतनी देर के बाद सत्ता पक्ष की ओर से प्रचण्ड भावना अभिव्यक्त की जा रही है। विश्वासोत्पादक नहीं है क्योंकि कल पांच घण्टे तक हमने यही जानने की मांग की थी तथा एक भी सदस्य ने··· (व्यवधान)···

श्री ए चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे··· (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मेरी बात बड़ी स्पष्ट है। हम केवल यही जानना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : उन्हें अपना आरोप वापिस लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : हम केवल इतना ही जानना चाहते थे। हमारे पास यह जानकारी नहीं थी। हमने लगातार सत्ता पक्ष से इसकी मांग की। वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री भी उस समय उपस्थित थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने खड़े होकर उपस्थित केन्द्रीय मंत्रियों से कहा था, "आपको केवल इतना करना है कि आप में से कोई एक खड़ा होकर इतना कह दे कि प्रधान मंत्री महोदय इस मामले में सम्मिलित नहीं हैं तथा बाकी सभी प्रश्न··· (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : हम यह कैसे कह सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : पांच घण्टे तक एक भी केन्द्रीय मंत्री इतनी बुद्धिमत्ता, साहस तथा विश्वास नहीं दिखा सका तथा एक भी केन्द्रीय मंत्री अपने प्रधान मंत्री में इतना विश्वास नहीं दिखा सका कि खड़ा होकर केवल इतना कह देता, "अगर आप केवल इतना ही चाहते हैं तो मैं यह कहता हूं कि प्रधान मंत्री इस मामले में सम्मिलित नहीं हैं।"

महोदय, आप इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं। आपके कक्ष में जो कुछ भी हुआ मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के इस मामले में सम्मिलित न होने से हमें राहत मिली है। परन्तु अभी भी कुछ बड़े हुए हैं, जिनका उत्तर नहीं मिला है तथा ये प्रश्न काफी गम्भीर हैं। मैं यह बात बड़े संक्षिप्त तथा स्पष्ट शब्दों में माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूं ताकि हमें इससे कुछ लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : हमें संक्षिप्त रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही इस पर काफी लम्बी चर्चा कर ली है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं संक्षेप में ही बात करूंगा। ये प्रश्न वक्तव्य तथा इससे संबंधित तथ्यों से जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन यह है कि ये सभी स्पष्टीकरण विशेष तौर से इस सारे मामले को निपटाने के तरीके से सम्बन्धित हैं, जिसे कि सामान्य तौर पर सोलंकी विवाद कहा जाता है। दूसरी बात कानूनी मामलों के प्रबंधन की है जो कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से पैदा

[श्री जसवंत सिंह]

होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह बात स्वीकार की कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय में इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी और यह सूचना भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी से प्राप्त हुई थी, जिसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया था, उनकी चर्चा मैं एक मिनट में करता हूं।

यह एक तथ्य है। तथा इस तथ्य पर हम कल भी जोर दे रहे थे। (व्यवधान)

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, ससम्मान मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तथ्य पर कल श्री जसवन्त सिंह द्वारा जोर नहीं दिया गया था। अगर आप कल की रिपोर्ट के तीसरे स्तम्भ को देखें तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो वह वाक्य ऐसे था, "23 मार्च, 1992 को स्विट्जरलैंड से सी० बी० आई० को प्राप्त हुए पत्र में उसे दोहराया गया था।" उस वाक्य को पहले वाक्य के सान्निध्य में रखकर, आपने तथा बाकी लोगों ने यह कहा था कि यह पत्र स्विट्जरलैंड के अधिकारियों से सी० बी० आई० को प्राप्त हुआ है (व्यवधान)। एक मिनट ठहरिये। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए (व्यवधान)। श्री जसवन्त सिंह, आपने मुझे मौका दिया है। अतः मेरी बात को बीच में नहीं काटें (व्यवधान)। उन्होंने मुझे अवसर दिया है। तथा मैं अपनी बात करूंगा।

यह बात बार-बार कही गई कि इन तथ्यों की जांच होनी है। वे कल धैर्य नहीं रख सके। उन्होंने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच करने का हमें समय नहीं दिया। आपके कक्ष में भी जो कुछ हुआ, उसमें मैं किसी विशेष चर्चा को नहीं दोहराऊंगा, तब भी यह बात कही गई थी, यह वाक्य बड़ी सावधानी से लिखा गया है तथा इसमें किसी ने असत्यता को निचोड़कर भर दिया है।

आज हमने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में यह स्पष्ट किया है कि वह पत्र स्विटजरलैण्ड की सरकार की ओर से सी० बी० आई० को प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में किसी नोट अथवा ज्ञापन के बारे में कोई भी पत्र स्विटजरलैंड की सरकार की ओर से सी० बी० आई० को प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र केवल एक वकील द्वारा अपने मुवक्किल को लिखा गया है तथा मुवक्किल विभाग के मुखिया, सी०बी०आई० के निदेशक ने इसे 25 तारीख की सुबह को देखा। 26 तारीख को तुरन्त उसका खण्डन किया गया। श्री जसवन्त सिंह को वो बात नहीं जोड़नी चाहिए जो उन्होंने कल नहीं कही। उनमें इतना कहने की शालीनता होनी चाहिए... (व्यवधान)। श्री जसवन्त सिंह जी की निष्पक्षता का मैं सम्मान करता हूं। मेरे विचार में सेना के अधिकारी हैं। वे सेना के अधिकारी रहे हैं तथा उन्हें शालीनता तथा न्याय की भावना दिखानी चाहिए तथा उनमें इतनी शालीनता होनी चाहिए कि वे कह सकें, "महोदय, कल जो मैंने कहा था, वह पूर्णतया गलत था।" (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : पहले तो वास्तविकता बताता हूं। कल चर्चा के दौरान जब-जब मैंने यह मुद्दा उठाया तो अधिकतर समय तक शिवमंगा से माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। इसलिए पहले तो मैं इस सम्बन्ध में शुद्धि करना चाहूंगा। वह यहां पर ज्यादा समय उपस्थित नहीं रहे थे। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि क्या सरकार का स्विटजरलैंड से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैंने ऐसा स्पष्ट कहा था। ये मुझे अच्छी तरह याद है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात अब स्पष्ट हुई है।

श्री जसवन्त सिंह : उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिह्न लगाया है। उनका यह कहना है कि इससे मेरी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनसे भी न्याय किया जाना चाहिए। उन्होंने शब्दों का प्रयोग बड़ी साव-धानी से किया है।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने वास्तव में ऐसा ही किया है। यहां तक कि 1 अप्रैल को भी चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि इस सम्बन्ध में तथ्य मेरे पास हैं। मैंने यहां तक कहा था कि यद्यपि 1 अप्रैल को चर्चा के दौरान तथ्य मेरे पास थे, फिर भी हमने धैर्य से काम लिया। तीसरे, यह बात संसद की कार्यवाही में रिकार्ड हुई है कि मैं इस तथ्य को अपने नेता श्री लालजी आडवाणी की जानकारी में लाया था तथा कल भी इसका उल्लेख किया गया तथा यह बात कार्यवाही का हिस्सा है कि ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है।···(व्यवधान)···मैंने इसका उल्लेख किया था।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सदन के बाहर सहमत हुए थे तो उसका उल्लेख करने की आवश्य-कता नहीं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा।

श्री राम कापसे (ठाणे) : कल भी इसकी चर्चा की गई थी।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं कल सुबह उपस्थित नहीं था, मगर बाद में उपस्थित था। मेरे विचार में इस सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए, प्रधान मंत्री महोदय वक्तव्य देने के लिए सहमत हो गये। कल भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया।

श्री राम कापसे : चार बजे।

श्री अर्जुन सिंह : समय कुछ भी था। प्रधान मंत्री महोदय का वक्तव्य व्यापक, सुसंगत तथा सुस्पष्ट था। अब यह वक्तव्य प्रधान मंत्री द्वारा सरकार की ओर से दिया गया वक्तव्य है। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह ठीक है तो मेरे विचार में कल जो हुआ तथा दस दिन पहले जो हुआ उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको इस वक्तव्य को ऐसे तथ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए जिसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता तथा इसलिए इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : इसका प्रतिवाद किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस मुद्दे पर काफी चर्चा कर ली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बीच में टोकिए नहीं। कल हमने इस पर ढाई घण्टे से भी अधिक समय तक चर्चा की। यह सहमति हुई थी कि इस सम्बन्ध में अगर कोई शंका हुई तो उस पर संक्षेप में स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, तथा इससे अधिक कुछ नहीं। आप भाषण की तरह इस पर आप विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आप गागर में सागर भरने के योग्य हैं।

श्री जसवंत सिंह : आपने बात स्पष्ट करने के लिए जो भी कहा है मैं उस पर ही प्रतिक्रिया कर

[श्री जसवन्त सिंह]

रहा हूं क्योंकि मेरे अच्छे मित्र, शिवगंगा के माननीय सदस्य ने कुछ ऐसा कहा है कि मैं उसमें सुधार करना आवश्यक समझता हूं।

जहां तक वरिष्ठतम मंत्रियों और सभा के एक माननीय सदस्य, जो एक समय सभा के नेता भी थे, का संबंध है मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करूंगा। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ कल हुआ था उसी के कारण प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया। वास्तव में मेरे प्रश्न माननीय प्रधान मन्त्री के वक्तव्य से संबंधित हैं। मुझे यह जाकर बहुत राहत मिली है कि वह इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जानकारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मिली थी……

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 24-25 और 26 तारीख का उल्लेख किया है।

श्री जसवंत सिंह : 23-24 अथवा 25 मार्च का महत्व नहीं है, हम मान लेते हैं कि 25 मार्च को वह जानकारी प्राप्त हुई। क्या यह श्री बोन्नेट से प्राप्त नहीं हुई जो वहां हमारे विधिक सलाहकार हैं? दूसरे, क्या उस संप्रेषण में ऐसे शब्द थे कि श्री सोलंकी ने श्री राव के निर्देशानुसार कार्य किया अथवा उसमें ऐसी बात नहीं थी? यदि उसमें ऐसी बात लिखी थी, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो का इस संदेश से क्या लेना-देना था? महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण संप्रेषण है; केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे ही……

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जो सरकार ने किया था वही वक्तव्य में है।

श्री जसवंत सिंह : नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। (व्यवधान) इसमें वह नहीं बताया गया है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किया था। महोदय, मेरा एक विशेष प्रश्न है। क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था? यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, तो अनेक प्रश्न उभरते हैं। यदि माननीय प्रधान मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था तो : अप्रैल को दिए गए अपने उत्तर में माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? (व्यवधान) मेरा यही प्रश्न है। (व्यवधान) क्या आप मुझे अपनी बात समाप्त करने देंगे? (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : दूसरे, हमारी मुख्य एजेंसी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश स्विजरलैंड में हमारे विधिक कर्मचारी श्री मार्क बोन्नेट से प्राप्त हुआ। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधान मंत्री के निदेशानुसार कार्य किया। अतः क्या प्रधान मन्त्री ने 25-26 अथवा 27 तारीख को माननीय विदेश मंत्री को बुलाया था और कहा था कि "स्विटजरलैंड से प्राप्त संदेश में एक सुझाव दिया गया है कि आप वहां गए, और स्विजरलैंड के विदेश मंत्री से यह कहा, आपने बहुत गलत कार्य किया है। आपने ऐसा किया था अथवा नहीं किया था?" क्या प्रधान मंत्री ने तत्कालीन विदेश मंत्री को बुलाया था और उनसे यह प्रश्न पूछा था? तब निश्चित रूप से 1 अप्रैल को उन्होंने इसका उल्लेख किया होता। 1 अप्रैल को इस वाद-विवाद पर मैंने सीधा प्रश्न पूछा था। मैंने माननीय प्रधान मंत्री से पूछा था कि क्या इस घटना के घटने तथा समाचार-पत्रों में इसके प्रकाशित होने तक उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रधान मंत्री के ध्यान में यह

बात नहीं लाया, तो यह अत्यंत चिंता की बात है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इसकी जांच करें क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हैं जिस पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ध्यान नहीं दिया और प्रधान मंत्री के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, संक्षेप में मैं अपनी बात कहूंगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

एक अनुस्मारक भेजा है। हमें यह बताया गया है कि 24 तारीख को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक संदेश भेजा था। यह पहले भेजा गया था। यह 24 तारीख को क्यों और किसे भेजा गया ? 26 मार्च को हमें यह सूचना दी गई कि एक संदेश भेजा गया है। किसके हस्ताक्षर से यह भेजा गया और इसकी विषय वस्तु क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : यह महत्वपूर्ण पहलू हैं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, वे अनावश्यक रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं समझता हूं कि इस वक्तव्य की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मेरे बारे में कुछ कहा गया है। मैंने फाइलों, कार्यवाही तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्या किया था, उस बारे में स्पष्ट वक्तव्य दिया था। यह सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल है। यदि वे मेरे पास होते, तो मैं उत्तर दे सकता था, यदि वे मेरे पास नहीं हैं, तो मैं आवश्यकता होने पर अल्प सूचना प्रश्न के रूप में भी माननीय सदस्यों को उत्तर दे सकता हूं। वक्तव्य में मैंने अपने बारे में ही कहा है। अन्य सभी मामलों के बारे में यदि मेरे पास जानकारी होगी तो मैं अवश्य दूंगा, यदि मेरे पास जानकारी नहीं हैं, तो मैं जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस वाद-विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। कल दलों और नेताओं के बीच यह सहमति हुई थी कि माननीय प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे। यदि तर्कसंगत प्रश्न हैं, तो माननीय सदस्य एक-दो प्रश्न पूछ सकते है और उनके उत्तर दिए जा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर नियमित वाद-विवाद चाहते हैं तब आप नियमित वाद-विवाद के लिए कह सकते हैं। हम नियमित वाद-विवाद कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम यहां संसद में कार्य कर रहे हैं। सरकार से प्रश्न पूछना आपका अधिकार है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना सरकार का कर्त्तव्य है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नीतिगत मामलों, दार्शनिक मामलों, कानून तथा अन्य बातों के बारे में अधिक चिंतित हैं। साथ ही आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। लेकिन हम न्यायालय और संसद में अन्तर को समझें। न्यायालय में लिखित वक्तव्य होते है, एक सूची होती है, वहां प्रति जांच की जाती है। लेकिन मुझे खेद है कि सभा में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि हमारे पास समय सीमित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में समय मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) कल जो निर्णय हुआ था, मैं उसी को कहने वाला हूं।

[अनुवाद]

यह सहमति हुई थी कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बात को समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान ने सही कहा है। यह कहा गया था कि प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगे और प्रश्न पूछे जाने चाहिएं। तब किसी ने कहा कि ऐसी प्रथा नहीं थी। शायद श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ऐसी प्रथा नहीं थी। लेकिन विशेष मामले के रूप में ऐसा किया जाना चाहिए। इस पर नीयमित वाद-विवाद हो रहा है। अत: हमने कहा था कि प्रश्न काल के तत्काल बाद इस पर बहस हो। हमने सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। अत: यदि आप नियमित वाद-विवाद कराने में सचमुच रुचि रखते हैं, तो ऐसा किया जा सकता था लेकिन मैंने बीच का रास्ता निकाला।

वक्तव्य दिया जा चुका है। आपको प्रश्न पूछने की अनुमति है। संक्षेप में उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन आप इसे एक निश्चित समय के बाद नहीं बढ़ा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर कुछ कहते समय मैंने स्वयं को नियम 193 से नहीं बांधा था। मैंने

यह कहा था कि मैं यह देखूंगा कि यह कैसे किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे रुकवा सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : इसीलिए नियम 193 के अन्तर्गत सूचनाएं दी गई हैं। श्री जसवन्त सिंह ने एक सूचना दी है। मैंने एक सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : मुद्दा यह था कि प्रधान मंत्री शामिल थे या नहीं। वे अब ब्योरा क्यों मांग रहे हैं ? (व्यवधान) हमें यह बात समझ नहीं आ रही है। इस संसद में केवल यही मुद्दा है। (व्यवधान)

(श्री जसवंत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्णय की कद्र करता हूं क्योंकि आप जो भी निर्णय देंगे वह हमारे लिए अनिवार्य है।

मैंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि जो वह उत्तर दे सकते हैं, वे वह देंगे और जो उत्तर वह नहीं दे सकते हैं अथवा उनके पास जानकारी नहीं है, तो वह तथ्य एकत्र करेंगे।

महोदय, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा यदि आपको वह स्वीकार्य हो। माननीय प्रधान मंत्री, यदि अभी नहीं तो शायद बाद में हमें यह जानकारी लिखित रूप में अथवा किसी भी रूप में देंगे।

मुझे इसके कानूनी पक्ष के बारे में केवल तीन साधारण प्रश्न पूछने हैं क्योंकि मैंने अधिवक्ता श्री बोनंत के इस पत्र-व्यवहार के बारे में पहले ही चर्चा की है। महोदय, जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में उल्लेख किया गया है यह केवल वकील और मुवक्किल का कोई सीधा-साधा मामला नहीं है। वकील भारत सरकार का वकील है और मुवक्किल भी भारत सरकार का है। किस प्रकार से यह संसद इसमें शामिल है। यह कोई निजी मामला नहीं है जो किसी व्यक्ति ने स्विटजरलैंड में दायर कर दिया है। वकील भारत गणराज्य का वकील है और यह सरकार उस गणराज्य की एजेंसी स्वरूप है। अत: इस विधान मंडल को अनिवार्य रूप से इस प्रश्न की जांच-पड़ताल करनी चाहिए और हम निश्चित रूप से कार्यपालिका के बारे में अवगत होना चाहते हैं कि इन्होंने अपने वकील को क्या निर्देश दिए हैं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं किसी भी रूप में आपके अधिकार पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं महत्व पर जोर दे रहा हूं। महोदय, मैं सबसे पहले तो वकील और मुवक्किल के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। मेरा दूसरा स्पष्टीकरण लंबित पड़े हुए मामलों के बारे में है। यह एक ऐसा मामला है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी अन्तिम सुनवाई के लिए पड़ा हुआ है और मैंने कल भी इस बारे में जिक्र किया था। 24 अप्रैल अर्थात कल ही दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की अन्तिम सुनवाई होनी निश्चित हुई है। इस समय यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कई महीनों से यह मामला लम्बित पड़ा हुआ है और अतिरिक्त महाधिवक्ता को एक प्रत्युत्तर तैयार करने तक का समय नहीं मिला है और अचानक इस मामले की सुनवाई की तारीख निश्चित हो गई है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस मामले में जिसकी सुनवाई की तारीख कल की निश्चित हुई है, पुनः वही रवैया नहीं अपनाया जाएगा जैसा कि इससे पहले अपनाया गया था। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां तक मेरी तथा मेरे दल की सामर्थ्य होगी, हम इस मामले को आगे बढ़ायेंगे। शेष स्वाभाविक रूप से न्यायालय पर निर्भर करेगा।

श्री जसवंत सिंह : मुझे इन शब्दों से थोड़ी राहत मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि यदि सरकार का यही दृष्टिकोण बना रहता है। अब मैं केवल एक अन्तिम स्पष्टीकरण चाहूंगा और मैं···(व्यवधान)···क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हमें स्विटजरलैंड की प्रांतीय अदालतों में होने वाली इस मामले की सुनवाई के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे क्योंकि उनका सीधा सम्बन्ध कल होने वाली इस सुनवाई से है। महोदय, यह सत्य है क्योंकि इसका महत्व है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमें जो कुछ भी जैसा भी प्राप्त होगी, हम आपको उससे अवगत करा देंगे। अतएव, अब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री जसवन्त सिंह : मेरे प्रश्न सुनने के पश्चात यदि यह आपको असंगत लगें, तो ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि यदि माननीय प्रधानमंत्री···

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे कहने दीजिए जो मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा है, उसे देखते हुए यह आवश्यक नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि स्विटजरलैंड की अदालत में सुनवाई होने वाले मामले हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचना मिल जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा है।

श्री जसवंत सिंह : मैं उनकी स्थिति जानना चाहता हूं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है ताकि उनके साथ भी वही सब कुछ नहीं घटे जैसा कि पहले हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल ठीक इसी को अनदेखी करने का प्रयत्न कर रहा हूं। माननीय

प्रधानमंत्री जी यहां आए हैं और उनके हाथ में कुछ फाइलें मैंने देखी हैं जो यहां पर मंत्रालय में होंगी। अब हम प्रधानमंत्री जी से आशा कर रहे हैं कि वह पता लगायें कि दूसरी अदालत में इस मामले की क्या स्थिति है। यह एक ऐसी सूचना है जिसको एकत्रित करने में काफी वक्त लगेगा।

श्री जसवंत सिंह : ठीक है। मैं अपने प्रश्नों पर अड़ नहीं रहा हूं। मैं पीठासीन अधिकारी के साथ विवाद कैसे खड़ा कर सकता हूं ? फिर भी, मैंने जो कुछ इससे पहले कहा है, वह उसमें उल्लिखित है।

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी के खिलाफ यह बहुत गलत टिप्पणी की गई है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : जसवन्त सिंह जी को पूरी तरह से राहत महसूस करनी चाहिए क्योंकि वे बहुधा बार-बार इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। और अब उन्हें इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं बस एक अन्तिम टिप्पणी के बाद इसे समाप्त करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने असत्यापित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के बारे में कहना आवश्यक समझा है। मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बोफोर्स का यह दुःखप्रद अध्याय सभी के समक्ष खुल गया है और आज यह केवल हमारी ही चिंता का विषय नहीं है बल्कि हर किसी की चिन्ता का विषय बन गया है क्योंकि संभवतः यही सर्वाधिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामला है जो हथियारों की खरीद से संबंधित है। इसके केवल दो कारण हैं। एक कारण इसलिए है क्योंकि समाचार पत्रों में कुछ न कुछ इस बारे में प्रकाशित होता रहता है। दूसरे आप भी सत्य का पता लगाने और इसे ठंडा करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस मामले को ठंडा करने में समाचार पत्रों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसीलिए यह कहना कि हम भी समाचार पत्रों में प्रकाशित असत्यापित खबरों के आधार पर ही यहां पर बोलते हैं, संभवतः इससे हमारे निर्णय की ही निन्दा होती है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : सदन का समय बर्बाद करने के लिए, सदन का समय लेने के लिए, गुमराह करने की इन्होंने कोशिश की है, उसके लिए ये लोग माफी मांगें। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, हम तो आपके कमरे में आते नहीं हैं, नेताओं के बीच में। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : क्या श्री जार्ज फर्नान्डीज इसी प्रकार बोलते जायेंगे ? क्या इसी प्रकार उन्हें निन्दा करते रहने दिया जाएगा ? ···(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया :

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके कमरे में, नेताओं के बीच में, मैं कभी आता नहीं हूं और उसका एक कारण यह है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिन पर सदन में ही बहस करना ठीक होता है, सदन में ही उसका फैसला होना ठीक होता है। कल जब हम लोग आपके कमरे में गए तो असल में घसीटे गए थे वहां पर।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आपको इन्वाइट किया गया था, घसीटे नहीं गए थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जो चर्चा वहां पर हुई थी, उस बात को मैं इसलिए सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : चैम्बर की चर्चा हाउस में नहीं हो सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चर्चा केवल चूंकि आपने लाया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने खुद नहीं लाया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, आपने लाया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि श्री फर्नान्डीज बहुत अच्छी प्रकार से हर नियम और परम्परा जानते हैं। बात केवल यह है कि वह अत्यन्त सीधे-सादे ढंग से इसका प्रयोग करते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। चर्चा की शालीनता को समझते हुए आप जैसा सदस्य उन चर्चाओं का उल्लेख नहीं करेगा। मैंने केवल दो अथवा तीन वाक्य बोले हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मान लिया, अध्यक्ष जी मान लिया, मगर मुझे जो बातें यहां पर रखनी हैं, उन्हें हम रखेंगे। मैंने कल रात को प्रधान मंत्री को एक लम्बी चिट्ठी भेजी थी, जिसे 10.00-10.30 बजे हमने उनके यहां पहुंचाया था। अब पता नहीं, उनके व्यस्ततम कार्यक्रम में, आपको उसे देखने का, पढ़ने का मौका मिला या नहीं। उसकी एक कापी, अध्यक्ष जी, मैंने आपको भी भेजी थी और यह प्रार्थना करके कि प्रधान मंत्री से आप भी आग्रह करें।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप इसके बारे में जो बोल रहे हैं, तभी मुझे बोलना पड़ रहा है, वह कापी मुझे रात के 8.30 बजे या 9.00 बजे मिली थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, वह आपको साढ़े दस बजे मिली है क्योंकि हमने 10.00 बजे तो उस पर दस्तखत किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लेट वह मिली है, मैंने पहले ही बोल दिया है, आप तो बाद में बोल रहे हैं। उसके अन्दर आपने इतने प्रश्न पूछे हैं कि उन सारे प्रश्नों का जवाब अगर मंगाना हो तो एक प्रश्न का जवाब मंगाने के लिए 20 दिन का नोटिस देना पड़ता है। यदि आप 50-60 प्रश्न पूछेंगे और ऐन वक्त पर उनको बोलने के लिए कहेंगे या मुझे कहेंगे कि प्रधान मंत्री साहब को बोलियेगा, तो कैसे हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को सभी उत्तर भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे खुशी होती, प्रधान मंत्री जी यदि मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मुझे भेज देते और उसे सदन में भी रखने का काम हम चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जी करें।

अध्यक्ष जी, जो बयान प्रधान मंत्री जी ने किया है उस बयान को लेकर और जिस संदर्भ में, वह बयान यहां आया है, उस संदर्भ को लेकर, (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री का जो बयान है, उसमें जो बातें आई हैं, इन दोनों दोनों चीजों पर मुझे बहुत ठोस बात कहनी है, कोई भाषण नहीं, बहुत ठोस बात कहनी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी आपत्तिजनक टिप्पणियां समाप्त की जाएं। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इस विषय पर कोई डिस्कशन अलाऊ किया है; ये कैसे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अय्यर जी, मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया पहले स्वयं पर नियंत्रण कीजिए। यह आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जितना ज्यादा आप चिल्लाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने मामले को खराब करने का काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : आपने कल ढाई घंटा खराब किया। अभी भी डिस्कशन करके देश की पार्लियामेंट के समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कुछ तो कद्र करो। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मुझे सदन में आने में दस-पन्द्रह मिनट की देरी हो गई। लेकिन जब मैं अन्दर आया था तो, आप खड़े होकर सदन के लोगों को समझाने का काम कर रहे थे क्योंकि आज सुबह प्रश्न-काल शुरू होने से पहले, कांग्रेस के सदस्य, सदन को चलाने में रुकावट डालने का काम कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि 'इंडियन एक्सप्रेस' में जो एक खबर आई है, उसको लेकर सत्ताधारी दल के लोग बहुत ही उत्तेजित हैं और उनकी उत्तेजना मैं समझ सकता हूं; क्योंकि 'इंडियन एक्सप्रेस' ने उन्हीं बातों को फिर दोहराया है, जिनको कल 'स्टेट्समैन' ने लिखने का काम किया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, क्या वह समाचारपत्र की ओर से बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न यह है कि इस सभा की प्रक्रिया...

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है ?

श्री अर्जुन सिंह : इसके लिए व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाया जा सकता है और इसीलिए मैंने इसे उठाया है। यदि आप... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना व्यवस्था के प्रश्न उठाया गया है।

श्री अर्जुन सिंह : यदि यही पद्धति है, तो मैं व्यवस्था के बिना एक प्रश्न उठाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः शून्य काल में व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्री अर्जुन सिंह : प्रश्न यह है कि सभा के सभी वर्गों द्वारा सभा की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल सरकार से जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। उनका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि सभा तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्षों पर पहुंच सके और उनका इस्तेमाल सरकार अथवा किसी मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री से भी बहस करने में किया जाता है। जिन प्रश्नों को कल पूछा गया था उनका उत्तर प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में व्यापक रूप से दे दिया है। श्री जार्ज फर्नांडीज ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, प्रधान मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इसका विस्तृत उत्तर उन्हें भेज देंगे। मेरे विचार से इसमें कुछ शालीनता होनी चाहिए। अब जब कि प्रधान मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह उन्हें उत्तर भेज देंगे फिर भी वह इस मामले को और आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? उन्हें पहले उत्तर पढ़ना चाहिए और उसके पश्चात् यदि वह फिर भी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें सदन में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें एक सच्चाई समझनी चाहिए। सामान्यतः ऐसे समय में हम व्यवस्था संबंधी प्रश्न नहीं उठाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री द्वारा एक वक्तव्य देने के पश्चात् हम यह चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रश्न के बारे में आपको संदेह हो, आप उस पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप चर्चा में स्वयं कोई नया तत्व नहीं जोड़ सकते और इस पर नये सिरे से चर्चा करनी शुरू कर दें। यह ठीक नहीं है। आप केवल इस बात का कृपया ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मुझे केवल एक बात कहने दें। कल सभी दल इस बात पर सहमत हो गए थे कि चर्चा होगी।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री श्रीकांत जेना : चर्चा होगी और प्रत्येक दल का एक सदस्य उसमें भाग लेगा। उसे टालें नहीं। संसदीय कार्य मंत्री कम से कम कांग्रेस के सदस्यों को तो अपने नियंत्रण में रखें।

यह मुख्य मुद्दा है। कल इस बात पर सहमति हो गई थी कि सदस्य प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए हम पर जोर दिया गया था। कल यह बात भी मान ली गई थी कि प्रत्येक दल से एक सदस्य भाग लेगा जिसमें आपका कोटा समाप्त हो चुका है। अब श्री जार्ज

फर्नान्डीज की बारी है। प्रत्येक दल कितना समय लेगा, यह तय नहीं किया गया था। इसलिए, वे जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, पूछने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अध्यक्ष महोदय : यहां कोटे का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सदन में कितना ही समय इस तरह से हरकत करके खर्च हो गया, अगर हमें बोलने के लिए छोड़ दिया जाता तो हम अपनी बातों को रख देते। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : वे इस चर्चा को टालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वे चुप नहीं होंगे, तो हम सभा में कोई चर्चा नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलडाना) : आपके बगैर यह सरकार काम कर रही है। आप सरकार का काम नहीं रोक सकते।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। वे कोई स्पष्टीकरण पूछना नहीं चाहते हैं। वे केवल मामला उठाना चाहते हैं। यही है जो वे कर रहे हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हम श्री जार्ज फर्नान्डीज के बोलने की अनुमति देने पर जोर दे रहे हैं। जो कुछ भी हमने सुबह कहा था वह 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट पर आधारित नहीं था। कल भी हमें इस बात के लिए संतुष्ट कर लिया गया था कि प्रधान मंत्री का इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है। हम आज भी इस बात से सहमत हैं। समाचार पत्रों की रिपोर्टों का हमारी अभिशंसा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि जनता दल का यही तरीका है तो हम क्षमायाचना के लिए जोर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको समझाने के लिए मैं कौनसी भाषा इस्तेमाल करूं। कृपया एक-दूसरे के साथ सहयोग कीजिए। मैं समझता हूं कितना ही काफी है। हमने एक अल्पावधि चर्चा की थी और हम उसे लम्बा नहीं खींचना चाहते हैं। इसे अल्पावधि तक ही रहने दें और यही बेहतर होगा।

...(व्यवधान)...

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं हार मानने वाला नहीं हूं।...(व्यवधान)...

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हूं।

मैं यहां 45 मिनट बैठा हूं और मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा मुख्य सचिव को स्पष्ट करने की जोरदार कोशिश को सुना है।

मेरे विचार से आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप श्री अहलुवालिया के सम्बन्ध में यहां कुछ

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

भी कहने की अनुमति नहीं देंगे यदि वह उनके आचार अथवा दुराचार के आरोपों से संबंधित है।··· (व्यवधान)···मैंने बोलना बन्द नहीं किया है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मुख्य सचिव को पूर्ण दोषमुक्त करने के लिए 45 मिनट लगाए हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां बैठकर मुझे यह देखना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सहयोग दे। क्या मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूं कि वे यह देखें कि जो माननीय सदस्य आगे तथा पीछे बैठे हैं, वे अपना सहयोग दें, ताकि अल्पावधि में हम इस चर्चा को समाप्त कर सकें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : आपने अपना निर्णय दे दिया है कि जो मामला इस सत्र में उठाया गया हो, उसी तरह का मामला सभा में दुबारा नहीं उठाया जा सकता। आपने केवल महत्व-पूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ही समय दिया है जो कि उन्होंने उठाए हैं।

कुछ कारणों से प्रश्न-काल को स्थगित करके एक प्रश्न पूछा गया था। वह क्या कारण था? कारण था, कल प्रकाशित समाचार में माननीय प्रधान मन्त्री जी का शामिल होना। लेकिन इस सभा में माननीय प्रधान मन्त्री जी के अभिभाषण के बाद मामला स्पष्ट हो गया था। इसलिए इसे आगे उठाने का कोई कारण नहीं है।

एक बात है :

[हिन्दी]

"सन्दूक भीतर पाप छिपे न,
नीच छिपे न बर्तन के अन्दर,
सभा के भीतर पंडित छिपे न।"

[अनुवाद]

बादल सूरज को नहीं छिपा सकते हैं। पाप ताले चाबी में नहीं छिपाये जा सकते। यह दर्शाता है कि आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। चर्चा यहीं समाप्त होनी चाहिए।···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ ठोस सवाल ही पूछूंगा। उसके साथ अगर एक-आध टिप्पणी करने की जरूरत होगी तो टिप्पणी करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि अभी जो प्रश्न हम यहां पूछेंगे, इसका उत्तर यहीं आज देने का काम करेंगे···(व्यवधान)··· मेरी मातृभाषा कोंकणी है, लेकिन मैं हिन्दी बोलता हूं। गलती हो तो माफ करें। मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री के ही निवेदन से एक जुमले को लेकर उनसे जानना चाहूंगा···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : पहले माफी मांग लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आखिरी बार इन लोगों से कह रहा हूं कि मजाक की एक सीमा होती है, किसी भी चीज की एक सीमा होती है। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं···(व्यवधान)···

12.55 म०प०

[अनुवाद]

इस समय, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के पास खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जायें।

...(व्यवधान)...

12.56 म०प०

इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना : यह जो हो रहा है, जानबूझ कर हो रहा है।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्री श्रीकांत जेना, इस तरह नहीं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब लोग बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सदस्यों को बोलने का अधिकार है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं श्री रंगराजन कुमारमंगलम से पीछे जाने के लिए कहूंगा।

दूसरी बात यह है कि आपको अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इसलिए कृपया हमें अपनी कार्यवाही जारी रखने दें। यदि आवश्यक है तो वहां विचारों का टकराव होने दें। इस मामले को जल्दी से जल्दी समाप्त करने दें। आइए हम एक-दूसरे को सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री जी के बयान से एक प्रश्न पूछ कर बात शुरू करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में पेज—2 पर कहा है—

[अनुवाद]

"वकील, श्री बोलम्ट ने कहा है कि उन्हें कहा गया था"—कि उन्हें कहा गया था—कि श्री सोलंकी द्वारा दिया गया ज्ञापन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर दिया गया था"

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[हिन्दी]

हम जानना चाहेंगे, उनको किसने कहा था?

[अनुवाद]

उनको किसने कहा था ? उन्हें किसने कहा था ?

[हिन्दी]

क्लायेंट और काउन्सिल की रिलेशनशिप है। भारत सरकार क्लायेंट है और काउन्सिल ने अपने क्लायेंट से कहा है कि मुझे…

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चन्डीगढ़) : क्या यह न्यायालय है ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कोर्ट से बहुत बड़ी जगह है।*…(व्यवधान)…

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हां, यहां कानून बनता है और वहां उसका इन्टरप्रिटेशन होता है।

[अनुवाद]

यही अन्तर है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : इस तरह की बात कहना, आप जैसे सांसद को शोभा नहीं देता है। …(व्यवधान)…

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कैसे नहीं शोभा देती है। …(व्यवधान)…

1.00 म० प०

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं, क्या मुझे आज बोलना नहीं चाहिए। लेकिन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं! आज मुझे बोलने की अनुमति दिए जाने पर और दे रहा हूं। उन्होंने आपस में निर्णय ले लिया है क्योंकि यह सामूहिक निर्णय प्रतीत होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इससे पहले यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। इस लोक सभा में अब तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा आज पहली बार हो रहा है। यदि उनका यह विश्वास है कि वे मुझे चुप करा देंगे तो मैं यह कहूंगा कि उनका आपातकाल भी मुझे चुप नहीं करवा सका। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि कार्यवाही चलती रहे ? यदि आप चाहें तो मैं अपने चैम्बर में जा सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी एक बार भी अपने मेम्बर्स को रोक नहीं रहे हैं, यह बहुत गलत परम्परा डाली जा रही है। यदि यही होता रहा तो वे भी यहां पर नहीं बोल पाएंगे, आपको एक-एक आदमी के लिए मार्शल को भेजना पड़ेगा। यह क्या तरीका है कि सदन के नेता बैठे हुए हैं और यह सब चल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक-दूसरे को चुनौती न दें। यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सदन के नेता ने एक बार भी अपने सदस्यों को बैठने के लिए नहीं कहा, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमेशा इस तरह चुनौती न दें। कृपया बैठ जाइये। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मेरे से सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से भी निवेदन करूंगा, आपको भी बीच में हस्तक्षेप करके कहना पड़ा संसदीय कार्य मंत्री को, हमारी ओर के नेतृत्व को, कल जो तय हुआ आपके साथ, उसके मुताबिक आपको कार्यवाही करने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया, एक पक्ष के प्रतिनिधि ने अपने सवाल पूछ लिए, दूसरे पक्ष के प्रतिनिधि जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनको पूरी देर बाधा डालकर बोलने न देना; यह सरासर अनुचित है और इसलिए आपको हस्तक्षेप पुनः जरूरी है, ताकि मेरे मित्र जार्ज फर्नान्डीज जो सवाल पूछना चाहें, वे पूछ सकें और बाकी सब दल के एक-एक सदस्य, जैसा कल तय हुआ था, अपने सवाल पूछ सकें। और प्रधानमन्त्री उनको जवाब दे दें, यह सीधी बात है। लेकिन इसमें विलम्ब हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि आपकी तरफ से भी चैलेंज नहीं होना चाहिए और आपकी तरफ से भी व्यवधान नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

हम यहां एक दूसरे को चुनौती देने या बाधा उत्पन्न करने के लिये नहीं हैं। यदि आप व्यवधान न डालें तो यह चर्चा कम-से-कम समय में समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि आप व्यधान पैदा करते रहें तो यह चर्चा चलती रहेगी। हम नहीं चाहते कि यह चर्चा लम्बे समय तक जारी रहे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं फिर प्रधानमन्त्री जी के बयान से शुरू कर रहा हूं, उन्होंने अपने बयान में कहा है—

[अनुवाद]

"वकील श्री बोनेन्ट ने कहा कि उन्हें यह बताया गया कि श्री सोलंकी द्वारा दिया गया ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री के निवेदन पर दिया गया था।"

[हिन्दी]

अब क्लाइंट और कौंसल का रिश्ता है। तो क्लाइंट अपने कौंसल को ब्रीफ करता है, तो बोनेन्ट को किसने कहा, क्लाइंट ने कहा या क्लाइंट के अलावा किसी ने कहा, इस बात का जवाब हमको प्रधान मन्त्री जी से चाहिए और हम यह भी जानना चाहेंगे कि अगर उनको किसी ने कहा, यह बात प्रधान मन्त्री के यानी सरकार के, क्लाइंट की जानकारी में आ गई। तो फिर आपके कहने के अनुसार आपने अपने कौंसल को संदेश भेज दिया सी० बी० आई० की तरफ से। मगर आपके पास यह जानकारी आयी, क्योंकि इसमें आपने कहा है कि मार्क बोनेट का जो फैक्स मैसेज सी० बी० आई० के दफ्तर में आया।

[अनुवाद]

श्री सोलंकी द्वारा श्री फैल्बर को दिया गया एक ज्ञापन पत्र का उल्लेख हुआ है।

[हिन्दी]

अब यह है असली मुद्दा इस सारी बहस का। अगर 23 मार्च या 24 मार्च या 25 मार्च की सुबह सी० बी० आई० का डायरेक्टर इसको देखता, प्रधानमन्त्री सी० बी० आई० के मन्त्री हैं, सी० बी० आई० आपके नीचे है तो क्या श्री विजय करण या सी० बी० आई० का कोई अफसर जो आपको रिपोर्ट देने वाला है, उसने क्या यह मैसेज आपके पास पहुंचाने का काम किया ? स्वयं विजय करण आपसे आकर मिले। क्या यह फैक्स मैसेज स्वयं आपने देखा ? क्या इस फैक्स मैसेज में इस मैमोरेंडम की चर्चा थी जिसमें यह कहा था कि यह मैमोरेंडम सोलंकी ने फैल्बर को दिया है ? तो आपने सोलंकी से कब पूछा इस मैमोरेंडम के बारे में ?

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वह अभी जो कुछ भी पूछ रहे हैं उस सम्बन्ध में मेरा यह कहना

है कि मैंने उन प्रश्नों का उत्तर जार्ज फर्नान्डीज के 18 प्रश्नों के उत्तर में दे दिया है। मैंने यह वादा किया कि मैं उनमें से प्रत्येक को रिकार्ड से उत्तर भेज दूंगा क्योंकि उससे बाहर कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे रिकार्डों को देखना होगा। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जैसा कि मेरे सहयोगी कह चुके हैं कि जहां तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे का संबंध है कि उक्त पत्र प्रधान मंत्री की जानकारी में अथवा प्राधिकृत किए जाने को दी गई उसके बारे में प्रधान मंत्री का उत्तर स्पष्ट है। लेकिन वर्तमान स्थिति, जो उत्पन्न हो गई उसे ध्यान में रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधान मंत्री यह मानेंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भारत के वकील भी यह मानने लगे कि उक्त पत्र प्रधान मंत्री के द्वारा प्राधिकृत किए जाने के बाद दिया गया था। उन्हें दिक्‌भ्रमित किया गया। यहां तक कि आपके कई सहयोगियों को कल यह विश्वास हो गया और कहा : "कि हम नहीं जानते, उसमें कुछ हो सकता है और इसीलिए हम उसका विरोध नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह आरोप एकदम निराधार है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह प्रश्न जिसे श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री जसवंत सिंह ने उठाया है, पूरी तरह प्रासंगिक है। अधिवक्ता को किसने बताया ? (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं सभा में कल ही आता लेकिन मुझे एक विशिष्ट व्यक्ति से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था। उस विचार-विमर्श करने के लिए मुझे तैयारी करनी थी। 'इसलिए महोदय, यह हमारे लिए सम्भव नहीं था। मैं सभा के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता हूं। जब सभा चाहेगी कि मैं यहां उपस्थित होऊं तो मैं सक्षम रहा तो अवश्य ही आऊंगा।'

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उस संबंध में शिकायत नहीं कर रहा हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ठीक है। जो मेरे से सम्भव होगा मैं उसका जवाब दूंगा। मैं सभी बातों को टालने के लिए नहीं कह रहा कि उसका जवाब बाद में दिया जाएगा। हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध होगी मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसलिए जब उन्होंने प्रश्नों को दुहराया था जो इस लम्बे पत्र में पहले से उल्लिखित है तो मैंने कहा था कि उन प्रश्नों का उत्तर फाइलों और रिकार्डों के संदर्भ में दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं जो बात छेड़ रहा हूं वह ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए साल भर या दो साल या विदेश से रिकार्ड को यहां पर मंगवाएं। मेरा प्रश्न बहुत छोटा है। मेरा प्रश्न यह है कि 24 तारीख को आपके पास कम्युनिकेशन आता है, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 25 तारीख को आपके पास कम्यूनिकेशन आया, यह मैं मानकर चलता हूं, क्योंकि आप सी० बी० आई० के मंत्री भी हैं, आपके डायरेक्टर ने देख लिया, आपने अपने बयान में यह भी कहा कि हमने तत्काल उसे जवाब देने का काम किया। लेकिन आपकी काउंसल ने आपको कहा कि यहां पर हमें यह बताया गया। ...(व्यवधान)...मुझे बताया गया कि ऐसी बात हुई है। उस बात में यह भी मामला आ गया कि प्रधान मंत्री के कहने पर उनके विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री को नोट दिया। प्रधानमंत्री जी, मैं परेशानी से प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। आपने एक अप्रैल की डिबेट में हम लोगों को गुमराह किया। आपने यह नहीं बताया कि 24 तारीख को आपके पास मैसेज आया तो आपको उस नोट की

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

जानकारी थी। आपने यह नहीं कहा कि आपने कोई संदेश भेजा है, मेरा नाम इसमें जुड़ा है और यह गलत है।···(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी आपमें संवेदना है और आप इन चीजों को अन्यथा नहीं लेंगे। आपके भाषण के दो वाक्य मैं पढ़कर सुनाता हूं। आपने यह कहकर शुरूआत की—

[अनुवाद]

"विगत दो-तीन दिनों में जो घटनाएं घटीं और जिसके कारण सरकार शर्मिंदा हुई उसका वास्तव में मुझे अत्यन्त खेद है।" 21 मार्च से 1 अप्रैल जिस तथ्य को छिपा कर रखा जाना था उसका आज जनता के सामने आ जाना और तथ्य उजागर हो जाना कि विदेश मंत्री पकड़े गए, इससे शर्मिंदगी हुई।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं परेशानी से कह रहा हूं। राजनीति में तो हम विरोध करते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं कि सदन के सामने आपके ब्यान होंगे तो उस ब्यान में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ वाक्य पढ़कर सुनाता हूं।···(व्यवधान) आप क्यों चिल्लाते हो। हम लोग तो आपस में मीठी बातें करते हैं··· (व्यवधान) भाषण के आखिरी दो-तीन वाक्यों में प्रधान मंत्री जी कहते हैं—

[अनुवाद]

"महोदय, पत्र के संबंध में"—यहां आपको वह सम्बोधित कर रहे हैं 'महोदय'—"हम सरकार को सम्बोधित करेंगे।"—स्विट्जरलैंड की सरकार—जिसका मतलब यह है कि 25 तारीख से 1 तारीख तक, यदि इंडियन एक्सप्रैस 1 अप्रैल को प्रकाशित नहीं करता, तो वह सरकार को सम्बोधित करते···(व्यवधान)। यदि संचार माध्यम और प्रैस इस सच्चाई को उस हद तक उजागर नहीं करते, जहां तक उनकी पहुंच थी, जहां तक वे सच्चाई की तह में पहुंच सकते थे, तो आप स्वयं सभा में नहीं आते और न आप अपनी ओर से कोई पहल करते।

[हिन्दी]

मेरे प्रश्न की खोज करने की प्रधान मंत्री जी को कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न प्रधान मंत्री जी से यह है कि 24 तारीख से लेकर एक अप्रैल तक आपने इस कोट के संदर्भ में क्या किया। श्री सोलंकी ने नोट दिया था यह आपको कब मालूम हुआ। यह बात आपने सदन या देश को कभी नहीं बताई कि उस नोट का आपको कब पता चला।···(व्यवधान) इंडियन एक्सप्रैस और चित्रा सुब्रह्मण्यम यह लिखते है कि मिड-फरवरी में स्विट्जरलैंड की सरकार ने सी० बी० आई० से पूछताछ की।···(व्यवधान) अगर आप उस पर विश्वास करते है तो इंडियन एक्सप्रेस और चित्रा सुब्रह्मण्यम की रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। वह कौन-सी तारीख को पूछताछ हुई थी। आपने कबूल किया है लेकिन पहले अखबारों ने सामने लाने का काम किया है।···(व्यवधान) जितनी जरूरत पड़ेगी, हमको उतना टाईम दिया जाएगा।···(व्यवधान) अखबारों ने अपनी खोज करके तथ्यों को छापने का काम किया है। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे दो अखबारों ने इस देश की सेवा की है। इस मामले को लेकर वह अगर नहीं आते तो आज यहां बहस नहीं होती, कौन इस बात से इनकार कर सकता है। इसलिए मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहूंगा, इसकी खोजने की कोई जरूरत

नहीं है, मिड फरवरी में आपकी सी० बी० आई० के पास स्विट्जरलैंड की सरकार का कौन-सा मैसेज आया था ? मैं मूल सवाल पर आ रहा हूं। 24 से लेकर 1 अप्रैल तक सात दिन का समय था, क्या आपने स्विट्जरलैंड की सरकार को सूचना दी थी ? इस नोट से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वह मामला नहीं आया, न पिछले भाषण में आया है और न आज के बयान में आया है। इसलिए हम प्रधान मंत्री से जानना चाहते हैं नवम्बर 2···

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं उन सबकी जानकारी देना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों के विशिष्ट उत्तर दिए गए हैं। एक मुद्दा जो उन्होंने यह उठाया है कि श्री बोनेन्ट को किसने बताया। यह विशेषरूप से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछा गया है। उन्होंने उक्त जानकारी प्राप्त करने के किसी स्रोत का उल्लेख नहीं किया। यही स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अफसोस है कि प्रधान मंत्री···

[अनुवाद]

अपने उत्तर बहुत सोच-समझकर दे रहे हैं। वह समस्या के मूल पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं जिसे हमने उठाया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जो भी जानकारी हमारे पास है मैं उसे स्वेच्छा से सदस्यों को बताने के लिए तैयार हूं। यदि मुझे फिर से रिकार्ड देखना पड़ा तो मैं देखूंगा और उत्तर दूंगा :

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जब प्रधान मंत्री को इसकी खबर मिली, वह फरवरी में मिली स्विस सरकार की ओर से 23-24 मार्च को बोनांड की तरफ से मिली और वहां सरकार से नहीं मिली।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मुझे अभी-अभी ज्ञात हुआ है कि फरवरी में स्विट्जरलैंड के अधिकारियों से कोई बात-चीत नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं फिर वही सवाल पर आ रहा हूं···

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की यादवाश्त धूमिल पड़ रही है।

[हिन्दी]

24 तारीख से 1 तारीख तक आपने क्या किया ?···(व्यवधान)···आपको कब पता चला नोट का···

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[अनुवाद]

मैं संगत प्रश्न कर रहा हूं। मैं असंगत प्रश्न नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

महोदय, मैं सहमत नहीं हूं। मैंने केवल प्रधान मंत्री की बात मानी है। मैं दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो इतना ही काफी है। आपको उसे बार-बार दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब प्रधान मंत्री हमारे प्रश्न का एक पहलू ही याद रखते हैं और दूसरा पहलू भुला देते हैं तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम तुरन्त उन्हें याद दिला दें?

अध्यक्ष महोदय : ठीक इस बात पर मैंने कहा है कि यदि आपको न्यायालय का कमरा मिला होता। आपके वकील प्रश्न करते और फिर जिरह करते। क्या हम यहां ऐसा कर सकते हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रधान मंत्री ने ही ऐसा किया है। मैंने तो ऐसा नहीं किया।

[हिन्दी]

मैं अपनी बात को कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी पूछ लीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब पूछ रहा हूं, मैं एक घंटे से खड़ा हूं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रधान मंत्री को सोलंकी ने ऐसा नोट दिया, इसकी जानकारी कब मिली? इस जानकारी को मिलने के बाद प्रधान मंत्री और सोलंकी के बीच में कब और क्या बात हुई?

इसकी जानकारी मिलने पर प्राईम मिनिस्टर और सोलंकी के बीच में कब और क्या बात हुई? क्या प्रधान मंत्री ने सोलंकी से इस्तीफा मांगा? क्या प्रधान मंत्री से सोलंकी ने कहा······ (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह बाद में कर सकते हैं। उत्तर देने के लिए मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : कल क्यों चुप हो गए थे आप लोग? आज प्रधान मंत्री बैठे हुए हैं इसलिए? (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : खुराना जी, गलती मेरी थी। मैं आ जाता तो सारा कुछ न होता···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सोलंकी ने आपसे क्या कहा?

अध्यक्ष महोदय : अब यह रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं रिपोर्ट कहां कर रहा हूं ? मैं तो यह पूछ रहा हूं कि आपने सोलंकी से क्या कहा ? उनसे इस्तीफा मांगा ? आपने 24 तारीख से एक तारीख तक क्या माना कि उन्होंने गलत काम किया कि जिसका चेहरा मालूम नहीं है, एक अनजान आदमी आकर आपको नोट देता है जो सारे इतिहास को बदलने का उस अदालत में काम करने का प्रयास करता है, वह आपको नहीं बताता है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्वेश्चन पूछने के बाद दूसरे प्वायंट पर आईये।

[अनुवाद]

आप लगभग एक घंटा इस पर बोल चुके हैं। यह पुनरावृत्ति है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सोलंकी ने इस्तीफा कब दिया' जब यह बात आ गई तो आपने उनसे किस प्रकार बात की ? वे आपसे कल मिले, तिरुपति में भी मिले। इंटर-नेशनल अफेयर्स का प्रस्ताव उन्होंने रखा। अहमदाबाद में आकर बोले कि मैं अगर मुंह खोलूं तो भूकम्प हो जाएगा। वे बोले आई हैव डन माई ड्यूटी। तो कौन-सी ड्यूटी उन्होंने की थी ?

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालोर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से एक घंटे बाद, उन्हें पूरा अधिकार है, व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने का।

श्री बूटा सिंह : मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न इससे जुड़ा है। हमारा यह सौभाग्य है कि सभा के प्रति आपकी इतनी रुचि है और इसी कारण यह चर्चा हो रही है। नेताओं के साथ बैठक में आप इस बात पर सहमत हुए थे कि माननीय प्रधान मंत्री के द्वारा वक्तव्य देने के पश्चात् कुछ स्पष्टीकरण के लिए आप अनुमति देंगे।

महोदय, हम आपसे सहमत हैं। आप अधिक से अधिक सदस्यों को जहां तक सम्भव हो स्पष्टीकरण मांगने का मौका दें। लेकिन सभा यह समझती है कि स्पष्टीकरण का तात्पर्य क्या है। यह सभा पूछताछ केन्द्र बनती जा रही है। यह पहली आपत्ति है।

दूसरे, जहां तक श्री जार्ज फर्नान्डीज का संबंध है, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण आपको और माननीय प्रधान मंत्री को लिखित रूप में दिया है। उनका काम पूरा हो गया है। उन्हें उस लिखित स्पष्टीकरण तक ही सीमित रहना चाहिए; जो उन्होंने आपको लिखित रूप में दिया है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज को वे सारी स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो वह अपने समाप्त नहीं होने वाले भाषण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान)

मैं अपनी बात पूरा कर रहा हूं। यह अन्तिम वाक्य है। कृपया मेरी बात सुनें। आज इस सभा में एकतरफा राजनीतिक दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है और इसकी अनुमति दी जा रही है, और यह मामला प्रेस में जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रेस पर इस संबंध में कही गई सभी बातों

[श्री बूटा सिंह]

समाचार को प्रकाशित करने के संबंध में रोक लगाई जाए और इसे तभी प्रकाशित किया जाए जब सरकार का इस पर उत्तर प्राप्त हो जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। मैं वास्तव में श्री बूटा सिंह जी से सहमत हूं कि स्पष्टीकरण का मतलब स्पष्टीकरण होता है प्रश्न करना नहीं। सभा में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मुझे तो इसके समग्र स्वरूप को बनाये रखना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि यह वादविवाद कम से कम समय में पूर्ण हो जाये। एक तरफ मुझे श्री जार्ज फर्नान्डीज से अनुरोध करना है कि वह केवल स्पष्टीकरण मांगें और लम्बे भाषण न दें।

दूसरी तरफ मुझे आपसे अनुरोध करना है कि व्यवधान न डालें।

दोनों पक्षों को मुझसे सहयोग करना चाहिए।

सभा में हमारा हित यही है कि यह वाद-विवाद कम से कम समय में पूरा हो जाये।

हमें एक-दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। यदि आपको आरोप लगाना है तो मुझ पर आरोप लगाइए। मैं इसे सहन करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जब दो विदेश मंत्री मिलते हैं···, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं प्रश्न छोड़कर कुछ नहीं कहूंगा। जब दो विदेश मंत्री मिलते हैं तो जो बातचीत होती है उसका एक मैमो तैयार करते हैं। अपने विदेश मंत्री को प्रधान मंत्री ने जो मैमो दिया था क्या उसमें अपने काउंटरपार्ट फैल्बर से मिलने के बाद उन्होंने उसमें क्या-क्या लिखा था ? और मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि···

अध्यक्ष महोदय : यह उस कागज में है न सब ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह लैटर में नहीं है। उसका जवाब हमें यहां चाहिए। फिर अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री को जब मालूम हुआ, अभी आपने कहा कि फरवरी में हमको वहां से कोई सूचना नहीं आई। तो मार्च में पूछा, अप्रैल में पूछा। तभी तो आपसे पूछा कि स्विट्जरलैंड की सरकार के नोट का क्या मामला है और अगर नहीं पूछा, तो जब नोट की जानकारी आपको मिली और उसके विदेश मंत्री ने आपको बताया, तो आपने कौन-सी कार्रवाई की कि यह नोट किसका लिखा है, किसकी तरफ से गया है, इसकी आपने कोई जानकारी हासिल नहीं की। आपने इस दिशा में कोई ठोस काम किया ?···(व्यवधान)···

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप हम लोगों पर गुस्सा करते हैं, उधर कुछ नहीं कहते हैं। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पर गुस्सा कर रहा हूं और प्यार से समझा रहा हूं।

···(व्यवधान)···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको जो 8 अप्रैल को चिट्ठी आई है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप उसको रिपीट मत करिए।

...(व्यवधान)...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : दिल्ली की अदालत में इसके बारे में जो खुलासा किया गया है, क्या उसका खुलासा आपने दिया, क्योंकि स्विस अदालत में भी यह मामला आना है और अपनी अदालत में यह मामला कल आना है। तो आपकी तरफ से क्या इस पर कोई फैसला हुआ है? क्या फैसला हुआ है, यह हम जानना चाहते हैं?...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अगला मुद्दा लें। आपकी भाषा बहुत अच्छी और बहुत स्पष्ट है। हम इसे समझते हैं। मैंने आपकी बात को समझ लिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने प्रधान मंत्री से कुछ दस्तावेज यहां सदन पटल पर रखने की मांग की है और वह मैं आपके माध्यम से यहां रखना चाहता हूं। हमें पहले वह नोट चाहिए, सरकार की तरफ से चाहिए, जिसको हमारे विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री को दिया था। हमें पार्क बोनाट का जो कम्यूनिकेशन आया है, 24 तारीख का जो फैक्स मैसेज गया है, वह सदन के पटल पर आना चाहिए। वह यहां पर आना चाहिए। सी० बी० आई० की तरफ से स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को जो भी 24 मार्च के बाद, मैसेज गया है, हम चाहेंगे कि उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए। मार्क बोनाट को सी० बी० आई० ने 24-25 तारीख को जो मैसेज भेजा है, उसकी कॉपी आनी चाहिए। 8 अप्रैल को जो दस्तावेज आपको स्विट्जरलैंड सरकार ने भेजा है। दिल्ली में चलने वाले मुकदमे को लेकर, विन चड्ढा वाले मुकदमे को लेकर, वह यहां पर आना चाहिए। और प्रधान मंत्री से मेरी अन्तिम प्रार्थना है कि फेब्बर को दिया हुआ नोट, यह बात सबने कुबूल की है। आप सुब्रह्मण्यम ने भी इस बात को कुबूल किया है कि फरवरी के मध्य से, वह नोट प्रधान मंत्री के नाम से, अनेक जगहों पर घूमता रहा। इसलिए अपने दूतावास से उसकी कापी को मंगवाकर, उसे सदन के पटल पर रखने का काम प्रधान मंत्री जी करें।

अन्त में, मेरी यह प्रार्थना है कि जिन विदेश मंत्री ने संविधान, अपनी नियत और अपनी हर चीज को दांव पर रखकर, उस मामले को यहां तक लाकर पहुंचा दिया, उनके ऊपर मुकदमा चलाने का फैसला भी आपको करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आप कानून और सत्य दोनों चीजों को लेकर, लड़ने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पक्ष के सदस्यों को भी अनुमति दे रहा हूं और इस पक्ष के एक या दो सदस्यों को भी अनुमति दे रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इस सभा में हमारे कई मित्र शहरी कृत्रिमता के कायल हैं लेकिन इस देश में ग्रामीण बुद्धिमता का जोर है और उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। आप पायेंगे कि जो रहस्योद्घाटन हमारे समक्ष प्रकट हुआ है उससे सुस्पष्ट रूप में रहस्य छुपा है। इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं और बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली हैं। एक बात तो यह

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

है कि श्री सोलंकी ने एक नोट दिया और वह कहते हैं कि जिससे नोट उन्हें दिया, उसे वह नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए जैसे कि उन्होंने कहा है लगता है कि किसी पहचान रहित, अनाम वकील, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें यह नोट दिया है। अब आज इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार छपा है—और यह जेनेवा से निकला है। इसमें कहा गया है कि स्वीडन की सरकार को विदेशी संवाददाता ने कहा है कि वे इस नोट को श्री सोलंकी के जरिए श्री फलबर को दिए जाने में भारत के प्रधानमंत्री का हाथ होने से इन्कार करते हैं। जब उससे पूछा गया कि यह समाचार कैसे फैला कि भारत के प्रधानमंत्री इससे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा "मेरे पास प्रमाण नहीं है।" यह कैसे हो सकता है ? यह सर्वशक्तिमान व्यक्ति कौन है जिसे इन दोनों मामलों में ढूंढा नहीं जा सकता है, जिसकी पहचान नहीं की जा सकती है और जो प्रत्यक्षत: इस बोफोर्स जांच को उलट देना चाहता है ? यह सन्देहास्पद प्रश्न है। अब प्रधानमंत्री यहां आ गए हैं। हमने यह मांग की थी कि वह यहां आयें और इस प्रकार के आरोप को स्पष्ट करें, इसका खुलासा करें जो कि समाचार पत्रों में छपा है। वह आए और उन्होंने यह वक्तव्य दिया। लेकिन प्रश्न फिर भी रह जाता है कि यह समाचार कैसे फैला ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आज के समाचार पत्र में छपा है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी हां, उन्होंने भी इसे देखा होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दिन कुछ न कुछ छपता ही है। क्या उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं महोदय, इस तरह से इन्कार तो किया ही गया है। यदि इसमें ऐसी बात नहीं होती तो मामला अन्यथा कुछ और ही होता।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया मुख्य प्रश्न पर आइए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जांच को उलट देने के प्रयास चल रहे हैं। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने प्रासंगिक प्रश्न पूछे हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी कतिपय प्रश्न किये हैं। आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे समाचार में यह कहा गया है कि फरवरी मध्य से यह समाचार स्वीडन में परिचालित हो रहा था, वे लोग यह कहते हैं और मैं इसे दोहरा रहा हूं। परन्तु यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पूछताछ की थी या नहीं; क्या यह सच है या नहीं।

दूसरे, हमें क्या इस बात की निश्चित जानकारी है कि श्री सोलंकी और श्री फबलर के बीच कोई बैठक हुई थी और बैठक समाप्त होने के बाद श्री फबलर ने बैठक के विवरण को जांच के लिए रिकार्ड किया और बर्न में भारतीय दूतावास को नोट भेजा था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है या नहीं और यदि यह सच है तो क्या यह नोट सभा पटल पर रखा जाएगा ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं है बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है और हम सभी की जानकारी के लिए इस सच को सामने लाना है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

तीसरे, इस सभा का आमहित यही है कि पूरे बोफोर्स कांड के बारे में सच्चाई का पता चले। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। हमारी श्री सोलंकी से सहानुभूति है कि उन्होंने बहुत ही लापरवाही से इससे संबंधित विदेशी मामलों की जटिलताओं को जाने बगैर नोट प्रेषित किया। यह उतनी साधारण

बात नहीं है। यदि हमें सच्चाई पर पहुंचना है तो यह आवश्यक है कि श्री सोलंकी पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाया जाए। यह एक साधारण बात नहीं है कि कोई स्वीटजरलैंड में बैठे हुए हमारे देश को ब्लैकमेल करे। वे ऐसा कैसे कर सकते है ? अब उनके विदेश मंत्री, उनके प्रवक्ता कई बातें कह रहे हैं। उस पर हमारे देश में कई चीजें उभर रही है। सत्ता पक्ष के सदस्य स्वयं कह रहे है कि देश में अस्थिरता लाने की प्रक्रिया चल रही है। अन्य देशों के लोग हमारे देश को वस्तुत: कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं ? यदि हम बोफोर्स के मामले में ईमानदारी से जांच कार्य आगे बढ़ायें तो कोई भी हमें इस संबंध में ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। इस सन्दर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय में कल का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने इसी तरह के मामले में विनिर्णय दिया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वैध है, याचनापत्र वैध है, जांच जारी रहनी चाहिए। एक ही विषय पर एक निचली अदालत कैसे अन्य मामला स्वीकार कर सकती है यह मेरी समझ से परे है। और यदि वे ऐसा करते हैं तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार यह मामला उनसे वापस क्यों नहीं लिया जाता है और उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं भेजा जाता है ? यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक और बात महत्वपूर्ण है। न्यायालय में ये मामले लम्बित हैं और हम यहां इसी मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : यदि यह आपका विनिर्णय है तो हम इस पर चर्चा बन्द कर देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर आइए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : संविधान के अनुच्छेद 139 (क) में कहा गया है :

"यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारत: प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं; और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा किये गए आवेदन पर··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर कोई अस्पष्टता वाली बात नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : फिर आप इसे क्यों जोड़ते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि इसे हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उस मामले का जिक्र करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। इससे आगे कहा गया है कि निचली अदालत के आदेश की पुष्टि ऊपरी अदालत को करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यह तो वास्तविकता को सिद्ध करने का प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह इस मामले के तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने तक इसे आगे बढ़ाने के हक में हैं। लेकिन

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

अब यह सिद्ध किया जाना चाहिए और केवल यह कहने से नहीं होगा कि आप इस देश के लोगों को इस सम्बन्ध में विश्वास में ले सकते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मुझे कोई समस्या नहीं है। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : पिछले सप्ताह हमने बोफोर्स पर पूरी चर्चा की थी। कल का एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या माननीय प्रधान मंत्री को सोलंकी मामले के तथाकथित नोट की जानकारी थी… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलने वाले सदस्यों की भावनाओं का कद्र करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : मुझे अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे प्रधान मंत्री और सरकार में मतभेद नजर आता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहां तक उनकी व्यक्तिगत बात है वह उत्तर दे सकते हैं और वह बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। कल प्रत्येक व्यक्ति यहां बैठा था। लेकिन कोई भी प्रधान मंत्री के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह समझने दीजिए कि क्या यह एक तकनीकी मामला है; कानूनी मामला है या राजनैतिक मामला है ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह इस वजह से है—क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि कुछ शक्तिशाली गुट बोफोर्स मामले को उलटने के लिए सक्रिय हैं। प्रधान मन्त्री ने कहा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या उन्हें जानकारी है कि लोग इस मामले को उलटने के लिए सक्रिय हैं। वह यह निश्चित करने के लिए क्या कदम उठायेंगे कि यह मामला तर्क संगत रूप से निपट जाये ? यही मेरा प्रश्न है। इससे सम्बद्ध कई स्पष्टीकरण मांगे गये कि क्या यह सूचना फरवरी मध्य में या मार्च में स्विट्जरलैंड से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मिली और क्या इसे प्रधान मंत्री को प्रेषित किया गया। और यदि ऐसा किया गया तो प्रधान मंत्री ने श्री सोलंकी के विरुद्ध उस समय शीघ्र कार्यवाही क्यों नहीं की यह बहुत ही प्रासंगिक बात है। किसी का पक्ष लेने से और उस व्यक्ति से कड़ाई से पेश न आने से जोकि देश का नुकसान पहुंचा रहा है कोई भी अपनी इज्जत नहीं बचा सकता है। यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं अब 1.40 म०प० हो रहे हैं। क्या हम जारी रखें अथवा इसे यहीं समाप्त करें ?

कुछ माननीय सदस्य : हमें जारी रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं समझता हूं हममें से कुछ लोग जाकर आ सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, अपने मित्र श्री फर्नान्डीज के विपरीत मैं उस पक्ष के सदस्यों से इस सौदेबाजी में अपने मतभेद के बारे में बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं अभी तक उन लोगों के बारे में चिन्तित हूं जिनकी इस झूठ-मूठ के ड्रामाबाजी में मुख्य रूप से सक्रिय होने के बारे में पहचान करने हेतु कल मैंने कहा था। उनकी पहचान नहीं हो पायी है। क्यों ? मैं नहीं जानता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय प्रधान मंत्री इन लोगों को रहस्योद्घाटित कर सकते हैं और मुझे यह समझने में सहायता कर सकते हैं कि यह कौन था और किसने यह किया ? मैं नहीं जानता। हम उनसे यह सब सुनेंगे।

लेकिन मुझे यह विश्वास करने में अत्यन्त कठिनाई होती है कि आखिरकार इस अवधि के दौरान—यदि कुछ और नहीं तो कम-से-कम जिज्ञासा के तौर पर ही सही; जिज्ञासा एक मानव स्वभाव है—प्रधान मन्त्री ने श्री सोलंकी अथवा केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य स्रोतों से अपने तौर पर ही यह जानने की भरसक कोशिश तो की होती कि यह गुमनाम भद्रपुरुष कौन था जोकि स्वीस जाने की स्थिति में था और जो श्री सोलंकी का कंधा थपथपाता है और कहता है "यह एक कागज का टुकड़ा है। कृपया इसे आगे सौंप दें।"

प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य में इसे कभी 'नोट', तो कभी इसे एक 'ज्ञापन' कहा गया है। मैं समझता हूं कि ज्ञापन तो एक दस्तावेज होता है क्योंकि यह एक उच्च-स्तर पर होता। अत: कभी-कभी तो इस नोट को एक ज्ञापन के बराबर, एक ज्ञापन के स्तर तक प्रोन्नत करने की प्रवृत्ति देखी गई है। मैं नहीं जानता कि यह क्या था, क्योंकि हमे उस पत्र, जिसे मेरे मित्रों ने यहां कहा है कि सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए, की प्रामाणिक प्रति प्राप्त नहीं हुई है।

महोदय, अब मैं यह प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं ? यह जिज्ञासा के तौर पर है। मैं समझता हूं कि यदि उस व्यक्ति की पहचान बता दी जाती है, तो कभी-न-कभी हमें इस सारे सौदे को एक कड़ी में बांधने में कुछ और सुराग मिल जायेंगे। आखिरकार, भारत के प्रधान मन्त्री को यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वहां क्या घटना घटी थी—उस घटना—ने देश और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उलझन पैदा कर दी है। इससे परेशानी क्यों पैदा हुई ? यह परेशानी इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि उस नोट के विवरण, चाहे वह काल्पनिक अथवा मनगढ़ंत हो, उनसे यह प्रकट हो गया था कि भारत सरकार और प्रधान मन्त्री बोफोर्स मामले की इस जांच को उत्साहपूर्वक करवाने में रुचि नहीं रखते हैं। यही कारण है कि इससे परेशानी पैदा हुई। मुझे प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्य में जो यह आखरी वाक्य कहा है, उससे बड़ी खुशी हुई है तथा मैं इसका स्वागत करता हूं :

> "एक बार पुन: मैं यह दोहराना चाहता हूं कि मेरी सरकार मामले की नियमानुसार छानबीन और सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी लगन से कार्रवाई करने हेतु वचनबद्ध है।"

इस वक्तव्य के बारे में समझौता किया गया था और इस वक्तव्य के पीछे जो विचार था श्री सोलंकी को दिये गये उस नोट में जिसे उन्होंने स्विस-सरकार के अपने मित्र को सौंपा जो शामिल था, उस पर भी समझौता किया गया था। इसलिए परेशानी पैदा हुई थी। मुझे यह विश्वास करने में जो परेशानी हो रही है कि इन सप्ताहों के दौरान प्रधान मंत्री ने उनके पास उपलब्ध सभी साधनों से यह भी पता लगाने अथवा इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश नहीं की कि वह भद्रपुरुष था कौन ? इसलिए मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सम्भव है मैं गलती पर होऊं। मैं ऐसा मुझे प्राप्त सूचना

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

के आधार पर कह रहा हूं। यदि वह गलत है, तो कृपया बतायें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : किसी भी सूचना का स्वागत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह गुमनाम, वकील था कौन, जो श्री सोलंकी के अनुसार उनके लिए एक अजनबी था, पिनकी वर्मा के नाम का भद्रपुरुष था, जो श्री चंद्रा स्वामी जिन्हें गोल्डमैन के नाम से अधिक जाना जाता है, का भी वकील हुआ करता था?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं लिख लेता हूं; पिनकी वर्मा।

श्री राम विलास पासवान : अथवा क्या यह पिनकी मिश्रा है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिनकी मिश्रा भी हो सकता है। माफ करें, यह पिनकी मिश्रा होगा। अग्र-नाम पिनकी है—यह मिश्रा, वर्मा अथवा शर्मा हो सकता है। उस नाम के एक भद्रपुरुष ने श्री चंद्रा स्वामी, गोल्डमैन के वकील के रूप में कार्य किया है? ...(व्यवधान) ...आओ हम इस बात का पता लगायें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति था...(व्यवधान)

उस संबंध में, इससे एक बहुत ही रोचक निष्कर्ष निकलता है। ऐसा हो सकता है। हम आपसे यह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री होने के नाते आप सुरागों की इस कड़ी का अनुसरण करें और देखें कि क्या इससे कुछ हासिल होता है। हम यह जानने के इच्छुक हैं कि एक विदेश मन्त्री को इतनी आसानी से अपना पद क्यों कर खो देना चाहिए? ऐसा हर रोज नहीं होता है। आपने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, जब उन्हें पता चला कि यह पूरा रहस्योद्घाटन हो गया है, तो उन्होंने इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा। क्या यह एक सामान्य बात है? आप इस सभा से अथवा इस देश से इस बारे में आन्दोलित होने की भी अपेक्षा नहीं रखते?

इस सारी बात का आरम्भिक मुद्दा यह है कि उस नोट को किसने तैयार किया था; उस नोट को किसने लिया था; उसे श्री सोलंकी को किसने सौंपा था; श्री सोलंकी ने बिना किसी कानाफूंसी के इसे क्यों स्वीकार किया। जब इसे सौंपा गया था—एक नोट जिसमें यह तात्पर्य अथवा सुझाव निहित था कि प्रधान मन्त्री इस मामले की छान-बीन करने में रुचि नहीं रखते—मैं समझता हूं कि यह एक अति गम्भीर, लगभग एक दण्डनीय अपराध के बराबर हो गया था। यह एक जालसाजी है। क्या जो नोट सौंपा गया था—वह जालसाजी नहीं है? इसमें कौन संलिप्त है? कितने मन्त्री इसमें संलिप्त हैं? मैं नहीं जानता। इस ज्ञापन को प्रारूपित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? श्री सोलंकी इस मामले में प्रधान मंत्री की जानकारी के बिना कैसे संलिप्त हो गये?

मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री अब यह कहते हैं कि उन्हें इससे कुछ लेना-देना नहीं था; उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एक इतना वरिष्ठ मन्त्री, विदेश मन्त्री की हैसियत से प्रधान मन्त्री की जानकारी के बिना, इस प्रकार की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। यह बात मेरे तो गले से नीचे उतरनी मुश्किल है।

अत: आपको इतना बेचैन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें अभी भी कुछ सन्देह है कि यह मामला उठा कैसे? क्या माननीय प्रधान मन्त्री इस दौरान उन रहस्यों और धूमिल आकृति की पहचान पर

कोई प्रकाश डालने में समर्थ हुए हैं ? यह लगभग रहस्यमयी जासूसी कहानियों जैसी ही एक कहानी के समान है। हम केवल उस जासूस को नहीं पकड़ पायें, जो इस रहस्य की सच्चाई का पर्दाफाश करने में एकदम कामयाब हुआ है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इसे समाहित करने वाला एक व्यक्ति है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उसका आभारी हूंगा क्योंकि बात यहां ही समाप्त नहीं होती, इसके आगे भी सुराग हो सकते हैं, जो कि हमें कहीं-न-कहीं सच्चाई के और नजदीक ले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, एक सदस्य इस ओर से बोल सकता है। बंसल जी कृपया बोलिए।

श्री राम नाईक : वे इतने संतुष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रधान मंत्री से कोई पूछताछ नहीं करनी है।

श्री पवन कुमार बंसल : बोफोर्स मुद्दा पिछले महीने एक बार पहले इस सभा में उठा था। तब ऐसा हुआ था, श्री सोलंकी भूतपूर्व विदेश मंत्री सभा में आए और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने एक मित्र को स्विट्जरलैंड में एक नोट भिजवा दिया है। निश्चय ही उससे हम सभी को चिन्ता हुई। यह लोकतंत्र के उच्च आदर्शों को सच्चे सम्मान और कांग्रेस के आदर्शों के बिल्कुल निकट था कि उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया।

उसके पश्चात, इस सभा में एक बहस छिड़ गई और कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रधान मंत्री सभा में आये और उन्होंने यहां यह स्पष्ट करते हुए एक जोशीला भाषण दिया था कि पिछले तीन-चार दिनों में जो कुछ घटित हुआ है, उससे सरकार अवश्य ही अपमानित हुई है। मुझे आज यह देखकर हैरानी हुई है कि उस ओर से माननीय सदस्य प्रधान मंत्री के उस एक वाक्य के तरह-तरह के अर्थ निकाल रहे है। प्रधान मंत्री ने उस समय स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि सरकार इस मामले की कार्यवाही को लम्बित करने की इच्छुक नहीं है, और यह कि जब कभी आवश्यकता पड़ी है, सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों से, यह स्पष्ट करने के लिए कि बिना किसी विलम्ब के मामले की जांच-पड़ताल की जाये, बातचीत की है।

दुर्भाग्यवश कल प्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि शायद भारत के प्रधान मंत्री का भी इस नोट में हाथ है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि दूरदर्शिता इस बात में थी कि हमने स्थिति का जायजा लिया होता, कि सरकार इस मामले से अवगत कराये। हमें कल वहीं यह बात रोक देनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से, जैसा कि उनकी आदत है, जैसा कि वे करते रहते हैं, इसमें एक व्यवधान पैदा कर दिया गया था और सभा ने कल एक भयंकर तूफान का रूप धारण कर लिया था।

महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों से सम्मानपूर्वक, मैं इस बारे में एक तीखा विरोध करने को मजबूर हूं कि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इस देश में और इस देश के बाहर ऐसे लोग हैं, जो इस बोफोर्स मामले को खींचना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार ही है जो मामले की सच्चाई का पता लगाकर ही इसे समाप्त करना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर हमारे माननीय मित्र, मैं कहूंगा कि सच्चाई तक पहुंचने के इच्छुक नहीं हैं। संक्षेप में यही है। महोदय, मैं जोर देकर कह रहा हूं कि संक्षेप में यही कारण है कि हमारे मित्र माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के लिए एक दिन भी इन्तजार करने को तैयार नहीं हैं। आज जबकि वक्तव्य दे दिया गया है, उन्हें शान से अपनी राहत व्यक्त करनी,

[श्री पवन कुमार बंसल]

चाहिए थी। मैंने देखा है कि जब श्री जसवन्त सिंह इसका जिक्र कर रहे थे, उस समय एक शरारत की गई थी राहत का ऐसा ढोंग रचा गया था जो कि एक शरारत को ही प्रदत्त करता था। श्री जार्ज फर्नान्डीज जो कह रहे थे, मैं उसे ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अनेक बार वह, जो कुमारी चित्रा सुब्रह्मण्यम ने कहा है, का जिक्र कर रहे थे। मेरे पास वह समाचार है। एक बात स्पष्ट करने के लिए मैं कुछेक वाक्य उसमें से पढ़ना चाहूंगा और महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि समय-समय पर सरकार के विभिन्न कार्यों और विभिन्न वक्तव्यों को जान-बूझकर तोड़ा-मरोड़ा जाता रहा है, ताकि ऐसी छवि बने कि शायद सरकार कुछ छिपाना चाह रही है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं इसका हवाला देना चाहता हूं।

कुमारी चित्रा सुब्रह्मण्यम कहती हैं :

"जब श्री फेलबेर को नोट सौंपा गया था, तब ऐसा संकेत बिल्कुल नहीं था कि यह भारतीय विदेश मंत्री की ओर से ही आया है न कि किसी अन्य से।"

वह स्विस अधिकारियों का उद्धरण दे रही थीं। उसके बाद ही उनकी अपनी भावनाएं आती हैं।

श्री राम नाईक : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं अपना प्रश्न रखूंगा। कृपया मुझे सहयोग दें। आप काफी लम्बा समय ले रहे थे। मेरे प्रश्न आपकी मंशा की ओर भी इंगित होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले को बार-बार उठाने के पीछे विपक्ष का क्या इरादा है। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस प्रश्न का मैं कभी भी उत्तर नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैं जानता था कि प्रधान मंत्री इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहेंगे। लेकिन, यह वह प्रश्न है जिसे अब देश की जनता जानती है। देश की जनता को अब यह बिल्कुल स्पष्ट पता है कि दूसरी तरफ के हमारे मित्र सच्चाई जानने के इच्छुक नहीं हैं। वे तो केवल निन्दा करने, व्यंग्य के माध्यम से मिथ्यापवाद का एक उन्मुक्त अभियान चलाने के इच्छुक हैं। वे केवल इसी में ही रुचि रखते हैं। (व्यवधान)

महोदय, इसी प्रकार से इस कहानी की लेखिका स्वयं अपना दृष्टिकोण रखती है। मैं पुनः इस समाचार को उद्धृत कर रहा हूं :

"जब यह पूछा गया कि श्री नरसिंह राव का नाम प्रक्रिया में कैसे आया और कैसे परिचालित हुआ, श्री मेयूल्ली ने कहा, इसका उनके पास कोई सुराग नहीं है।"

अगली पंक्ति यह है :

"बोफोर्स मामले की जांच कर रहे स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को ऐसा आभास"...

चित्रा सुब्रह्मण्यम ने 'आभास' शब्द का इस्तेमाल उद्धरण चिन्ह के अन्तर्गत किया है। मैं इसी शब्द पर विस्तार से बोलना चाहता हूं। इसी आभास, अर्थात् शब्द के आधार पर, कहानी बनाई गई

है और लोगों के पास भेजी गई कि स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को ऐसा आभास हुआ। (व्यवधान) यह तो श्री जार्ज फर्नान्डीज हैं जो खड़े हुए हैं और प्रधान मंत्री से यह कहने का दुस्साहस करते हैं कि वहां हमारे सलाहकार को सूचना किसने दी। वहां पर सलाहकार कहते हैं कि उनके पास कुछ जानकारी है। उन्हें ऐसा लगा कि सम्भवतः प्रधान मंत्री इस नोट से संबंधित थे। प्रधान मंत्री वहां पर हमारे सलाहकार के विभाग को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। मैं यहां पर यह आरोप पूरे दायित्व से लगाना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे मित्रवत् संबंध हैं चाहे वे देश के अन्दर ही हैं या सीमापार हैं, वे देश में अस्थिरता का खेल जारी रखना चाहते हैं। जब भी वे सरकार की प्रगति से चकित होते हैं तो तुरन्त ऐसा करते हैं। यहां भी यही हुआ है।

यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि श्री सोलंकी ने अपने ऊपर यह दायित्व लिया।

अध्यक्ष महोदय : कल हमने वास्तव में यह निर्णय लिया था कि कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाएं। कुछ भाषण हुए हैं। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री पवन कुमार बंसल : इसके बाद उन्होंने कहा था :

"यह सच है कि जब मैं डावोस में था तब मैं श्री फेल्बर के पास गया था···उनके पास से आते समय अपनी चर्चा के अन्त में मैंने एक नोट श्री फेल्बर को सौंपा।"

उन्होंने कहा कि उन्हें यह नोट एक वकील ने दिया था। यह नोट क्या था? यह मुद्दा यहां हमारे सभी मित्रों के सम्मुख है। यह नोट यहां पर लम्बित मामलों की स्थिति से संबंधित था। इसमें यह नहीं कहा गया था और श्री सोलंकी ने भी किसी को यह नहीं कहा कि भारत इस मामले में देरी चाहता है। इसके बाद अगर हमारे मित्र ईमानदार होते, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होते···

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। कृपया इसे समझिए।

श्री पवन कुमार बंसल : यह सब कहा गया है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा सभी तरह के व्यंग किए गए। मुझे यह कहना पड़ रहा है।

मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे पता लगा है। श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा आपको तथा प्रधान मंत्री को अनेक प्रश्न भेजे गए हैं। मैं जानता हूं कि यह सरकार के हाथ में नहीं है कि वह सुनिश्चित कर सके कि कोई मामला एक विशेष प्रकार से चले।

वे चाहते हैं कि जो प्रश्न उन्होंने नहीं किए उन्हें मैं करूं। मैं जानना चाहूंगा : पिछला सम्पर्क कब हुआ था और भारत सरकार तथा स्विट्जरलैंड अधिकारियों के बीच इस सम्पर्क की तिथि क्या थी?

श्री विजय नवल पाटिल (इरन्डोल) : महोदय, मेरा एक पंक्ति का प्रश्न यह है। बोफोर्स का मामला काफी समय से लम्बित पड़ा है। इस अन्तराल में एक और सरकार आई।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा कि इस मामले में तेजी लाने के लिए उस सरकार ने कौन से विशेष प्रयास किए। यहां एक विदेश मंत्री किसी अधिकारी को एक नोट सौंपने के कारण चले गए हैं। एक सरकार इलाहाबाद के उप-चुनाव के बाद से 1988 से शुरू होकर बोफोर्स का राज-

[श्री विजय नवल पाटिल]

नैतिक लाभ उठाकर सत्ता में आई। इसके बाद देश भर में बोफोर्स का मसला छाया रहा। वे इस देश के लोगों से यह वायदा करके सत्ता में आए कि वो इस मामले में तेजी लाएंगे और अपराधियों का पता लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रश्न है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री विजय नवल पाटिल : मैं जानना चाहता हूं : इस मामले में तेजी लाने के लिए उस दौरान क्या विशेष प्रयास किए गए ?

2.00 म० प०

श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उनके वक्तव्य में एक स्पष्ट विरोधाभास था। पृष्ठ 1, पैरा 3 में कहा गया है :

> "क्योंकि वास्तव में मैंने न तो नोट देने का अधिकार दिया था और न ही मुझे इस नोट की जानकारी थी, अतः श्री सोलंकी द्वारा वहां के विदेश मंत्री को मेरे नाम का उल्लेख करना मेरे द्वारा अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

महोदय, आगे कहा गया है :

> "श्री सोलंकी ने इसकी पुष्टि की है और इससे पूर्णतया इन्कार किया है कि किसी भी प्रकार मेरा उल्लेख किया है।"

इस वक्तव्य के पृष्ठ 2 पर स्विट्जरलैंड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वकील श्री मार्क बोनट ने कहा :

> "...उन्हें बताया गया कि श्री सोलंकी द्वारा प्रधान मंत्री के अनुरोध पर ज्ञापन दिया गया था।"

इस प्रकार किसी स्तर पर कोई तथ्य छुपा रहा है। यह वकील एक जिम्मेदार व्यक्ति है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से कार्य करते हुए उन्होंने सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र लिखा है। यह इतना आसान नहीं है। हम इसे इतनी आसानी से नहीं ले सकते। प्रधान मंत्री बताए कि क्या इस विरोधाभास की जांच की गई है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वकील को यह आभास कैसे मिला। वह माननीय प्रधान मंत्री के नाम का उल्लेख इतनी आसानी से अथवा गैर-जिम्मेदाराना तरीके से नहीं कर सकते। इस वकील को यह आभास कैसे मिला ? किस स्रोत से और किस स्तर पर ? यदि वह ठीक हैं तो श्री सोलंकी गलत हैं और यदि श्री सोलंकी ठीक हैं तो यह वकील या वह व्यक्ति जिसने उन्हें सूचित किया है, गलत होगा। माननीय प्रधान मंत्री कृपया इस विरोधाभास को स्पष्ट करें।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या यह सच है कि इस अदायगी के लाभार्थियों की तरफ से जेनेवा न्यायालय में जिरह कर रहे वकीलों ने न्यायालय को बताया है कि उनके पत्र अभी तैयार नहीं हैं और वे शीघ्र ही भारत सरकार से एक नोट की अपेक्षा कर रहे है ? क्या उन्होंने ऐसा कहा ? कृपया माननीय प्रधान मंत्री इस बारे में मुझे स्पष्टीकरण दें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं एकदम स्पष्ट प्रश्न पूछने के लिए माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इन प्रश्नों के लिए कुछ फाइलों को देखना होगा और मैं यथाशीघ्र उन्हें उत्तर भेज दूंगा। मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मुझे इस समय इससे अधिक नहीं कहना है। फिर, सभा पटल पर पत्र रखने के लिए हमारे कुछ नियम हैं, कुछ विनियम हैं और कुछ परम्पराएं हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या मैं दोनों सरकारों के बीच हुए पत्राचार के एक भाग को सभा पटल पर रख सकता हूं, हमें इस पर विचार करना होगा। श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा मांगे गए प्रत्येक दस्तावेज का मैं अध्ययन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि क्या मैं इन्हें सभा पटल पर रखूंगा और यदि नहीं, तो कारण बताऊंगा कि क्यों नहीं रखूंगा।

श्री जसवंत सिंह : केवल एक स्पष्टीकरण और दें। इसके लिए लिए किसी फाईल की जरूरत नहीं है। 2? तारीख को उन्हें एक पत्र मिला जिसमें प्रधान मंत्री का जिक्र किया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि, "क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस सूचना के बारे में आपको बताया?" क्या आपने इसके बाद तत्कालीन माननीय विदेश मंत्री से बात की? इन दोनों प्रश्नों के लिए फाइलों को देखने की जरूरत नहीं है··· (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इनके लिए फाइल देखने की जरूरत है। मुझे निदेशक से पुनः बात करनी पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रधान मंत्री महोदय, क्या हम यह समझें कि आपको यह पत्र देने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई ज्ञान या जानकारी नहीं है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपका पहला संकेत है। बहुत उपयोगी है। पिनाकी वर्मा/मिश्रा/गुप्ता/कुछ भी। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह पिनाकी मिश्रा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मैं ऐसा होने की अनुमति नहीं दूंगा। सभी सदस्य पुनः क्यों बोलें?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, यह अत्यन्त प्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रासंगिक है तो आपको इसे पहले पूछना चाहिए था। कृपया बैठ जाइए।

सभा अब 3.05 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन हेतु स्थगित होती है।

2.06 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.05 म० प० तक के लिए स्थगित हुई

———

3.08 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 3.08 म० प० पर
पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है। कार्य सूची में मद संख्या 3 में सभा पटल पर एक आदेश रखने के संबंध में कहा गया है जिसमें कहा गया है "1 अक्तूबर, 1991 से 31 मार्च 1992 तक की अवधि में होने वाली उर्वरकों की सप्लाई" मेरी आपत्ति यह है कि यह अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसे सभा-पटल पर देरी से रखने से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पण इस पत्र के साथ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब इसे लिया जाएगा तब आप इसे उठा सकते हैं।

3.09 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय की वर्ष 1993-93 की अनुदानों की मांगें आदि।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : महोदय, श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड-I) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1818/92]

(2) गृह मन्त्रालय (विधान मण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्र) की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड-II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1819/92]

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़ जी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं मद संख्या 3 में उल्लिखित पत्रों के उनके द्वारा सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस बात को सुन लिया है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपको बता दूंगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 270 (अ), जो 8 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमे 1 अक्तूबर, 1991 से 31 मार्च, 1992 (रबी, 1991-92 सत्र) की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड को स्वदेशी उर्वरक विनिर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरक की पूर्ति को बताने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०—1820/92]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस पत्र को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। यह एक बात है।

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : हम आपको समझा देंगे

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : और दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में की जाने वाली उर्वरकों की आपूर्ति कुछ तेज गति से की जाएगी। मैं समझता हूं कि यह केवल प्रथा ही नहीं है बल्कि अध्यक्षपीठ की ओर से ऐसे निर्देश भी दिए गये हैं। अत: विलम्ब का स्पष्टीकरण दिए बिना इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

श्री बलराम जाखड़ : ऐसा कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो भी नहीं सकता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसका क्या उत्तर है? आपकी क्या व्यवस्था है?

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आप किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं नियमों का हवाला देने में असमर्थ हूं। मुझे ये बात स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन मुझे यह बात याद है, वे अध्यक्ष थे, वे भी जानते हैं कि एक ऐसा निर्देश है कि जब भी प्रस्तुतिकरण में विलम्ब होता है उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और पत्र के साथ विलम्ब का स्पष्टीकरण करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए मुझे उनके पत्र रखने पर आपत्ति है। आपको एक व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री ई० अहमद मंजेरी : रद्द कर दिया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप अध्यक्ष नहीं हैं। वह अध्यक्ष है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ये समझ लीजिए कि वे 1 अक्तूबर, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह ठीक है। यह कभी की समाप्त हो चुकी है। ये आपूर्ति करने से संबंधित आदेश है। वो समय कब का समाप्त हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ब्यौरे की जांच करूंगा और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचूंगा। मुझे पत्रों को पूरी तरह से पढ़ना होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह तो पहले की बात है।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : यह एक व्याकरणात्मक भूल है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्याकरणात्मक भूल नहीं है। यदि विलम्ब हुआ है तो कितना विलम्ब हुआ है और उसे उस समय प्रस्तुत करना चाहिए था अथवा नहीं, मुझे उन वास्तविकताओं का पता लगाना होगा और उसके बाद मैं निर्णय लूंगा। मैं उनको सभा-पटल पर पत्रों को रखने की अनुमति दे रहा हूं। जहां तक आपके व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न का सम्बन्ध है मैं बाद में अपनी व्यवस्था दूंगा।

कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की मांगें

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : श्री सीताराम केसरी की ओर से मैं कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—1821/92]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की मांगें

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों को विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—1822/92

कोयला मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की मांगें

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : मैं, कोयला मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1823/92

3.13 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दल एक और दो के प्रतिवेदन

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण

संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) समिति के अध्ययन दल-एक के जनवरी, 1992 के दौरान उसके विशाखापत्तनम, कोरापुट, भुवनेश्वर, कलकत्ता और इम्फाल के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन ;

(2) समिति के अध्ययन दल-दो के जनवरी, 1992 के दौरान उसके इंदौर, भोपाल, मुम्बई, बंगलौर और कोचीन के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन ।

3.13½ म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : मैं, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए श्री मुकुल वासनिक, जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर, समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए श्री मुकुल वासनिक, जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर, समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.14 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) डंकल नीति के परिप्रेक्ष्य में पी० वी० सी० की वस्तुओं के स्वदेशी निर्माताओं के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम) : महोदय, डंकल नीति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विचार-विमर्श करते हुए देश के औद्योगिक क्षेत्रों में एक प्रकार का भय पैदा हो गया है कि इसका देश के निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यहां के उद्योग बन्द हो जाएंगे।

[डा० (श्रीमती) पदमा]

डंकल नीति के अनुसार कई मदों पर, जो कि देश में ही तैयार किए जाते हैं, आयात शुल्क उसी दर पर जारी रहेगा लेकिन उन मदों के बिक्री मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, 1990 में पी० वी० सी० का बिक्री मूल्य 1000 डालर प्रति टन था लेकिन इस समय इस मद का मूल्य केवल 450 डालर है। इसी प्रकार, डंकल नीति के कारण देश में निर्मित कई अन्य वस्तुएं तथा निर्माता भी प्रभावित हुए हैं। अब इस मद की कीमतों में विद्यमान इतनी अधिक भिन्नता के कारण कई उद्योग पहले ही बन्द हो गए हैं और यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो डर है कि कई अन्य उद्योग भी बन्द हो जाएंगे। इससे देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जायेगी और न केवल पी० वी० सी० का निर्माण करने वाली देशी इकाइयां ठप्प पड़ जाएंगी अपितु देश में अन्य मदों का निर्माण करने वाली इकाइयां भी बन्द हो जाएंगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की ओर ध्यान दे और पी० वी० सी० की वस्तुओं का निर्माण करने वाले देशी निर्माताओं के हितों की रक्षा करे।

(दो) महाराष्ट्र के जालना जिले जालना वाणिज्यिक केन्द्र के समीप रेल फाटक पर एक उपरि-पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : जालना मराठवाड़ा का वाणिज्यिक केन्द्र है। सभी नये प्रशासनिक काम्पलेक्स जिनमें कलेक्टोरेट, पुलिस मुख्यालय, जिला परिषद और अन्य जिला मुख्यालय भी सम्मिलित हैं, सर्वे नं० 488 मे स्थित है जो कि अम्बाड रोड पर स्थित है। इस काम्पलेक्स में पहुंचने के लिये सबको रेल लाइन पार करनी पड़ती है। क्योंकि रेल लाइन पर कोई ऊपरि-पुल नहीं है; इसलिए प्रशासनिक काम्पलेक्स को जाने वाले सभी वाहनों को गाड़ी के आने पर कम-से-कम 20 मिनट के लिए रुकना पड़ता है। आम जनता तथा कार्यालय जाने वाले लोगों की इस असुविधा तथा उनके कीमती वक्त की बरबादी के कारण वहां रेलवे लाइन पर तत्कालही ऊपरि पुल बनाये जाने की आवश्यकता है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जालना वाणिज्यिक केन्द्र में रेलवे लाइन पर एक ऊपरि पुल का शीघ्र निर्माण करे।

(तीन) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली वृत्तिका/छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : मैट्रिक से ऊपर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली वृत्तिका/छात्रवृत्ति की राशि में पिछले 15 वर्ष से भी अधिक समय से वृद्धि नहीं की गई है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मैट्रिक के बाद ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली वृत्तिका/छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करे और इस सम्बन्ध में माता-पिता/अभिभावकों की आय-सीमा की शर्त को तत्काल समाप्त करे।

(चार) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के पुणे-कोल्हापुर खंड को चार मार्गों वाले एक्सप्रेस मार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण (कराड़) : महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर के बीच पड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 4 राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का सबसे व्यस्त सैक्शन है। इस राजमार्ग पर यातायात का घनत्व उसके निर्माण के समय से कई गुना बढ़ गया है। इसे इस तरह से बनाया गया था कि इसकी क्षमता 10,000 यात्री कारें (पी० सी० यू०) प्रतिदिन थी। जबकि अब यह उससे पांच गुना अधिक अर्थात् 55,000 यात्री कारें प्रतिदिन इसके ऊपर से गुजर रही हैं। अधिक यातायात होने के कारण इस मार्ग पर कई गम्भीर दुर्घटनाएं हुई हैं। भीड़भाड़ होने से यात्रा का समय बढ़ गया है और इससे बहुमूल्य पेट्रोलियम ईंधन बरबाद होता है। इसे तत्काल चार लाइनों वाले एक्सप्रेस मार्ग में बदलने की आवश्यकता है। पुणे और सतारा के बीच दो घाट सैक्शन हैं जिनके नाम खम्बाटकी और कटराज घाट हैं जिनमें टनल बनाकर घाटों की सड़क दूरी काफी कम की जा सकती है। इसकी लागत हम यात्री कर लेकर वसूल कर सकते हैं।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि राजमार्ग के इस सैक्शन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किया जाए।

[हिन्दी]

(पांच) देश में परम्परागत शैक्षणिक संस्थानों के समन्वयन तथा प्रबन्धन के लिए केन्द्रीय एजेंसी का गठन करने हेतु विधान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने फरवरी 1991 में एक समिति पारम्परिक शिक्षा के विद्या संस्थानों का संयोजन करने वाला आयोग स्थापित करने के लिए गठित किया। जिसे इसकी रूपरेखा निश्चित करनी थी। इस समिति (चतुर्वेदी) ने रूपरेखा बनाकर तीस मई, 1991 के पहले ही सरकार को बनाकर दे दी परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्य प्रधान मन्त्री जी ने इस सदन में स्वयं स्वीकार किया है कि शास्त्रीय पद्धतियों से कम्प्यूटर विज्ञान में, धातु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि इन सब में मार्गदर्शन मिलेंगे परन्तु जब स्रोत ही सूख जाएंगे तो निर्देश मिलेंगे कहां से? आज सर्वत्र भारतीय एकता को आधारपीठ बनाने वाली जो शुद्ध ज्ञान की पाठशालाएं हैं, वे सभी अत्यन्त ही शोचनीय स्थिति में हैं।

आज विश्व के वैज्ञानिक देश अमेरिका के विश्वविद्यालयों में विज्ञान के साथ संस्कृत विषय प्रभावी रूप से पढ़ाया जाने लगा है। अमेरिका के ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो नासा आरमी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, ने 1985 में यह सिद्ध किया है कि कम्प्यूटर की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत है। 21वीं शताब्दी का यदि बोलता हुआ कम्प्यूटर बनेगा तो वह संस्कृत भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में बोलने वाला नहीं बनेगा।

अतः केन्द्र सरकार इस पर गहनता से विचार करते हुए पारम्परिक शिक्षा को विज्ञान से जोड़े। सरकार को ऐसी केन्द्रीय संस्था स्थापित करनी चाहिए जो समस्त पारम्परिक शिक्षा संस्थानों के समन्वय और प्रबन्ध का कार्य करे।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पारम्परिक शिक्षा संस्थानों के समन्वय और प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय संस्था के गठन के लिए इसी सत्र में विधेयक लाएं।

(छह) उत्तर प्रदेश में कानपुर में रक्षा सेवाओं के लिए भर्ती केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश की रक्षा हेतु भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह करने की लालसा सभी नवयुवकों में होती है तथा यह उनमें विशेषरूप से विद्यमान रहती है जिनके परिवार में परम्परागत रूप से सेना में सेवा करना एक धर्म माना जाता है। ऐसे परिवार कानपुर तथा उसके समीप के जिलों इटावा, मैनपुरी, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, फतेहगढ़, जालौन, हमीरपुर आदि में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। इन परिवारों में प्रत्येक नवयुवक सेना में भर्ती होकर अपने पिता द्वारा स्थापित वंशपरम्परा को आगे बढ़ाना चाहता है एवं मातृभूमि की सेवा करने के अपने धर्म का निर्वाह करना चाहता है। ऐसे स्वस्थ, शिक्षित, चरित्र-वान एवं वीरोचित गुणों से सम्पन्न नवयुवक भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं परन्तु इन जिलों में कोई भर्ती केन्द्र न होने से उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। साधनों के अभाव एवं समय से सूचना प्राप्त न होने के कारण इन नवयुवकों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल पाता है। इन क्षेत्रों से अनेक लोगों ने देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान किया है एवं वीरता पुरस्कारों से अलंकृत हुए हैं। ऐसे परिवारों की वीरांगनाएं अपने पुत्र को पति के मार्ग पर भेजना अपना धर्म समझती हैं परन्तु निकट कोई भर्ती केन्द्र न होने से उन्हें इसमें बड़ी कठिनाइयां होती हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि कानपुर में एक भर्ती केन्द्र (रिक्रूटिंग आफिस) स्थापित करे जिससे कानपुर एवं उसके निकट के जिलों में रहने वाले शिक्षित, स्वस्थ, चरित्रवान एवं वीरोचित गुणों से युक्त नवयुवक सेना में भर्ती होने का अवसर प्राप्त कर सकें तथा इस प्रकार भारतीय सेना को ऐसे नवयुवक सैनिक प्राप्त हो सकें जिनके परिवार में सेना में भर्ती होना गर्व का विषय माना जाता है। इस प्रकार सरकार उन सभी भूतपूर्व सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकेगी, जिन्होंने देश की रक्षा हेतु अपना जीवन जीया है एवं बलिदान किये हैं।

(सात) मानसी-सहरसा-फारबिसगंज और सहरसा-मधेपुरा-कटिहार रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने की आवश्यकता

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र सहरसा का प्रतिनिधित्व करता हूं उस क्षेत्र में पड़ने वाली रेलवे लाइन की हालत इतनी खराब है कि उस पर कोई भी गाड़ी 20 कि० मी० से अधिक की रफ्तार से नहीं चल पा रही है और इसके रख-रखाव पर भी हर वर्ष काफी रुपया खर्च किया जाता है। यदि यही रुपया जो हर वर्ष खर्च किया जाता है उसमें थोड़ा सा और रुपया लगा दिया जाए और वह सहरसा-मनसी-फारबिसगंज तथा सहरसा-मधेपुरा-कटिहार रेल लाइन पर बड़ी रेल लाइन बनाने के लिए खर्च कर दिया जाए तो इससे न केवल रेलवे को लाभ होगा बल्कि उक्त पिछड़े क्षेत्र की जनता को भी काफी लाभ होगा। साथ ही इसका देश के अन्य हिस्सों से सीधा सम्पर्क भी हो जायेगा तथा रेलवे को भी एक बड़ी लाइन के रूप में मनसी-कटिहार तक की लूप लाइन बनने से फायदा होगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए मनसी से फारबिसगंज तथा सहरसा से कटिहार तक की इस पुरानी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य जल्द से जल्द शुरू कराये जिससे इस क्षेत्र का देश के अन्य हिस्सों से सीधा सम्पर्क सम्भव हो सके तथा जनता को भी काफी राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(आठ) कर्नाटक में कावेरी जल विवाद के कारण हुए दंगों से प्रभावित उद्योगपतियों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : कर्नाटक में तमिलनाडु के उद्योगपतियों की कपड़ा तथा चीनी मिलों को कावेरी जल-विवाद के कारण हुए दंगों से भारी नुक्सान पहुंचा है और वे अब तक फिर से चालू नहीं हुई हैं। भारी नुकसान के कारण लम्बे समय तक मिलों के बन्द रहने से कई श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह ब्याज मुक्त ऋण देकर प्रभावित उद्योगपतियों की सहायता करे। इससे मदद मिलेगी और श्रमिकों को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में मेडक जिले के पत्तनचेरू तथा बोलारूम क्षेत्रों को "अत्यन्त प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र" घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मेडक जिले के पत्तनचेरू तथा बोलारूम औद्योगिक क्षेत्रों की अनेक औद्योगिक इकाइयां मंजीरा नदी में औद्योगिक अवशिष्टों को डालती हैं, जिससे आंध्र प्रदेश के मेडक जिले के सभी जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। इससे भारी मात्रा में वायु तथा पर्यावरणीय प्रदूषण भी फैल रहा है। मंजीरा नदी मेडक जिले तथा हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों की जल आपूर्ति का एक मात्र स्रोत है तथा इसका जल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। प्रभावित गांवों का भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाने के कारण मनुष्य तथा पशुओं के पीने लायक नहीं रहा। कुएं दूषित हो गए हैं और कृषकों द्वारा इनका पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं।

पत्तनचेरू तथा बोलारूम औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयां औद्योगिक कचरा भी वहीं डाल रही हैं। इससे वर्षा के जल में सल्फरिक तथा नाइट्रिक एसिड मिल जाते हैं जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। वायु में वातावरण के "रसभ्रम" (आक्सीजन की जगह गन्धयुक्त एक मद्यसार) के कण तथा ऊंची डिग्री के एसिड मिल जाते है जो कि पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। टरबिड काले द्रव्य को भी नकावागु और चिनावागु नदियों में डाला जा रहा है। कृषि सिंचाई के लिए बनाये गये तालाबों का जल भी प्रदूषित है। कुएं और बोर-वेल में चिपचिपा और बदबूदार काला द्रव्य मिल गया है।

न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने कहा है कि पत्तनचेरू औद्योगिक क्षेत्र "एशिया का बुरी तरह से प्रदूषित क्षेत्र है।" कम से कम 950 व्यक्तियों को विभिन्न प्रदूषण संबंधी बीमारियों के कारण अस्पताल भेजा गया था। पत्तनचेरू तथा बोलारूम के निकट लगभग 5,000 एकड़ उपजाऊ भूमि को बंजर घोषित कर दिया है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश के मेडक जिले के पत्तनचेरू तथा बोलारूम औद्योगिक क्षेत्रों को "हाइली पोल्यूटेड इन्डस्ट्रीयल जोन्स" घोषित करे तथा इन क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य आरम्भ करने हेतु विशेष धनराशि उपलब्ध कराये।

3.27 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93–(जारी)

विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : हम विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा पर आगे बहस करेंगे।

मैं समझता हूं कि इस विषय पर 5 बजे तक चर्चा पूरी हो जानी चाहिए। उसके तुरन्त बाद नागालैंड राज्य के संबंध में उद्घोषणा पर चर्चा करेंगे और सम्भवत: उसे आज ही समाप्त करेंगे। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें।

डा० सुधीर राय अपने भाषण को जारी रखें।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : महोदय, मैं भारत-बंगला संबंधों पर चर्चा कर रहा था। मेरे विचार से बंगलादेश में लोकतांत्रिक सरकार के बन जाने से अच्छे भारत-बंगला संबंधों के लिए अनुकूल वातावरण बन गया है। हमें तत्काल ही तीन बीघा क्षेत्र बंगलादेश को अन्तरित कर देना चाहिए। हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता का सम्मान करना चाहिए।

3.28 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, वर्षों से इस मामले को घसीटा जा रहा है। अब हमें तत्काल ही तीन बीघा क्षेत्र बांगलादेश को अन्तरित कर देनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता का सम्मान करना चाहिए।

जहां तक गंगा नदी के जल के बंटवारे का संबंध है, यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बांगलादेश और भारत के बीच व्यापार संबंधों में सुधार होना चाहिए, सीमा व्यापार को वैध कर देना चाहिए और सामान्य व्यापार नियमों को भी वैध कर देना चाहिए। यदि सीमा व्यापार को वैध कर दिया जाता है तो 10 लाख लोग सामान्य जीवन जीने लगेंगे क्योंकि इस समय उन्हें तस्करों, समाज-विरोधी इत्यादि कहा जाता है। न केवल यही बल्कि भारत सरकार को बंगलादेश से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह रेल ट्रांजिट सुविधाओं के लिए अनुमति दे ताकि असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम आदि के साथ फिर से व्यापार शुरू किया जा सके। इससे निश्चय ही हमारे उत्तर भारत में स्थित राज्यों का आर्थिक विकास बढ़ेगा।

महोदय, हमें बंगलादेश से यह साफ-साफ कह देना चाहिए कि वह उल्फा जैसे आतंकवादियों को शरण न दे। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी टी० एन० वी० गुरिल्ला, पी० सी० ए०, उल्फा आदि सभी संगठनों का आधार क्षेत्र बांगला देश है। इसे रोका जाना चाहिए। परन्तु सार्क देशों की एक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष मे है तथा व्यापार संतुलन विशेषरूप से भारत के पक्ष में होने से पड़ोसी देशों को हमेशा व्यापार संबंधों में नुकसान होता है। उनका भारत पर प्रभुत्ववादी होने का आरोप है तथा वे भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं। यदि हम सभी सार्क देशों के साथ व्यापार संबंध सामान्य बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के आरोपों को रोका जाना चाहिए।

श्रीलंका के संबंध में भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम श्रीलंका के संघीय ढांचे के

अन्तर्गत तमिलों की स्वायत्तता के पक्षधर हैं । हम श्रीलंका की एकता और संप्रभुता को खंडित नहीं करना चाहते हैं । परन्तु साथ ही श्री प्रेमदासा की सरकार को तमिल गुटों का एक-दूसरे के प्रति इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए । इसीलिए श्रीलंका में जातीय दंगे हो रहे हैं । भारत और श्रीलंका के बीच पहले ही बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं । हमें आशा है कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में सुधार होगा ।

जहां तक म्यानमार (बर्मा) का संबंध है हम देख रहे हैं कि सैनिक अधिकारी तानाशाही तरीके से देश पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं तथा सभी तरह के लोकतांत्रिक आंदोलनों पर रोक लगाई जा रही है । हमें म्यानमार के संघर्षरत लोगों जो कि अपने मूल अधिकारों और स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे हैं, के साथ सहानुभूति होने की घोषणा करनी चाहिए ।

जहां तक भूटान और मालद्वीव का संबंध है उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं तथा हमें आशा करनी चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया जारी रहेगी ।

दूसरी तरह मुझे यह कहना चाहिए कि भारत सरकार "इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स" को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । सरकार ने संसद के दोनों सदनों में अनेक बार ऐसा आश्वासन दिया है । राज्य सभा ने इस बारे में एक विधेयक भी पारित किया । अतः सरकार को एक विधेयक पारित करना चाहिए तथा इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स को अपने हाथ में लेना चाहिए । (व्यवधान) त्रिपुरा में कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है । अगरतला में एक पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विश्व की मौजूदा स्थिति का संबंध है सभी ने इस पर चिन्ता प्रकट की है । ध्रुवीकृत विश्व के संबंध में कई सदस्य पहले ही अपनी चिन्ता प्रकट कर चुके हैं । इस ध्रुवीकृत विश्व का उदय पूर्वी यूरोप की घटनाओं और सोवियत संघ का राष्ट्रकुल स्वतंत्र राज्यों के रूप में विघटन होने के बाद हुआ है । अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में कुछ हद तक सन्त्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो कि इन घटनाओं के बाद उत्पन्न हुई है । अमेरिका विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बन गया है और वह भी ऐसी पृष्ठभूमि में जबकि हमारी अर्थव्यवस्था भी अत्यन्त चिन्ता का विषय बनी हुई है । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का संबंध है एक विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो गई है । अतः लोग इस बारे में भयभीत हैं कि हम अब इस बड़ी शक्ति के अधिनायकत्व के अन्तर्गत हैं जो विश्व में अब एक महाशक्ति रह गई है । परन्तु मैं अनुरोध करता हूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हमारी पुरानी और सफल सिद्ध हुई नीति से इस ध्रुवीकृत शक्ति का प्रतिकार करना आवश्यक है ।

जैसा कि श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जब यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था उस समय हम भी विश्व में कमजोर थे, रूस भी हमारे राजदूतों की बात सुनने को तैयार नहीं था और जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय जगत का संबंध है हम व्यवहारिक रूप से अकेले थे । उस समय भी हम इस गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को शुरू करने, इसका विकास करने और इसका नेतृत्व करने के बारे में सोचा और आज भी इसकी वही प्रासंगिकता है या जहां तक वर्तमान स्थिति का संबंध है, शायद आज इसकी उससे अधिक प्रासंगिकता है क्योंकि गुटनिर्पेक्ष आंदोलन एक नकारात्मक आंदोलन नहीं था । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का संबंध था, इसका अपना उद्देश्य और यथार्थ रहा है । हमें उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करना था और वे समस्याएं आज भी मौजूद हैं । अतः विश्व की मौजूदा स्थिति से

[श्री शरद दिघे]

निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का संबंध है तीसरी दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए गुटनिर्पेक्ष आंदोलन का अनुगमन करने और उसका विकास करने की आवश्यकता है। जहां तक भारत का संबंध है यह एक वास्तविक शक्ति होगी क्योंकि मार्च के महीने में ही लीक हुए, शायद जान-बूझकर लीक किये गये पेंटागन दस्तावेजों से संयुक्त राज्य अमेरिका के इरादे साफ जाहिर हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि पेंटागन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को ही पूर्वानुमानीय भविष्य के लिए एक मात्र महाशक्ति बने रहने देना चाहता है और अन्य राष्ट्रों को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करने से रोकना चाहता है। ये उनका मुख्य ध्येय है। यद्यपि बाद में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रों में विशेषकर भारत और पाकिस्तान को इसे गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए। वस्तुस्थिति यह नहीं है। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है पेंटागन दस्तावेज ही वास्तविक दस्तावेज हैं और यही सही स्थिति है। अत: इस 46 पृष्ठ के दस्तावेज में, जिसमें से उद्धरण 'न्यूयार्क टाइम्स' में प्रकाशित हुए थे, अन्य शक्तियों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की गई है और यह कहा गया है कि यह भी भय है कि यदि परमाणु प्रसार पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो जर्मनी, जापान और अन्य औद्योगिक शक्तियां परमाणु हथियार प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका का यह प्रत्यक्ष बोध है।

भारत और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से भी उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि दक्षिण-पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सुरक्षा के समन्वित वातावरण को बढ़ावा देने के लिये एक रचनात्मक अमेरिकी-पाकिस्तानी सैन्य संबंध हमारी नीति में महत्वपूर्ण तत्व होगा, यदि पूर्वानुमेय भविष्य में उनकी यह नीति है तो मैं समझता हूं कि इस देश के पास एक मात्र हथियार है जिस पर यह निर्भर रह सकता है और वह हथियार है गुटनिर्पेक्ष आंदोलन जिसको हमने ही शुरू किया है, विकसित किया है और कुछ हद तक पिछले कुछ वर्षों में इसका नेतृत्व भी किया है, अत: जैसा कि मैं कह रहा था कि यद्यपि अन्य महाशक्ति विश्व के क्षितिज से ओझल हो गई है, फिर भी आज के संदर्भ में गुटनिर्पेक्ष आंदोलन अभी भी और अधिक प्रासंगिक हो गया है। हमें तीसरे विश्व के देशों को संगठित करना होगा और उपनिवेशवाद के खिलाफ डट कर मुकाबला करना होगा, परमाणु शस्त्रों के खिलाफ मोर्चा संभालना होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण करने के लिए भी इसका सामना करना होगा। यदि भारत इन उद्देश्यों के साथ सामना कर सकता है तो जहां तक विश्व की मौजूदा स्थिति का संबंध है, मेरे हिसाब से हम संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के खिलाफ टिक पाने में समर्थ होंगे। अत: जहां तक लीबियाई संकट का संबंध है मैं इस सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका सामना करने के लिए बधाई देता हूं। हमने मतदान में भाग नहीं लिया तथा हमने लीबिया के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने के मतदान में संक्युत राज्य अमेरिका का साथ नहीं दिया, बेशक हम अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ थे और इसीलिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में मतदान से अनुपस्थित रहना पड़ा, परन्तु साथ ही हम इसका बातचीत से समाधान ढूंढने के पक्ष में थे, बातचीत करने का हमारा दृष्टिकोण था इसलिए जहां तक लीबिया के संबंध में जल्दबाजी में कोई कदम उठाना बुद्धिमानी नहीं थी। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को जारी रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम तीसरी दुनिया के अपने मित्र राष्ट्रों को एक मंच पर लाने में समर्थ होंगे और हम इस गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। फिलहाल हालांकि इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली है, हमें विश्व जनमत का भी दृढ़ता से भरोसा करना चाहिए और यदि विश्व जनमत को इस गुटनिर्पेक्ष आंदोलन से तीसरी दुनिया के देशों को

संगठित करके, उनकी समस्याओं में उनका साथ देकर और समर्थन देकर जुटाया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि जहां तक सशक्त ध्रुवीकरण शक्ति का संबंध है, हम इस अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में टिक पाएंगे। इस दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका की समस्या, पृथकत्वा की समस्या को भी जोरदार ढंग से उठाना होगा। यद्यपि तनाव कुछ कम हुआ है, फिर भी दक्षिण अफ्रीका अभी भी इस स्थिति से उभर कर पूर्ण लोकतांत्रिक रूप में सामने नहीं आ पाया है। अतः हमें यह समस्या अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अन्य गुटनिर्पेक्ष राष्ट्रों के साथ हमें उस समस्या को भी उठाना चाहिए।

जहां तक निशस्त्रीकरण का संबंध है हमने तत्कालीन प्रधान मंत्री के शासनकाल के दौरान इस संबंध में अपनी कार्य-योजना प्रस्तुत कर दी है। यद्यपि यह उस सम्मेलन में स्वीकृत नहीं हुई थी फिर भी हमें इसे आगे और जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। यह एक संतोषजनक स्थिति है कि पिछले सम्मेलन में हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री ने भी उस कार्य-योजना का समर्थन किया है। उन्होंने केवल इस योजना का समर्थन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने इस योजना की प्रगति के उपाय भी सुझाये हैं। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री ने पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिये सन् 2010 तक का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया था। हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री ने उस तिथि की प्रगति के अब सन् 2000 तक के समय का सुझाव दिया है। यह भी एक बहुत संतोषजनक स्थिति है और मैं इस सरकार द्वारा उठाये इस कदम का स्वागत करता हूं। निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में निरस्त्रीकरण के बारे में केवल कुछ कहना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जो कार्य-योजना हमने प्रस्तुत की है गुटनिर्पेक्ष मित्र राष्ट्रों के साथ उसको भी जोरदार तरीके से अमल में लाना आवश्यक है।

उसी प्रकार हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण के मामले को भी उठायेगी तथा इसमें तीसरी दुनिया के हमारे मित्र राष्ट्र हमारे साथ होंगे। अतः इस दृष्टि से सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है और जहां तक हमारे देश का संबंध है इस मामले को भी उठाया जाना है। यदि हम गुटनिर्पेक्ष आंदोलन के इन सभी उद्देश्यों को लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमें और अधिक राष्ट्रों का साथ मिलेगा और हमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि विश्व की एकाकी महाशक्ति है और जो पूरे विश्व को अपने साथ कर लेने की कोशिश कर रहा है, उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विश्व जनमत तैयार कर पाने में समर्थ होंगे। इसलिए छोटे राष्ट्रों की हिफाजत के लिए और तीसरी दुनिया के अन्य राष्ट्रों, जो कि साम्राज्यवादी युग से बाहर निकल कर आये हैं और जो युग को विकसित करने को कोशिश कर रहे हैं उनको भी समर्थन दिया जाना है। इस दृष्टि से जहां तक विश्वव्यापी स्थिति का सम्बन्ध है हमें विकासात्मक पहलुओं पर भी बल देना चाहिए।

अनेक गुटनिर्पेक्ष देश कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उससे भी निपटना है तथा हमें एक ऐसी विश्व स्थिति उत्पन्न करनी है ताकि छोटे राष्ट्र भी युग को विकसित कर सकें और वे कर्जों के बोझ से छुटकारा पा सकें और तब वे बड़ी शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि विदेश मंत्रालय द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली उचित है। इसे जोरदार तरीके से उठाया जाना चाहिए। मैं कुछ विपक्षी सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने यह टिप्पणी की है कि यह बिना पतवार का जहाज है। मैं समझता हूं कि इसकी दिशा ठीक है। परन्तु हमें गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को संगठित करने के लिये जोरदार तरीके से कार्य उठाना चाहिए ताकि आर्थिक और अन्य स्थितियों का सामना किया जा सके और अन्य छोटे देशों की सहायता की जा सके जो कि तीसरी दुनिया के देशों की श्रेणी में हैं ताकि हम उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए विश्व जनमत बना सकें तथा निरस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण करने के लिए वातावरण बना सकें।

*श्री यू० विजय कुमार (नरसापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, विश्वभर में कई प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। हाल के वर्षों में विश्व में राजनैतिक, भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक दिन आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन हो गया है। द्वि-ध्रुवीय विश्व का स्थान एक-ध्रुवीय विश्व ने ले लिया है। अतः हमारी वर्तमान पुरानी हो चली विदेश नीति को पूरी तरह से संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारी एक गतिशील विदेश नीति होनी चाहिए जो कि विश्व की बदलती परिस्थिति से मेल रख सके।

महोदय, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को मुख्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों को लीजिए। पाकिस्तान हमारे सीमावर्ती राज्यों पंजाब और काश्मीर में आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान ऐसा करने का साहस रखता है क्योंकि इसके अमरीका के साथ उत्कृष्ट संबंध बनाये हुए है। लेकिन सौभाग्य से अमरीकियों के साथ ये संबंध अब उतने निकटतम नही हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। अब हमने अमरीका के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। अब स्थिति बदल गई है। हमें अमरीका के साथ अपने इन सुधरे संबंधों का इस्तेमाल पंजाब और काश्मीर में इन आतंकवादियों की गतिविधियां कड़ाई से बन्द करने के लिए करना चाहिए जो कि देश का विभाजन करने पर तुले हुए हैं। यही वह सही अवसर है जबकि हमें इन दो सीमावर्ती राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों को खत्म करना है। अभी तक पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता रहा है और आर्थिक रूप से तथा सैन्य रूप से दोनों तरह से अमरीकी सहायता का दुरुपयोग करता रहा है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। हमें इस बदली हुई स्थिति का इस्तेमाल इन सीमावर्ती राज्यों में सामान्य स्थिति बहाल करने में करनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का यही आधार होना चाहिए।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था, पूर्व सोवियत संघ अब विघटित हो चुका है। सोवियत संघ एक ऐसा देश था जिस पर भारत काफी ज्यादा निर्भर था। उन्होंने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। अब हम जो विदेश नीति तैयार करेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें अपनी विदेश नीति ज्यादा गतिशील और व्यवहारिक बनाने के लिए पुनः नये सिरे से बनानी पड़ेगी।

गुटनिरपेक्षता हमारी नीति का मुख्य आधार है। पंडित नेहरू इस नीति के निर्माता थे। यही वह नीति है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। हमें किसी भी परिस्थिति में इस नीति को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी ओर हमें इस नीति को और मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

महोदय, सोवियत संघ के खत्म हो जाने पर विश्व एकल-ध्रुवीय हो गया है। एक राष्ट्र या इसके राष्ट्रों का समूह समूचे विश्व के मामलों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर यह हो सकता है कि कोई देश इराक के राष्ट्रपति की कतिपय नीतियों से सहमत नहीं हों। हमारे भी कतिपय मुद्दों पर उनसे मतभेद है। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी शक्तियों इराक के विरुद्ध रुख अपनाया है

*मूलतः तेलुगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

और युद्ध छेड़ा है वह बहुत खेदजनक बात है। एक रक्तरंजित युद्ध हुआ और इससे इराक की अर्थव्यवस्था पूर्णरूप से नष्ट हो गई। यह तो इराक के शासक की बजाय इराक के लोगों से प्रतिशोध लेना ज्यादा लगता है। इससे पश्चिमी शक्तियों का विश्व परिदृश्य पर छा जाने की प्रवृत्ति का पता चलता है।

महोदय, अमरीकी हमसे परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पश्चिमी राष्ट्र परमाणु प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में काफी आगे हैं। उनके आणविक शस्त्रों के बड़े-बड़े बढ़ते हुए भण्डारों से समस्त मानवजाति का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। हमारी सीमा के दूसरी तरफ के देश पाकिस्तान ने पहले ही आणविक क्षमता हासिल कर ली है। चीन के पास भी आणविक शस्त्र है। इन सब वास्तविकताओं को अनदेखी करते हुए अमरीका भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर दे रहा है। यह भेद-भावपूर्ण बात है। उनका रवैया न्यायोचित नहीं है। हमें उनके दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। भारत को एक स्वतन्त्र आणविक नीति की आवश्यकता है जिससे कि देश की भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी हो सके।

अमरीका अब रूस को भारत को राकेट प्रौद्योगिकी के अन्तरण करने से रोक रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अमरीकी कैसे विश्व पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। हमारे लिये हमारे देश की आवश्यकताएं सर्वप्रथम हैं। हमें कुशलता से इस स्थिति से निपटना है। अमरीकियों से यह बात छुपाये बगैर हमें आवश्यक प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आवश्यक कूटनीतिकता से सावधानी से निपटना चाहिए।

महोदय, मैं इजराईल को राजनयिक मान्यता देने के फैसले का स्वागत करता हूं। किसी एक देश को मान्यता न देना कभी-कभी राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध हो जाता है। अत: राष्ट्रों को समय पर मान्यता देना भी जरूरी है। अत: मैं इजराईल को मान्यता देने का स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही भारत को फिलिस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। भारत को उनकी न्यायोचित मांगों का समर्थन जारी रखना चाहिए। यह देखना भी हमारा कर्तव्य हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के साथ न्याय हो और इजराईल कब्जे किए क्षेत्रों से वापस हट जाये।

महोदय, अफगानिस्तान में स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। वह देश संकट से गुजर रहा है। अफगानिस्तान सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश है। हमारे उनके साथ पारम्परिक सम्बन्ध हैं। 1979 में रूसी सेनाओं ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी। लेकिन भारत अफगानिस्तान में सोवियत सुरक्षा बलों के प्रवेश की निन्दा करने में असमर्थ रहा था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत संघ को अपनी सेनाएं वापस हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब पाकिस्तान और ईरान द्वारा समर्थित विभिन्न गुट वहां सत्ता हथियाने के लिये काफी घमासान युद्ध में लिप्त हैं। पहले की ही तरह पाकिस्तान गड़बड़ी के इस माहौल में अपना उद्देश्य साधने में लगा है। पाकिस्तान उस देश के भविष्य के लिए उभरने वाले राजनैतिक ढांचे में मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश में लगा है। भारत इसका मूक दर्शक बने नहीं रह सकता है। अफगानिस्तान इतना महत्वपूर्ण देश है कि उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। भारत को अफगानिस्तान में हाल ही में हुए परिवर्तनों को गम्भीरता से लेना चाहिए।

महोदय, जहां तक भारत-नेपाल संबंधों की बात है वे भी संतोषजनक नहीं है। इस तरह हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। ऊपरी तौर पर हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं लेकिन

[श्री यू० विजय कुमार]

व्यवहारिक तौर पर वे ऐसे नहीं हैं। हमारे पड़ौसियों के साथ संबंध घटकर केवल औपचारिक ही रह गये हैं। हमने विगत में अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाने की दिशा में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। बर्मा और बंगलादेश के साथ भी हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। बंगलादेश से लाखों शरणार्थी देश में आ रहे हैं। हमें शरणार्थी समस्या के प्रति मानवीय रवैया रखना चाहिए। आखिर, इस बात को कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है जबकि बंगलादेशी भी हमारे भाई ही थे। वे सब अविभाजित बंगाल के अंग थे। अतः महोदय, जो लोग साउथ ब्लाक से शासन चला रहे हैं उन्हें हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

महोदय, पश्चिमी शक्तियों ने लीबिया पर कई प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। यह सच है कि हम भी इस देश के शासक की तानाशाही वाली प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करते हैं। न ही हम अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन बेचारे लीबियाई लोगों का क्या दोष है? उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इतनी मुश्किलों में क्यों डाल रहा है? क्या उनके तानाशाह शासक को दण्ड देने हेतु उनको दण्ड देना न्यायोचित है? हालही में लीबिया के विरुद्ध जो प्रतिबन्ध लागू किये गये हैं उनसे वहां के लोगों की परेशानियां और भी बढ़ेंगी। इससे मुझे एक वर्ष पहले जो कुछ हुआ उसकी याद आ जाती है। अतः तानाशाह शासकों के गलत कार्यों के लिए असहाय लोगों को दण्ड देना अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतिकता का मूलभूत सिद्धांत बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को परेशानियों में नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपने शासकों के गलत कार्यों का दण्ड भोगने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। हमें एक प्राचीन राष्ट्र होने के नाते, जिसने कि सदियों से मानवता का गौरव बनाये रखा है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पृथ्वी पर कहीं भी निर्दोष लोगों को किसी भी शक्ति द्वारा दबाया या परेशान न किया जा सके।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। यह बोफोर्स के बारे में है। हमने बोफोर्स मुद्दे पर आठवीं लोक सभा और नौवीं लोक सभा में चर्चा की थी। पुनः यही मुद्दा इस लोक सभा में उठाया जा रहा है। एक ही मुद्दे पर कितना कीमती समय बर्बाद किया गया है? कितने लाख रुपये हमने बर्बाद किये हैं? क्या हमें इस तरह चलना चाहिए? यह समय तो आत्म-विश्लेषण करने का है। वह समय आ गया है जब हमें सोचना चाहिए कि क्या हम यह सब ठीक कर रहे हैं। इस मुद्दे को बार-बार चर्चा करके हम विश्व-समुदाय में अपनी साख गिरा रहे हैं। वह भी इसलिए कि किसी को हथियारों की खरीद में 50 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई और ये कोई नहीं जानता है कि किसे दी, तथा इसके लिए हम इस महान सभा का कीमती समय और एक सत्र के बाद दूसरे सत्र में तथा प्रत्येक लोक सभा में संसद को चलाने में लगे कीमती पैसों को बर्बाद करने में लगे हैं। क्या यह सही है? पिछले 10 वर्षों से हम इस मुद्दे की चर्चा करने में जब तब अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। क्या ऐसी चीज कहीं और हुई है? जिन लोगों के पास ज्यादा बोलने की शक्ति है वे प्रत्येक दिन की कार्यवाही में अपना प्रभुत्व जमाये रहते हैं। हम जो ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकते हैं, हमें अपने गरीब देशवासियों की अनगिनत समस्याओं पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी को भी किसानों की परेशानियों की परवाह नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारा अपने लोगों के प्रति कितने गैर-जिम्मेदाराना रवैया है। यह सुनिश्चित करना विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार ठीक ढंग से कार्य करे। उसे यह देखना चाहिए कि सरकार अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाये। यह उनका परम कर्तव्य है। लेकिन विपक्ष से यह मतलब भी नहीं है कि वह समाचार पत्रों

में छपी रिपोर्टों पर सभा का समय बर्बाद करे। छोटे-छोटे मुद्दों पर चर्चा करके सभा का कीमती समय बर्बाद करना भी विपक्ष का एक तरह से गैर-जिम्मेदाराना कार्य है।

महोदय, एक बार फिर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया और मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन दिन से विदेश मंत्रालय पर चर्चा चल रही है। मेरे विद्वान साथियों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं भी इस विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं। यद्यपि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो विचार रखे हैं उसमें बहुत-सा पृष्ठपोषण हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है। हो सकता है मुझसे भी कुछ पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति उन विषयों पर हुई है जिन पर विपक्ष एकमत है और चाहता है कि उसको विदेश मंत्रालय में लेकर सुधार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1991-92 में भारतीय विदेश नीति के इतिहास में ऐसे अवसर कम ही आये हैं जब वह बहुत चमकीली, ऊर्जावान और दूरदर्शितापूर्ण रही है। इस वर्ष वह जितनी दिग्भ्रमित, निष्क्रिय और किंकर्तव्यविमूढ़ रही, उतनी शायद पहले कभी नहीं रही।

4.00 म० प०

दुनिया में युगान्तरकारी घटनाएं हुईं और विदेश मंत्रालय सोया हुआ या इधर-उधर हाथ-पैर मारता हुआ दिखाई दिया। खाड़ी युद्ध की जो घटना है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। हम उस समय ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाये कि हमें ईराक का समर्थन करना चाहिए या कुवैत का समर्थन नहीं करना चाहिए। हम संयुक्त राज्य अमेरीका के सैनिक जहाजों में बम्बई में पैट्रोल भरवाते रहे। हम ऐसा निर्णय नहीं कर पाये कि हमें क्या स्टैण्ड लेना चाहिए। सोवियत संघ में असफल बगावत हुई और हम उसके अन्तर्गत भी कोई ऐसा निर्णय नहीं कर पाये जो सटीक होता और हमारी विदेश नीति के अनुकूल होता। मैं तो समझता हूं कि वहां के राजनयिक जो हमारे देश से भेजे गये है, हो सकता है कि वोदका में आमोद-प्रमोद करते रहे हों। हमारी विदेश नीति का ताना-बाना पंडित नेहरू ने बुना था। यह उनकी दूरगामी सोच की परिणति थी।

4.01 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

आज भी हम उसको नकार नहीं सकते। जिस गहराई से हमें उन नीतियों का अनुसरण करना चाहिए था, वह हमने नहीं किया। पंडित नेहरू ने सन् 1946 में कहा था -- जहां तक सम्भव होगा, हम स्वयं को महाशक्तियों की गुटबन्दी की शक्तियों पर आधारित राजनीति से दूर रखना चाहेंगे। पिछले समय में संसार को विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा है तथा भविष्य में भी इससे कहीं ज्यादा विनाश की सम्भावनाएं हैं। हमारा विश्वास है कि शांति और स्वतन्त्रता को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। यदि कहीं स्वतंत्रता को छीना जा सकता है तो अन्य स्थानों पर आंच आ सकती है और इससे और युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। पंडित नेहरू ने गुट-निरपेक्षता नीति की शुरूआत की थी जिसमें उन्होंने अनवर सादात और टीटो को भी शामिल किया था। पंडित नेहरू की विदेश नीति का

[डा० लाल बहादुर रावल]

माडल कोई सख्त माडल नहीं है, वह बहुत ही लचीला माडल है। उसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था उसकी प्रमुख विशेषता है। यदि कोई सरकार के अन्तर्गत परिवर्तन हो रहा है तो नेहरू माडल को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश की जो विदेश नीति है तो उसके किसी भी दस्तावेज के ऊपर या वक्तव्य की भाषा पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। केवल भाषा से ही देश के हितों की रक्षा नहीं होती। विदेश नीति की भाषा में दूरगामी राष्ट्रीय लक्ष्य निहित होना चाहिए भले ही उनका वर्णन विस्तारपूर्वक न हो। हम अब तक जो करते आये है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की छवि बनाना या बढ़ाना, हमारा लक्ष्य रहा है। जबकि यह होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति विशेष की छवि को बनाने में न लगें बल्कि सभी दलों को एक साथ मिला करके विदेश नीति को तैयार करें। आज विदेश नीति के लक्ष्य को हम भूलते जा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि हम इसके अन्तर्गत भारत की प्रादेशिक अखण्डता, अक्षुण्णता तथा भू-राजनीति की सुरक्षा के लिए नीति बनाएं और अपने क्षेत्र में शान्ति तथा स्थायित्व मजबूत पर्यावरण का सृजन करें और साथ ही स्वस्थ आर्थिक पर्यावरण को प्रोत्साहित करें और अपने लोगों के आर्थिक हित कल्याण को रूप-रेखा प्रदान करें। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम अपने लक्ष्य से कुछ भटक रहे हैं। आज विश्व पटल पर बहुत तेजी से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जिसका भारत की विदेश नीति पर दूरगामी प्रभाव होगा। आज संसार जिस उथल-पुथल परिवर्तन की ओर जा रहा है तो उसके संदर्भ में इन परिवर्तनों की ओर एक बार फिर आवश्यकता हो जाती है कि अपने राष्ट्रीय हितों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपनी विदेश नीति को साधन बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने विदेश नीति के ऊपर बहुत से विचार रखे, मेरी पार्टी के लोगों ने भी विचार रखे और माननीय जसवन्त सिंह जी ने जैसा कहा कि यह जो 1991-92 का प्रतिवेदन है, यह कोई नई बात लेकर नहीं आया है। हमने अपने देश के साथ पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये जितना प्रयास किया है उस हिसाब से दूसरे देशों ने सम्बन्ध सुधारने के लिये उतना प्रयास नहीं किया है। पड़ोसी देशों के सन्दर्भ में भारतीय विदेश नीति के लिए सदा चुनौतियां ही रही हैं। 1947 से लेकर 1991 तक भारतीय विदेश नीति का यदि विश्लेषण किया जाये तो इस नीति से किसी राष्ट्रीय समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई है। हमने जितना प्रयास संबंधों को सुधारने का प्रयत्न किया, उतना ही हम उलझते जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों हमने सम्बन्ध मजबूत बनाने चाहे हम और उलझ गये। सम्बन्ध सुधारने में, खास तौर से पड़ोस के साथ हमने बहुत कुछ खोया। पता नहीं कहां पर पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध बनाने में अपनी नीति में हम कहीं चूक हो रहे हैं, कहीं ढीले पड़ रहे हैं। हमने पंडित नेहरू की समय से पहले ही खोया जो पंचशील का सिद्धान्त लेकर घूम रहे थे, चीन के साथ सम्बन्ध मधुर बनाने के लिए, लेकिन उसने धोखा दिया। हमने शास्त्री जी को खोया कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध बनाने में, हमने इंदिरा जी को खोया चाहे कश्मीर की समस्या हो या पंजाब की समस्या हो। हमने लंका के साथ सम्बन्ध सुधारने में राजीव गांधी को खोया। मैं नहीं समझता कि भविष्य हमारे लिए क्या और लायेगा।

इसके साथ हमने अपनी सीमाओं को सिकुड़ते हुए भी देखा। हमने जितना सम्बन्ध बनाने में अखण्डता की बात की, उतनी ही हमारी सीमाएं भी सिकुड़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा चिन्ता हमें पाकिस्तान के प्रति रहती है। हम पाकिस्तान के साथ जब सम्बन्ध सुधारने की बात करते है तो सम-

झौते होते हैं, सौदे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हो वे समझौते और सौदे टूट जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत की विदेश नीति दोनों देशों के निजी सम्बन्धों की धुरी पर घूमती रहती है। वक्तव्य, भाषण और घोषणाएं बहुत हुई हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा है। समझौते हुए और उनका उल्लंघन हुआ। हमारी तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से हुआ। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, इसको मैं एक शेर के द्वारा बताना चाहता हूं :—

"मेरी हिम्मत देखिये, मेरा सलीका देखिये,
जब सुलझ जाती है गुत्थी, फिर से उलझ जाता हूं मैं।"

पाकिस्तान के विदेश सचिव भारत में आते हैं। यहां पर, हमारे भारत की भूमि पर भारत के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते हैं और हम उसको सहन कर लेते हैं। मैं नहीं समझता कि उनका जो दृष्टिकोण है वह भारत के साथ समझौता करने का है। मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का है या लड़ाई-झगड़ा करने का है। उसने हमारे देश में पंजाब में, कश्मीर में आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया है हमारी सरकार, हमारे देशवासी अत्यधिक चिन्तित होते हैं। कश्मीर की समस्या को लेकर हम आज भी बहुत चिंतित हैं और इसका समाधान किस तरह से हो, हर आदमी इसके लिये परेशान है। शायद चीन के सम्बन्ध में हमारे विचार या हमारी कुछ दिशा जो है निश्चित हुई हो, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन सतर्कता के लिए भी उपेक्षित है। हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तिरुवंतपुरम् बैठक में चीन से सम्बन्ध सुधारने के लिये एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहागया था कि चीन के साथ व्यापार उद्योग और सांस्कृतिक मामलों में सहमति बनाने की पहल करनी चाहिए, सभी विवादों का हल दोनों के लिए सम्मानजनक शर्तों पर होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वर्तमान सरकार चीन के साथ किस तरह से सम्बन्ध स्थापित करने पर विचार कर रही है ? इस संबंध में मेरी पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि चीन के साथ सम्बन्ध सुधरने चाहिए लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि हम एक तरफ तो चीन से संबंध सुधारने की बात करें, दूसरी तरफ तिब्बत के लोगों के साथ भी हमारी सहानुभूति निरंतर होनी चाहिए चूंकि तिब्बत के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। हमने तिब्बत के बहादुर और पीड़ित लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है। भारत और चीन। प्रधान मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में सम्मिलित मानवाधिकारों के सिद्धान्तों का सम्मान होना चाहिए। यदि हम तिब्बत में चीन के इतिहास को देखें तो चीनी सेना और पुलिस द्वारा 12 लाख से ज्यादा तिब्बती मारे गये, छः हजार बौद्ध मठ नष्ट कर दिये गये और हजारों लोग जेल में हैं। हम यह कहकर पीछा नहीं छुड़ा सकते कि यह चीन का प्रादेशिक मसला है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमें चीन के साथ सम्बन्ध या समझौता करके आदान-प्रदान करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह से नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका और मालद्वीव जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है, उनके साथ भी हमारे उसी तरह से सम्बन्ध होने चाहिए जिस तरह से हमारे ऐतिहासिक सम्बन्ध हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पड़ोसी देश के लोग और वहां के नेता भारत के नेताओं को शक की दृष्टि से देखते हैं। शक की दृष्टि से इस नाते कि उनकी नजर में ऐसा लगता है कि भारत उनके ऊपर दादागिरी करना चाहता है, अपनी नीतियों को थोपना चाहता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगा कि इस तरह को जो भ्रान्तियां हैं, इस तरह के उनके जो विचार हैं, उनको तोड़ने के लिए हमारी सरकार को प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत पुराने रहे है लेकिन वह देश जितना हमें शक की दृष्टि से देखता है, उतना कोई भी देश हमे शक की दृष्टि से नहीं देखता है। इसी तरह से

[डा० लाल बहादुर रावल]

मयामार देश की हमने हमेशा उपेक्षा की है। उस पड़ोसी देश के बारे में हम कोई स्पष्ट नीति नहीं अपना पाये। वहां लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। वहां की नोबेल पुरस्कार विजेता आंगसाग सु-क्यो की रिहाई के लिये कोई ठोस काम नहीं किया। मेरा तो यहां तक कहना है कि उस देश को भी "सार्क" देशों में सम्मिलित करने के लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। एक बात अवश्य कहूंगा कि "सार्क" में जो देश हैं—चाहे मैं गलत हूं—लेकिन एक-दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। इसमें किस का कहां दोष है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। पंडित नेहरू की जो विदेश नीति की आधारशिला रही है, वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाकर स्पष्ट किया था। जब पूरा विश्व दो महाशक्तियों के बीच चल रहे शीत युद्ध की दया में जी रहा था तब इसका मतलब कुछ और था और अब जब शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो गुटनिरपेक्षता का मतलब बदल चुका है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के पीछे की भावना का हम त्याग कर चुके हैं। हमें अपनी जनता की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए अन्दर तथा बाहर के संघर्ष में साथ देना चाहिए। हमारे नेता माननीय अटल जी ने पिछली बार इस सम्बन्ध में अपने विचार रखते हुए कहा था कि गुटनिरपेक्षता को हमने कभी नकारा नहीं है, हमारी पार्टी ने नहीं नकारा है। जब वे विदेश मंत्री थे, तब भी उन्होंने इसको स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया था कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्षता को हमें जेनुइन बनाना चाहिए। यह उनका विचार था और मेरा भी सरकार से आग्रह है कि उसको जेनुइन बनाने के लिए सरकार प्रयास करे।

विश्व संदर्भ में हमारे अमेरिका से किस तरह के सम्बन्ध होने चाहिए, वे हमारे ऊपर तरह-तरह के प्रतिबन्ध न लगाएं, कोई बहाना बनाकर प्रतिबन्ध न लगाएं। जहां कश्मीर के मामले पर हमारे देश का, हमारी नीतियों का अमेरिका समर्थन करता है, वहीं पर दूसरे देश को उसी सन्दर्भ में हथियार भी सप्लाई करता है। इस तरह की नीति का हमको डटकर विरोध करना चाहिए। रूस, जर्मनी, इस्राइल इनके साथ हमारे किस तरह के सम्बन्ध हों जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस्राइल के साथ दोस्त सम्बन्ध स्थापित हुए हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं, मेरी पार्टी ने भी स्वागत किया है कि इस्राइल के साथ सम्बन्ध मधुर होने चाहिए लेकिन जो हमारा पुराना मित्र फिलिस्तीन है, उसकी भी हमको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसने समय-समय पर हमारा साथ दिया है, वह भी हमारा साथ देना चाहेगा, हमारा सहयोग लेना चाहेगा। मेरा निवेदन यही रहेगा कि हम इस्राइल को मान्यता देने के साथ-साथ फिलिस्तीन को भी अपना समर्थन, अपनी सहायता देते रहें।

पिछले दिनों आर्थिक नीतियों पर काफी चर्चा हुई है। मैं इसमें संक्षेप में थोड़ा-सा कहना चाहूंगा कि जो विश्व की जनसंख्या का सातवां हिस्सा है, वह हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर रहता है और साधन केवल 4 प्रतिशत है।

4.17 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमें अपनी जनसंख्या के अनुरूप साधनों को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से सहायता तो लेनी पड़ेगी लेकिन सहायता लेने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश को गिरवी रख दें। पिछले दिनों चर्चा आई थी कि हम देश के अर्थ-तंत्र को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से सहयोग लेंगे, दुनिया

में आज आर्थिक तंत्र तेजी से उभर रहा है। यूरोपीय समुदाय एक हो रहा है। उधर जापान और अमेरिका का मोर्चा है। दुर्भाग्य से हमारी विदेश नीति में आर्थिक तंत्र का अभाव शुरू हो रहा है। विदेश नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लक्ष्य को किस हद तक हम अपनी घरेलू नीतियों को आर्थिक नीतियों से प्रतिबन्धित कर सकते हैं। अगर एक बार किसी एक गुट की नीति से मुक्त होने का हम फैसला कर लें तो हममें यह निश्चय भी पैदा होना चाहिए कि हम आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भरता का रास्ता खोजें वरना हम उस बनिये की तरह व्यवहार करते रहेंगे जो गो-पूजन करता है लेकिन मुनाफा कमाने के लिये गोमांस का व्यापार करने के अपने विचार को जारी रखता है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि विदेश नीति को किसी एक पार्टी की नीति न बनाया जाये। सब दलों को बैठकर उसको तय करना चाहिए और अभी जैसा मेरे साथी प्रो० प्रेम धूमल ने कहा था कि विशेषज्ञों का एक नीति योजना आयोग स्थापित हो, जो चिरस्थायी विदेश नीति बना सके। विदेश नीति के मुद्दों पर राजनीतिज्ञ एकमत हों। हमें एकमत होना चाहिए। दो ध्रुव वाले विश्व का अन्त हुआ है अब एक शक्तिशाली 'सार्क' के लिए हम प्रयास करें। पूरे देश के लिए साझा व्यापार केन्द्र की स्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि जो अप्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए हम समय-समय पर देखें और अगर आवश्यकता हो तो उनको दोहरी नागरिकता भी दिलाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करें। यह प्रयास भी हो कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। मैं एक बात और कहूंगा कि हमने अपने प्रतिवेदन में हिन्दी भाषा को बढ़ाने के लिए जो कहा है वह मैं समझता हूं कि पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। उसके लिये हमें और अधिक प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी राष्ट्रभाषा को विदेशों में अधिक से अधिक प्रचार हो, प्रसार हो।

यह प्रयास भी हो कि विशेष रूप से पड़ोसी देश पाकिस्तान शिमला समझौते के अनुरूप कार्य करे। अगर वह उसका उल्लंघन करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हमें यह भी देखना चाहिए कि जो हमारे देश का धन विदेशों के बैंकों में जमा है उसे हम किस तरह से अपने देश में ला सकें और भविष्य के लिए भी हमें कोई ऐसी नीति बनानी होगी ताकि इस देश का धन किसी भी तरह से कोई विदेशी बैंकों में जमा न कर सके।

इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, अपने विचार थोड़े समय में रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष जी, मैं इस विदेश नीति का समर्थन करने में असमर्थ हूं। मुझे इस सम्बन्ध में एक विशेष बात कहनी है कि हमारे जितने पड़ोसी देश है—विशेष कर भूटान, नेपाल और बंगलादेश—वहां से हमारे यहां लोग दिन-रात आ रहे हैं और हमारे लिए वह एक गंभीर समस्या बनी हुई है। मैं अपने विदेश मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में जितने छोटे राष्ट्र हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। भारत एक बड़ा देश है इसलिए हमें उनकी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। अगर हम उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे और हमारी विदेश नीति उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रुख रखने वाली नहीं होगी, उनके प्रति हम सहानुभूतिपूर्वक रुख नहीं अपनायेंगे, तो आने वाले समय में हमारे सामने एक गम्भीर चुनौती खड़ी हो सकती है। हम लोग किसी नई विपदा में फंस जायेंगे। (व्यवधान)

आज हालत यह है कि भूटान के आसपास उग्र आन्दोलन हो रहे हैं और वहां जितने नेपाली ओरिजिन के आदमी हैं, उन्हें भूटान से भगाया जा रहा है और वहां से भागकर वे रोज हिन्दुस्तान में

[श्री पीयूष तीरकी]

आ रहे हैं जिससे हमारे यहां का पर्यावरण खराब हो रहा है। हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाय-बागानों में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। भूटान के नजदीक हमारा खुला बोर्डर है, बल्कि एक ही शहर में दो देशों की सीमाएं मिलती हैं एक ही रास्ता है, एक ही दीवार के इधर एक देश है, दूसरी तरफ दूसरा देश है। आज वहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं कि हर किस्म का टैररिज्म बढ़ता जा रहा है। कई लोग भूटान मे बदमाशी करके इण्डिया में आ जाते हैं और यहां के लोग वहां चले जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यद्यपि भूटान छोटा देश है, रोजाना भूटान और नेपाल से जिस तरह अनधिकृत प्रवेश करके आदमी हमारे देश में आ रहे हैं, उनके कारण हमारी सारी व्यवस्था खराब होती जा रही है, अव्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मेरा विदेश मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी-से-जल्दी भूटान, नेपाल और बंगलादेश के विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलायें और उनकी समस्याओं पर गौर करें। हमें देखना चाहिए कि उनकी क्या जरूरतें हैं और हमारी क्या समस्याएं हैं।

भूटान से जितनी पहाड़ी नदियां इधर आती हैं, उनके कारण हमारे यहां इरोजन हो रहा है, चायबागान बर्बाद हो रहे हैं, बस्तियां बर्बाद हो रही है खेती को नुकसान पहुंचता है। जब तक भूटान के साथ विचार विमर्श करके हम कोई योजना नहीं बनाते, तब तक हमारी समस्याएं बढ़ती जायेंगी, कोई परिकल्पना साकार नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब हमारे सामने नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हर रोज वहां से आदमी आ रहे हैं, मानवता की खातिर हम किसी को वापस नहीं भेज सकते, जैसे पाकिस्तान करता है, बंगलादेश से आये 5 लाख से अधिक चकमा लोग हमारे यहां बैठे हैं लेकिन बंगलादेश से बातचीत के मामले में भारत सरकार अभी तक चुपचाप बैठी है जबकि वे हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या बने हुए हैं। खाली अमेरिका, ब्रिटेन और होनोलूलू जैसे देशों की यात्रा करने के लिए हमारे विदेश मन्त्री नहीं हैं, उन्हें अपने घर की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के अन्दर क्या हो रहा है। आप जल्दी से सभी देशों की एक मीटिंग बुलाइए, बंगलादेश, भूटान और नेपाल के विदेश मंत्रियों को बुलाइए और देखिये कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। उनकी समस्याओं को जाने बिना, विचार विमर्श के बिना कोई हल नहीं निकल सकता। नदियों की समस्या हल नहीं हो सकती। उसके कारण हमारे यहां का पर्यावरण लगातार खराब होता जा रहा है। हमें देखना चाहिए कि वहां से आने वाले नदी-नालों का उपयोग हम किस तरह से अपने हित में कर सकते हैं। इस विषय में हमें उनसे बातचीत करनी होगी। वे सभी स्वाभिमानी राष्ट्र है, छोटे राष्ट्र हैं। उनके पास भी कई तरह की सम्पत्ति है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, भारतवर्ष की समस्याओं को मिल बैठकर हल करना ज्यादा अच्छा है। यदि इस तरह से हम व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ती जायेंगी। हम लोग भुक्त भोगी हैं, उनके यहां से जितने रोज आदमी आ रहे हैं, हम उन्हें कहां से खाना खिलायें। पहले ही कितने लोग हमारे यहां बैठे हुए हैं। मैं अलीपुरद्वारस से आता हूं और वहां की स्थिति से भली-भांति परिचित हूं। यदि वहां कुछ गोल-माल हो गया तो इधर हमारा आसाम चला जायेगा, आसाम विच्छिन्न हो जायेगा। हमारा जो बंगलादेश का बोर्डर है, भूटान का बोर्डर है, वह बहुत ही सैन्सिटिव एरिया बन गया है। इसलिए आप विदेशों में जाने का ही काम न करें, अपने घर में भी देखें कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान निकालने का प्रयत्न करें।

सर, दूसरी बात यह है—मेरा इनसे अनुरोध है और शिकायत भी है कि जो चकमा रिफ्यूजी हैं, जो ट्राइबल हैं, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है और आज तक कोई बात इन्होंने नहीं की है। भारत

सरकार ने अनसुनी कर दी है। बच्चे मर रहे हैं, वहां भुखमरी फैली हुई है, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने यह कहा कि उस देश में उनको इसलिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि यह मानवता का तकाजा है। मानवता की खातिर उनको बंगलादेश में नहीं भेज सकते हैं। मेरा कहना है कि आप मानवता की खातिर उनको बंगलादेश में नहीं भेज सकते हो, तो बदला तो कर सकते हो, जब वहां से 5 लाख यहां आ गए हैं, तो यहां से वहां 5 लाख भेज दो। यह तो कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे हमारे देश के लिए समस्या बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीटेडली, इस बात को कह रहा हूं कि यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। इसलिए आप इसके लिए आश्वासन दें कि नेपाल, बंगलादेश, भूटान आदि इन सब देशों से अवश्य मीटिंग करेंगे और इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करेंगे।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद !

अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि आप मुझे सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों के योगदान के लिये उनके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करने दें। उनका बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहा है तथा साथ ही उनके इस तरह से हमारी विदेश नीति में इतनी गहराई से गौर करने से निःसंदेह भविष्य में विदेश नीति तैयार करने में काफी सहायता मिलेगी जैसे कि पहले भी विगत में मिली है। जो कुछ इस सभा में कहा जाता है उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। महोदय, क्या मैं तुरन्त एक ऐसे मुद्दे को ले सकता हूं जिसके सम्बन्ध में की गई चर्चा से मुझे लगता है कि यह एक मूलभूत मुद्दे के रूप में उभर आया है। यह पहलू इस प्रकार है कि आज जबकि अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वास्तव में बहुत अधिक परिवर्तन आये हैं, ऐसे समय में इस देश मे पिछली चार सदियों से एक परम्परा रही है और यह परम्परा विदेश नीति के प्रति हमारा सहमतिजन्य दृष्टिकोण रखना है, अर्थात् हमारा अपनी विदेश नीति के प्रति एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाये रखने की परम्परा। मैं इस परम्परा को आज भी यहां देख रहा हूं, मैंने पिछले रोज भी ऐसा ही देखा है तथा इस पूरे वाद-विवाद में मैंने देखा कि विश्व में इन तेजी से हुए परिवर्तनों के बावजूद हमारी संसद में भारतीय विदेश नीति के प्रति एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति उभरती है जिससे निःसंदेह देश को एक समग्र राष्ट्र के रूप में छवि प्रतिबिम्बित होती है। यहां यह राष्ट्रीय सर्वसम्मति उभरी है और इसका सभा के सभी वर्गों ने समर्थन किया है तथा यह वास्तव में इस वाद-विवाद से परिलक्षित होने वाला सबसे अधिक प्रोत्साहित करने वाला पहलू है।

हम विपक्ष तथा सदन के सभी पक्षों के इस कथन का समर्थन करते हैं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ने हमें अवसर प्रदान किया है तथा विश्व व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के इस अवसर को हमें गंवाया नहीं जाना चाहिए। यही समय है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वास्तविक लोकतंत्र, न्याय तथा समानता की विजय होनी चाहिए तथा छोटे, बड़े, शक्तिशाली तथा कम शक्तिशाली देशों से बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। छोटे, बड़े, शक्तिशाली तथा कम शक्तिशाली, अमीर, गरीब सभी देशों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नई दिशा की ओर मिलकर बढ़ना है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इस भ्रातृ भाव के द्वारा ऐसा कर पाना सम्भव है तथा इसीलिए जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में लोकतंत्र की बात होती है तो इस मामले में हम विपक्ष तथा सदन के सभी वर्गों के साथ हैं।

[श्री एडुआर्डो फलेरो]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकरण के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण के सम्बन्ध में इस सदन तथा विपक्ष के विचारों का भी हम समर्थन करते हैं। बेशक' संयुक्त राष्ट्र संघ के लोतंत्रीकरण के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद, जो कि इस संस्था का सर्वोच्च कार्यकारी अंग है, के विस्तार का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। परन्तु जैसा कि पिछले कुछ दिनों में कई बार कहा गया है, इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करना है, जो क्षेत्रीय, स्थानीय तथा अन्य समस्याओं का समाधान बिना किसी भेदभाव के तथा सर्वमान्य तरीके से कर सके तथा स्थिति का सामना सुयोग्यता और कानून के आधार पर न्याय और समानता के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हो सके।

महोदय, चर्चा से गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन की सार्थकता के सम्बन्ध में आम राय तथा सर्वसम्मति की विचारधारा सुस्पष्ट हो गई है। गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन की कल्पना शीत युद्ध अथवा महाशक्तियों के टकराव पर कभी भी आधारित नहीं रही। गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन का आधार तथा प्रयोजन उन देशों की आवश्यकता है, जिन्होंने अभी-अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है, तथा इसके साथ-साथ उनको राजनैतिक स्वतंत्रता को बनाये रखना तथा उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना है। आज हम गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को जारी रखने की आवश्यकता अनुभव करते हैं क्योंकि गुटनिर्पेक्ष आंदोलन के लिये निर्धारित उद्देश्य अभी पूरी तरह प्राप्त नहीं किये जा सके हैं तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि निरस्त्रीकरण, विकास, पर्यावरण तथा आर्थिक और सामाजिक उन्नति तथा समृद्धि जैसे मूलभूत क्षेत्रों में कार्य अभी भी अधूरा है।

जैसा कि आज हम देख रहे हैं, पूर्व और पश्चिम में टकराव समाप्त हो गया है तथा दो महा-शक्तियों अथवा भूतपूर्व महाशक्तियों में परस्पर सहयोग तथा विश्व की सभी बड़ी शक्तियों में परस्पर सहयोग की भावना का सूत्रपात हुआ है जो कि एक स्वागत योग्य बात है। परन्तु इसके साथ-साथ हमें किसी उपचारात्मक कार्यवाही के अभाव के कारण उत्तर-दक्षिण में बढ़ रहे मतभेदों के प्रति भी सावधान रहना होगा। हमारे विचार से, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जब महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक निर्णय लिये जाते हैं तो दक्षिण की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए, इस सन्दर्भ में मैंने यही कहा है कि गुटनिर्पेक्ष आंदोलन के सिद्धांत तथा प्रयोजन आज भी सुसंगत है, तथा गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को पहले की ही तरह न केवल प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बने रहना है बल्कि उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होने की आवश्यकता है तथा यही एक ऐसी धारणा और उद्देश्य है जिसको हमें पूरा समर्थन देना है, प्रोत्साहन देना है।

इसके पश्चात् मैं उन कुछ विशिष्ट मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा जिसका उल्लेख यहां चर्चा के दौरान किया गया है। सभी देशों की तरह हमारे देश की विदेश नीति में भी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को मुख्य प्राथमिकता दी जाती है। अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की हमारी सदैव चेष्टा रही है। हम आपसी हित के कई सामान्य पहलुओं पर बात करते रहे हैं। कई मामलों में हम एकमत हैं क्योंकि हमारे आपस में सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध हैं। जहां हमारे आर्थिक सम्बन्ध नहीं हैं, वहां पर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने की काफी जरूरत है। इसलिए जिस भ्रातृभाव का समर्थन हम सारे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए करते रहे हैं, वही भ्रातृ-भाव हमारे आस-पड़ोस में, इस क्षेत्र का उप-महाद्वीप में भी अधिक गति से पनपना चाहिए। और इसीलिए अपने पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों, तथा इन सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की हमारी इच्छा

को हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों में प्राथमिकता का दर्जा मिला हुआ है।

अपने पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्धों को हम दो पहलुओं से देखते हैं; एक है बहुपक्षीय पहलू जिसके अन्तर्गत हम मूलत: 'सार्क' जैसे क्षेत्रीय गठबन्धन का सहारा लेते हैं; तथा दूसरा है द्विपक्षीय पहलू। 'सार्क' के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सार्क शिखर सम्मेलन पिछले दिसम्बर में कोलम्बो में सम्पन्न हुआ है; उससे हमें आशा है कि दक्षिण एशियाई देशों में 'सार्क' के ढांचे के अन्तर्गत बढ़ रहे सहयोग में आर्थिक पहलू भी सम्मिलित हो जायेगा। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं ने गरीबी के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा वे दक्षिण एशिया में गरीबी उन्मूलन के सम्बन्ध में अध्ययन तथा रिपोर्ट तैयार करने और अगले शिखर सम्मेलन में अपनी सिफारिशें देने के लिए एक स्वतंत्र दक्षिण एशिया आयोग स्थापित करने पर कोलम्बो में सहमत हो गये हैं। इस नये घटनाक्रम के साथ यह आशा की जाती है कि 'सार्क' दक्षिण एशिया के लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के प्रति और अधिक क्रियाशील होगा।

जहां तक द्विपक्षीय सम्बन्धों का प्रश्न है, तो पिछले एक वर्ष के दौरान, सामान्यतया इन संबंधों में काफी सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ, भारत-नेपाल सम्बन्धों को लीजिए। पिछले एक साल अथवा इससे भी अधिक समय की अवधि के दौरान, भारत-नेपाल सम्बन्ध केवल सामान्य ही नहीं हुए हैं बल्कि पिछले कुछ समय में उनमें काफी सुदृढ़ता तथा सघनता आई है।

दिसम्बर, 1991 में नेपाल के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान, आपसी लाभकारी सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में तथा इस हेतु तरीके ढूंढ़ने की दिशा में काफी प्रगति हुई। दोनों देशों ने व्यापार, आवागमन का अवैध व्यापार को रोकने, कृषि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए पांच संधियां तथा समझौते किये। जल संसाधनों के विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए कई निर्णय लिए गए, इस प्रकार दोनों देश आपसी लाभ के सहयोग के एक नये युग की ओर बढ़ रहे हैं।

संक्षेप में मैं यह कह सकता हूं कि नेपाल से हमारे मधुर सम्बन्ध चरमसीमा पर हैं तथा नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध इससे अच्छे कभी नहीं रहे। दोनों देशों तथा दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए हम इस भ्रातृभाव तथा सहयोग की भावना को और सुदृढ़ करेंगे।

जहां तक श्रीलंका का सवाल है हमारे प्रधान मंत्री तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदास के बीच, सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर, दिसम्बर, 1991 में बैठक हुई थी जिसमें आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उसमें यह सहमति हुई कि श्रीलंका भारत में रह रहे उन तमिल शरणार्थियों को वापस ले लेगा जो स्वयं अपने देश वापस जाने की इच्छा रखते हैं। अब तक लगभग 15,000 शरणार्थी जा चुके हैं, तथा यह क्रम अभी जारी है।

हमने श्रीलंका नौसेना जो कि भारत के समुद्री क्षेत्र से कुछ दूर घूमती रहती है के द्वारा हमारी मछली पकड़ने वाली उन नौकाओं पर हमलों की घटनाओं के बारे में श्रीलंका के साथ मामला उठाया है। हमें यह आश्वासन मिला है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके साथ-साथ यह आवश्यक है कि हम अपने मछुआरों को यह सलाह दें कि वे अपना मछली पकड़ने का कार्य भारत की समुद्री सीमा के भीतर ही करें। मैं यह सब आपसे कह रहा हूं, तथा इसके साथ ही हमें प्रधान मंत्री महोदय से यह निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि हम यह सुनिश्चित करें कि उपलब्ध कानूनी ढांचे के भीतर उन क्षेत्रों में मछुआरों के मछलियां पकड़ने की सम्भावनाओं को बढ़ाया जाये, जिनकी हम इस समय चर्चा कर रहे हैं।

[श्री एडुआर्डो फलेरो]

अब मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा। दुर्भाग्यवश, हमारे सभी अच्छे इरादों तथा इच्छाओं के बावजूद, मैं सदन से यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। इस समस्या का केन्द्रबिन्दु पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद तथा अलगाववाद को निरन्तर समर्थन देना है। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कभी भी अमल नहीं किया गया। पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करता रहा है तथा अपने इस प्रयत्न में वह घाटी में व्याप्त स्थिति को गलत तथा बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत करने के लिए भ्रामक प्रचार करता रहा है।

अपनी तरफ से, हम पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए तैयार हैं। परन्तु स्पष्टतः पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विशेषकर गम्भीर मुद्दों पर बातचीत तभी हो सकती है, जबकि पाकिस्तान हमारे मामलों में हस्तक्षेप तथा आतंकवाद को समर्थन देना बन्द कर दे। यह समर्थन, जो हमें किसी भी तरह अस्वीकार नहीं है, द्विपक्षीय सम्बन्धों के वातावरण को दूषित करता है, तथा अर्थपूर्ण बातचीत के लिए विश्वास पैदा करने में सहायक नहीं होता है।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने का प्रयत्न करना, शिमला समझौते की भावना के विपरीत है। ऐसे प्रयत्नों से स्थिति और उलझ जाती है।

हम एक बार फिर पाकिस्तान सरकार से निवेदन करते हैं कि वह ऐसी कार्यवाहियों से गुरेज करे जो द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया को धक्का पहुंचाती है, तथा वह दोनों देशों के लोगों तथा क्षेत्रीय स्थिरता और शान्ति के लिए हमारे द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों में सम्मिलित हो ताकि हमारे बीच तनाव मुक्त तथा अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध स्थापित किए जा सकें।

महोदय, समय की कमी के कारण मैं प्रत्येक पड़ोसी देश के साथ अपने देश के सम्बन्धों के बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा, परन्तु यह बात महत्वपूर्ण है कि मैं चीन के साथ सम्बन्धों की चर्चा करूं जिस पर कि माननीय सदस्यों ने बार-बार जोर दिया है। विश्व की स्थिति में हाल ही में हुए परिवर्तनों के कारण चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार और भी महत्वपूर्ण हो गये हैं। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है तथा हम विश्व के दो सबसे बड़े विकासशील देश हैं। चीन के साथ हमारी बातचीत का उद्देश्य आपसी समझ-बूझ को सुदृढ़ करना तथा सभी बकाया मुद्दों का शान्तिपूर्ण समाधान ढूंढना है। चीन के साथ उच्चतर राजनैतिक स्तर पर हमारी बातचीत निरन्तर तथा सही दिशा में अग्रसर है। निकट भविष्य में हम अपने देश के राष्ट्रपति की चीन यात्रा के कार्यक्रम का अन्तिम रूप दे रहे हैं।

महोदय, इसी प्रकार जापान के साथ भी हम अपने सम्बन्धों को बहुत महत्व देते हैं। कई अवसरों पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान से आपसी सम्बन्धों में व्यापकता आई है, तथा दोनों देशों के बीच राजनैतिक तथा आर्थिक वार्ता में और गति आई है। हम पिछले वर्ष अपने भुगतान सतुलन के संकट के नाजुक दौर में जापान द्वारा दी गई मदद की प्रशंसा करते हैं और हमने जापान सरकार को उस समय हमें दी गई सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया है। माननीय प्रधान मंत्री के उस देश के दौरे के सम्बन्ध में मंत्रालय काम भी कर रहा है। उच्च स्तर पर सहमति हो जाने के बाद उनकी यह यात्रा निकट भविष्य में ही होगी।

महोदय, मैं यहां उस समस्या पर थोड़ी-सी ही चर्चा करना चाहूंगा जिसका उल्लेख बार-बार किया गया है और वह मुद्दा है इजराइल के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण और पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापना पर शुरू हुई अरब-इजराइल वार्ता विभिन्न कारक थे, जिन्होंने भारत को इजराइल के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के पक्ष में निर्णय लेने को प्रेरित किया। इस निर्णय का अर्थ यह कतई नहीं है कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार या उनके मित्र गुटों के प्रति भारत के पारम्परिक समर्थन या अरब देशों के साथ हमारे नजदीकी सम्बन्धों में किसी प्रकार की ढील आई है, हम अब भी उन सब बातों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके विपरीत, हमारा यह विश्वास है कि अगर हम उस क्षेत्र की राजनीति में लगातार अपनी भूमिका निभाना चाहते है, तो दोनों पक्षों में अपना विश्वसनीय पैठ बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जिससे हम अपने वैचारिक दृष्टिकोण को अधिक प्रभावी और प्रत्यक्ष तौर पर व्यक्त कर सकें तथा उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को यथार्थ में साकार किया जा सके। इन्हीं सब कारणों से हमने अन्ततः इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। मध्य-पूर्व शान्ति सम्मेलन के दोनों ही सह-प्रायोजकों ने तथा इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने भी हमारे इस सम्मेलन में भाग लेने की निर्णय का स्वागत किया है। वास्तव में, ऐसा करने वालों में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन ही आगे था।

महोदय, जहां तक अमेरिका का सम्बन्ध है, यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि वह व्यापार में हमारा सबसे बड़ा साझीदार है और हमारी विदेशी निवेश और तकनीक का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हमारे यहां आतंकवाद की जो स्थिति है, उस पर हाल के दिनों में उसके द्वारा दिये गये भारी समर्थन तथा पाकिस्तान की नाभिकीय प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आकांक्षा से उत्पन्न खतरे और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रति हमारी चिंता के सन्दर्भ में उसने जो अपेक्षित आवाज उठाई है, उसके लिए इस सदन में उसकी प्रशंसा करना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वह हमारे प्रयत्नों और उद्देश्यों में भी सहायता कर रहा है। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसका हम स्वागत करते हैं और यह परिवर्तन निश्चय ही बहुत परिलक्षित तरीके से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारने में बल्कि मजबूत बनाने में सहायक होगा। हम इस सन्दर्भ में भविष्य की ओर देख रहे हैं और हमारे पास इसके कारण भी है कि हम दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों को और भी मजबूत बनाने की ओर आगे देखें।

सोवियतसंघ का विघटन हो चुका है और उसके स्थान पर पन्द्रह नये देश बन चुके है। इन घटनाओं के प्रति हमारी सम्पूर्ण पहल गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित करने की नीति पर आधारित है जैसा कि हमने पूर्व के सोवियत संघ के साथ किया था। हालांकि आधारभूत स्थिति में अब बदलाव आ चुका है। पुराने समीकरणों और व्यवस्थाओं को उसी हद तक बरकरार और मजबूत रखा जाएगा, जिस हद तक वे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य और वांछनीय होंगे। साथ ही उनके साथ अपने सम्बन्धों को सीधे तौर पर आगे बढ़ाने के खातिर भी तरीके खोजे जा रहे हैं।

यूरोप के सन्दर्भ में मैं यह कहूंगा कि वह पहले भी महत्वपूर्ण था, लेकिन आज जो उसके पूर्ण रूप से एकीकरण की प्रक्रिया चल पड़ी है उससे वह भारत के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इन घटनाओं पर हम नजर रख रहे है। हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे उच्चस्तर के गणमान्य व्यक्ति यूरोप के अनेक नेताओं के सम्पर्क में हैं जिससे यूरोप के साथ सम्बन्ध के सन्दर्भ में देश को बहुत ही लाभ हुआ है। उसका एकीकरण पूरी दुनिया और सभी देशों के लिए राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि एकीकृत यूरोप अलग-अलग देशों के

[श्री एडुआर्डो फेलीरो]

बजाय हमारे लिए तो व्यापार का सबसे बड़ा साझीदार होगा। वह एक निवेश का स्रोत होगा।

मैं ब्रिटेन के साथ हुई विशेष प्रगति का उल्लेख यहां करना चाहूंगा। हमने प्रत्यार्पण संधि और इसके अन्तर्गत आतंकवादियों के धन को जब्त कर लेने की सहमति के सन्दर्भ में सारी तैयारी कर ली है और उम्मीद है कि इस संधि पर जल्दी ही हस्ताक्षर भी हो जायेंगे।

ये समझौते भारत-विरोधी आतंकवाद को समाप्त करने में भारत-यूरोप सहयोग के मील का पत्थर साबित होंगे और यह ब्रिटेन को भारत-विरोधी आतंकवादी गतिविधि का मुख्य गढ़ बनने से रोकेगा। हम आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए यूरोप के अन्य बड़े राष्ट्रों के साथ भी सहयोग बढ़ाने की आशा करते हैं।

अब मैं दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर आता हूं। हरारे सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप हमने कन्सयूलर और वीसा तथा जन सम्पर्क पर लगे अन्य प्रतिबंधों सहित सारे प्रतिबंधों को हटा लिया है। हम दक्षिण अफ्रीका तक एयर इंडिया की सीधी उड़ानों को चालू करने की सम्भावना पर भी विचार कर रहे हैं। यह सब कार्य हरारे सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप ही हो रहा है और राष्ट्रमंडल निर्णय के संदर्भ में भी हम उस पर खेल से बहिष्कार जैसे चुनिंदा बातों पर से प्रतिबंध हटाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। जैसा कि सदन को पता है कि उस देश की एक क्रिकेट की टीम यहां आई थी और इसी साल में बाद में भारतीय टीम की भी वहां जाने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में हो रही प्रगति विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में लोकतन्त्र की शुरुआत जिसमें अश्वेत बहुमत के प्रतिनिधित्व वाली एक अन्तरिम सरकार के गठन की आशा है, सरकार पैनी नजर रखे हुए है आगे वार्ता प्रक्रिया में प्रगति होने से निश्चय ही दक्षिण अफ्रीका के जनता और सरकारी दोनों ही स्तर पर बहुत पारस्परिक सहयोग की संभावना है।

कई माननीय सदस्य विशेष कर श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती गीता मुखर्जी जो कि इस समय सदन में हैं तथा दूसरे लोग, निरन्तर यह प्रश्न उठाते रहते हैं कि हम पूर्व सोवियत संघ में पढ़ने वाले अपने छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी ने वस्तुतः मुझे बल्गारिया में रहने वाले हमारे छात्रों की समस्याओं के बारे में लिखा है। इस विशेष पहलू पर विस्तृत जानकारी मैं उन्हें निजी तौर पर उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन मैं यहां खासकर पूर्व सोवियतसंघ में पढ़ने वाले हमारे छात्रों के हित में जो हमने कदम उठाये हैं, उनका उल्लेख करना चाहूंगा। हम उनके कल्याण के लिए गहन सोच ले रहे हैं। जितना होना चाहिए उतना कर रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों की कल्याण में ज्यादा-से-ज्यादा रुचि लें, खासकर उन युवा छात्रों जिनके पास सीमित आर्थिक संसाधन और संपर्क है, के प्रति तो हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इसलिए, हमने उनके लिए जो भी किया है उसके बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। हमने जो किया है, संक्षेप में वह इस प्रकार है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक प्राधिकार जारी किया है जिसके तहत पूर्व के सोवियतसंघ के गणराज्यों में रहने वाले छात्र भारत में भारतीय रुपया के मूल्य के आधार पर 0 डालर प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं। इससे उम्मीद है कि उन्हें उनकी अपर्याप्त क्रय शक्ति की समस्या से छुटकारा मिलेगा और उस कड़े मुद्रा भुगतान के विरुद्ध यह सबसे उचित व्यवस्था है।

छात्रों के माता-पिता/अभिभावक उन्हें छुट्टियों में जाने के लिए या वापस आने के लिए रुपयों

में भुगतान करके एयर इंडिया के माध्यम से पी० टी० ए० भेज सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एजेंट्स को आवश्यक कागजात दिखलाने पर इस तरह के अनुरोध को स्वीकृति दे देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं। इससे अपुष्ट बुकिंग की समस्या से भी निपटने में मदद मिलेगा।

अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यह विज्ञापित और उद्घोषित कर दिया है कि अब सोवियतसंघ या पूर्व सोवियतसंघ के गणराज्यों में पढ़ने के इच्छुक छात्रों को इन समस्याओं को देखते हुए वहां जाने से परहेज करना चाहिए। फिर भी अगर वे ऐसा करते हैं तो हमारे लिए उनको उसी रूप में मदद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जिस रूप में अभी हमें वहां वर्तमान में रह रहे छात्रों के लिए करना पड़ रहा है।

हमने मास्को स्थित अपने दूतावास और दूसरे मिशनों को निर्देश दे दिया है कि वे स्वतन्त्र हुए नये गणराज्यों के सरकार से इस प्रकार का आग्रह करें, कि उन्हें अलग राष्ट्र की हैसियत से भारतीय छात्रों के संदर्भ सभी इकरार किये गये बाध्यता का निर्वाह करना चाहिए जिससे उन भारतीय छात्रों के शैक्षिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

अन्त में पासपोर्ट जारी करने और हमारी पासपोर्ट सेवा के सम्बन्ध में शिकायतों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये शिकायतें आंशिक रूप से ही सही हैं। दूसरी ओर जारी की जाने वाली पासपोर्ट की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसकी संख्या कुछ ही वर्षों में कई गुना बढ़ चुकी है जबकि कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। एक माननीय सदस्य ने इसमें होने वाले खर्चे की ओर जो इंगित किया है उसके विपरीत इस संदर्भ में और वस्तुस्थिति को देखते हुए हमें जितने पासपोर्ट से आमदनी होती है उससे कहीं अधिक हमारे खर्च हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तिका का खर्चा ही 100 रुपये के करीब बैठता है। यह स्थिति जारी नहीं रह सकती और इस संदर्भ में पासपोर्ट सेवाओं में सुधार करने के अन्य मामलों में हम कुछ कदम उठा रहे हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपको और अधिक पासपोर्ट जारी करने चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम ऐसा ही करेंगे तथा और अधिक पासपोर्ट जारी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, यदि इस सत्र में ही सम्भव हो सका, तो हम पासपोर्ट अधिनियम के संशोधन हेतु आवश्यक विधेयक लाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री राम कापसे (ठाणे) : आपको कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम यह करेंगे। हम कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमें मंत्री की सहायता की आवश्यकता है।

श्री राम नाईक : यदि वित्त मन्त्री आपको समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो आपको कौन समर्थन देगा ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम मामलों को सुधारने के लिए कुछ करेंगे।

श्री ऑस्कार फर्नान्डीज (उडीपी) : लोग थोड़ा और अधिक अदा करने को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि पासपोर्ट 30 दिन के अन्दर मिल जायें क्योंकि यह हमारे लोगों को रोजगार प्रदान करने का प्रश्न है। यह हमारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का भी प्रश्न है। मैं मंत्री को इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री राम नाईक : यहां तक कि मुम्बई जैसे शहर में भी हम 90 दिन के अन्दर भी पासपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलोरो : मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। अनेक औचित्य हो सकते हैं। परन्तु बात यह है कि एक नागरिक को एक निश्चित अल्पावधि के अन्दर पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार है। मैं स्थिति का जायजा लूंगा। मैं कोई कारण नहीं बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मंत्री महोदय, 'लैमिनेटिंग' मशीनों का भी एक सवाल है।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : हम चाहते हैं कि लोगों को पासपोर्ट बिना किसी अपमान के मिलने चाहिएं।

श्री पी० सी० थामस : पासपोर्ट को 'लैमिनेट' करने में समय लग रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं। फिर तो हरेक खड़ा हो जायेगा।

श्री एडुआर्डो फैलोरो : मैं बहुत शर्मिन्दा हूं कि मैंने इतना अधिक समय ले लिया है।

श्री पी० सी० थामस : पासपोर्ट कार्यालयों में 'लैमिनेटिंग' मशीनें हैं, लेकिन उनमें से बहुत-सी कार्य नहीं कर रही हैं और इसी वजह से पासपोर्टों को जारी करने में विलम्ब हो रहा है। मुझे कोचीन पासपोर्ट कार्यालय का एक उदाहरण याद है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वह हमें इस मुद्दे पर जानकारी दें।

श्री एडुआर्डो फैलोरो : हमारी कर्मचारियों की कमी की समस्या हैं क्योंकि यह बढ़ायी नहीं गई है। हमारी समस्याएं हैं, लेकिन हम उनका पता लगा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है, कि यह केवल स्टाफ बढ़ाने अथवा स्टाफ-समस्याओं का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि समूचे-संचालन के प्रबंधन में सुधार करना है।

हम समग्र रूप से पासपोर्ट सेवाओं के पुनंर्व्यवस्थित करने हेतु सुझाव देने के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की भी नियुक्त कर रहे हैं, जोकि छः माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। हम सभा को जानकारी देते रहेंगे और इस दौरान हम इस सभा के विभिन्न वर्गों के सदस्यों को यथार्थ मांग को पूरा करने के लिए जो कुछ भी सम्भव होगा करेंगे।

श्री राम कापसे : क्या मैं उन्हें पुनः स्मरण करवाऊं कि उन्होंने अफगानिस्तान मुद्दे का जिक्र नहीं किया है ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर का पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली में है उसको जम्मू में करवा दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री राम कापसे : इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर के अधिग्रहण के प्रस्ताव के बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक मुद्दा नहीं है। कृपया बैठ जाइये। अब, प्रधान मंत्री महोदय बोलें।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : कई माननीय सदस्यों ने रूस की "ग्लैवकोसमोस" के साथ 'क्रायोजनिक' इंजनों और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए हुए करार में जो कठिनाइयां धीरे-धीरे आई हैं, उनके बारे में ठीक ही कहा है।

मैं समझता हूं कि मुझे इस बारे में सभा को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि यह उन अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जो कि हमने शुरू की है और हमारी काफी प्रगति, विशेषकर शिक्षा, 'रिमोट-सैनसिंग' आदि क्षेत्रों में, जो कि सभी शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं, हमारी अपनी ही प्रौद्योगिकी से अन्तरिक्ष-यान को कक्षा में प्रक्षेपण की हमारी सक्षमता पर निर्भर होगी।

भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह रहा है कि भू-समकालिक कक्षा में प्रेक्षापात्र प्रक्षेपन की सक्षमता हासिल करना। यह हमारे विकास, हमारे दूरसंचार, नेटवर्क, मौसम पूर्वानुमानकों सुधारने तथा 'रिमोट सेंसिंग' के माध्यम से जीत सर्वेक्षण करने के लिए निर्णायक है।

प्रेक्षापात्रों की इनसेट-श्रृंखला इसी मद के अन्तर्गत आती है। इनसेट-एक प्रेक्षापात्र का प्रक्षेपण मित्र देशों, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का प्रयोग करके किया गया है। हालांकि, जैसा कि हमने आगामी वर्षों में दोर्ध आत्याधुनिक इनसेट-दो प्रेक्षापात्रों के अनेक प्रक्षेपनों की योजना बनाई है, विशेषकर जब प्रक्षेपन सेवाओं की लागत भी काफी बढ़ गई है, प्रेक्षापात्रों के प्रक्षपन हेतु हमारे अपने राकेटों का प्रयोग करने की स्वदेशी सक्षमता का विकास करना अति आवश्यक हो गया है।

इस सक्षमता के विकास हेतु भू-स्थित प्रक्षेपन यान (जी० एस० एल० वी०) से सम्बद्ध हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी का हासिल करना यानि क्रायोजनिक इंजन के नाम से जानी जाने वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना अति महत्वपूर्ण है।

विकसित देशों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में लगभग दस वर्ष लगे थे। यदि भारत में ही अनुसंधान एवं विकास के सभी तत्वों को एकत्रित करना था, तो हमें स्वतंत्र जी० एस० एल० वी० प्रक्षेपन सक्षमता हासिल करने में अनुमानतः आठ वर्ष लग गये होते। यद्यपि, यदि क्रायो इंजन और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी वाले खण्ड मित्र देशों से प्राप्त कर लिये जाते, तो इसके असफल होने तथा देश के अन्दर अन्तर्निहित किसी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के विलम्बों के बिना किसी जोखिम के यही सक्षमता केवल पांच वर्षों में प्राप्त की जा सकती थी। महोदय, अतः यह तुलनात्मक फायदा है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें असम्भव वाली कोई बात नहीं है। प्रथम बार में मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं।

अगस्त, 1990 में अन्तरिक्ष आयोग ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान, संगठन द्वारा विकसित योजना क्रायो इंजन एवं सम्बद्ध प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिये, जी० एस० एल० वी० कार्यक्रम के तहत पूर्णतया स्वदेशी आयातित क्रायो इंजन और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी थी। अन्तरिक्ष आयोग की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। जैसा कि मैंने कहा है कि यह परियोजना सात से आठ वर्ष की अवधि की होती और इस पर कुल लागत 756 करोड़ रुपये आती। अब यह एक तरफ है। यह हमारा अपना कार्यक्रम है कि क्या वास्तव में ही हम इसे स्वयमेव शुरू करना चाहते हैं।

1988 और 1990 के बीच तीन विदेशी पोर्टियों के साथ—संयुक्त राज्य अमेरिका की जनरल

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

डायनामिक्स, फ्रांस की एरिनेस्पेस और रूस की ग्लैवकोसमोस—से क्रायो इंजनों और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु साथ-साथ बातचीत शुरू की। हमारी आवश्यकता उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी दोनों ही की थी, क्योंकि बिना प्रौद्योगिकी के अपनी स्वदेशी सक्षमताओं के निर्माण का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता था।

'जनरल डायनामिक्स' ने पूर्ण क्रायोजनिक इंजनों के विक्रय का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिये वह राजी नहीं हुई थी। चूंकि यह हमारी आवश्यकताओं से कम पड़ता था, इसलिए इन संधियों को मार्च, 1990 में भंग कर दिया गया था।

फ्रांस की एरिनेस्पेस और रूस की ग्लैवकोसमोस पार्टियां आरम्भ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजी नहीं थीं लेकिन अन्ततः वे ऐसा करने को सहमत हो गईं। 710 करोड़ रुपये की कुल लागत से एरिनेस्पेस के साथ अक्तूबर, 1989 में सौदा तय हुआ और आगामी विचार-विमर्श के बावजूद इस फर्म ने यह संकेत दिया कि सम्भवतः यह अधिक-से-अधिक पांच से दस प्रतिशत मूल्य कम करने में सक्षम है।

दूसरी तरफ, रूस के ग्लावकोसमोस ने यही उपकरण तथा प्रौद्योगिकी 235 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव किया। महोदय, 7,10,235 रुपये का अन्तर है। यह प्रस्ताव अक्तूबर, 1990 में किया गया था। यह उपकरण तथा प्रौद्योगिकी जब जी० एस० एल० वी० कार्यक्रम के अन्य स्वदेशी उपकरणों के साथ समन्वित हो जाते तो पहले अन्तरिक्ष आयोग द्वारा अनुमोदित पूर्णतः स्वदेशी परियोजना के लिए अनुमानित 756 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर ही होते। अन्तरिक्ष आयोग ने स्वदेशी जी० एस० एल वी० की क्षमता की तीव्रता से प्राप्ति के अपने प्रयासों के तहत ग्लावकोसमोस के प्रस्ताव की समीक्षा की थी। जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया है, यह समझा गया था कि ग्लावकोसमोस के प्रस्ताव से यह देश कम समय में ही जी० एस० एल० वी० की क्षमता प्राप्त कर सकेगा। यदि हम इसे स्वयं करते तो अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम में निहित खतरे की बजाय वहां प्रमाणित प्रौद्योगिकी में कम खतरे होते। इसके अलावा ग्लावकोसमोस के प्रस्तावों को मंजूर करने से कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं आएगा।

5.00 म० प०

इस मूल्यांकन के आधार पर अन्तरिक्ष आयोग ने 1 अक्तूबर, 1990 में ग्लावकोसमोस के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया और मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 1990 में ग्लावकोसमोस से समझौते पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी। इस समझौते को जनवरी, 1991 में अन्तिम रूप दिया गया और हस्ताक्षर हुए।

मैं अब सदस्यों को ग्लावकोसमोस से हुए समझौते के साथ कथित मिसाईल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रशासन (एम० टी० सी० आर०) की प्रासंगिकता को स्पष्ट करना चाहूंगा।

1987 में अमेरिका तथा छः पश्चिमी देशों ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रशासन को अपनाया और इस बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा "मिसाइल और इससे सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के प्रसार पर रोक लगाने" के लिए है। एम० टी० सी० आर० के तहत यह मानदण्ड अपनाया गया कि न्यूनतम 500 किलोग्राम भार क्षमता जो कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने की क्षमता वाली

मिसाइल और इसकी प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर रोक लगाई जाए। यह भी महत्वपूर्ण है कि दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे इसलिए नहीं बनाई गई हैं, यह महत्वपूर्ण है कि "इसके तहत ऐसे राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम या ऐसे कार्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को रोका जाए जो ऐसे कार्यक्रम परमाणु शस्त्रों को फेंकने की प्रणाली में सहयोग न देते हों।" इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है।

निम्न तापकारी इंजन तथा इससे सम्बन्धित प्रौद्योगिकी हमारे गैर-सैनिक अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए हैं। इनका सैन्य उपयोग नहीं है और न हो ऐसा हो सकता है। पहले अमेरिका की जनरल डायनामिक्स ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को अपना निम्नतापकारी इंजन सेन्टार देने का प्रस्ताव करते हुए यह पुष्टि की थी कि "सेन्टार भण्डार न किया जा सकने वाला ऊपरि चरण है और एक शस्त्र प्रणाली में यह व्यावहारिक नहीं है।" इस प्रकार उन्होंने स्वयं यह प्रमाणित किया है कि हम वास्तव में उनसे जो प्राप्त कर रहे हैं वह पूर्णतः शान्तिपूर्ण कार्य के लिए है।

फ्रांस तथा रूस दोनों की फर्मों ने गैर-सैनिक उपयोग का आश्वासन मांगा था, ऐसा आमतौर पर किया जाता है, एम० टी० सी० आर० के दिशानिर्देशों की संतुष्टि के लिए इन्हें दूसरे काम में न लगाने तथा तीसरे देश को अन्तरण न करने के लिए कहा जाता है। ग्लावकोसमोस के साथ अन्ततः हुए समझौते में 'इसरो' ने ये वचनबद्धता दी है क्योंकि हमारा कार्यक्रम केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

रूसी पक्ष ने हाल ही में हमें इस बारे में सूचित किया है, ऐसा कुछ दिन पूर्व ही हुआ है और उसके परिणामस्वरूप मेरे विचार से इस सभा में प्रश्न उठे कि वे इस समझौते के क्रियान्वयन को तथा इस विषय पर भारत के साथ और अधिक तकनीकी चर्चा के लिए इसे थोड़ी देर के लिए 'रोकना' चाहते हैं। इस समझौते को अभी तक लम्बित अथवा रद्द नहीं किया गया है। हमारे अन्तरिक्ष सचिव रूसी पक्ष के अनुरोध पर इस समय तकनीकी चर्चा हेतु मास्को में हैं। वास्तव मे रूसी राजदूत ने हमें बताया कि वे केवल यही चाहते हैं कि और अधिक तकनीकी चर्चा की जाए। प्रत्यक्ष रूप से इसका यह मतलब है कि इस कार्यक्रम अथवा इस इंजन या इस समझौते के सुरक्षा पहलू पर कुछ आपत्तियां की गई हैं आप इसे किसी भी तरह देख सकते हैं, सम्भवतः वे तकनीकी स्तर पर संतुष्ट होने के पश्चात और आगे पुष्टि और आश्वासन चाहते हैं। यही सब हमें बताया गया है। अब ये चर्चाएं चल रही हैं। हमारे अन्तरिक्ष सचिव वहां पर हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट हमें भेजी है उनमें अभी तक यह नहीं कहा गया है कि चर्चाओं में कोई बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई है या हमें इसे रद्द करना या इसी प्रकार की कुछ बात करनी पड़ सकती है। इसलिए इस समय मैं इस प्रकार की धारणा नहीं बनाना चाहता। मैं कहूंगा कि चर्चा चल रही है और हमें आशा है कि यह लाभदायक होगी।

मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम विशेषकर अन्तरिक्ष जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध हैं क्योंकि इनका हमारा आर्थिक विकास इनसे जुड़ा हुआ है। अन्तरिक्ष प्रौद्योगिक के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए पूर्व सोवियत संघ; फ्रांस और अमेरिका तथा अब रूस सहित अनेक देशों से हमें बहुत लाभकारी सहयोग मिला है। हम आपसी लाभ के लिए ऐसे सहयोग को जारी रखना चाहेंगे।

तथापि, हमारे पास उन तकनीकों को स्वदेश में विकसित करने का विकल्प होगा, यद्यपि उसमें लम्बा समय लग सकता है और कुछ मामलों में ऊंची लागत का भार पड़ सकता है। परन्तु हम ऐसा करने का हमारा पक्का फैसला है।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

मैं यह भी कहूंगा, महोदय कि कई बार विदेशों से कुछ प्राप्त करने के लिए जिन अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वही वरदान बन जाती हैं। वे हमें उसे स्वयं विकास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, यह दुबारा भी हो सकता है। इसलिए, वास्तव में इसमें सदस्यों के लिए चिन्तित होने का कोई कारण नहीं है। तथापि, मैं उनके द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से अवगत हूं और हम स्थिति के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, अफगानिस्तान की अद्यतन स्थिति के संबंध में केवल एक अनुरोध है। मैं जानता हूं कि माननीय राज्य मंत्री ने उसका संक्षिप्त उल्लेख किया है। लेकिन यह एक निरन्तर चलने वाली समस्या है और हमने उस पर अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है। इसलिए, यदि माननीय प्रधान मंत्री अथवा राज्य मंत्री अफगानिस्तान की स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल सकें तो यह सभा के लिए लाभकारी होगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, यह बहुत-बहुत अनिश्चित स्थिति है। मैं आज कोई वक्तव्य नहीं दूंगा। हो सकता है, कुछ दिनों के बाद जब यह स्थिति कुछ और स्पष्ट हो जाएगी, मैं अथवा राज्य मंत्री इस सभा में वक्तव्य देंगे। इस समय कोई भी वक्तव्य देना कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं···

···(व्यवधान)···

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, एक स्पष्टीकरण है। प्रधान मंत्री जी ने क्यूबा को चावल की आपूर्ति के संबंध में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने क्यूबा को चावल की आपूर्ति बन्द करने के लिए अमरीका के दबाव पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। इस बारे में यहां उल्लेख किया गया था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि साम्यवादी दल अथवा उनमें से कोई एक साम्यवादी दल क्यूबा को चावल भेजना चाहता है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सामूहिक रूप से।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम अपने द्वारा भेजे जा रहे चावल में उनका चावल भी मिला देंगे···(व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जी हां, साम्यवादी दल करेंगे, न केवल क्यूबा के लिए बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपने वचन से पीछे नहीं हटें। भारत सरकार को अपने वचनों को पूरा करने के प्रति गम्भीर होना चाहिए। यही हम आपसे जानना चाहते हैं।···(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यही मैंने अभी कहा है कि एक रिपोर्ट थी। इसमें कुछ अड़चन पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। क्यूबा को हमारे द्वारा मदद करने के साथ उसका अब कोई सम्बन्ध नहीं है। हम केवल अपनी सीमाओं के अन्दर ही ऐसा कर सकते हैं। जब क्यूबा के वित्त मंत्री यहां आए थे, तब मैंने उनसे बातचीत की थी। वे मेरे बहुत ही पुराने और प्रिय मित्र हैं। इस मामले को निपटाया जा रहा है।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : महोदय, क्या प्रधान मंत्री महोदय डा० नजीबुल्लाह के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे ? क्या उन्होंने आश्रय मांगा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, हम वहां की स्थिति का लगभग लगातार जायजा ले रहे हैं। मैं अभी कोई वक्तव्य देने का प्रयास नहीं करूंगा। जैसे ही अवसर पैदा होगा हम सभा के समक्ष आएंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कि कोई माननीय सदस्य यह चाहता हो कि उसके कटौती प्रस्तावों को अलग से रखा जाये।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, मैं चाहता हूं कि भारत-अमेरिका सम्बन्धों से सम्बन्धित मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 और 3 अलग से सदन के मतदान के लिए रखे जाएं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा प्रस्तावित कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 2 और 3 सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 3 सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 14 से 22, 30 से 37 और 46 से 56 सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 4 में विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1992-93 के लिए विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगे

मांग संख्या	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
विदेश मंत्रालय					
24,	विदेश मंत्रालय	9952,00,000	1150,00,000	49760,00,000	5751,00,000

———

5.11 म० प०

नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

अध्यक्ष महोदय : अब हम नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा पर चर्चा करेंगे। श्री बसुदेव आचार्य इस सम्बन्ध में अपने विचार सदन में अभिव्यत कर रहे थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका जैसा स्वागत हुआ है, आप देख सकते हैं। यह इसलिए हुआ है कि आपने अपने भाषण द्वारा उन्हें प्रभावित किया है। आपने इस सम्बन्ध में 28 मिनट तक अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही आप अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस 15 मिनट बोलूंगा। अध्यक्ष जी, उस दिन मैंने बताया था कि नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन कायम किया है और उसके बाद नागालैण्ड के राज्यपाल को नागालैण्ड से हटाने का जो केन्द्र सरकार ने अथॉरिटेटिव ऐक्शन लिया है और हम लोगों ने यह मांग की थी और आपसे भी हमारी अपील है कि हमारा जो संविधान है, संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से यह केन्द्रीय सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है नागालैण्ड में राष्ट्रपति शासन कायम करके, यह आपका भी फर्ज है कि सरकार को समझाएं, सुझाव दें कि गृह मन्त्री जो मोशन लाए हैं, यह मोशन वापस ले लें और नागालैंड के राज्यपाल ने संविधान को मानकर जो काम किया था, संविधान की रक्षा करने के लिए जो काम किया था, फिर इस राज्यपाल को वहां भेज कर संविधान की रक्षा करना आपका फर्ज है।

अध्यक्ष जी, जिस दिन यह नोटिस हमारे हाउस में आया गया था, और उसके ऊपर जो बहस हुई थी और उस बहस के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने जो बात कही थी, जो हम लोग जानना चाहते थे कि क्या सिचुएशन हुई।

वे कौन से कारण थे कि नागालेंड में संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा, इस सम्बन्ध में उनका कहना था—

[अनुवाद]

> "श्री जैकब : संवैधानिक विफलता जो कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत ऐसा कदम उठाने के लिए आवश्यक है, वहां पर बिल्कुल स्पष्ट थी। इसीलिए अनुच्छेद 356 लागू किया गया। क्योंकि वहां पर संवैधानिक तन्त्र असफल हो गया है। मैंने यही कहा था। राज्यपाल ने सूचित किया है कि सरकार मे कोई स्थिरता नहीं है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, उस दिन हमारे गृह राज्य मन्त्री जी ने जो कुछ कहा, जो जवाब उन्होंने दिया था; उस समय तक गवर्नर की रिपोर्ट हम लोगों को मिली नहीं थी, जब कि हम लोग उसकी बराबर मांग

कर रहे थे कि राज्यपाल की रिपोर्ट कहां है, लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट हमें उस समय तक मिली नहीं थी, जब राज्यपाल की रिपोर्ट हमें मिली, उसके तारतम्य में जब हमने गृह राज्य मंत्री के बयान को देखने का प्रयत्न किया, उनके रिप्लाई को देखा तो हमने पाया कि गवर्नर की रिपोर्ट और मंत्री जी के जवाब में आकाश और जमीन का अन्तर है। राज्यपाल की रिपोर्ट में कहीं भी ऐसी बात नहीं है, अगर आप भी जरा ध्यान से उसे देखें, गौर से पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि राज्यपाल की रिपोर्ट में किसी भी जगह, कहीं भी, इस तरह की बात नहीं है और न उसकी गुंजाइश है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है और ऐसी सिचुएशन नागालैंड में उत्पन्न हो गयी है कि संविधान के अनुसार वहां शासन नहीं चल सकता। जब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल सकता है और न सम्भव है, तभी संविधान में जो व्यवस्था है, धारा 356 के अन्तर्गत, उस धारा के हम लोग विरोधी हैं, हमारी पार्टी उसका विरोध करती है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि संविधान से धारा 356 को हटा दिया जाये क्योंकि एक बार नहीं, जैसा सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट का कहना है, बार-बार केन्द्रीय सरकार में बैठे सत्ताधारी दल ने, एक बार नहीं, अनेक बार उस धारा का दुरुपयोग किया है, अपने पार्टी के हित में, अपने पार्टी परपज के लिए। इसीलिए हमारी पार्टी की मांग है कि संविधान में इस तरह की धारा नहीं रहनी चाहिए। यदि रहे भी तो ऐसी कुछ व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, जिसका कोई पार्टी अपने हित में दुरुपयोग न कर सके, कोई केन्द्रीय सरकार उसका दुरुपयोग न कर सके।

जब इस विषय पर, उस दिन बहस यहां चल रही थी, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर, अर्जुन सिंह जी भी यहां मौजूद थे। उनका इस सम्बन्ध में क्या कहना था—उनका कहना था कि दो ही आल्टरनेटिव इसमें हैं—वे दो आल्टरनेटिव संविधान में होने की बात कह रहे थे—जब कि संविधान में एक ही आल्टरनेटिव है—गवर्नर की रिकमैंडेशन—लेकिन हमारे अर्जुन सिंह जी का कहना था कि दो आल्टरनेटिव हैं—

[अनुवाद]

दो विकल्प उपलब्ध हैं। एक है राज्यपाल द्वारा दी गई सिफारिश तथा दूसरा है कुछ अन्य परिस्थिति।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, देखिए आप इस तरह कोट नहीं कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कन्क्लूजन पर आ रहा हूं।

[अनुवाद]

यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथा सुसंगत है।

उन्होंने कहा : उन्हें इसका अधिकार है, जिसका उन्होंने उपयोग किया। इसके साथ ही बात समाप्त हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है।

> "जिन परिस्थितियों की जानकारी स्वयं राज्यपाल द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी गई, उन्हीं को आधार बना कर अन्य कारणों से, अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

कहां है गवर्नर? गवर्नर साहब की जो रिपोर्ट है, कहां से यह कन्क्लूजन ड्रा किया है?

[श्री वसुदेव आचार्य]

[अनुवाद]

"अनिश्चय की स्थिति है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।"

[हिन्दी]

स्टेबिलिटी नहीं है। अगर स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसके मायने ये नहीं है कि वहां संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल सकती है। स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसके मायने ये नहीं हैं कि सरकार नहीं चल सकती है। हमारे विदेश मन्त्री, यहां मौजूद हैं। वे किस काम के लिए वहां गए, पता नहीं, वहां विदेश सम्पर्क का काम था या क्या काम था, लेकिन वे नागालैंड गए थे।

[अनुवाद]

उसने विधायकों को राज्य सभा चुनावों में कांग्रेस (ई) के सांसदों के पक्ष में मत देने के लिए धमकाया। श्री एडुआर्डो फैलीरो ने विधायकों को धमकाया। उन्होंने सत्ताधारी दल के पक्ष में मत दिया। सत्ताधारी दल के उम्मीदवार राज्य सभा चुनावों में जीत गये। यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। अपनी पार्टी की ओर से कांग्रेस (ई) के विधायकों से मिलने के लिए मैं वहां गया था। मैंने विपक्ष के विधायकों से मिलने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया तथा किसी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं ऐसी धमकियां देने में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसा कभी नहीं किया तथा ऐसा कभी करूंगा भी नहीं। कृपया, ऐसे समाचारों पर विश्वास मत कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : यह बात समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थी तथा आपने कभी भी विधायकों को धमकी देने की बात का खण्डन नहीं किया। आप वहां गये थे। आपने वोट इकट्ठे करने की कोशिश की, परन्तु असफल रहे तथा इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकारी-पक्ष की ओर से बहुमत ने तथा सरकार ने उचित कार्य किया। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप मेरी तरफ देख कर नहीं बोलते हैं, मुझे परेशानी होती है।

[अनुवाद]

हमने यह चर्चा 6.00 म० प० से पहले समाप्त करनी है। आप पहले ही 35 मिनट तक बोल चुके हैं। इतनी लम्बा भाषण तो माननीय मंत्री जी ने भी नहीं किया होगा।

[हिन्दी]

श्री वसुदेव आचार्य : सर, उस दिन श्री बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान के अनुच्छेद

356 के बारे में कहना था वह यही था और उन्होंने इसका विरोध किया कि इस अनुच्छेद 356 को इसमें न रखा जाए, लेकिन उस समय कहा गया था इस पर व्यवहार नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

"इसका उपयोग बहुत कम किया जायेगा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था।"

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए मैं अन्य सदस्यों का नाम पुकारने जा रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : डा० अम्बेडकर ने कहा था :—

"लोगों की यह शंका कि सरकार भारत के सभी भागों में अपनी पार्टी का शासन बनाये रखने के लिए संविधान के इस अनुच्छेद की गलत व्याख्या कर रही है, काफी हद तक वैध है···हां, हमें भारत की एकता कायम रखनी है। भारत की एकता बनाये रखने का क्या तरीका है ? मेरे माननीय सदस्य का विचार है कि इस एकता को बनाये रखने का एक तरीका यह है कि कन्याकुमारी से लेकर पूर्वी पंजाब तक एक ही विचारधारा रखने वाली, एक ही दल की सरकार होनी चाहिए मैं एक-दो उदाहरण दूंगा तथा मुझे मेरे मित्र इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि अगर मैं यह कहूं कि ये भारत के संविधान के घोर उल्लंघन के सबसे जोरदार उदाहरण हैं।"

"ऐसा कट्टरवाद क्यों ? इतनी निरंकुशता क्यों तथा संविधान को इस प्रकार विकृत रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है ? इस प्रकार आप संविधान का अनादर कर रहे हैं ? अगर आप ऐसी धारणा स्थापित करना चाहते हैं कि जो भी प्रावधान संविधान में सुरक्षा हेतु किए जाते हैं, उन्हें दलगत राजनीति के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, तथा जैसे कि मैंने कहा है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं कोई पद प्राप्त करने के लिए किसी के पास नहीं जाऊंगा···इसलिए मैं आपको एक निष्पक्ष राय देना चाहता हूं कि आपको संविधान का प्रयोग उन्हीं वैधानिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, जिसके लिए इसका सृजन किया गया है···" (व्यवधान)

नागालैण्ड में क्या हुआ ? अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करके, राज्यपाल की बर्खास्तगी द्वारा उस चेतावनी की अवहेलना की गई जो डा० अम्बेडकर ने 1953 में दी थी ? एक स्वार्थ पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नागालैंड में अपनी पार्टी का शासन स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वहां पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हुए उन्होंने चुनाव करवाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। नागालैंड में उनकी सरकार क्यों नहीं होनी चाहिए। वहां पर फिर से चुनाव क्यों नहीं करवाये जाने चाहिएं जिसका प्रयास नागालैंड के राज्यपाल ने विधान सभा भंग करके किया है। इसीलिए समस्त विपक्षी दल यह चाहते हैं कि नागालैंड में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उसे उठा लिया जाए, तथा राष्ट्रपति शासन हटा कर ही हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं। इस सभा के अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि संविधान की रक्षा की जाये।

[श्री वसुदेव आचार्य]

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके हिन्दी भाषा में दिए भाषण की उन्मुक्त रूप से प्रशंसा करता हूं। अब श्री इम्चालम्बा अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे।

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : मुख्यत: दो कारणों से मैं नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने सम्बन्धी चर्चा में भाग लेने के प्रति गंभीर नहीं था। पहले तो यह कि जो परिस्थितियां मेरे राज्य में व्याप्त हैं, उनके सम्बन्ध में मैं गर्व से कुछ नहीं कह सकता।

दूसरे मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जो घटनाक्रम चला, वह कुछ ऐसा था जिसके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती। परन्तु जो जिज्ञासा नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सदन में अभिव्यक्त की गई है। उसने मुझे कुछ शब्द इस सम्बन्ध में कहने पर बाध्य कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि सदन में उपस्थित सदस्यगण मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि मैं वही बोलने जा रहा हूं जो मैंने स्वयं देखा है तथा जिसके बारे में मैं जानता हूं।

महोदय, मैं राष्ट्रपति शासन लागू करने के औचित्य अथवा अनौचित्य पर चर्चा करना नहीं चाहता। परन्तु मैं सदन के समक्ष कुछ सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कि मेरे राज्य में विद्यमान हैं तथा जो कि मेरे विचारानुसार उस विषय से सुसम्बद्ध हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से शुरू करना चाहता हूं कि पिछले आम चुनावों से लेकर पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने नागालैंड में तीन अलग-अलग सरकारें देखीं। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, जिसे डेढ़ वर्ष पश्चात् गिरा दिया गया। उसके पश्चात् डेढ़ महीने तक श्री के० एल० चिशी की सरकार रही, जिसे भी गिरा दिया गया तथा उसके पश्चात् श्री वामूजो की सरकार बनी।

इन सब परिवर्तनों के लिए एक ही ताकत जिम्मेदार रही। दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले राजनैतिक नेतृत्व की कमी रही। दूसरी बात सत्ता और धन का लोभ। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ऐसी सरकार से लोगों के किसी प्रकार के कल्याण की आशा नहीं की जा सकती। पिछले तीन वर्षों के दौरान यह सबसे घटिया सरकार थी जिसे कि नागा लोगों ने पिछले 29 वर्षों के दौरान झेला। जबसे कि इस राज्य का गठन हुआ है।

इस सम्बन्ध मे लोगों का क्या विचार है, अब इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं नागा लोगों के मन:स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। अगर ऐसा कदम किसी और समय उठाया जाता तो नागा लोगों में इसकी कुछ प्रतिक्रिया अवश्य ही होती। वास्तव में नागा लोग इस समय शान्त हैं। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। लोग खुले तौर पर इस सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। नेताओं में उनका विश्वास समाप्त हो रहा है। नागा लोग राज्य में कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के उन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें निराश किया है। राज्य की यही वास्तविक स्थिति है। यह स्पष्ट जन अतिक्रमण है। वर्तमान राजनैतिक प्रणाली में लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है। यही बात

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर हम राज्य की आर्थिक स्थिति को देखें तो नागालैंड एक छोटा-सा राज्य है। हमारा वार्षिक परिव्यय 170 करोड़ रुपये के लगभग है। हमारा ओवर ड्राफ्ट आज 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है। हमने स्थिति को बहुत अधिक बिगड़ने की अनुमति दे दी। यह बात मैं कहना चाहता हूं। हम वर्तमान व्यवस्था के साथ नहीं चल सकते। अगर ऐसा चलता रहा तो लोग अलग-थलग पड़ जाएंगे। लोग खुले तौर पर यह कह रहे हैं, चाहे यह कांग्रेस हो या अन्य कोई दल। राज्य के नेता ही नागा लोगों की विफलता के लिए जिम्मेदार हैं। नेताओं ने नागा लोगों की अच्छी छवि तथा अच्छे काम धूमिल किया है। यही सब आज नागालैंड में हो रहा है।

इसीलिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति शासन नागा लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैं किसी राजनैतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा। परन्तु यही सब-कुछ मैंने देखा है। यहां लोग चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि भारतीय संसद इसका कोई दलगत मुद्दा बना ले। मैं ऐसा नहीं चाहता। भारतीय संसद जैसा चाहे वैसा सोच सकती है। यह भारतीय लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को बहाल कर सकती है। इसे मुद्दा मत बनाइये। बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो कि लोकप्रिय सरकारें करने में विफल रहीं, मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं। हमारे राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ सुधार लाना आवश्यक है। इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस सदन में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं तथा सांसदों से हार्दिक अपील करता हूं। मुझे पता चला है कि व्हिप जारी किये गये हैं। लेकिन किस लिए ? मैं तो कहूंगा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और न ही एक ऐसा विषय है जिसका मुद्दा उठाया जाए। भारतीय संसद को नागा लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है न कि वहां के राजनैतिक दलों के साथ। इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन हमारे लोगों के लिए अच्छा है। हम इस बात के विवाद में ज्यादा क्यों पड़ते हैं कि श्री वामुजो को बहुमत प्राप्त था, उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं था। मैं कह सकता हूं इसमें ऐसा कोई गुप्त बात नहीं है। मैं बता सकता हूं कि वहां क्या हुआ था। और मैं ईमानदारी से कह सकता हू कि सत्तारूढ़ एन० पी० सी० में मतभेद थे। 27 मार्च, 1992 की सुबह कुछ घटित हुआ था। इन मतभेदों को पाटने के सभी प्रयास असफल हो गए। 13 सदस्यों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल वहां नहीं थे। वह कलकत्ता के लिए रवाना हो चुके थे। लोगों ने सोचा कि वह कलकत्ता में थे। अचानक वह वापस आये। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। और लगभग 40 मिनट के अन्दर उन्होंने विधान सभा भंग कर दी। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें यह न मालूम हो कि सत्तारूढ़ दल में विघटन हो चुका है। यह बात नहीं थी। अधिकारियों ने उन्हें सब-कुछ बता दिया था।

मैं कोहिमा गया और मैंने स्वयं इस बात की पुष्टि की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अधिकारी उन्हें इस बात की जानकारी दे चुके थे कि विघटन हो चुका है। वह इसके बारे में जानते थे। उन्हें सबसे मिलना चाहिए था। यदि उन्होंने विधान सभा भंग की होती और राष्ट्रपति शासन को सिफारिश की होती तो मैंने उनका समर्थन किया होता। लेकिन एक ऐसा मुख्य मंत्री जिन्हें बहुमत हासिल नहीं है को सरकार की बागडोर सौंप कर उन्होंने बहुत बड़ी गल्ती की है। यदि उन्होंने सभा भंग की होती और राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की होती तो मैं समझता हूं कि यही उनके लिए सबसे अच्छा रहता। उन्हें विघटन के बारे में जानकारी थी। उन्हें इसकी जांच करनी थी। उन्होंने अन्य लोगों को भी बातचीत के लिए बुलाया होता।

मूलतः, 13 लोगों ने मुख्य मंत्री का विरोध किया। विधान सभा भंग करने के बाद और इस सरकार को काम-चलाऊ सरकार का दर्जा देने के बाद 13 में से दो सदस्य काम-चलाऊ सरकार में

[श्री इम्चालेम्बा]

भाग लेने के लिए वापस आ गए। अन्यथा 34 में से 13 इनके विरोधी थे। ग्यारह मुख्य मंत्री के साथ थे। लेकिन जब काम-चलाऊ सरकार बन गई तो दो सदस्य प्रलोभन में वापस आ गये।

माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज ने किसी बात का उल्लेख किया था। उनके हस्ताक्षर जाली नहीं थे। वे वास्तव में श्री वामूजो, मुख्य मंत्री को छोड़कर चले गये थे और जब काम-चलाऊ सरकार बनी तो इन दो सदस्यों को प्रलोभन देकर वापस ले लिया गया। आज उन भूतपूर्व विधायकों में से 13 इस समय मुख्य मंत्री के साथ हैं। ग्यारह सदस्य विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एन॰ पी॰ सी॰ (प्रोग्रेसिव) दल बना लिया है और यही वास्तविकता है। मेरा कहना है कि काम-चलाऊ सरकार बनने के बाद भी यदि 29 सदस्य एक ही तरफ रहते तो चर्चा करने की कोई बात थी। लेकिन काम चलाऊ सरकार बनने के बाद यह लगता है कि यहां दो समूह हैं। और विघटन पहले ही हो चुका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि राज्यपाल यहीं होते तो यह विवाद खड़ा ही नहीं होता। लेकिन उनके वापस आने के बाद यह सच है कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। कोई भी नहीं जानता है कि वह दीमापुर के लिए वापस चल पड़े थे। कोहिमा मे लोगों ने सोचा कि वह पहले से ही कलकत्ता में थे। यही मुख्य बात है। वह अपने कुछ अधिकारियों के साथ आए और उसके बाद उन्होंने विधान सभा भंग कर दी। वह किसी से भी नहीं मिले। यदि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस विघटन के बारे में भी कुछ जिक्र किया होता तो मैं बहुत खुश होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह यह जानते थे लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। वैसे इस सम्बन्ध में कुछ उत्तेजना भी उठी है फिर भी मैं इस सभा को बताना चाहूंगा और आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि मैं उस राज्य से सम्बद्ध हूं और मुझे इस बीमारी का पता है। कुछ अधिकारियों ने मुझे कोहिमा में बताया कि रिजर्व बैंक वह वित्तीय प्रतिबन्ध लगाने जा रहा है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद मुझे यह भी पता चला है कि भारत सरकार ने 65 करोड़ रुपये या कुछ इतनी ही रकम दी थी। इसके बावजूद हमारे पास इतना भी धन नहीं था कि हम अप्रैल माह मे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान कर सकते। हमारे पास नागालैंड में इतना धन नहीं था। प्रधान मंत्री यहां हैं, गृह मंत्री यहां हैं। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। 170 करोड़ रुपये की राशि जो कि योजना व्यय के लिए दी गई है जो कि नागा लोगों के कल्याण और विकास के लिए है, इस सम्बन्ध में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत इसका लाभ आम आदमी को मिले।

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये बातें बताना चाहता था। शायद मैंने कुछ लोगों को दुख पहुंचाया हो। लेकिन मुझे अपने लोगों का भी साथ देना है। ये वे बातें हैं जिनकी जानकारी मैं सभा को देना चाहता था। मैं समझता हूं मत विभाजन किये बगैर हमें राष्ट्रपति शासन स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें आज ही यह कार्य समाप्त कर देना चाहिए। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह एक महत्वपूर्ण बात है। यह एक संवैधानिक मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नही है कि सभी मुद्दे शामिल किए जाएं।

श्री चित्त बसु : यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो जाहिर नहीं है कि प्रत्येक मुद्दे पर सभी दलों के सदस्य बोलें। यदि वे सब मुद्दे जो आप रखना चाहें पहले ही उठाये जा चुके हों तो वे कार्यवाही वृतान्त में दिए गए हैं। साथ ही मैं प्रत्येक सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मेरा यह कहना है कि यह कार्य आज पूरा होना है। यदि कुछ और समय तक बैठना आवश्यक हुआ तो हम बैठेंगे और इसे पूरा करेंगे।

श्री चित्त बसु : अन्य सदस्यों ने 15 मिनट से अधिक समय लिया है। जब हमारी बारी आई तो यह 2 मिनट हो गया।

अध्यक्ष महोदय : आपके दल का मुश्किल से एक सदस्य है।

श्री चित्त बसु : यदि आप दल के कुल सदस्यों की संख्या पर गौर करेंगे तो आप ठीक कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप महसूस करेंगे कि हर बार आपको उस समय से दस या पन्द्रह गुणा समय ज्यादा दिया जाता रहा है, जितना आपको दिया जा सकता है। खैर आप बोलिए।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : महोदय, हमें भी समय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी दो मिनट की अनुमति दूंगा।

श्री विजय कुमार यादव : आपको मुझे ज्यादा समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुद्दों को नहीं दोहराएंगे तो मैं आपको दस मिनट की अनुमति दूंगा।

श्री चित्त बसु : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा और बाद में राज्यपाल को हटाने का विरोध करता हूं। मैं राष्ट्रपति की इस घोषणा का इसलिए विरोध करता हू क्योंकि यह पूरी तरह से मनमाने ढंग से किया गया है, यह एकदम अलोकतांत्रिक है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि संविधान के अनुच्छेद 356 का बहुत दुरुपयोग किया गया है और वह भी दलगत हितों के लिए, यह संविधान के अनुच्छेद की भावना का पूर्णरूपेण उल्लंघन है। अतः अनुच्छेद 356 के अन्दर राष्ट्रपति की घोषणा का मैं इन आधारों पर विरोध करता हूं। मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि मैं इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा।

इस कार्य से एक बार फिर से यह पता चलता है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल में तानाशाही की प्रवृत्ति पुनः पैदा हो रही है जबकि इस संबंध में उन्होंने कई प्रकथन दिए है कि वे केन्द्र-राज्य संबंधों को सुधारने के इच्छुक हैं और साथ ही उन्हें राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षण में रुचि है।

जहां तक नागालैंड के राज्यपाल की बात है। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि हमारे देश में पहली बार एक राज्यपाल ने अनुच्छेद 174, 2 (ख) के अन्तर्गत उन्हें दिए अधिकार का इस्तेमाल किया है। पहले कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि किसी राज्यपाल ने संविधान में उन्हे दी गई शक्ति का इस्तेमाल किया हो। अब क्योंकि उन्होने केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से सलाह किए बगैर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है अतः उन्हें दण्ड दिया गया है और नागालैंड के लोगों को भी दण्ड दिया गया है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति की सलाह से राज्यपाल को शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपको दिखा सकता हूं कि राज्यपाल को इस संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति या सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर कोई विवाद नहीं है । आप इस बात पर न जाएं । किसी ने भी यह नहीं कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता है ।

श्री चित्त बसु : उन्हें इस बात को भी समझना चाहिए कि इस संबंध में संविधान में क्या कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी ने भी नहीं कहा है कि विधान सभा को भंग करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है ।

श्री चित्त बसु : कुछ सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने ऐसा कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है । इस पर सहमति है । आप इसे क्यों दोहराते हैं ? मैं इस मुद्दे की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री चित्त बसु : उन्होंने यह बात मानी है । यदि उन्होंने यह नहीं कहा होता तो ठीक था । लेकिन तर्क दिए गए कि राज्यपाल ने केन्द्र से पहले सलाह क्यों नहीं ली ।

अध्यक्ष महोदय : किसने ऐसा कहा था ?

श्री चित्त बसु : कई सदस्यों ने कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : किसी ने भी यह नहीं कहा था ।

श्री चित्त बसु : ठीक है । लेकिन कई सदस्यों ने कहा था । मैंने इस पक्ष के सदस्यों को यह तर्क देते हुए सुना है कि कोई सलाह नहीं की गई और कोई भी पूर्व सूचना आदि नहीं दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : किसी ने ऐसा नहीं कहा । कृपया इस बात को छोड़िए ।

श्री चित्त बसु : लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अन्तर्गत कार्य नहीं करते हैं । इस बात को नोट किया जाना चाहिए । संविधान के अन्तगत राज्यपाल का कार्यालय भारत सरकार के अधीनस्थ नहीं आता है । संविधान के अनुसार वह भारत सरकार के दिशा निर्देशों के लिए जवाबदेह नहीं है, वह राष्ट्रपति के एजेन्ट भी नहीं है, उनके तो एक राज्य के मुखिया होने के नाते संविधान के कार्य और उत्तरदायित्व दिए गए हैं । मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति की इस घोषणा द्वारा संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को दिए गए आधारभूत अधिकारों और प्राधिकारों का ठीक तरह से आदर नहीं किया गया है ।

यह स्थिति उच्चतम न्यायालय के निर्णय और 1971 की "राज्यपालों की समिति" का तार्किक निष्कर्ष है ।

मैं आपका ध्यान गृह मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे उस पत्र की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने राज्यपाल पर कर्तव्य से विमुख होने का आरोप लगाया है ।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैंने एक पत्र लिखा है । यह सही नहीं है ।

श्री चित्त बसु : यह "स्टेट्समैन" की रिपोर्ट में कहा गया है । (व्यवधान) यह उद्धृत किया गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में सभी नियमों का उल्लंघन है और जैसा हम चाहते हैं सभा में वैसे ही बोलने लग जाते हैं। नियम और व्यवस्था यह है कि यदि आप किसी समाचार पत्र को उद्धृत करते हैं और यदि सदस्य सभा में खड़ा होकर यह कहता है कि यह ठीक नहीं है तो आपको सदस्य की बात माननी होती है। इसलिए यदि मंत्री जी ऐसा कहते हैं तो उसे आपको स्वीकार करना होगा और आपको वह समाचार पत्र उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया जो बात पहले से स्पष्ट है उसका उल्लेख न करें और कुछ नई बात हो तो कहें।

श्री चित्त बसु : यदि वह इंकार करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं कहना है लेकिन वह उद्धृत अंश मेरे पास है। यह 'स्टेट्समैन' का सम्पादकीय है। (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि यह सही है या नहीं। लेकिन, महोदय, मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें। (व्यवधान) यदि वह इंकार करते हैं तो निश्चित रूप से मैं उसे स्वीकार करूंगा। (व्यवधान) मुझे यह स्वीकार करने दें। लेकिन पूरी बात यह है और इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको हमारी सहायता करनी चाहिए।

श्री चित्त बसु : राज्यपाल के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति की उद्घोषणा के संबंध में राज्यपाल की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस संबंध में प्रावधान है लेकिन मेरे विचार में इस तरह से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करना केन्द्र और राज्य के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने के हित में नहीं होगा।

प्राय: नागालैंड की जनता यह महसूस करती है कि इस देश का संविधान नागालैंड की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को अनुभव नहीं करता या उस पर उचित ध्यान नहीं देता है। वे अपने को अलग-थलग महसूस करते है। उनकी भी कुछ आशाएं और आकांक्षाएं हैं। वे यह चाहते हैं कि उनकी आवाज को भी सुना जाए क्योंकि यह संवेदनशील क्षेत्र है। हम यह चाहते हैं कि उन्हें भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, यह ठीक नहीं है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। संविधान का इस तरह अलग-अलग दुरुपयोग किए जाने से देश को एकता के सूत्रों में बांधे रखना मुश्किल होगा, एकता की भावना पैदा करना, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना और भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में उन सबको शामिल करना, जो इसमें शामिल होना नहीं चाहते और कोई अन्य तरीका अपनाते हैं, इस कार्य में हमें सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए, मैं नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, नागालैंड में संविधान की धारा-356 का इस्तेमाल करते हुए, वहां जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। साथ ही साथ जिस तरह गवर्नर को हटाया गया है, उसका भी कोई औचित्य नजर नहीं आता है। यह जान-बूझकर अपनी पार्टी की राजनीति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही तमाम संवैधानिक धाराओं को अलग-अलग करते हुए, यह कदम उठाया गया है।

[श्री विजय कुमार यादव]

अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत आ गई हैं और ये बहुत साफ तौर पर आई है कि धारा-356 का इस्तेमाल करने के समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और यहां बहुत सारे राज्य हैं और फैडरल सैट-अप है। हमारे यहां इन बातों का ध्यान निश्चित तौर पर रखा जाना चाहिए कि किसी भी राज्य सरकार के ऊपर धारा-356 जब थोपी जाती है तो वहां की जनता की भावनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा। खुद हमारे देश के अन्दर जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है तो इस पर इसका कितनी दूर तक असर पड़ता है। केन्द्र और राज्य संबंध पर इसका क्या असर पड़ता है। निश्चित तौर पर धारा-356 लागू करने के समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह बात बिल्कुल साफ है कि 1967 के पहले धारा-356 का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत कम होता था। इसके पीछे राजनैतिक कारण हैं। 1967 के पहले, कांग्रेस पार्टी का हिन्दुस्तान में लगभग केन्द्र या राज्यों में सत्ता पर एकाधिकार था। जब इनका एकाधिकार टूटने लगा तब इन्होंने राजनैतिक तौर पर 356-धारा का इस्तेमाल करना शुरू किया। जब कभी हिन्दुस्तान में कांग्रेस सत्ता पर आकर आई या विरोधी पार्टियों की सरकार बनी जिसे चुनाव के जरिए नहीं तोड़ा जा सकता था यह महसूस किया कि उनकी हुकूमत नहीं बन सकती है तो उसके बाद इन्होंने कई राज्यों में धारा-356 का इस्तेमाल किया है। नागालैंड की स्थिति के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य, मैं नहीं जानता हूं कि किस पार्टी को बिलांग करते हैं, उन्होंने 376-धारा का बहुत मजबूती से समर्थन किया है। और नागालैंड की स्थिति का भी जिक्र किया। वहां जा खरोद-फरोख्त और अन्य बातें हो रही थीं उनका भी जिक्र किया। मुझे तो ऐसा लगा कि वे जो तर्क दे रहे थे वह धारा-356 के पक्ष में तर्क नहीं दे रहे थे, बल्कि वहां के गवर्नर ने विधान सभा को भंग करके चुनाव कराने की जो बात कही थी उसका समर्थन कर रहे थे। नागालैंड की जो स्थिति है वहां जो इमर्जेंसी की हालत है, वहां के पढ़े-लिखे नौजवानों के अंदर बेरोजगारी के वजह से व्यापक असंतोष व्याप्त है, केन्द्र का उनके साथ जो सम्बन्ध रहा है और चाहे उनको मदद नहीं करने की बात हो, चाहे उस छोटे से राज्य को देश की मुख्य धारा में लाने की बात हो, इन मामलों में जो उसकी उपेक्षा की जाती रही है, उससे वहां की जनता में विलगाव की भावना पैदा हो रही है। जब विलगाव की भावना पैदा हो रही है, जिस तरह से धारा-356 का इस्तेमाल किया गया है, जब चुनाव होने की बात थी तो क्यों राष्ट्रपति शासन थोपा, केवल दो ही बातें नजर आ रही हैं। एक तो केयर टेकर सरकार को मनाया गया था, दूसरे चुनाव का एलान करने के बाद भी उसके पीछे एक ही कारण था कि ऐसा कठपुतली आदमी गवर्नर बनाकर भेजा जाये जो लम्बे अर्से तक उसको सस्पेंड रखे और फिर चुनाव कराये ताकि अपने हिसाब से मैनुपलेशन करने का मौका इनको मिले। जब ऐसी हालत पैदा हो गई थी, जब तुरन्त विधान सभा भंग कर दी गई थी, तब तुरन्त चुनाव का एलान करना चाहिए था। जिससे वहां की जनता की राय मालूम हो सके कि वह अपने राज्य मे कैसी हुकूमत चाहती है, किस तरह शासित होना चाहती है :

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जो वहां संविधान के साथ बलात्कार किया गया, जिस तरह से इमर्जेंसी कानून का ऑफ एण्ड ऑन इस्तेमाल किया जाता है, उससे आम लोगों को कांग्रेस के बारे में यह समझ हो गई है कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और केन्द्र में जो यह सत्ता हासिल किये हुए हैं उसके जरिये राज्यों की विपक्षी दलों की सरकारों को गिराकर अपनी सरकारें बनाना चाहती है वह नहीं होने वाला है।

मैं इसका विरोध करता हूं और वहां जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसको तुरन्त वापस

करने की मांग करता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी ।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, आप हमें अवसर से वंचित क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है । ठीक है । दुहराइए नहीं बल्कि नई बात कहें । जब आप किसी बात को दुहराएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की घोषणा और उसके पश्चात् नागालैंड के राज्यपाल को हटाए जाने का विरोध करता हूं । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दोहरी नीति अपना रहे हैं । जब कांग्रेस की सरकार अथवा कांग्रेस समर्थित सरकार अपना बहुमत खोती है तो आप तुरन्त वहां विधान सभा भंग कर देते हैं और जब विरोधी दल सत्ता में होते हैं और जब उसके बहुमत खोने के आसार बन जाते हैं या वास्तव में वह अल्पमत में आ जाती है तो आप विधान सभा निलम्बित कर देते हैं और विधायकों को तोड़ कर मिलाने का प्रयास करते है और पुन: वहां पर कांग्रेस की सरकार स्थापित करते हैं । इतने वर्षों में आपका यही काम रहा है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह सत्य नहीं है ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अभी जो घटना घटी है, राज्यपाल ने अपने अधिकार के दायरे में ठीक किया था और जब राजनैतिक अस्थिरता हुई तो उन्होंने विधान सभा भंग कर दी और फिर से चुनाव के लिए कहा । और कामचलाऊ सरकार कार्य कर रही थी । केन्द्र ने न केवल राष्ट्रपति शासन

6.00 म० प०

लागू किया बल्कि राज्यपाल को भी पदमुक्त कर दिया । आप राज्यों के सभी राज्यपालों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें आपके रबर स्टाम्प की तरह कार्य करना होगा । क्या यही सिद्धान्त हमारे संविधान में प्रतिपादित किया गया था । क्या बाबा साहेब अम्बेडकर की उक्ति को भूल गए ? उन्होंने कहा था कि एक राज्य का राज्यपाल संघ के राष्ट्रपति के समान होता है । तो आपको क्या पड़ी थी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए । यह गलत संकेत देता है और हमारे संविधान में उल्लिखित संघीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा । विशेष कर जबकि यह संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है । आप अपने संकीर्ण और अलगाववादी राजनैतिक उद्देश्यों के लिए आपने पहले ही सीमावर्ती राज्यों पंजाब, कश्मीर और असम में आग लगा चुके हैं । अब आप वही कार्य नागालैंड में भी कर रहे हैं । मैं यह चेतावनी देता हूं कि इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ न करें । लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ न करें । इसीलिए मैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा और राज्यपाल को हटाए जाने का विरोध करता हूं । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और निन्दनीय है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि वास्तव में आपका लोकतन्त्र और संघीय व्यवस्था में विश्वास है तो ऐसे कार्यों की भविष्य में पुनरावृत्ति न करें ।

[हिन्दी]

श्री दिलीपभाई संघानी (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। रूल 349 के सबक्लॉज 4 अन्तर्गत—जब कोइ मेम्बर बोलता है तो स्पीकर और बोलने वाले के बीच में फ्लोर क्रॉस करता है तो नियम भंग करता है। यह अच्छा नहीं है। अभी जब मेम्बर बोल रहे थे तो संसदीय कार्य मन्त्री फ्लोर क्रॉस करके गये हैं। इससे नियम भंग हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्वायंट आफ आर्डर दुरुस्त है। आगे चलकर कोई भी ऐसा नहीं करेगा।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : दुर्भाग्यवश, राष्ट्रपति शासन की घोषणा जैसे तुच्छ मुद्दे पर तीखी चर्चा हुई और सभी तरह के आरोप एवं प्रत्यारोप खुलकर लगाए गए हैं। मैं नहीं समझता की माननीय सदस्यों ने नागालैंड में जो वास्तविक मुद्दा है उसे समझ पाए हैं। अंतिम वक्ता अनुच्छेद 174 (2) (ख) और अनुच्छेद 356 के बारे में पूरी तरह से भ्रमित हैं। उनका ऐसा विचार है कि अनुच्छेद 356 को लागू करके मानों हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अनुच्छेद 174 सभा को भंग करने के बारे में है और अनुच्छेद 356 के तहत भी सभा भंग की जाती है। इस ठीक से समझना होगा।

हमारा यह कभी भी दावा नहीं रहा कि राज्यपालों को केन्द्र सरकार की सहायता करनी है और उन्हें केन्द्र सरकार के रबर स्टाम्प की तरह कार्य करना होगा। हम अनुच्छेद 256 और 257 के तहत भी निर्देश जारी नहीं कर सकते। यह संविधान में प्रावधान है। इसके बावजूद माननीय सदस्य यह टिप्पणी कर रहे हैं कि चूंकि राज्यपाल ने इन दोनों में से किसी भी रास्ते को नहीं अपनाया और हमारे बारे में उन्होंने यह आभास दिया कि हमने विशुद्ध दलगत इरादे से यह कार्रवाई की।

श्री बसुदेव आचार्य : हां, यह सच है।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में मैं किसी विवाद में उलझना नहीं चाहता।

पहले हमें मुख्य मुद्दे को समझना होगा। जब अनुच्छेद 174 लागू किया जाता है तो राज्यपाल का यह दायित्व हो जाता है कि वह यह जानकारी प्राप्त करे कि मुख्य मन्त्री जो सभा को भंग करने की सिफारिश कर रहे हैं उनके पास बहुमत है अथवा नहीं। समस्या का मूल यही है जिसे हमें समझना होगा। मैं नागालैंड के माननीय सदस्य के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि इस मुद्दे का अनावश्यक रूप से राजनीतिकरण किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या होगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसको अधिक गंभीरता से न लें और कृपया इसे राजनैतिक मुद्दा न बनाए अन्यथा पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे लोगों के मन में अलगाव की भावना पैदा होगी। वास्तव में आपको यह समझना होगा···(व्यवधान) मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया कुछ देर मेरी भी बात सुनें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। पहला मुद्दा यह है कि राज्पाल का किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व स्वयं आश्वस्त हो जाना चाहिए था। करीब-करीब सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सभा का भंग किया जाना बड़ा

कदम होता है और ऐसे किसी निर्णय को लेने से पूर्व कई मुद्दों के संबंध में राज्यपाल को स्वयं आश्वस्त होना पड़ता है । विधान सभा का सत्र 26 तारीख को समाप्त हुआ और 27 तारीख को सुबह राज्यपाल कलकत्ता के लिए रवाना हुए । कलकत्ता और गुवाहाटी के समाचार-पत्रों और यहां तक कि रेडियो पर भी यह समाचार आया कि सत्ताधारी दल ने कुछ विधायकों एवं मंत्रियों का समर्थन खो दिया है । मैं इस दस्तावेज को उद्धृत करना चाहूंगा । मैंने इसकी एक प्रति* आपको दी है । राज्यपाल ने कहा :—

"27 तारीख को बोर्डिंग पास ले लेने के बाद ही जब मेरे कार्यालय ने हमें यह सूचना टेलीफोन पर 10.45 बजे दी कि 10.30 बजे मुख्य मन्त्री का एक अति महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है । मैंने अपना कलकत्ता जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया ।"

10.45 बजे मुख्य मन्त्री से प्राप्त पत्र का सार नीचे दिया गया है :—

"आपको ज्ञात है कि विधायकों द्वारा बार-बार दल बदल किये जाने के कारण मंत्रिमंडल में कई परिवर्तन हुए । तीन वर्ष के अन्तराल में मैं तीसरा मंत्रिमंडल चला रहा हूं । अब ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यों में स्थिरता नहीं है । इसलिए मंत्रिमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए और एक कामचलाऊ सरकार को नया जनमत प्राप्त होने तक कार्य करने की अनुमति दी जाए । अत: मैं सभा को भंग करने की सिफारिश करता हूं और मुझे नया जनमत प्राप्त होने तक कामचलाऊ सरकार को कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाए ।"

मुख्य मन्त्री को 1.20 बजे दिया गया हमारा जवाब निम्न प्रकार है :

मुझे आपका 23 मार्च 1992 का पत्र मिला जिसमें मुझे नागालैंड विधान सभा भंग करने का सुझाव दिया गया है । मैंने आपका सुझाव स्वीकार कर लिया है क्योंकि आपने कल विधान सभा में अपना बहुमत प्रदर्शन कर दिया था । अगले आदेश तक आप से कामचलाऊ सरकार के तौर पर कार्य करने का निवेदन करता हूं । मुझे प्रेस और रेडियो द्वारा वामुजो सरकार से कुछ मंत्रियों द्वारा समर्थन वापस लेने के बारे में जानकारी मिली है । अब तक लिखित अथवा मौखिक कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

इसलिए, इससे स्पष्ट है कि उन्हें जानकारी थी ।··· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : इस दस्तावेज की तिथि क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसमें से उद्धरण देने के लिए अनुमति मांगी थी और मैंने यह अनुमति दे दी थी ।

श्री एस० बी० चव्हाण : अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि उनके पास मुख्य मन्त्री की सिफारिश होनी चाहिए ।··· (व्यवधान)

मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है । इस सभा में एक दस्तावेज का उल्लेख हुआ है । उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखना आवश्यक है । मैं दस्तावेज की तिथि जानना

[*ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०— 1749 से 1751/92]

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

चाहता हूं, अन्यथा यदि गृह मंत्री दस्तावेज पढ़ेंगे और दस्तावेज की तारीख नहीं बताएंगे तो इसका कोई दूसरा अर्थ निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी व्यवस्था का प्रश्न मान्य है। माननीय मंत्री ने एक दस्तावेज से उल्लेख किया था और उन्होंने यह सावधानी बरती कि दस्तावेज को सभा पटल पर रखा जाए। उन्होंने मुझे भी इसके बारे में लिखा था और मैंने उन्हें अनुमति दे दी। आप पता लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कौन सी तिथि है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह 28 मार्च है। प्रेस की रिपोर्ट, रेडियो की रिपोर्ट और तकरीबन सभी यहां तक कि मंत्री परिषद ने भी स्वयं ये कहा था कि विधान सभा को भंग करने के लिए ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। मुझे राज्य सरकार के अधीन काम करने का कुछ अनुभव है। वहां ऐसी प्रथा थी कि जब मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन होता था तब नोटिस जारी की जाती थी और नोटिस की एक प्रति राज्यपाल के कार्यालय को भेजी जाती थी। बैठक की कार्यवृत्ति भी राज्यपाल के कार्यालय को भेजी जाती थी। मैंने कोहिमा में 'कैबिनेट सेक्रेट्री सेल' से यह पता लगाया है कि क्या उनके द्वारा कोई नोटिस जारी की गई थी। मेरे पास वह रिपोर्ट है। उससे यह स्पष्ट होता है कि ना तो 'कैबिनेट सेक्रेट्री सेल' ने नोटिस जारी की थी और ना ही किसी तरह का कार्यवृत्त प्राप्त किया गया। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि हमने राज्यपाल के कार्यालय से यह मालूम किया है कि क्या उन्होंने नोटिस की एक प्रति प्राप्त की है, क्या उन्हें इस बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति मिली है, और क्या सभा को भंग करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने इन दोनों बातों का भी खण्डन किया है। वास्तविकता ये है कि वे कोहिमा छोड़ते हैं और उसके बाद कलकत्ता जाते है। उनको 'बोर्डिंग कार्ड' भी दिया गया था। उन्हें हवाई जहाज से जाना था। तब तक, उनको इसकी जानकारी नहीं थी और 10.30 बजे मुख्य मंत्री उन्हें ये सूचना देते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है जिसमे ये निर्णय लिया गया है। सदस्यों ने हर्ष के साथ कहा था कि "वहां के कुछ माननीय सदस्यों के साथ आपका कोई संबंध होगा और 26 के सायंकाल को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तथा मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि राज्यपाल इस बात को जाने बिना बात कर रहे हैं जबकि राज्यपाल द्वारा सभा को भंग किया जाता है, मुख्य मंत्री द्वारा नहीं।" इसलिए, वे कोहिमा छोड़ देते हैं और दीमापुर जाते हैं। वे कलकत्ता जाने वाले थे और उसके बाद वे वापस आने वाले थे। मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूं—वापस लौटने के बाद बीस मिनट के अन्दर वे उसी स्थान पर हस्ताक्षर करते हैं। अत: सब-कुछ अच्छी तरह से जानते हुए, और उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें दल-बदल की जानकारी थी, मंत्रिमंडल के सदस्य उनका समर्थन नहीं दे रहे हैं और वे विधान सभा के सदस्य भी थे, हमें कम से कम इतना तो अनुभव था। जैसा कि नागालैंड के माननीय सदस्य ने कहा कि तकरीबन तेरह सदस्यों ने एक नया दल बनाया है। इसलिए वे अल्पमत हो गए हैं। राज्यपाल इसके बावजूद भी, सिफारिशों को अनुमोदित करते हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी, आप एक मिनट के लिए रुक जाइये। हमने राज्यपाल को

रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ा है और राज्यपाल ने गृह मंत्री अथवा राष्ट्रपति को भेजे गए रिपोर्ट में स्पष्टतया कह दिया है कि जब विधान सभा को भंग करने का निर्णय लिया गया था उस समय मंत्रिमंडल बहुमत में था। रिपोर्ट में ऐसा स्पष्ट और सीधे कहा गया था।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय मंत्रियों से ये अनुरोध कर सकता हूं कि वे व्यवधान की ओर ध्यान न दें। आप अपना समय लीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : राज्यपाल ने भी ये दलील पेश किया था कि अनुदानों की मांगों का अनुमोदन, सभा ने किया है। तब, सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया था। इस कारण से, मैंने सोचा कि सभा में उनका बहुमत है, लेकिन परिस्थितियों ने इसको प्रमाणित नहीं किया क्योंकि राज्यपाल ने खुद कहा था और मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि दल-बदल अधिक संख्या में है। अतः परिस्थिति ठीक नहीं थी। मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा था। राज्यपाल ने भी ऐसा ही कहा। लेकिन, इसके बावजूद, उस पर कार्रवाई न करना, उन्होंने उचित नहीं समझा।

हम कम से कम ये चाह रहे थे कि उनका सब कुछ बता दें और सत्ताधारी दल से ये पूछें कि यदि उनके पास बहुमत है तो मैं उन्हें सभा के समक्ष उनकी बहुमत को प्रमाणित करने के लिए, जैसा कि सरकारिया आयोग ने सिफारिश किया था, 15 अथवा 30 दिनों का समय देता हूं। ऐसा करने के बजाय उन्होंने विधान सभा को भंग करके मुख्य मंत्री के सिफारिशों का अतिक्रमण किया।

श्री बसुदेव आचार्य : मणिपुर में क्या हुआ था ?

श्री एस० बी० चव्हाण : आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक कमजोर मामले की वकालत कर रहे हैं। सभी मानदण्डों का अतिक्रमण हुआ है। मैं राज्यपाल के कार्य-संचालन के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता। लेकिन मैंने इतना तो सोचा कि उन्हें इस स्थिति को समझने और निर्धारण करने में सतर्कता बरतनी चाहिए थी। उन्हें अपने आपको इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए था कि वे प्रत्येक दल के प्रति विश्वसनीय है। वास्तव में, उन्हें सरकार बनाने की सम्भावना को खोजना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये पूरी तरह जानते हुए भी कि सत्ताधारी दल के पास सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बहुमत नहीं है, उन्होंने सत्ताधारी दल से कुछ भी नहीं पूछा; और इसके बदले उन्होंने सभा को भंग करने की घोषणा करते हुए बिन्दु चिह्न रेखाओं पर अपना हस्ताक्षर किया, जो मेरे अनुसार बहुत-बहुत ही गम्भीर बात है।

माननीय विपक्ष नेता ने कहा था कि अनुच्छेद 174 को लागू करने के बाद, क्या अनुच्छेद 356 को लागू करने का कोई प्रावधान है ? अध्यक्षपीठ तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के ऐसे अनेक मामले मौजूद है जिनमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 174 के प्रभावी होने के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है और ये अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अवहेलना करता है।

मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। आप कृपया इसके आशय को समझने की कोशिश कीजिए और बेकार में ऐसी स्थिति को जन्म देने की कोशिश मत कीजिए जैसा कि इस सरकार ने कोई विलक्षण काम कर दिया हो, जो कि वास्तव में सच्चाई से दूर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस 'रनिंग कॉमेन्ट्री' को बन्द कीजिए। श्री आचार्य जी, पहले ही आपसे काफी अनुग्रह किया गया है।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे पास लगभग आधा दर्जन मामले हैं। यदि विपक्ष के नेता को रुचि है तो, मैं उन सभी मामलों का विवरण दे सकता हूं जिनमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 174 को लागू करने के बाद अनुच्छेद 356 को लागू किया गया। 1952 से 1989 तक के ये सभी मामले हमारे पास हैं। हम उनको यह विश्वास दिला सकते हैं कि कोई हमने विलक्षण काम नहीं किया है।

अब मैं सरकारिया आयोग के सिफारिशों की बात करूंगा जिसके संदर्भ में विपक्ष नेता ने बड़े हर्ष के साथ कहा था कि जो कुछ किया गया वो सरकारिया आयोग की सिफारिशों से काफी हट कर था।

परिच्छेद 4-11-25 में सरकारिया आयोग निम्नलिखित रूप से कहा :

"मंत्रि परिषद मतदाओं से फिर से जनमत प्राप्त करने के आधार पर राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दे सकता है।"

यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है। इसे सभा पटल पर रखा गया था। यदि विधान सभा में मंत्रिमंडल को जनमत प्राप्त होता है तो राज्यपाल सलाह दे सकते हैं।

"लेकिन जब ऐसे मंत्रिमंडल द्वारा सभा को भंग करने की सलाह दी जाती है जो बहुमत खो चुका है अथवा ऐसे प्रतीत होता हो कि उसे बहुमत नहीं है तब राज्यपाल को, जो भी अनुकूल हो परिच्छेद 4-11-09 और 4-11-13 तथा 4-11-20 में प्रस्तावित आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

"तथापि, यदि राज्यपाल के पास ये विश्वसनीय साक्ष्य हैं कि निवर्तमान सरकार गम्भीर कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसे मंत्रिमंडल को कामचलाऊ सरकार के रूप में पदासीन करना उनके लिए उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में और यदि निवर्तमान सरकार कामचलाऊ सरकार के रूप में काम करने को तैयार नहीं रहती है तब राज्यपाल को सभा भंग किए बिना राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना चाहिए।"

अत: ऐसे अन्य और असंख्य सिफारिशें हैं जिनको मैं पढ़ना नहीं चाहता और ऐसा करके सभा का समय भी लेना नहीं चाहता।

एक गम्भीर विषय था जिस पर लम्बे समय तक वाद-विवाद हुआ। मैं इन घटनाओं का उल्लेख नहीं करता था। लेकिन अब मुझे इन घटनाओं का उल्लेख करना पड़ रहा है जिसमें मुख्य सचिव का आचरण शामिल है।

ऐसे लगभग चार या पांच मामले हैं। इस मामले की छानबीन करने के लिए भारत सरकार को और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सहमति दी गई है। बाद में 1985 में और 1990 में भी, पूर्व प्रभाव से अपनी सहमति वापस ले ली गई है। यह आश्चर्य की बात है कि भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है और जांच कार्य भी पूरा हो चुका है। जहां तक नागालैंड का सम्बन्ध है। चूंकि वे लोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यह स्थगन आदेश खारिज हो जाने के बाद निश्चय ही मैं आप सबको तथ्य की जानकारी दे सकूंगा और कम से कम मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सभी तथ्यों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है तो कोई कारण नहीं है इस स्थगन आदेश को सफलतापूर्वक खारिज नहीं करवाया जा सके।

प्रश्न यह है कि उनकी वार्षिक आय और व्यय क्रमशः 13,75,000 और 13,90,000 रुपये है जैसा कि उनका कहना है। वर्ष 1987 में उनकी सम्पत्ति का मूल्य 67 लाख रुपये के लगभग था जो कि आज बढ़कर कुछ करोड़ रुपये तक होगी। जबकि उनके पास 20 सोने के बिस्कट पाए गए हैं जिन पर विदेशी चिह्न अंकित हैं। वह मामला सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है।

उन्होंने —मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए दुख हो रहा है—पांच आग्नेय अस्त्रों का लाइसेंस छलपूर्वक बनवा लिया है : वास्तव में, किसी को भी तीन से अधिक अस्त्रों का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां तो एक राज्य के मुख्य सचिव का ही मामला है जो सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी तरह पांच आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस बनवा लेने में सफल हो गए।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पास दिल्ली के आस-पास 370 एकड़ जमीन है। तीन सो सत्तर करोड़ जमीन इस भद्र पुरुष के स्वामित्व में है। एक व्यवसायिक परिसर में उनके 13 फ्लैट हैं। और ये सारी चीजें,** (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मेरे नाम का उल्लेख किया गया है इसलिए मुझे उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : **···(व्यवधान)।

इतना ही नहीं, दो विदेशी नागरिकों का एक अन्य मामला भी है। वे दो विदेशी नागरिक बिना परमिट के नागालैंड के सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उनके पास इनरलैंड परमिट नहीं थी। वे नागालैंड के आन्तरिक जिला में दो माह तक रहते रहे। भारत सरकार की तरफ से उन्हें कई पत्र लिखे गए। उनके अपने अधिकारियों ने भी वहां के मुख्य मंत्री और दूसरे प्राधिकारियों को उस सम्बन्ध में लिखा है। लेकिन आश्चर्य है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वे विदेशी नागरिक नागालैंड में अलगाववाद को बढ़ावा देने में लिप्त थे। इसलिए वे अधिकारी उस इलाके में अलगाववाद का प्रचार करने वाले उन दो विदेशी नागरिकों का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। अन्ततः उन्हें और किसी बल ने नहीं बल्कि असम राइफल्स ने गिरफ्तार किया। अब वे हिरासत में हैं और उन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। अतः मुख्य सचिव का कुल मिलाकर यही आचरण था। मुझे मजबूरन यह कहना पड़ रहा है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि राज्यपाल की रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है—कि वहां के राज्यपाल महोदय और दूसरे अधिकारियों ने उस रूप में कार्य नहीं किया जिसकी उम्मीद उनसे की जाती है। उन्हें तो किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने की आवश्य-

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

कता नहीं होनी चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने आप से ही यह प्रश्न पूछकर उत्तर ढूंढें कि क्या राज्यपाल ने नागालैंड के हित में अपने कर्तव्य का निर्वाह किया ? इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास राज्यपाल को हटाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा कही गई दो बातों पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे इस सम्बन्ध में प्रश्न करने का अवसर नहीं मिलेगा ?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप महसूस करते हैं कि आपके विरुद्ध कुछ कहा गया है, तो मैं आपको बोलने का अवसर दे सकता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वही तो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो प्रश्न करना चाह रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं स्थिति को स्पष्ट कैसे कर सकूंगा ?

माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि मैंने मुख्य सचिव का बचाव किया है। मैंने मुख्य सचिव का बचाव नहीं किया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मान लिया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने मुख्य सचिव का बचाव नहीं किया है। गृह मंत्री ने झूठा बयान दिया है। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : आप ऐसा कीजिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, महोदय, वह गृह मंत्री हैं। आप उन जैसे ऊंचे पद पर आसीन व्यक्तियों को इस सदन को** करने की अनुमति नहीं दे सकते। मैंने मुख्य सचिव का बचाव नहीं किया है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मैंने इस सदन में जो भी भाषण दिए हैं; उसमें से एक भी ऐसा शब्द बताएं जिससे यह लगे कि मैंने मुख्य सचिव का बचाव किया है।

महोदय, इस सदन के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उस आदमी ने कब सम्पत्ति अर्जित की, 1989 में कौन मुख्य मंत्री था और किस पार्टी का था ? उन्होंने कहा था कि वे मामले उठाए जाने

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

चाहिए ... (व्यवधान) उनको पार्टीने**समर्थन किया था। उन्होंने** बचाव किया है। क्या उन्होंने** इस सदन और देश को गुमराह नहीं किया है ? माननीय गृह मंत्री, आपको** समझ होनी चाहिए :वह आपका मुख्य मंत्री था, कांग्रेस पार्टी का मुख्य मंत्री था। उस आदमी को किसने बचाया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : इनका यह कहने का क्या अभिप्राय है कि मुझे समझ होनी चाहिए** (व्यवधान)

श्री आर्ब फर्नान्डीज : कार्यवाही वृत्तान्त में क्या सम्मिलित किया जा रहा है, वह मैं जानना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि उनको भी समझ होनी चाहिए... ...(व्यवधान)

श्री आर्ब फर्नान्डीज : यह आदमी मुझे कैसे कह सकता है... (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : इनको समझ नहीं है...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कांग्रेस (आई) पार्टी सत्ता में थी और उसी ने उसका बचाव किया... (व्यवधान)

श्री आर्ब फर्नान्डीज : इनके मुख्य मंत्री, श्री होकिशेसेमा द्वारा इसी वर्ष 22 जनवरी का लिखा पत्र मेरे पास है। वे कांग्रेस (आई) पार्टी के नेता थे। वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं। वह राज्यपाल भी रह चुके हैं। (व्यवधान) मेरे पास श्री एस० सी० अमीर के द्वारा 17 जून, 1989 को लिखा गया पत्र मौजूद है जिसमें उन्होंने मुकदमों को उठा लेने के लिए कहा था। गृह मंत्री को इसके बारे में चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं, अब सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब जरा वातावरण...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्ब फर्नान्डीज : कांग्रेस के दो मुख्य मन्त्री हैं, जिन लोगों ने इस सारे काम को किया है।...(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

यह तो मुझ पर उलट दिया गया है।** को समझ होनी चाहिए... इस सदन का दुरुपयोग करने की भी एक सीमा है। यह आदमी मुझ पर जिम्मेवारी नियत करना चाहता है—दस पुश्तों में भी नहीं ...(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, हम नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर बहस कर रहे हैं। मैंने नागालैंड के राज्यपाल की बर्खास्तगी से संबंधित मुद्दे को उठाया था। पता नहीं क्यों, मुझे कह दिया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत मैं उस मद्दे पर बहस कर सकता हूं। अब अचानक सरकार की तरफ से नागालैंड के राज्यपाल को हटाए जाने के मुद्दे पर जो वक्तव्य दिया गया है उससे सदन में विवाद खड़ा हो गया है और उसी क्रम में हम अपने सहयोगियों पर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उस सज्जन ने जिसको हममें से कोई भी नहीं जानता है अमुक और अमुक व्यक्तियों के समर्थन के कारण ये सारी संपत्ति अर्जित की है। नागालैंड में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रस्ताव पर बहस के दौरान दिए जा रहे उत्तर के क्रम में इस तरह की सूचनाओं को सदन में इस प्रकार उछालना क्या पूरी तरह अनुचित नहीं है? अन्यथा ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए जिसके अन्तर्गत किसी राज्यपाल को क्यों और कैसे हटाया गया जैसे विषय पर हम बहस कर सकें। तब तो और बात है। वहां दो विदेशी नागरिक पहुंच गये तो उनका भी मामला राज्यपाल के मत्थे मढ़ दिया गया। जो संपत्ति उस सज्जन के द्वारा अर्जित की गई जिसका उल्लेख श्री एन्थनी ने किया है…

अध्यक्ष महोदय : वह एक सचिव था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, हां, वह नागालैंड का मुख्य सचिव था। (व्यवधान) लेकिन महोदय, इस सदन का उस व्यक्ति से क्या लेना-देना है?

[हिन्दी]

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : खुद का इनका खोद है।…(व्यवधान)…

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने पिछले दिनों कहा था, "क्या राज्यपाल को इस आशय का नोटिस जारी किया गया था कि आप अमुक-अमुक गतिविधियों में संलग्न है, आप आचरण स्पष्ट करें?" उस क्रम में नागालैंड के मुख्य सचिव और उन विदेशी नागरिकों का उल्लेख कर दिया गया। तब तो हम उसी तरह के मुद्दों पर बहस कर सकते हैं। खासकर ऐसी बहस के दौरान इस सारे मामले को इस तरह प्रस्तुत करना मानों कि विपक्ष एक मुख्य सचिव के गलत कारनामों का बचाव कर रहा हो या इस तरह के कार्य को न्याय संगत बता रहा हो, क्या पूर्णतया अनुचित नहीं है? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : गृह मन्त्री के भाषण का वह अंश कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने… (व्यवधान)…

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : भाषण देने के आदी हैं। काश्मीर के बारे में दिया, अयोध्या के बारे में दिया और अब इसके बारे में दे रहे हैं…(व्यवधान)…

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से मत कीजिए।

…(व्यवधान)…

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल आपने भी बहुत कुछ बोला है। यह दोनों तरफ एप्लाई करता है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मन्त्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में यह कहा कि जार्ज फर्नांडीज ने जो नागालैंड के मुख्य सचिव थे, उनको प्रोटेक्शन और उनकी पैरवी यहां पर की है। यह बात उन्होंने कैटेगोरिकली आन-दि-फ्लोर-आफ-दि-हाउस कही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कही है कि नहीं कही है।

...(व्यवधान)...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके बाद माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने अधिकारिक रूप से यहां पर फ्लोर-आफ-दि-हाउस कहा, मेरी स्पीच को देख लीजिए, कहीं पर भी मैंने इसको नहीं कहा है। मान्यवर, एक सदस्य के सम्मान और उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। होम मिनिस्टर अगर सदन में यह कहते हैं, रिकार्ड की चीज है, पेटेंट है, तो या तो उसको वे साबित करें या माफी मांगें। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप जो कह रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि एक दूसरे के आनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं लेकिन कल भी यह बात होनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं उस समय सभा में ही था, जब जार्ज फर्नान्डीज बोले थे। और मैं समझता हूं कि जो मुख्य मन्त्री ने किया था, संभवत: वह उसके बारे में ही कह रहे थे। उस बात को हम जिस ढंग में चाहें प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन मेरा विचार यह है कि सम्भवत: वह किसी के बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वह यह कहना चाह रहे थे कि इससे पहले मुख्य मन्त्री ने कुछ-न-कुछ किया था। इतना ही इस बारे में पर्याप्त होना चाहिए तथा इस बात को यहीं समाप्त कर दें...

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, नहीं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए अब। खुराना जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमें चाहिए कि हम इतने भावुक न बनें। यदि आप कल की कार्यवाही एवं कुछ सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को पढ़ेंगे, तो मैंने आज जो कहा है, उससे कुछ और अधिक कहना पड़ेगा। लेकिन किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही है···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने जो कहा है, वह बतायें··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, अगर एक मेम्बर का आनर है तो दूसरे मेम्बर का भी आनर है।

[अनुवाद]

मैंने यहां श्री जार्ज फर्नान्डीज के सम्मान को रखने का प्रयास किया है। इसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं; लेकिन फिर आप इस बात को एक सीमा से बाहर नहीं खींच सकते।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, इंटरपिटेशन के लिए तो पूरी गुंजाइश रहती है। जहां तक मुझे स्मरण है, किसी ने यहां पर नागालैंड के चीफ सेक्रेट्री···

अध्यक्ष महोदय : नागालैण्ड की नहीं, बहुत सारी डिबेट्स की बात है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी इस समय यहां पर नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की चर्चा हो रही है। इस सन्दर्भ में दो पहलू जो उत्तर में से खड़े हुए हैं, एक है राज्यपाल के कांडक्ट के बारे में और अध्यक्ष जी, आपने मुझे कहा था, मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि उसमें ग्रे-एरिया है, लेकिन संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके आधार पर राज्यपाल के बारे में कुछ कह सकें, कोई इंपीचमेंट का प्रावधान नहीं है। बड़े स्पेसिफिक ढंग से कहा गया कि राज्यपाल को हमने क्यों हटाया, इसके बारे में दो कारण बताए, एक कारण चीफ सेक्रेट्री वाला बताया, दूसरा कारण बताया वो विदेशी नागरिकों को उन्होंने समर्थन दिया या कुछ दिया, हमको तो जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनके नहीं, गवर्नर के बारे में नहीं, चीफ सेक्रेट्री के बारे में था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गवर्नर के बारे में है, आप डिबेट देख लीजिए, पूछा गया था कि क्या राज्यपाल को हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें व्याख्या करने दें···

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इन दोनों बातों का जिक्र राज्यपाल को हटाने के संबंध में किया गया है और वह कहते हैं कि राज्यपाल को हटाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह इसे यहां स्पष्ट कर देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं तो केवल यही बताना चाहता हूं, इन दोनों मामलों में, जब राज्यपाल आरोपों के घेरे में हों, मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में एक ऐसा उपबंध अथवा कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जोकि यह इंगित करे कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाये और उस दौरान उन्होंने इस सभा के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाये हैं कि वह सदस्य एक ऐसे व्यक्ति की सफाई दे रहे जिसने काफी अधिक धन एकत्रित कर लिया था। यह बिल्कुल गलत है···(व्यवधान) मुझे विश्वास है कि वह उस आरोप को वापिस लेना चाहेंगे। वह आरोप कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की चर्चा जारी नहीं रखना चाहता हूं :—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें। अच्छा, हम सभी माननीय सदस्य हैं और यहां सभी मित्र हैं। भाषणों की गर्मा-गर्मी में, हम अवश्य ही कुछ टिप्पणियां कर देते हैं। मैं जानता हूं कि वे टिप्पणियां इधर-उधर से अनेक सदस्यों द्वारा की जाती है। अब हमें उसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और मान लीजिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें अब। मैंने जो कहना था कह दिया है। इतना ही काफी होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : मंत्री महोदय को खेद व्यक्त करना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात का ध्यान रखें कि सुबह इस ओर से सदस्य माफी मांग रहे थे। हमने उन्हें उस बात पर ज्यादा दबाव नहीं डालने दिया। हमें सारा दिन ऐसे ही नहीं करते रहना चाहिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में यह देखूंगा कि इसके बारे में क्या किया जाना है।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा तो है कि मैं यह देखूंगा कि इसके बारे में क्या किया जाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें अब।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरूरी नहीं है। प्रश्न यह है कि श्री एस० बी० चव्हाण द्वारा प्रस्तुत किया गया सांविधिक संकल्प···

(व्यवधान)

श्री आर्ज फर्नान्डीज : मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि सभा की एक समिति नियुक्त करें। (व्यवधान) मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आप सभा की एक समिति गठित करें और यदि वह समिति यह पाती है कि मैंने मुख्य सचिव का बचाव किया है, तो मैं सभा से इस्तीफा दे दूंगा। आप सभा की एक समिति नियुक्त करें। मैं अपने सम्मान के प्रति चिन्तित हूं। (व्यवधान) आप सभा की एक समिति नियुक्त करें। मैं अपनी उनसे बराबरी करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं किसी और से भी अपनी बराबरी करने से इनकार करता हूं। आप सभा की एक समिति नियुक्त करें। मेरे भाषण को सभा की एक समिति के द्वारा जांच-पड़ताल होने दीजिये। यदि समिति मुझे उत्तरदायी ठहराती है, तो मैं सभा में अपने स्थान से इस्तीफा दे दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप द्वारा दिये गये भाषणों पर एक समिति भी नियुक्त करूंगा।

(व्यवधान)

श्री आर्ज फर्नान्डीज : महोदय, आपके पूर्ण सम्मान सहित··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप द्वारा दिये गये भाषणों पर एक समिति भी गठित करूंगा।

(व्यवधान)

श्री आर्ज फर्नान्डीज : ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे पर विश्वास करें। यदि मुझे थोड़ा-सा भी संदेह हुआ कि इससे आप के सम्मान को जरा-सा भी धक्का लगा है, तो इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। आप आश्वस्त रहें।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन फिर सभी के साथ समान न्याय करना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें भला-बुरा कहने का लाईसेंस नहीं मिल सकता और न ही उनके पास आपको भला-बुरा कहने का लाइसेंस दिया जा सकता है।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : मैं इस पर अडिग रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प सभा के मतदान हेतु रखता हूं। दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : अब, दीर्घायें खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 अप्रैल, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 14]　　[समय 6.51 म० प०

अकबर पाशा, श्री बी०

अडईकलराज, श्री एल०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अम्बा रासु इरा, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अशोक राज, श्री ए०

असं, श्रीमती चन्द्र प्रभा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहिरवार, श्री आनन्द

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी

इन्द्रजीत, श्री

इन्चालम्बा, श्री

इस्लाम, श्री नुरूल

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्बे, श्री लाईता

ओडेयर, श्री चनैया

कमल नाथ, श्री

करेंबुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कामत, श्री गुरुदास

कामसन, प्रो० एम०

काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कालियापेरुमल, श्री पी० पी०

काले, श्री शंकर राव के०

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुजूर, श्री बाल्लिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

कोनियी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौर, श्रीमती सुखबंस

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीद, श्री सलमान

गंगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गहलोत, श्री अशोक

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गोमांगो, श्री गिरिधर

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चिदम्बरम, श्री पी०

चेन्निथला, श्री रमेश

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम प्रकाश

चौधरी, श्रीमती संतोष

जनार्थनन, श्री एम० आर० कादम्बूर

जांगड़े, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

टाईटलर, श्री जगदीश

टिण्डिवनम, श्री के० राममूर्ती

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजी भाई

डेका, श्री प्रबीन

डेनिस, श्री एन०

तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

तोषनो, कुमारी फ्रिडा

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरात, श्री संदीपन भगवान

दत्त, श्री सुनील

दिघे, श्री शरद

देव, श्री संतोष मोहन

देवड़ा, श्री मुरली

देवराजन, श्री बी०

देवी, श्रीमती विभू कुमारी

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव

नंदी, श्री येल्लैया

नवले, श्री विदुरा विठोबा

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री पी० जी०

नैताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पंडियन, श्री डी०

पटनायक, श्री शरत् चन्द्र

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

पद्मश्री, कुमारी कुट्टमुला

डा० (श्रीमती) पद्मा

पवार, डा० बसंत

पवार, श्री शरद

पांजा, श्री अजीत

पाटिल, श्री विजय एन०

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू

पेरूमान, डा० पी० वल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री आस्कर

फारूक, श्री एम० ओ० एच०

फलीरो, श्री एडुआर्डो

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बरार, श्री जगमीत सिंह

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भड़ाना, श्री अवतार सिंह

भाम्बे गोवर्धन, श्री

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोसले, श्री तेजसिंह राव

भोई, डा० कृपासिन्धु

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर०

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भेरू लाल

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मुरुगेसन, डा० एन०

मूर्ति, श्री, एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्त

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

युमनाम, श्री याइमा सिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राजुलु, डा० आर० के० जी०

राजू०, श्री वी० विजयकुमार

राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बाबू, श्री ए० जी० एस०

राममूर्ति, श्री के०

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रावत, श्री प्रभुलाल

राही, श्री राम लाल

रेड्डय्या यादव, श्री के० पी०

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बा रामा

रेड्डी, श्री मुहासमुद्रम ज्ञानेन्द्र

रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर

रेड्डी, श्री विजय भास्कर

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, कुमारी विमला

वान्डायार, श्री के० तुलसिपेया

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी० एस०

विलियम्स, श्री आर० जो०

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शिगडा, श्री दामू बरकू

शिवप्पा, श्री के० जी०

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

श्रीधरन, डा० राजगोपालन

श्रीनिवासन; श्री चिन्नासामी

संगमा; श्री पूर्णो ए०

सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार; श्री

सादुल, श्री धर्मण्णा मेंडिय्या

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय; श्री ए० प्रताप

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

सिंधिया, श्री माधवराव

सिदनाल; श्री एस० बी०

सिलवेरा; डा० सी०

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री दलबीर

सिंह; श्री मनफूल

सिंह; श्री मोतीलाल

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सिंहदेव, श्री के० पी०

सुन्दरराज, श्री एन०

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

स्वामी; श्री जी० वेंकट

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

होम्बिक, श्री विजय कृष्ण

होरो, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

सौन्द्रम; डा० (श्रीमती) के० एस०

विपक्ष में

अंसारी; श्री मुमताज

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

आचार्य; श्री बसुदेव

आजम; डा० फैयाजुल

आडवाणी; श्री लाल कृष्ण

उरांव; श्री ललित

कटियार; श्री विनय

कठेरिया; श्री प्रभु दयाल

कश्यप, श्री राम सिंह

कापसे, श्री राम

कालकादास; श्री

कुमार; श्री नीतीश

केसरी लाल; श्री

खण्डूरी, श्री भुवन चन्द्र

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

खां; श्री सुखेन्दु

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, डा० परशुराम

गिरि; श्री सुधीर

गिरिजा देवी; श्रीमती

गुप्त; श्री इन्द्रजीत

गोपालन; श्रीमती सुशीला

गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती; प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चिखलिया; श्रीमती भावना

चौधरी; श्री पंकज

चौधरी; श्री राम टहल

चौधरी; श्री लोकनाथ

चौधरी; श्री सैफुद्दीन

चौहान; श्री चेतन पी० एस०

जसवन्त सिंह; श्री

जायनल अबेदिन; श्री

जेना; श्री श्रीकान्त

झा; श्री भोगेन्द्र

टंडेल; श्री डी० जे०

डोम; डा० राम चन्द्र

तंगाबालु, श्री के० वी०

तीरकी; श्री पीयूष

तोपदार; श्री तरित बरण

तोमर; श्री रमेश चन्द्र

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिवेदी; श्री अरविन्द

दत्त; श्री अमल

दास; श्री अनादि चरण

दास; श्री जितेन्द्र नाथ

दास; श्री द्वारकानाथ

दुबे; श्रीमती सरोज

देशमुख, श्री चन्दूभाई

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह

नाईक, श्री राम

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री प्रविण

पटेल, श्री सोमाभाई

पटेल, श्री हरिभाई

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल

पाठक, श्री हरिन

पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री बलराज

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रेमी, श्री मंगलराम

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फातमी, मोहम्मद अली अशरफ

बंडारु, श्री दत्तात्रेय

बर्मन, श्री उद्धव

बर्मन, श्री पलास

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बैठा, श्री महेन्द्र

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भंजय लाल, श्री

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुब्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुण्डा, श्री कड़िया

मुरमु, श्री रूप चंद

मोल्लाह, श्री हन्नान

मौर्य, श्री आनन्द रत्न

यादव, श्री अर्जुन सिंह

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री रामशरण

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री एस० पी०

यादव, श्री सूर्यनारायण

राजेश कुमार, श्री

रामदेव राम, श्री

रामबदन, श्री

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री नवल किशोर

राय, श्री रवि

राय, श्री लाल बाबू

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

रेड्डी, श्री बी० एन०

रोशन लाल, श्री

लोढा, श्री गुमान मल

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, श्री शिवशरण

वर्मा, श्री सुशीलचन्द्र

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

वीरेन्द्र सिंह, श्री

वेकारिया, श्री एस० एन०

शर्मा, श्री जीवन

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शाह, श्री मानवेन्द्र

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद

संघानी, श्री दिलीप भाई

सरस्वती, श्री योगानन्द

सिंह, श्री अभय प्रताप

सिंह, श्री राम

सिंह, श्री राम नरेश

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सैयद, श्री शाहाबुद्दीन

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

हुसैन, सैयद मसूदल

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :—

पक्ष में : 206

विपक्ष में : 142

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.50 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 अप्रैल, 1992/4 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पक्ष में : श्री पवन सिंह घाटोवार, श्री एम० बागा रेड्डी, श्री जी० मादे गौडा, श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल, राव राम सिंह, श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी; श्री संत सिंगला, श्री आर० रामास्वामी, श्री गुरचरण सिंह दादाहूर।

विपक्ष में : श्री साईमन मराण्डी, श्री शरद यादव, श्री ताराचन्द खण्डेलवाल, श्री नरेश कुमार बालियान, डा० जी० एल० कनोजिया, श्री रामनिहोर राय, श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी, श्री रामपाल सिंह, श्री देवी बक्स सिंह, श्री राम नारायण बैरवा, श्री श्याम लाल कमल, श्री छोटे लाल, श्री महेश कनोडिया, श्री मोहन सिंह।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053